

• वर्ष 25 • अंक 4
• जुलाई-सितंबर 2013



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

25
रेजत जयंती वर्ष
1988 - 2013

दो दशाला
२५
वर्ष



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

● संपादक मंडल	1
● गवर्नर का संदेश	3
● संपादकीय	5
● अनुचिंतन	7
● इतिहास के पञ्चों से केंद्रीय बैंकिंग	9
● केंद्रीय बैंकिंग - स्वरूप, कार्य और कार्यपद्धति सामान्य बैंकिंग	13
● प्रलेख निष्पादन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य	20
● लागत में कमी एवं लाभप्रदता	26
● समेकित जोखिम प्रबंधन	30
● व्यापारिक बैंकिंग : एक परिचय	37
● स्वयं सहायता समूह - ग्रामीण बैंकिंग में एक नई क्रांति	40
● खुदरा बैंकिंग कारोबार : भारतीय बैंक बैंकिंग विधि	48
● बैंक, ग्राहक, उनकी संविदा तथा अवयस्क ग्राहक	54
● परिसीमन अवधि - गणना एवं विस्तारण बैंकिंग प्रौद्योगिकी	59
● नेट बैंकिंग	63
● ई-पर्स	71
● डिपॉजिटरी (डीमैट) प्रणाली	78
● बैंकों में साइबर सूचना संबंधी खतरे	83
आधुनिक बैंकिंग	
● व्युत्पन्न साधन (डेरिवेटिव) - एक विहंगावलोकन	87
● डेरिवेटिव - ऑप्शन्स एवं फ्यूचर्स	91
● रिवर्स मॉर्गेज योजना - बुजुर्गों का सहारा	95
● बैंक एश्योरेन्स : बाधाएं और समाधान	98
आर्थिक लेख	
● विश्वव्यापी बाजार अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका	105
● धन-शोधन (मनी लॉन्डिंग) एवं इसे रोकने के उपाय	111
● घूमता आईना	116
● लेखकों से/पाठकों से	120
सावित्री सिंह	
डॉ. रमाकांत शर्मा	
बनवारीलाल बगड़िया	
नवनीत चन्द्र मिश्र	
यू.एस. पालीवाल	
धृव कुमार फिटकरीवाला	
रणवीर सिंह	
डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह	
कंचनलता रस्तोगी	
डी.के. जैन	
डॉ. रमाकांत गुप्ता	
सुजीत कुमार अरविन्द	
के.सी.मालपानी	
आनंद कृष्ण	
पी. विजय भास्कर	
अशोक कुमार गुप्ता	
ओम प्रकाश अग्रवाल	
डॉ.सुबोध कुमार एवं हरीश चंद्र रत्नौड़ी	
के.सी.मिश्र	
सरजू शरण	
के.सी. मालपानी	



प्रबंध संपादक

डॉ. रमाकांत गुप्ता
महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

के. सी. मालपानी
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

संपादक-मंडल



कार्यकारी संपादक

सावित्री सिंह
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई - 400 018

सदस्य

एस. एन. मिश्र

मुख्य महाप्रबंधक
इंडियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै

डॉ. प्रमोद कुमार

महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

एम. वी. अशोकन

उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

ब्रिजराज

संकाय सदस्य एवं उप महाप्रबंधक
रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै

अरुण श्रीवास्तव

उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

डॉ. हरियश राय

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

डॉ. अजित कुमार

संकाय सदस्य एवं सहायक महाप्रबंधक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो।
इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

डॉ. रमाकांत गुप्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई-400 018 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा
इंडिया प्रिंटिंग वर्क्स, मुंबई में मुद्रित।

इंटरनेट <http://www.rbi.org.in/hindi> पर भी उपलब्ध। E-mail : rajbhashaco@rbi.org.in फोन 2494 8263 फैक्स 2498 2077



भारतीय रिजर्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in



डॉ. रघुराम जी. राजन

गवर्नर

GOVERNOR

• संदेश •

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विषयों पर प्रकाशित की जाने वाली तिमाही हिंदी पत्रिका “बैंकिंग चिंतन-अनुचितन” का रजत जयंती विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है।

किसी भी प्रकाशन के लिए सफलतापूर्वक पच्चीस वर्ष पूरे कर लेना निश्चय ही गौरव की बात है। अपनी शुरुआत के साथ ही इस पत्रिका ने बैंकिंग क्षेत्र के साथ-साथ शिक्षण-प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाना शुरू कर दिया था और आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक फैला इसका पाठक-वर्ग इस बात का गवाह है।

इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग से संबंधित सामग्री को हिंदी में प्रस्तुत किए जाने के साथ-साथ बैंकिंग विषयों पर हिंदी में चिंतन-मनन की प्रक्रिया को शुरू करना था। इसे हासिल करने में यह पत्रिका न केवल पूरी तरह सफल रही है बल्कि इसने बैंकिंग विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में लिखने वालों की एक जमात भी तैयार की है। वित्तीय शिक्षण वित्तीय समावेशन के एक अभिन्न अंग के रूप में चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है और जन-सामान्य तक बैंकिंग एवं संबद्ध विषयों पर जानकारी देश के बहुसंख्यक वर्ग की भाषा हिंदी में उपलब्ध कराने का कार्य भी यह पत्रिका बखूबी करती नजर आ रही है।

इस सार्थक और सफल प्रयास के लिए हार्दिक बधाई देते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि “बैंकिंग चिंतन-अनुचितन” पत्रिका आने वाले समय में और भी आकर्षक, उपयोगी एवं प्रेरणास्पद होगी तथा इसका हर नया अंक उच्चतर मानदंड स्थापित करेगा।

मैं इस प्रकाशन की उत्तरोत्तर प्रगति हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

रघुराम जी राजन
(रघुराम जी. राजन)

संपादकीय....

प्रिय पाठकों,

**“भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा
सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ।”**
— श्वेताश्वेतर उपनिषद्



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का प्रकाशन एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर शुरू किया गया था। जुलाई-सितंबर 1988 अंक के रूप में इसके पहले अंक का प्रकाशन बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा किया गया और तब से मार्च 2008 तक के अंक वहीं से प्रकाशित होते रहे। उसके बाद इसका प्रकाशन जारी रखने का दायित्व राजभाषा विभाग ने संभाला। पत्रिका के पहले अंक का संपादकीय बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य श्री के. पी. कुलकर्णी और राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित पहले अंक अर्थात् अप्रैल-सितंबर 2008 अंक का संपादकीय विभाग की तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती पी. कुमार ने लिखा था। मेरे लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि रजत जयंती वर्ष अंक के रूप में प्रकाशित इस जुलाई-सितंबर 2013 अंक का संपादकीय लिखने का सौभाग्य मुझे मिला है।

जुलाई-सितंबर 1988 अंक के रूप में प्रकाशित पहले अंक की “प्रस्तावना” में तत्कालीन कार्यपालक निदेशक श्री सत्यानंद बगाई ने इस बात का उल्लेख किया था कि “बैंकिंग का काम हिंदी में हो, इसके लिए यह नितांत आवश्यक है कि जहां अंग्रेजी में काम करने वाले लोगों को हिंदी में बैंकिंग का कामकाज करने की क्षमता प्रदान की जाए, वहीं हिंदी में कामकाज करने की क्षमता रखने वाले लोग मूल रूप से हिंदी में बैंकिंग विषयों पर चिंतन-मनन करें और अपने विचारों और सोच को हिंदी में अभिव्यक्त करें ताकि इस क्षेत्र में नयी पारिभाषिक शब्दावली विकसित हो और बैंकिंग विषय सीधे हिंदी के माध्यम से कर्मचारियों और अधिकारियों तक पहुंचें।” पत्रिका के प्रत्येक अंक के प्रकाशन में इस प्रयोजन को ध्यान में रखा गया है।

संपादकीय के प्रारंभ में मैंने जो श्लोक लिखा है, उसका अर्थ यह है कि भोक्ता (जीव), भोग्य (प्रकृति) और प्रेरक (ईश्वर) भेद से ब्रह्म तीन प्रकार का कहा गया है। सच कहें तो यह पूरी अर्थव्यवस्था का सार है। भोग्य से तात्पर्य विश्व में विद्यमान संपदा से है, जिसमें समस्त कृषि और खनिज पदार्थ आदि शामिल हैं। जब मनुष्य में इस संपदा को भोग्ने की इच्छा उत्पन्न होती है, तब उसे धरती के गर्भ से निकालकर मनुष्य के लिए उपभोज्य बनाने के लिए आर्थिक क्रिया-कलाप शुरू किए जाते हैं। आज चूंकि रूपया विनिमय का माध्यम बन गया है, अतः बड़े पैमाने पर आर्थिक क्रिया-कलाप शुरू करने के लिए बचत और निवेश की तथा बचतकर्ता और निवेशक के बीच बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की जाती है। प्रेरक की भूमिका विज्ञापन संबंधी कंपनियां निभा रही हैं। सच पूछा जाए तो विज्ञापन देने वाली कंपनियां आज ईश्वर का रूप हैं। यदि विज्ञापन न हो तो मनुष्य के भीतर भोग्ने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी, वह सन्यासी बन जाएगा और सारा आर्थिक और वित्तीय ढांचा चरमरा जाएगा। यही कारण है कि आज मीडिया स्वयं एक बड़े उद्योग के रूप में उभरकर सामने आ रहा है।

रजत जयंती वर्ष अंक को यादगार बनाने के लिए संपादकीय समिति ने यह निर्णय लिया कि विगत वर्षों में प्रकाशित शाश्वत महत्व वाले वित्तीय और बैंकिंग विषयक लेखों को शामिल करते हुए इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण ‘अंकों का अंक’ के रूप में प्रकाशित किया जाए।

विगत पचीस वर्षों के दौरान प्रकाशित विविध अंकों में अर्थव्यवस्था के आर्थिक और वित्तीय ढांचे के लगभग हर पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। संपादक मंडल ने बड़ी मेहनत से इन अंकों में प्रकाशित ऐसे आलेखों का चयन किया है जो आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं तथा जो बैंकिंग एवं वित्तीय जगत के हर कोने की सैर कराने में सक्षम हैं।

इस अंक में कुल 19 लेख शामिल किए गए हैं और समूचे अंक को छः खंडों में विभाजित किया गया है। पहले खंड में केंद्रीय बैंकिंग के स्वरूप, कार्य और कार्यपद्धति की जानकारी दी गई है। दूसरे खंड में लाभप्रदता, प्रलेख-निष्पादन और जोखिम प्रबंधन जैसे बैंकिंग संबंधी सामान्य विषयों के साथ-साथ व्यापारिक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और स्वयं सहायता समूह जैसे विषयों पर लिखे गए लेख शामिल किए गए हैं। बैंकिंग विधि की व्याख्या से जुड़े लेखों में पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए ऐसे लेख अलग से तीसरे खंड में शामिल किए गए हैं। आज की बैंकिंग पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, अतः ‘बैंकिंग प्रौद्योगिकी’ नामक चौथे खंड में नेट-बैंकिंग, ई-पर्स, डिपॉजिटरी और साइबर खतरों से संबंधित लेखों को स्थान दिया गया है। आज बैंकिंग का दायरा काफी बढ़ गया है। परंपरागत बैंकिंग में बहुत से ऐसे नए आयाम जुड़े गए हैं, जिनमें कुछ का संबंध बैंकिंग और वित्तीय जगत में शामिल जोखिम को कम करना है तो कुछ बुजुर्गों की मदद के लिए चलाई गई बैंकिंग सेवा से संबंधित हैं तो कुछ का संबंध बीमा क्षेत्र में बैंकों के प्रवेश से है। इन लेखों को ‘आधुनिक बैंकिंग’ नामक पांचवें खंड में शामिल किया गया है। अर्थव्यवस्था से संबंधित लेख कई थे परंतु इस अंक को मुख्य रूप से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित लेखों तक सीमित रखा जाना था ताकि इसका कलेवर ज़रूरत से अधिक बड़ा न होने पाए। तथापि, आजकल अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका एवं धन-शोधन को रोकने के महत्व को देखते हुए इनसे संबंधित दो लेखों को ‘आर्थिक लेख’ नामक छठे और अंतिम खंड में स्थान दिया गया है।

इस बार ‘इतिहास के पन्नों से’ में आपको आनंद्रा बैंक की विकास यात्रा से रू-ब-रू कराया है पत्रिका की कार्यकारी संपादक श्रीमती सावित्री सिंह ने तथा बैंकिंग व वित्तीय जगत की अद्यतन जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है पत्रिका के संपादक-मंडल के सदस्य-सचिव श्री के. सी. मालपानी ने स्तंभ ‘घूमता आईना’ में।

कुल मिलाकर, इस अंक को पाठकों के लिए एक संग्रहणीय अंक बनाने का पूरा प्रयास किया गया है और इस अंक ने समूचे बैंकिंग और वित्तीय जगत की सैर कराने वाली एक ऐसी पुस्तिका का रूप ले लिया है जिसकी गोद में पिछले पच्चीस सालों में विभिन्न बैंकों और आर्थिक जगत के विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेख समाहित हैं।

पत्रिका के प्रवेशांक के बाद यह पहला अवसर है जब गवर्नर साहब के स्तर से पत्रिका के लिए सदेश प्राप्त हुआ है। हम माननीय गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन के प्रति हृदय से आभारी हैं जिन्होंने ‘अंकों का अंक’ के रूप में प्रकाशित इस अंक के लिए अपना सदेश देकर और पत्रिका के भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कर हमारा उत्साह बढ़ाया है।

पच्चीस वर्षों के सफर के दौरान इस पत्रिका ने पाठकों के दिलों में अपनी पैठ बनाने के साथ ही बैंकिंग, आर्थिक एवं वित्तीय जगत की उत्कृष्ट हिंदी पत्रिका का ताज भी हासिल करने में सफलता पाई है। बदलते समय की मांग के अनुरूप अपने को संवारते एवं निखारते हुए यह पत्रिका प्रगति पथ पर सदैव आगे बढ़ती गई है। इसने समय-समय पर विविध सम्मान भी अर्जित किए हैं जिनमें प्रमुख है मीडिया जगत की प्रतिष्ठित संस्था एबीसीआई द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रकाशन की श्रेणी के तहत वर्ष 2006 में तीसरे स्थान एवं 2010 में कांस्य पुरस्कार के लिए चुना जाना। इस कड़ी में रजत जयंती वर्ष के दौरान इस पत्रिका ने सबसे उल्लेखनीय सम्मान हासिल किया है। हाल ही में एबीसीआई द्वारा इस पत्रिका के ‘इतिहास के पन्नों से’ स्तंभ को गोल्डन पुरस्कार से नवाजा गया है। आप पाठकों का स्नेह हमारे लिए सदैव प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का काम करता है।

पिछले अंक के बारे में पाठकों ने खुलकर अपनी राय दी और उससे हमारा उत्साह बढ़ा। पत्रिका के पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे इस रजत जयंती वर्ष अंक के प्रति भी अपनी अनुक्रिया और बहुमूल्य सुझाव ramakantgupta@rbi.org.in अथवा savitrisingh@rbi.org.in नामक ई-मेल पतों पर अवश्य प्रेषित करें, ताकि हम इस पत्रिका को उनकी ज़रूरतों के अधिक अनुकूल बना सकें।

(डॉ. रमाकांत गुप्ता)

महाप्रबंधक

अ | नु | चिं | त | न

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन वर्ष 25 अंक 3 अप्रैल-जून 2013 का अंक परंपरागत रूप से गतांकों के समान उत्कृष्टता लिए हुए है। अंक में सबसे ज्यादा रोचक एवं नूतन जानकारी से ओतप्रोत लेख श्री परवेज अख्तर का लगा जिसमें देश में भ्रष्टाचार मिटाने में विसलब्लोअर की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में क्रमवार प्रकाश डाला है। यह लेख समसामयिक और बोधपूर्ण है जो कि अब तक कभी पढ़ने में नहीं आया था। श्री संतोष श्रीवास्तव का लेख “प्रतिगामी बंधक” एक अत्यावश्यक योजना के ज्ञान से भरा सामाजिक सुरक्षा उपायोजन की रचना है। संदर्भीय महत्व का एक छोटा लेकिन बड़ा उपयोगी लेख श्री डी. के. जैन का है जिसमें भागीदारी अधिनियम, 2008 की मुख्य बातें हैं। जरूरी सूचनाओं भरा लेख है यह। अन्य सभी लेख भी स्तरीय एवं सारांशित, सम सामयिक, पठनीय व विशेषताएँ लिए हुए हैं। संपादक मंडल तथा लेखकों को हार्दिक बधाइयों के साथ अगले अंक की प्रतीक्षा में -

- **हरिश्चंद्र सागरमल अग्रवाल**
सेवानिवृत्त स्टेट बैंक अधिकारी
अकोला (विदर्भ)

त्रैमासिक बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन मार्च 2013 का अंक 3 प्राप्त हुआ जो कि बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण सामग्री लिए हुए हैं। “आर्थिक विकास और पर्यावरण” लेख में विकास के माध्यम से पर्यावरण पर होने वाले नुकसान को वर्णित किया गया है जो कि आर्थिक विकास के साथ जुड़ी संस्थाओं के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। श्री संतोष श्रीवास्तव द्वारा लिखित “वृद्धावस्था में प्रतिगामी बंधक” काफी ज्ञानवर्धक है। बैंकों द्वारा इस योजना का काफी प्रचार करने के बावजूद यह वांछित सफलता अर्जित नहीं कर रहा है। शायद इसका कारण हमारी संस्कृति में जमीन व मकान को अगली पीढ़ी को शुद्ध व स्पष्ट अंतरण करने की व्यापक परंपरा है। “ग्रामीण भारत का वित्तीय समावेशन” में सुश्री निधि चौधरी ने विस्तार में जानकारी उपलब्ध करवाई है व वित्तीय समावेशन का

विभिन्न तरीकों से वर्णन किया है। आधुनिक समय के विकास में ग्रामीण भारत को साथ जोड़ने का सरकार व बैंकों द्वारा सराहनीय प्रयास है। इस लक्ष्य पूर्ति हेतु सभी बैंकिंग व गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से सहयोग व प्रयास अपेक्षित हैं ताकि गांवों में बस रहे लोगों को भी भागीदार बनाया जा सके व सरकारी आर्थिक विकास योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुँचाया जा सके। “धूमता आईना” में दी गई विस्तृत अद्यतन जानकारी आर्थिक जगत से संबंधित सभी संस्थाओं के लिए हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। अन्य सभी आलेख भी ज्ञानवर्धक व सूचनाप्रद हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना व कार्यकलापों पर भी लेख प्रकाशित करने का निवेदन करता हूँ।

● जी. एस. मान

मुख्य प्रबंधक

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय, मण्डी (हि.प्र.)

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन, अप्रैल-जून 2013 अंक में संपादक महोदय ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। भारत अपनी विशालता, उत्कृष्ट उत्पादकता, उत्पादन में विविधता, व्यय शक्ति की बहुलता के कारण प्राचीन काल से ही भूमंडलीकरण का पक्षधर रहा है। प्राचीन काल से ही भारत के मेहनतकश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाते रहे हैं/ ले जाए जाते रहे हैं। अनायास ही उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं भाषा का प्रचार-प्रसार दुनियाभर में किया है। आज हिंदी में विश्व भाषा बनने की क्षमता है किंतु हमारे राजनेता ही निहित स्वार्थों के कारण हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधक बने हुए हैं।

परिवर्तन प्रबंधन किसी भी संस्था के लिए द्रवंद्रवपूर्ण कार्य है। इस गतिशील और परिवर्तनशील वातावरण में परिवर्तन प्रबंधन आवश्यक है। “भारत में पर्दाफाशकर्ता का संरक्षण” सूचनाप्रक आलेख है। चारों ओर लोग सीटियां बजा रहे हैं मगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ नहीं हो रहा है यह एक दर्दनाक स्थिति है।

“वृद्धावस्था में प्रतिगामी बंधक” एवं “ग्रामीण भारत का वित्तीय समावेशन” आदि लेख रोचक और सूचनाप्रक हैं।

समस्या यह है कि विभिन्न योजनाएं और कानून जनकल्याण के लिए बनाए जाते हैं किन्तु कुछ धूर्त लोग उन्हीं योजना और कानून का दुरुपयोग कर समाज को हानि पहुंचाते हैं। स्वर्ण मुद्रा किसी समय आपदा प्रबंध का माध्यम थी किंतु आज देश के लिए विदेशी मुद्रा की समस्या पैदा कर रही है। समाज की प्रवृत्ति आत्मनियंत्रण की नहीं रही है तथा इसी का फल है कि छोटा ऋण हो या उद्योगपति, सभी ऋण लौटाने में कोताही बरत रहे हैं और बैंकों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है। गवर्नर राजन साहब को इसी परिप्रेक्ष्य में ‘शून्य’ प्रतिशत ऋण पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है ताकि आम आदमी ‘शून्य’ प्रतिशत के प्रलोभन में ऋणग्रस्त न हो जाए।

● विश्वनाथ सिंहानिया
प्रबंधक (सेवानिवृत्त)
भारतीय रिज़र्व बैंक

सर्वप्रिय पत्रिका बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का तिमाही अप्रैल-जून 2013 का अंक मेरे हाथ में है। यह न केवल बैंकिंग की धुरी है बल्कि सारे आर्थिक व व्यावसायिक मंथनों का अमृत-सार है। इस अंक के सारे लेख मानो गहन चिंतन से सराबोर होकर एक विशेष वैचारिक परिदृश्य पैदा कर रहे हैं। सारे सम्माननीय लेखकों को सादर प्रणाम व धन्यवाद।

“घूमता आईना” हमें स्पष्ट करता है कि हम कैसे हैं व कैसा है हमारा आर्थिक नजरिया व इसकी प्रतिबिंबता। यह लेख भविष्य की उन अनगिनत सम्भावनाओं की ओर निश्चित रूप से इंगित करता है जो निकट समय में उज्ज्वल होकर प्रकाशमय होंगी।

निश्चित ही पत्रिका का परिचालन-समय मासिक कर दिया जाए जिससे हम बैंक इस युग में अनुचिंतित हों, सुशासन व सुअनुशासन को महसूस करें। कोटिश: धन्यवाद व आगामी अंकों हेतु शुभेच्छा व जय जय।

● सुंदरलाल किशनानी
वरिष्ठ शाखा प्रबंधक
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
किरी मोहल्ला, विदिशा (म.प्र.)

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अप्रैल-जून 2013 अंक मुझे प्राप्त हुआ। हम जैसे बेरोजगारों तथा बैंकिंग के क्षेत्र में रुचि रखने वालों के प्रति यह पत्रिका पूरी तरह से समर्पित है। इसके माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान उस मोती की तरह है जो समुद्र में प्राप्त होता है।

इस अंक में “संपादकीय” श्री डॉ. रमाकांत गुप्ता द्वारा बेजोड़ है ये (यानि संपादकीय) हर अंक में ही उत्कृष्ट लेखों में एक है। इसी अंक में “वृद्धावस्था में प्रतिगामी बंधक – महत्व एवं उपयोगिता” श्री संतोष श्रीवास्तव, “इतिहास के पन्नों से” श्री एच. पंढरीनाथ और “घूमता आईना” श्री के. सी. मालपानी के लेख कुबेर के खजाने से कम नहीं।

मैंने इस अंक के लिए एक पत्र छोड़ा था अगर इसमें और उसमें कोई कमी हो तो क्षमा दें क्योंकि-

“To err is human”

और इस पत्रिका का हिंदी में विमोचन आप सभी संपादक मंडल को हिंदी भाषा की तरफ से साधुवाद क्योंकि-

“है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी-भरी।

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी ॥”

अन्य आलेख भी रोचक और सूचनाप्रद हैं।

अगले अंक की प्रतीक्षा में,


● आलोक कुमार नायक
जगन्नाथपुर, माझानरायण
देवरिया (उ.प्र.)



इतिहास के पन्नों से

सुधी पाठको, तीन वर्ष पहले हमने भारतीय बैंकों की जीवनगाथा की जो कड़ी आरंभ की थी उसमें हमने अब तक आपको बैंकों के बीजांकुर से लेकर आज के फलते-फूलते कारोबार की विभिन्न अवस्थाओं की सैर कराई। आपकी प्रतिक्रियाओं ने हमारा उत्साह बढ़ाया और हम इस रुचिकर खोजी आत्मकथात्मक वर्णन शृंखला का सफर आगे बढ़ाते गए। इस सफर में इस वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल करने में हम सफल हुए जब वर्ष 2012 के लिए ‘एबीसीआई’ ने हमारे इस कॉलम को भारतीय भाषाओं की श्रेणी के तहत स्वर्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बैंकों के इस सफरनामे के दौरान हमारे सम्मुख कई गोचक पहलू उजागर हुए और हमने यह पाया कि भारतीय बैंकों के मूल में उनके संस्थापकों की देशप्रेम, देशहित और समाज कल्याण की भावना सर्वोपरि रही है। उन्होंने अपने स्वार्थ को ताक पर रखकर इन बैंकों का गठन किया। उनकी मंशा निहायत ही पारदर्शी और ‘सर्वजनहिताय’ की भावना से ओत-प्रोत थी। शायद उनकी इसी सोच ने हमारे बैंकों की नींव इतनी मजबूत बना दी है कि बदलते समय की बदलती चुनौतियों के आगे आज भी वे मजबूती से खड़े हैं और देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान कर रहे हैं।

बैंकों के इतिहास के इस सफरनामे में आइए इस बार आपको ले चलते हैं दक्षिण भारत के पूर्वी छोर पर स्थित राज्य के एक ऐसे बैंक के जीवनक्रम की यात्रा पर जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र बैंक है और कई अन्य बैंकों की तरह ‘जनकल्याण’ की भावना से उपजा है। जी हाँ आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं आंध्रा बैंक की जिसके सफर की शुरुआत आंध्रप्रदेश के मछलीपट्टणम शहर से हुई और राजधानी हैदराबाद पहुंचकर ठहराव आया। आइए सुनते हैं आंध्रा बैंक की आज तक की जीवनगाथा खुद उसी की जुबान से....




आनंदा बैंक का पुराना प्रधान कार्यालय, मछलीपट्टणम

आंध्र प्रदेश के महान गांधीवादी डॉ. पट्टाभि सीतारामन्ना की विचारधारा से जन्मा मैं हूँ आंध्रा बैंक। मेरे जन्मदाता डॉ. पट्टाभि का जन्म 24 दिसंबर 1880 को पश्चिम गोदावरी ज़िले के एल्लोर तालुका के एक गरीब नियोगी ब्राह्मण परिवार में हुआ और वे उस परिवार की चार संतानों में से तीसरी संतान थे। कहते हैं ना कि सपूत्र के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं ठीक उसी तरह गरीब नवयुवक पट्टाभि ने मैट्रिक्युलेशन की परीक्षा पहले दर्जे से उत्तीर्ण की और उसके बाद पारिवारिक मदद और छात्रवृत्ति की सहायता से मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया और आगे चलकर मद्रास मेडिकल कॉलेज से 1901 में एम.बी. एण्ड सी. एम. की डिग्री हासिल की।

अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉ. पट्टाभि 1906 में मछलीपट्टणम लौट आए और डॉक्टरी की प्रैक्टिस आरंभ कर दी। 1905 में बंगाल के बंटवारे ने देश में अंग्रेजों की खिलाफत करने वालों की नई जमात पैदा कर दी और इस आंदोलन में डॉ. पट्टाभि भी कूद पड़े। अपनी डॉक्टरी सेवा को तिलांजलि देकर पूरी तरह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में छलांग लगा दी। डॉ. पट्टाभि गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और अहिंसा एवं सत्याग्रह के पुजारी थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश राज में सालाना सैकड़ों करोड़ों का जो चूना भारतीय अर्थव्यवस्था को लग रहा था उस पर रोक लगाने का सर्वोत्तम उपाय था भारतीयों द्वारा बैंकिंग एवं बीमा कंपनियों की शुरुआत करना। वे सहकारिता सिद्धांत के भी कट्टर समर्थक थे। सहकारिता आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ‘आंध्र सहकार पत्रिका’ नामक तेलुगु पत्रिका भी आरंभ की थी। केवल मैं ही नहीं अपितु मेरे कई अन्य मित्र भी डॉ. पट्टाभि की इसी सोच की उपज हैं और हम उनके तहेदिल से शुक्र गुजार हैं। उन्होंने 1923

में मेरी स्थापना के साथ- साथ 1929 में भारत लक्ष्मी बैंक, 1925 में आंध्र इंश्युरन्स कंपनी एवं 1935 में दि हिन्दुस्तान इंश्युरन्स कंपनी की नींव भी रखी।

आइए, अब मैं ले चलता हूँ आपको मेरे जन्म से लेकर आज तक के सफर पर। अब तक तो आप मेरे संस्थापक डॉ. पट्टमिंग की विचारधारा से परिचित हो ही चुके होंगे। उन्होंने सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाने वाले इस देश की धन-संपदा को बाहर जाने से रोकने



के लिए और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा प्रदान करने के लिए मेरी स्थापना की कल्पना की और अपनी इस कल्पना को साकार किया 28 नवंबर 1923 को। जी हां इसी दिन मैंने डॉ. पट्टमिंग की कर्मभूमि मछलीपट्टणम में 1.00 लाख रुपए की पेड़अप कैपिटल और 10.00 लाख रुपए की शेयर पूँजी के साथ अपना कारोबार आरंभ किया। अपने जन्म के प्रयोजन के अनुरूप मैंने स्थानीय किसानों, व्यापारियों, कारीगरों एवं दस्तकारों की आर्थिक जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित किया। और अपने कुल अग्रिमों की 50 प्रतिशत राशि उन्हें प्रदान की। इसके पीछे मंशा यही थी कि स्वदेशी कारोबार में वृद्धि हो और दासता के पंजे में जकड़ा भारतीय समाज आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर अग्रसर हो सके।

देशहित और जनकल्याण की भावना के साथ मैंने जो कारोबार तत्कालीन आन्ध्र के छोटे से शहर मछलीपट्टणम से आरंभ किया था उसकी अगली मंज़िल के रूप में मैंने नवाबों के शहर हैदराबाद को अपना अगला पड़ाव बनाया। वहां सन् 1930 में मेरी दूसरी शाखा ने कार्य करना आरंभ किया और एक तरह से तत्कालीन रियासत के केंद्रस्थान पर मैंने उपस्थिति दर्ज कराई। मैंने अपनी सेवाओं के दायरे को विस्तारित करने की ओर हाथ-पैर मारना आरंभ कर दिया जिसके चलते अपने गृहराज्य से परे मेरी पहली शाखा 1945 में मद्रास में और फिर 1946 में ब्रह्मपुर में अस्तित्व में आई। ब्रिटिशों के जमाने से ही देश के कारोबार का केंद्रबिंदु रहे मुंबई में मैंने कदम 1961 में रखा जब इस आर्थिक राजधानी में मेरी पहली शाखा खोली गई।

समय की मांग के साथ ही अपने फैलते कारोबार के लिए मैंने अपने कार्यबल को मजबूत करना भी जारी रखा। किसी भी संस्था के कर्मचारी उसका आईना होते हैं और उस संस्था की प्रगति, उन्नति व विकास उन कर्मचारियों के परिश्रम पर ही निर्भर करते हैं। मैं भी इस वास्तविकता से अनजान नहीं था और यही वजह रही कि अपने मानव संसाधन की क्षमता को विस्तारित करने के ध्येय से मैंने सन्

1963 में हैदराबाद में पहला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। इसी वर्ष मेरी विकासगाथा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आया जब मेरे निदेशक मंडल ने मेरी जड़ों को मछलीपट्टणम से उखाड़कर हैदराबाद में पुनःरोपित करने का अहम फैसला किया। अंततः 1963 में राजधानी हैदराबाद के कोठी नामक क्षेत्र में मैंने अपने नए भवन से कार्य करना आरंभ कर दिया और तब से यही शहर मेरे कारोबार का केन्द्रबिंदु बना हुआ है क्योंकि मेरा प्रधान कार्यालय यही है जहां मेरा निदेशक मंडल मौजूदा स्थितियों के साथ ही भावी स्थितियों का आकलन कर मेरे कारोबार के बारे में महत्वपूर्ण फैसले लेता है।

हैदराबाद में शिफ्ट होने के अगले ही वर्ष यानि 1964 में मैंने 'ए क्लास' के बैंकों में जगह बना ली। इसके साथ ही अपनी स्थिति को आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में मजबूत करने के उद्देश्य से मैंने डॉ. पट्टमिंग की ही सोच से उपजे भारत लक्ष्मी बैंक का सन् 1964 में अपने में विलय कर लिया। अब मैं आपको अपने निदेशक मंडल की प्रगतिशील विचारधारा का परिचय देना चाहूँगा। हाल ही में मैंने सुना कि देश की महिलाओं की बैंकिंग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार महिला बैंक खोलने जा रही है और शायद जब आप मेरी यह गाथा पढ़ रहे होंगे तब तक यह बैंक चुनिंदा शहरों में अपनी 7 शाखाओं के साथ अस्तित्व में आ चुका होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे निदेशक मंडल की दूरगामी सोच ने 1964 में ही इस आवश्यकता का अंदाजा लगा लिया था और एक माइक्रो स्टर पर आगाज़ करने के तिहाज़ से उन्होंने इसी वर्ष हैदराबाद के हिमायतनगर इलाके में पहली संपूर्ण महिला शाखा आरंभ की। यही वह वर्ष भी रहा जब मैंने कोलकाता में अपनी 100 वीं शाखा आरंभ की। इसके ठीक दो वर्षों बाद अर्थात् 1966 में देश की राजधानी दिल्ली में शाखा खोलकर मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

आर्थिक व बैंकिंग जगत से सरोकार रखने वाला हर व्यक्ति सन् 1969 की उस क्रांतिकारी घटना से परिचित जरूर है जब सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया। राष्ट्रीयकरण की कड़ी का यह पहला दौर था। इस पहले दौर के बाद निजी क्षेत्र के जितने भी बैंक थे उनमें मैं सबसे बड़ा बैंक था और मेरी यह स्थिति 1980 तक कायम रही। 1980 का साल मेरे इस सफरनामे का दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ था। इसी वर्ष 15 अप्रैल को सरकार ने राष्ट्रीयकरण के लिए बैंकों की दूसरी सूची जारी की जिसमें मेरा भी समावेश था। मेरा तो जन्म ही जनकल्याण की भावना से हुआ था लेकिन राष्ट्रीयकरण होने के बाद मैंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। शाखा

विस्तार की शतकीय पारी तो मैं पहले ही खेल चुका था, अब बारी थी जमाराशियों के जादुई शतकीय आंकड़े को पार करने की जो मैंने 1972 में कर दिखाया। यही वह वर्ष था जब मेरी जमाराशियां 100 करोड़ रु. के खिताबी आंकड़े को पार कर गई। आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ एचआर से जुड़े कार्यकलाप भी चलते रहे जिसके परिणामस्वरूप 1972 में मैंने अपनी गृहपत्रिका आरंभ की और उसके अगले साल अर्थात् 1973 में स्टाफ को प्रशिक्षित करने के प्रयोजन से स्टाफ कॉलेज की स्थापना भी की।

देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों की अगुवाई करते हुए मैंने 19 सितंबर 1981 को सबसे पहले ‘आन्ध्रा बैंकार्ड’ नाम से क्रेडिट कार्ड का चलन आरंभ किया। इसी की तर्ज पर मैं वह पहला बैंक बना जिसने विदेशी मुद्रा यात्री चेक जारी करने के कार्य की शुरुआत की। इसके अलावा एक और प्रथम प्रयास का क्रेडिट मेरे नाम है और वह है 1986 में राष्ट्रीयकृत बैंकों में से सबसे पहले अल्पसंख्यक समुदाय कक्ष की स्थापना करने वाला बैंक। वर्ष 1998 में निम्न हैदराबाद में खोली गई शाखा मेरी 1000वीं शाखा थी। वर्ष 2006 में दुबई में शाखा खोलने के साथ ही मैंने विदेशों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बदलते समय के साथ कदमताल करते हुए वर्ष 2009 में मेरी सभी 1540 शाखाओं को कोर बैंकिंग की सुविधा से सज्ज कर दिया गया। यही वह वर्ष था जब मेरा कुल कारोबार 1.00 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया और शीघ्र ही वर्ष 2012 में यह आंकड़ा 2.00 लाख करोड़ रुपए से आगे निकल गया। आज की तारीख में देश के 25 राज्यों एवं 3 संघशासित प्रदेशों में मेरी 1891 शाखाएं कार्यरत हैं और इन सभी ने मिलकर जून 2013 तक मेरे कारोबार को 2,23,933 करोड़ रु. तक पहुंचा दिया है जिसमें से 1289 करोड़ रुपए मेरी शुद्ध कमाई के हैं।

मैंने अपने विज्ञन के रूप में जिस मोटो को चुना है उसके अनुसार मैं एक ऐसा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ जो ग्राहक केन्द्रित नवोन्मेषी उत्पादों की सहायता से संपूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करे और अपने हितधारकों के लाभों में इज़ाफा करे। विश्वस्तरीय कार्यनिष्ठादान मानकों को हासिल करने के लिए मानव संसाधन तथा टेक्नोलॉजी की सहायता से बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए मिल-जुलकर काम करने को मैंने अपना मिशन बना लिया है। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए मैंने आईटी के क्षेत्र में जो प्रयास किए उनका फल मुझे मिला आईडीआरबीटी, हैदराबाद द्वारा नवाज़े गए “बेस्ट बैंक” पुरस्कार के रूप में। एटीएम के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में भी मैंने जो प्रयास किए, उसके लिए मुझे आईबीए द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। आईटी क्षेत्र

से जुड़ी मेरी कुछ पहलें इस प्रकार हैं- ई-डोनेशन, ई-बैंकिंग केंद्र, चेक जमा मशीनें, इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क, हॉट लाइन कॉल सेंटर, एबी प्रोफेशनल ऋण तथा अभया फर्स्ट बैल्थ पैक।

ये तो हुई मेरे विज्ञन-मिशन और नवोन्मेषी प्रयासों की बात। चलिए अब मैं आपको रू-ब-रू करवाता हूँ अपने कॉरपोरेट पहचान लोगों से जो लाल और नीले रंग में बना हुआ है और अंग्रेजी के नंबर 8 की तिरछी प्रतिकृति के समान दिखाई देता है। यह आकार वास्तव में इनफिनिटी का सिंबल है जो यह दर्शाता है कि मैं अपने ग्राहकों के लिए किसी भी सीमा तक जाकर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ऊपरी भाग में बना नीले रंग का पॉइंटर विकास और नई दिशाओं की ओर चलने की मेरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ‘कीहोल’ सेफ्टी और सुरक्षा तथा ‘चेन’ साथ रहने की भावना को प्रतिरिंबित करता है। लाल और नीले रंग गतिशीलता एवं मजबूती के परिचायक हैं। मेरा पहचान चिह्न मेरे ध्येय वाक्य ‘आपकी आवश्यकताओं के लिए’ आपके अपने बैंक के पैमाने पर खरा साबित होता है।

बदलते समय के साथ ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने में अपने आपको सक्षम बनाने के लिए मैं नित प्रयासरत रहता हूँ। इसी प्रयास के चलते मैंने परामर्शदाता फर्म मैरिंजी से सलाह मशविरा कर एक सुनियोजित पहल ‘नवशक्ति’ का श्रीगणेश किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अपने ग्राहकों की संतुष्टि का स्तर ऊंचा उठाने के ध्येय से मैंने चार पायलट जेन शाखाएं खोली हैं जहां उनकी न केवल वर्तमान अपितु भावी जरूरतों को पूरा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 90 वर्ष के अब तक के मेरे इतिहास में यह परियोजना एक अहम पड़ाव साबित होगी।

मैंने 1973 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री वी.वी.गिरि ने उस समारोह का उद्घाटन किया और श्री के.के.नारायण ने उसकी अध्यक्षता की। मैंने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो जाने पर नवंबर 1983 में हीरीक जयंती समारोह मनाया और इसके एक अंश के रूप में विभिन्न स्थानों का दौरा कर कमज़ोर वर्ग के लिए बड़े पैमाने पर सहायता उपलब्ध कराई। मैंने अपनी प्लैटिनम जयंती वर्ष के दौरान नए जोश एवं प्रतिबद्धता के साथ ग्राहकों तथा समूचे देश को और बेहतर व शीघ्रता से सेवा प्रदान करने के लिए अपने आपको समर्पित कर दिया। अब मैं 90 वर्ष की सेवा-अवधि पूरी करने जा रहा हूँ।

मैं अपने कारोबार के साथ-साथ राजभाषा नीति को लागू करने में भी विश्वास रखता हूँ क्योंकि मेरा यह मानना है कि राजभाषा नीति मात्र कागजी नियम-कायदों तक नहीं, अपितु कारोबार बढ़ाने के लिए



आनंद्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, कोठी, हैदराबाद

भी महत्वपूर्ण है। मेरे यहां 1981 में राजभाषा कक्ष की स्थापना हुई और तब से हिंदी के प्रयोग के लिए मैंने निरंतर प्रयासरत हूँ। इसकी एक कड़ी के रूप में मैं मासिक हिंदी ई-बुलेटिन का भी प्रकाशन करता हूँ। वर्ष 1985 से नराकास (बैंक) हैदराबाद के संयोजन का जिम्मा मेरे पास है।

समय-समय पर मुझे कई पुरस्कारों व उपाधियों से नवाजा जाता रहा है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों का मैं यहां जिक्र करना चाहूँगा, जो हैं - बिज़नेस वर्ल्ड द्वारा प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ बैंक (मध्यम आकार) का पुरस्कार (2010); ऐनलिस्टर पत्रिका द्वारा प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ बैंक (कैमल्स रेटिंग के अंतर्गत प्रमुख मानदंडों पर खरा उत्तरने हेतु) का पुरस्कार (2010); बैंकिंग एक्सलन्स क्लब, केरल द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ बैंक (उत्कृष्ट बैंकिंग हेतु) पुरस्कार (2010); पीएमईजीपी योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्राप्त एमएसएमई पुरस्कार (2010); सीएनबीसी टीवी 18 द्वारा प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ बैंक (मध्यम आकार) श्रेणी में “रोल आफ ऑनर” (2011); आईएमपीएस के अंतर्गत अंतर बैंक लेनदेन श्रेणी में एनपीसीआई द्वारा प्रदत्त प्रथम पुरस्कार; एनएफएस परिचालनिक उत्कृष्टता पुरस्कार 2012 के अंतर्गत एनपीसीआई द्वारा दिया गया “स्पेशल जूरी अवार्ड” आदि। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में आनंद्रा बैंक ग्रामीण विकास संस्थान को देश का उत्तम आरएसईटीआई पुरस्कार प्रदान किया गया।

जन-जन तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में वित्तीय समावेशन अभियान एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को वित्तीय समावेशन योजना (फाइनैशियल इन्कूलशन प्लान - एफआईपी) लागू करने के लिए मार्च 2012 तक 2,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सेवा आउटलेट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। सौभाग्य की बात है कि इस कार्य


हेतु मुझे 1,149 गांव आबंटित किए गए हैं और इनमें से 1,054 गांव आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। मैंने एक ऐसी कारोबार प्रतिनिधि (बिज़नेस कॉरस्पोर्डेंट - बीसी) नेटवर्क व्यवस्था अर्थात् शाखा-रहित बैंकिंग आउटलेटों के माध्यम से एफआईपी लागू करने की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसमें सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। एफआईपी कार्य पूरा करने के लिए मैंने मेसर्स बॉर्टर्निक्स इंडिया लि. नामक सेवा प्रदाता का चयन किया है, जो ‘एंड टू एंड’ समाधान उपलब्ध कराएगा। मुझे आबंटित सभी गांवों को एफआईपी के तहत शामिल करने की योजना मैं रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर चुका हूँ। मैंने प्रस्ताव किया है कि इन बीसी-साधित बैंकिंग आउटलेटों में चार बुनियादी उत्पाद मुहैया कराऊँ, उदा. - क) ओवर ड्राफ्ट सुविधा युक्त सरल बचत बैंक खाता; ख) आवर्ती जमा खाता; ग) धन-प्रेषण सुविधा; तथा घ) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) या सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) के रूप में उद्यमिता क्रेडिट। साथ ही, मैंने चार अग्रणी जिलों में वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देते हैं एवं ऋण संबंधी विस्तार सेवाएं प्रदान करते हैं।

इस तरह से समाज कल्याण हेतु सरकार द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का वहन मैं पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ करता आया हूँ। भारी वर्षा/बाढ़ से आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए मैंने सदैव आगे बढ़कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। अपने गुजरे कल और आज पर मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए डॉ. पट्टाभि ने मेरी परिकल्पना की थी उसे पूरा करने में मैं काफी हद तक कामयाब हुआ हूँ। मेरी उपलब्धियों से मेरा आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। सदैव की भाँति मैं अपना ध्यान बेहतर कार्य-निष्पादन पर केंद्रित करता रहूँगा और निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहूँगा। किसी ने ठीक ही कहा है -

मंजिलों की दूरी से तुम उदास मत होना
जुस्तरजू तो मंजिल का खुद पता बताती है

शेष फिर कभी.....

आपका,



प्रस्तुतीकरण - सावित्री सिंह

उप महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

०००

प्रत्येक देश की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था में केंद्रीय बैंक देश के 'शीष बैंक' के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज किसी भी देश में बिना केंद्रीय बैंक के बैंकिंग

क्रियाकलापों के सुचारू संचालन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन, एक समय था जब विभिन्न बैंकिंग संस्थाएं अपने-अपने तरीके से कार्य करती थीं और केंद्रीय बैंक जैसी कोई संस्था अस्तित्व में नहीं थी। ब्रिटेनिका ऑन-लाइन एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार केंद्रीय बैंक की अवधारणा की शुरुआत बार्सिलोना में वर्ष 1401 में 'तौला डि कान्वी' (The Tauladi canvi) नामक म्युनिसिपल बैंक की स्थापना से मानी जा सकती है। इसकी स्थापना सरकारी और निजी जमाराशियों की सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी। लेकिन, इससे यह अपेक्षा भी की जाती थी कि वह बार्सिलोना सरकार की निधियों की आवश्यकता को पूरा करे, जिसमें विशेष रूप से सैनिक व्ययों के लिए धन उपलब्ध कराना शामिल था। इस काम को अंजाम देने के लिए इसने बार्सिलोना म्युनिसिपल गवर्नर्मेंट के लिए भुगतान करना तथा बांड जारी करना शुरू किया। बार्सिलोना सरकार ने उक्त बैंक को सरकार के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को ऋण देने की अनुमति प्रदान नहीं की थी। ऋण की अत्यधिक मांग के कारण 'तौला डि कान्वी' ने अपनी जमाराशियों की परिवर्तनीयता को वर्ष 1406 में समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से कालांतर में इसका समापन करके पुर्णगठन किया गया।

केंद्रीय बैंक की अवधारणा को बल मिलने और इसके विकास के संदर्भ में वर्ष 1694 में ब्रिटेन में स्थापित 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' का उल्लेख किया जाना अपरिहार्य है। इसकी स्थापना फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में ब्रिटिश सरकार को 1.2 मिलियन पौंड का अग्रिम दिए जाने के उद्देश्य से की गई थी। पर, यह आगे चलकर विश्व की सर्वाधिक शक्तिमान और प्रभावशाली वित्तीय संस्था बन गई। इसके चार्टर के अनुसार इसे बैंक नोट जारी करने का एकाधिकार मिल गया। यह पहला ऐसा सार्वजनिक बैंक था जिसने आधुनिक केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने वाले अधिकांश काम शुरू किए और 19वीं शती के उत्तरार्ध तक इसने सिर्फ अपने लाभ को देखने के बजाय इंग्लैंड की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली की अखंडता और सुव्यवस्थित कार्यचालन की आधिकारिक जिम्मेदारी

केंद्रीय बैंकिंग – स्वरूप, कार्य और कार्यपद्धति

डॉ. रमाकांत शर्मा

संभालना प्रारंभ कर दिया। इसके आकार और प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर अन्य बैंक इसके पास अपनी जमाराशियां रखने लगे और आवश्यकता पड़ने पर उधार लेने लगे। धीरे-धीरे यह अंतर-बैंक ऋण निपटान प्रक्रिया से भी जुड़ा, जिसके परिणामस्वरूप इसे 'बैंकों के बैंक' के नाम से जाना जाने लगा और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण बन गई।

वर्ष 1844 में पील्स अधिनियम (Peel's Act) पास हुआ था, जिसे सामान्यतः बैंक ऑफ इंग्लैंड के चार्टर के नाम से जाना जाता है। इस चार्टर की इस आधार पर आलोचना की गई कि इससे बैंक ऑफ इंग्लैंड को बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित करने का ऐसा अधिकार दे दिया गया जिससे अन्य बैंकों का स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार छिन गया था। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर कुठाराघात हुआ जो सही नहीं था। लेकिन बैंकिंग प्रणाली के नियमन और सुचारू संचालन को दृष्टि में रखते हुए अधिकांश विद्वान बैंक ऑफ इंग्लैंड चार्टर से सहमत थे। इस संबंध में 'दि इकॉनॉमिस्ट' के संपादक वाल्टर बेगहॉट के नाम का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जिसने 'लोम्बार्ड स्ट्रीट' में वित्तीय संकट के समय केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के आधुनिक विचार को निश्चित रूप देने में अहम भूमिका निभाई। उसने इस बात पर बल दिया कि अन्य संपत्र लेकिन अस्थायी तौर पर नकदी की कमी वाले बैंकों को ऋण की उपलब्धता के संबंध में केंद्रीय बैंक की उपस्थिति अनिवार्य है।

केंद्रीय बैंकिंग की उक्त अवधारणा तथा इस संबंध में बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा निभाई जाने वाली सशक्त भूमिका ने अन्य देशों का ध्यान भी आकर्षित किया तथा फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों सहित अधिकांश देशों ने अपने यहां विभिन्न नामों से केंद्रीय बैंक स्थापित करना शुरू किया। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, आज भारत सहित सभी देशों की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में केंद्रीय बैंक निर्विवाद रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा

रहे हैं। समय के साथ-साथ इनके कार्यों में विविधता आती गई है। पर, सभी देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा कुछ आधारभूत काम अवश्य किए जाते हैं। आइए, हम केंद्रीय बैंक के स्वरूप, कार्य और कार्यपद्धति पर एक नजर डालें।

केंद्रीय बैंकिंग – परिभाषा

‘केंद्रीय बैंकिंग की कुछ परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:

‘केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो किसी देश की मौद्रिक प्रणाली पर निगरानी रखती है। केंद्रीय बैंक के बहुत से उत्तरदायित्व होते हैं जिनमें मौद्रिक स्थिरता, मुद्रास्फीति को कम करना, पूर्ण रोजगार जैसे विशिष्ट लक्ष्यों की ओर बढ़ाना आदि शामिल हैं। केंद्रीय बैंक सामान्यतः मुद्रा जारी करने, सरकार के बैंकर की भूमिका निभाने, ऋण प्रणाली का विनियमन करने, वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षण करने, विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों का प्रबंधन करने तथा अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है।’

– (इनवेस्टमेंट डिक्शनरी)

‘केंद्रीय बैंक किसी देश का मुख्य मौद्रिक प्राधिकारी होता है जो सामान्यतः मुद्रा जारी करने, मौद्रिक नीति बनाने और उसे लागू करने, सदस्य बैंकों की जमाराशियां रखने तथा देश के बैंकिंग उद्योग को सुविधाएं प्रदान करने का काम करता है।’

– (investorwords.com)

‘केंद्रीय बैंक एक ऐसी स्वशासी अथवा अर्ध-स्वशासी संस्था है जिसे सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मौद्रिक कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। इन कार्यों में शामिल है – देश की मुद्रा जारी करना, उसका प्रबंधन करना तथा उसका मूल्य बनाए रखना, मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना, वाणिज्यिक बैंकों के परिचालनों का पर्यवेक्षण करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना तथा अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाना।

– (businessdictionary.com)

‘केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक या मौद्रिक प्राधिकारी किसी देश की मौद्रिक नीति के लिए जिम्मेदार संस्था है। यह एक ऐसा बैंक है जो आवश्यकता पड़ने पर अन्य बैंकों को राशि उधार देता है। इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व देश की मुद्रा तथा मुद्रा आपूर्ति में स्थिरता बनाए रखना है। लेकिन, अन्य कागजर उत्तरदायित्वों में ऋणों की ब्याज दरों पर नियंत्रण रखना तथा वित्तीय संकट के

समय बैंकिंग क्षेत्र को अंतिम ऋणदाता के तौर पर धन उपलब्ध कराना शामिल है। इसके पास यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से पर्यवेक्षण की शक्तियां भी होती हैं कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं लापरवाही अथवा धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार न करें।’

– (wikipedia.org)

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक किसी देश की सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसी स्वशासी या अर्ध-स्वशासी संस्था है, जो मुख्यतः निम्नलिखित दायित्व निभाती है:

- * मुद्रा जारी करना
- * मौद्रिक स्थिरता कायम रखना
- * मौद्रिक नीति बनाना और उसे लागू करना
- * सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना
- * बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना
- * ऋण प्रणाली का विनियमन करना
- * वाणिज्यिक बैंकों के परिचालन का पर्यवेक्षण और निगरानी
- * विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों का रखरखाव
- * बैंकिंग उद्योग को बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

अधिकांश देशों में केंद्रीय बैंक को स्वशासी संस्था के तौर पर अपनाया जाता है ताकि वह राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना अपना कार्य प्रभावी तरीके से कर सके। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन करने, देश की समस्त मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण रखने, बैंकिंग उद्योग का विनियमन करने और उसका पर्यवेक्षण करने, देश की करेंसी का अंतरराष्ट्रीय मूल्य स्थिर रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने के लिए यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य भी है कि केंद्रीय बैंक के परिचालन को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाए। लेकिन व्यवहार में केंद्रीय बैंक की पूर्ण स्वायत्तता संभव नहीं हो पाती क्योंकि सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार उसे नीतियां बनाने के लिए अक्सर बाध्य होना पड़ता है।

केंद्रीय बैंक सामान्यतः सरकार, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को ब्याज पर ऋण देकर तथा सरकार के बैंकर के रूप में सेवाएं

प्रदान करके आय अर्जित करते हैं। अधिकांश देशों में केंद्रीय बैंक सरकार के स्वामित्व वाली संस्था होती है क्योंकि उनकी अधिकृत/चुकता पूँजी सरकार द्वारा प्रदत्त होती है। अतः केंद्रीय बैंक जो लाभ कमाते हैं, वे अपनी-अपनी सरकारों को लाभांश के तौर पर अंतरित कर देते हैं।

अब हम संक्षेप में यह देखने का प्रयास करेंगे कि केंद्रीय बैंक अपने उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए क्या करता है।

मुद्रा जारी करना

केंद्रीय बैंक सरकार के परामर्श से यह तय करता है कि देश की मुद्रा का रूप क्या होगा। पहले मुद्रा कुछ निर्धारित राशि में बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना/चांदी के लिए मुद्रा के विनियम के वचन के रूप में जारी की जाती थी। अब जबकि अधिकांश देशों में कागजी मुद्रा का चलन है, मुद्रा (नोट) पर “भुगतान का जो वचन” दिया जाता है, वह उस पर अंकित मूल्य की उसी मुद्रा में अदायगी के वचन के अलावा और कुछ नहीं होता।

केंद्रीय बैंक इसी अर्थ में ‘बैंक’ होते हैं कि वे विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा अन्य वित्तीय आस्तियों के रूप में परिसंपत्तियों के धारक होते हैं और बकाया मुद्रा (संचलन में मुद्रा) के रूप में देयताओं के भी वाहक होते हैं। बैंक की प्राथमिक देयता अर्थात् बकाया मुद्रा बैंक के स्वामित्व वाली उक्त आस्तियों के बल पर जारी की जाती है ताकि अपनी देयता चुकाने के लिए जरूरत पड़ने पर बैंक उन आस्तियों का उपयोग कर सके।

ब्याज दर तय करना

अधिकांश देशों में केंद्रीय बैंक अल्पकालीन ब्याज दरें तय करते हैं ताकि बैंकों के जमाकर्ता ग्राहकों को उचित ब्याज मिल सके तथा बैंकों के ऋणकर्ता ग्राहकों को उचित ब्याज पर ऋण मिल सके। अक्सर इसके लिए अधिकतम और न्यूनतम ब्याज दरें तय की जाती हैं ताकि उन सीमाओं के भीतर वाणिज्यिक बैंक अपने जमाकर्ता ग्राहकों को ब्याज दे सकें और ऋणकर्ता ग्राहकों को ऋण उपलब्ध करा सकें। विभिन्न प्रयोजनों के लिए जमा और ऋण पर ब्याज दरों को भिन्न रखा जा सकता है।

सामान्यतः यह माना जाता है कि सभी ब्याज दरों और मुद्रा दरों पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण रहता है। लेकिन, आर्थिक

सिद्धांत इस बात को मानता है और इसके पर्याप्त प्रमाण भी हैं कि एक खुली अर्थव्यवस्था में किसी भी केंद्रीय बैंक के लिए सभी ब्याज दरों को एक साथ नियंत्रित करना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय बैंक निजी व्यक्तियों तथा कंपनियों द्वारा अदा किए जाने वाले वास्तविक ब्याज को प्रभावित करने की सीमित क्षमता ही रखता है। वास्तविक ब्याज निर्धारण ऐसी कई अन्य बातों पर भी निर्भर होता है जो केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में नहीं होतीं। केंद्रीय बैंक केवल उन ब्याज दरों को प्रभावित कर सकता है जिनके संबंध में लेनदेन बैंकों के माध्यम से होता है।

मौद्रिक नीति बनाना और लागू करना

किसी भी केंद्रीय बैंक का यह मुख्य उत्तरदायित्व है कि वह अपनी मुद्रा के आंतरिक और बाह्य मूल्य को स्थिरता प्रदान करे। इसके लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना तथा ऋण प्रणाली को विनियमित करना आवश्यक है। इस महत्त्वपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु केंद्रीय बैंक को संबंधित अधिनियम/अधिनियमों के अंतर्गत कई अधिकार और शक्तियां प्रदान की जाती हैं। ये अधिकार और शक्तियां ऋण तथा मौद्रिक नीति के उपायों के रूप में केंद्रीय बैंक को उपलब्ध होती हैं। ये निम्नलिखित हैं:-

बैंक दर निर्धारण

किसी देश का केंद्रीय बैंक जिस दर पर सरकारों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उधार देता है या उनके प्रथम श्रेणी बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई करता है, वह ब्याज दर न कहलाकर बैंक दर कहलाती है। इस दर को मौद्रिक और ऋण के एक उपाय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस दर को बढ़ाने से बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया जाने वाला उधार महंगा हो जाता है। परिणामस्वरूप वे कम उधार लेते हैं। साथ ही, चूंकि वे अधिक ब्याज पर केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं अतः उसे उससे अधिक दर पर अपने ग्राहकों को उधार देते हैं। परिणामस्वरूप, अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर होने से ग्राहक भी कम ऋण लेते हैं। प्रत्यक्षतः यह नीति तब अपनाई जाती है जब केंद्रीय बैंकों के माध्यम से कम उधार देने और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम करने की नीति अपनाता है। यदि वह बैंकों के माध्यम से अधिक ऋण देने और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ाने की नीति अपनाता है तो बैंक दर को घटा देता है ताकि बैंक

उससे कम दर पर ज्यादा उधार लेने के लिए प्रेरित हों। बैंक भी पहले से सस्ती दर पर अपने ग्राहकों को उधार दे सकेंगे और वे अधिक उधार लेने के लिए तैयार होंगे। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन पहुंच सकेगा।

अल्पकालीन उधार दरों का निर्धारण

बैंक दर को मौद्रिक नीति के एक उपाय के रूप में प्रयोग करने के अलावा केंद्रीय बैंक ऐसी अल्पकालीन ब्याज दरों को भी मौद्रिक नीति के उपाय के तौर पर प्रयुक्त करते हैं जिनसे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की अल्पकालीन निधियां प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए, रेपो दर को लिया जा सकता है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन उधार देने के लिए केंद्रीय बैंक जो ब्याज दर वसूल करता है, वह रेपो दर कहलाती है। इस दर को घटा या बढ़ाकर केंद्रीय बैंक उधार लेने वाले बैंकों की उधार-मांग में वृद्धि या कमी ला सकता है। इस दर को घटाने पर बैंक उससे अधिक अल्पकालीन उधार लेंगे और अपने ग्राहकों को अधिक उधार देंगे। दूसरी ओर, अगर यह दर बढ़ा दी जाती है, तो बैंक कम उधार लेंगे, साथ ही, उनके ग्राहकों को भी महंगी दर से ऋण मिलेगा, अतः वे भी अधिक ऋण लेने के प्रति हतोत्साहित होंगे।

केंद्रीय बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की अल्पकालीन उधार दरों में परिवर्तन से स्टॉक तथा बांड बाज़ार में खरीद बिक्री भी प्रभावित होती है और बंधक तथा ब्याज दरें भी प्रभावित होती हैं। इसका कारण यह है कि इस हेतु बैंकों के माध्यम से उधार पर उपलब्ध राशि की मात्रा तथा उस पर लिए जाने वाले ब्याज की दर में भी परिवर्तन हो जाता है। बाज़ारों को प्रभावित करने के लिए मौद्रिक उपाय के रूप में विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंक जिन दरों का इस्तेमाल करते हैं, वे निम्नानुसार हैं:-

(i) **सीमांत उधार दर** - यह दर केंद्रीय बैंक से उधार लेने वाली संस्थाओं के लिए एक निश्चित दर होती है। अमेरिका में इसे बट्टा दर के नाम से जाना जाता है।

(ii) **पुनर्वित्त दर** - इसे न्यूनतम बोली दर (मिनिमम बिड रेट) के नाम से जाना जाता है और यह पुनर्वित्त ऋणों के लिए आधार दर का काम करती है। अमेरिका में इसे फेडरल फंड रेट के नाम से जाना जाता है।

(iii) जमा दर - वह ब्याज दर जो बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के पास अपना धन जमा करने पर प्राप्त होती है। भारत में इसे रिवर्स रेपो के नाम से जाना जाता है।

केंद्रीय बैंक द्वारा उक्त दरों में परिवर्तन से मुद्रा बाज़ार अर्थात् अल्पकालीन ऋणों के बाज़ार में प्रचलित ब्याज दरों में भी तदनुरूपी परिवर्तन आता है।

आरक्षित निधि अपेक्षाएं

अधिकांश देशों में केंद्रीय बैंक को यह अधिकार दिया जाता है कि वह बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं का कुछ भाग (प्रतिशत) आरक्षित निधि के तौर पर रखना तय करे। आवश्यकतानुसार इन अपेक्षाओं में घट-बढ़ की जा सकती है। कानूनी तौर पर इस प्रकार निधियों के आरक्षण की शुरुआत 19वीं शताब्दी में की गई थी ताकि बैंकों की ऋण-निर्माण (क्रेडिट क्रिएशन) की क्षमता को सीमित किया जा सके और अनावश्यक मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण किया जा सके।

भारत सहित कई देशों में इस हेतु निम्न आरक्षित निधियां निर्धारित किए जाने और उनमें यथावश्यक परिवर्तन करने का अधिकार केंद्रीय बैंक को दिया गया है:-

आरक्षित नकदी निधि अनुपात

इसे आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएं भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं का एक भाग केंद्रीय बैंक के पास जमाराशियों के रूप में रखे।

सांविधिक चलनिधि अनुपात

इसमें प्रत्येक बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किए गए प्रतिशत के अनुसार अपनी मांग और मीयादी देयताओं का एक भाग ऐसी आस्तियों के रूप में रखे जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर तत्काल नकदी के रूप में परिवर्तित किया जा सके। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए बैंक स्वर्ण/चांदी आदि में निवेश करते हैं या फिर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।

केंद्रीय बैंक संबंधित अधिनियम/अधिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और सीमाओं के भीतर उक्त दोनों अनुपातों में कमी या

वृद्धि कर सकता है। अतः केंद्रीय बैंकों द्वारा इन्हें मौद्रिक नीति के उपाय अर्थात् बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में कमी या वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति घटाने या बढ़ाने के एक उपाय के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है। इन अनुपातों में वृद्धि करने पर बैंकों के पास उधार के लिए निधियां पहले से कम रह जाएंगी और क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। दूसरी ओर, इनमें कमी करने से बैंकों के पास उधार देने के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध हो जाएंगी, वे अधिक उधार दे सकेंगे और अधिक ऋण-निर्माण या क्रेडिट क्रिएशन कर सकेंगे।

पूंजी अपेक्षाएं

सभी बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आस्तियों का कुछ प्रतिशत पूंजी के रूप में अपने पास रखें। यह प्रतिशत केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बैंकों के लिए, जिनमें बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के सदस्य केंद्रीय बैंक शामिल हैं, पूंजी पर्याप्तता हेतु बैंकों की आस्तियों का एक निर्धारित प्रतिशत पूंजी के रूप में रखना आवश्यक है। यह बैंकों की ऋण आस्तियों को आवश्यकता से अधिक बढ़ने से रोकने का एक उपाय है और बैंकों की स्थिति को सुदृढ़ बनाने का माध्यम भी। बैंकों की असीमित उधार क्षमता पर रोक लगाने की दृष्टि से पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाओं को जमा/आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) की अपेक्षा अधिक कारगर माना जाता है क्योंकि कोई बैंक तब तक और ऋण नहीं दे सकता जब तक कि उसने अपने तुलन-पत्र में इस हेतु अतिरिक्त पूंजी का प्रावधान न कर लिया हो।

विदेशी मुद्रा संबंधी अपेक्षाएं

सभी देशों में केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेनों पर निगरानी रखते हैं। इस संबंध में वे विदेशी मुद्रा के डीलर, जो अधिकांशतः बैंक होते हैं, के लिए विदेशी मुद्रा संबंधी कुछ अपेक्षाएं निर्धारित करते हैं तथा उनके तत्संबंधी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।

विदेशी मुद्रा संबंधी अपेक्षाओं का निर्धारण देश में मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए भी किया जाता है। कुछ केंद्रीय बैंक यह अपेक्षा कर सकते हैं कि निर्यातों आदि से प्राप्त होने वाली कुछ अथवा समस्त विदेशी मुद्रा को स्थानीय मुद्रा में (देश की मुद्रा में) अनिवार्य रूप से परिवर्तित किया जाए। जिस

विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा के बदले स्थानीय मुद्रा खरीदी जाती है वह या तो बाज़ार-आधारित होती है या फिर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्णयिक तौर पर तय की जाती है।

मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए इस उपाय का सहारा सामान्यतः उन देशों द्वारा लिया जाता है जिनकी मुद्रा अपरिवर्तनीय (नॉन कन्वर्टिबल) या आंशिक रूप से परिवर्तनीय (पार्श्वायली कन्वर्टिबल) होती है। स्थानीय मुद्रा के प्राप्तकर्ता को उसका किसी भी रूप में इस्तेमाल करने या उसे कुछ समय के लिए केंद्रीय बैंक के पास जमा करने अथवा कुछ प्रतिबंधों के अधीन उपयोग करने की इजाजत दी जाती है। इन विकल्पों में से किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा यह केंद्रीय बैंक के विवेक पर निर्भर होता है जो विकल्प चुनते समय इस बात को विचार में लेता है कि मुद्रा की आपूर्ति को कितना और किस रूप में प्रभावित करना है।

इस पद्धति में केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने की दृष्टि से स्थानीय मुद्रा देकर डीलरों आदि से विदेशी मुद्रा खरीदी जाती है। इस प्रकार विदेशी मुद्रा केंद्रीय बैंक के पास आ जाती है और स्थानीय मुद्रा डीलरों के पास पहुंच जाती है। जब स्थानीय मुद्रा की मात्रा को कम करना होता है तो केंद्रीय बैंक विविध उपायों के जरिए ऐसा कर सकता है जिनमें बांड बेचना या विदेशी मुद्रा के लेनदेन में सीधा हस्तक्षेप करना शामिल है।

मार्जिन संबंधी अपेक्षाएं और अन्य उपाय

कुछ देशों में केंद्रीय बैंक उपर्युक्त उपायों के अलावा कुछ अन्य ऐसे उपाय भी अपनाते हैं जो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधारों को परोक्ष रूप से सीमित करते हैं और अन्यथा रूप से पूंजी बाज़ार को नियंत्रित या विनियमित करते हैं। उदाहरण के लिए केंद्रीय बैंक उधार पर मार्जिन को घटा या बढ़ा सकता है। मार्जिन संबंधी अपेक्षा व्यक्तियों या कंपनियों आदि द्वारा लिए जाने वाले उधारों के संबंध में जमानतों के मूल्य का एक न्यूनतम प्रतिशत होता है। इसे बढ़ाने से उधार ली जाने वाली राशियों में कमी आती है और इसे घटाने से उधार ली जाने वाली राशियों की मात्रा बढ़ती है। इसका सीधा सा कारण यह है कि जब मार्जिन के रूप में कुल उधार राशि के अनुपात के तौर पर अधिक मूल्य की जमानत दी जानी होती है, तो लोग कम उधार लेंगे और जब

मार्जिन अनुपात कम होगा तो अधिक लोग उधार लेने के लिए प्रेरित होंगे।

केंद्रीय बैंक बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित आस्तियों की गुणवत्ता के संबंध में भी कुछ अपेक्षाएं निर्धारित कर सकते हैं। ये अपेक्षाएं वित्तीय प्रणाली द्वारा सृजित लीवरेज तथा जोखिम की मात्रा को सीमित करने का कार्य करती हैं, जैसे किसी आस्ति के लिए न्यूनतम साख निर्धारण श्रेणी की आवश्यकता लगाना या फिर परोक्ष भी हो सकती है, जैसे यह अपेक्षा लगाना कि प्रतिपक्षियों को उधार तभी दिया जाएगा जब उसके लिए विशिष्ट गुणवत्ता वाली जमानत संपार्श्विक के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।

भारत में चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत रिज़र्व बैंक मार्जिन संबंधी अपेक्षाएं तय करता है। ये मार्जिन किसी विशेष वस्तु, क्षेत्र अथवा संस्था के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि केंद्रीय बैंक इस बात की आवश्यकता महसूस करता है कि किसी वस्तु विशेष या क्षेत्र या संस्था विशेष को बैंकों द्वारा अधिक उधार नहीं दिया जाना चाहिए तो उसके लिए मार्जिन अपेक्षाओं को बढ़ा दिया जाएगा। इसके विपरीत, यदि उन्हें अधिक उधार दिए जाने की नीति हो तो उनके लिए मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं को घटा दिया जाएगा।

अन्य देशों में भी मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं को ऋण नीति के एक कागर उपाय के तौर पर किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (चीन का केंद्रीय बैंक) ने वर्ष 2003 में कुछ उद्योगों को ऋण देने पर प्रतिबंध लगाया था तथा ग्रामीण बैंकों की तुलना में शहरी बैंकों से 1 प्रतिशत अधिक आरक्षित निधियां बनाए रखने के लिए कहा था।

खुले बाजार के कार्यकलाप

मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने या घटाने की दृष्टि से केंद्रीय बैंकों द्वारा जो एक अन्य कागर उपाय किया जाता है उसे खुले बाजार के कार्यकलापों (ओपन मार्केट ऑपरेशंस) के नाम से जाना जाता है। इसमें खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों या बांडों की केंद्रीय बैंक द्वारा खरीद-बेच की जाती है। यदि मुद्रा की आपूर्ति कम करनी हो तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां/बांड आदि बेचता है ताकि उनके विक्रय से प्राप्त राशि को अपने पास रोककर रखा जा सके और उतनी राशि एक तरह से संचलन से बाहर की जा सके। इसके विपरीत यदि नीति मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने की हो तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों/बांडों

की खरीद करता है जिससे केंद्रीय बैंक के पास से उतनी राशि बाहर आती है और वह संचलन मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करती है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि खुले बाजार के कार्यकलापों द्वारा कोई केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को सीधे प्रभावित कर सकता है। जब भी वह प्रतिभूतियां खरीदता है तब प्रतिभूतियों के बदले धन देता है जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाता है और जब भी प्रतिभूतियां बेचता है तो अर्थव्यवस्था में से मुद्रा की मात्रा कम करता है, यदि देखा जाए तो प्रतिभूतियों की खरीद करना जहां उस प्रतिभूति की पूर्ति को घटाता है, वहीं अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा डालने जैसा कार्य करता है। खुले बाजार के मुख्य कार्यकलाप हैं-

- * संपार्श्विक जमानतों के बदले बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को केंद्रीय बैंक द्वारा अल्पकाल के लिए अस्थायी तौर पर उधार देना। इसे पुनर्खरीद विकल्प (रिपर्चेज आप्शंस या रेपो) के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के कार्यकलाप नियमित तौर पर किए जाते हैं और ये अल्प परिपक्वता अवधि वाले उधार होते हैं, जिनकी अवधि एक सप्ताह से लेकर एक माह तक की हो सकती है।
- * केंद्रीय बैंक द्वारा तदर्थ आधार पर प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय।
- * फोरेक्स स्वैप जैसे विदेशी मुद्रा संबंधी परिचालन।

बैंकिंग पर्यवेक्षण और अन्य गतिविधियां

हर देश में केंद्रीय बैंक का यह महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि वह बैंकिंग प्रणाली के सुचारु संचालन की दृष्टि से बैंकों के कार्यकलापों पर निगरानी रखे और उनका पर्यवेक्षण करे। इस हेतु केंद्रीय बैंक द्वारा कार्यस्थल पर जाकर बैंकों का निरीक्षण किया जाता है तथा विवरणियों के माध्यम से परोक्ष निगरानी भी की जाती है। बैंकों पर नियंत्रण तथा निगरानी करने के लिए विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा विभिन्न व्यवस्था की जाती है। उदाहरण के लिए यू. के. में बैंकिंग पर्यवेक्षण का कार्य यू. के. ट्रेजरी जैसे सरकारी विभाग अथवा वित्तीय सेवा प्राधिकरण (फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी) जैसी स्वतंत्र सरकारी एजेंसी द्वारा किया जाता है। ये बैंक के तुलन पत्र की जांच करते हैं तथा ग्राहकों के प्रति बैंक के रवैये और नीतियों की भी समीक्षा करते हैं।

अमेरिका जैसे कई देशों में बैंकिंग क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए विभिन्न प्रयोजनों हेतु विभिन्न एजेंसियों को पर्यवेक्षण का काम सौंपा जाता है। इन एजेंसियों के बीच सामान्यतः काफी सहयोग रहता है। उदाहरण के लिए, मनी सेंटर बैंक, जमा स्वीकारने वाले बैंक तथा अन्य प्रकार की वित्तीय संस्थाएं और अलग-अलग एजेंसियां उनका पर्यवेक्षण करें। कुछ प्रकार के बैंकिंग विनियमन राज्य अथवा प्रांतीय सरकारों को भी प्रत्यायोजित किए जाते हैं।

भारत सहित अधिकांश देशों में केंद्रीय बैंक स्वयं (अपने विभिन्न विभागों/कार्यालयों के जरिए) बैंकों पर निगरानी और नियंत्रण का कार्य करते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में भी केंद्रीय बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह देश की मुद्रा व्यवस्था का तो प्रबंधन और परिचालन करता ही है, मौद्रिक नीति के जरिए मुद्रासंकेति को नियंत्रित करता है, देश की मुद्रा के आंतरिक और बाह्य मूल्य की स्थिरता सुनिश्चित करता है। बैंकिंग प्रणाली को देश की प्राथमिकताओं के अनुसार दिशा देता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि बैंक लापरवाही से और धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से काम न करें ताकि ग्राहकों के और पूरी बैंकिंग प्रणाली के हितों की रक्षा की जा सके।

०००

पत्रिका के जुलाई-सितंबर 2009 अंक में प्रकाशित

प्लास्टिक बैंक नोट

बैंक नोटों, विशेष रूप से छोटे मूल्यवर्ग के बैंक नोटों, की संचलन-अवधि को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक भारत सरकार के साथ परामर्श करने के पश्चात् विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिनके अंतर्गत प्लास्टिक सबस्ट्रेट पर बैंक नोटों का मुद्रण भी शामिल है। तदनुसार, प्लास्टिक सबस्ट्रेट पर ₹10 के एक बिलियन बैंक नोट जारी करके पांच नगरों, नामतः जयपुर, भुवनेश्वर, कोच्चि, शिमला और मैसूर में संचलन में लाने का निर्णय लिया गया है। इन नगरों का चयन उनकी भौगोलिक व जलवायु की विविधतापूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

आस्ट्रेलिया 1988 में पॉलिमर नोटों की शुरुआत करने वाला पहला देश बना। उसके पश्चात् 30 से अधिक देशों ने पॉलिमर बैंक नोटों की शुरुआत कर दी है, जिनमें कई देश ऐसे हैं जो पूरी तरह कागज के स्थान पर पॉलिमर का प्रयोग कर रहे हैं। कनाडा हाल में इस सूची में शामिल हुआ है, जहां 20, 50 और 100 कैनेडियन डॉलर मूल्यवर्ग के नोट पहले से संचलन में हैं तथा 5 और 10 मूल्यवर्ग के नोट नवंबर 2013 में संचलन में लाए जाएंगे।

प्लास्टिक के लाभ

कागज के स्थान पर प्लास्टिक का प्रयोग किए जाने पर कई लाभ मिलते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : सतह मुलायम रहने की वजह से यह अपेक्षाकृत कम गंदा होता है और स्वच्छ रहता है; टिकाऊ रहने की वजह से इस पर कम खर्च आता है; मुद्रण व संचलन के दौरान इनसे बहुत कम धूल निकलती है और ऐसे नहीं निकलते हैं तथा उन नोटों में उपलब्ध कुछ सुरक्षा विशेषताएं ऐसी हैं जिनकी नकल करना कठिन और खर्चीला होता है।

कार्बन फुटप्रिंट

रिज़र्व बैंक ने प्लास्टिक-आधारित सबस्ट्रेट की तुलना में रुई-आधारित बैंक नोट पेपर सबस्ट्रेट के कार्बन फुटप्रिंट का अध्ययन करने तथा उनके समूचे जीवन-चक्र में पर्यावरण पर पड़ने वाले समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए 'द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टिट्यूट' (टीईआरआई) की सेवाएं लीं। उक्त दोनों प्रकार के नोटों से संबंधित जीवन-चक्र मूल्यांकन के निष्कर्षों से यह पता चला है कि रुई-आधारित नोटों के स्थान पर प्लास्टिक-आधारित नोटों का प्रयोग किए जाने से ऐसे कई लाभ प्राप्त होंगे, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। पॉलिमर/प्लास्टिक बैंक नोटों (और इनके उत्पादनजन्य व्यर्थ पदार्थों) को दानेदार बनाया जा सकेगा तथा उन्हें कंपोस्ट बिनों, प्लंबिंग फिटिंगों एवं अन्य घरेलू व औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोगी प्लास्टिक उत्पाद के रूप में पुनर्शक्रित किया जा सकेगा। पॉलिमर की बुनियादी सामग्री एक अनवीकरणीय संसाधन होती है, जिसे बार-बार प्रयोग में लाया जा सकता है।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2012-13

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार प्रलेख - “किसी सामग्री को रिकार्ड करने के उद्देश्य से प्रयोग हेतु अभिप्रेत या प्रयोग हो सकने योग्य अक्षरों, आँकड़ों..... चिह्नों अथवा इनमें से किसी एक या उससे अधिक द्वारा किसी उपादान पर व्याख्यायित या वर्णित सामग्री” को कहते हैं।

बैंकों के प्रमुख कार्यों में जनता से निक्षेप के रूप में धन जमा करना तथा जरूरतमंद लोगों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की वापसी सुनिश्चित करना भी अत्यावश्यक है। अन्यथा, एक ऐसा अवसर भी आ सकता है जबकि लोगों की जमाराशि को समय पर बैंक न लौटा सकें। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बैंक ऋण देते समय पर्याप्त प्रतिभूति लें तथा उस पर अपना कानूनी अधिकार प्रयुक्त करने हेतु समुचित प्रलेख निष्पादित कराएं ताकि उधारकर्ता द्वारा ऋण की चुकौती न करने पर उन प्रलेखों के आधार पर बैंक उस प्रतिभूति को बेचकर न्यायालय के जरिए अपने बकाया ऋण की वसूली कर सकें। यदि इन प्रलेखों को विधिवत् निष्पादित नहीं किया गया है तो बैंक का पक्ष कई बार न्यायालय में कमजोर पड़ जाता है तथा उधारकर्ता इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाने में सफल हो जाता है। अतः बैंकों के लिए विभिन्न प्रलेखों का निष्पादन करते समय उधारकर्ता की संविदा क्षमता, प्रलेख निष्पादन की रीति आदि बातों की भली प्रकार जानकारी होना आवश्यक है। बैंक अग्रिमों की सुरक्षा के लिए इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है-

क) संविदा-क्षमता : प्रलेख निष्पादन के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो व्यक्ति प्रलेख निष्पादित कर रहा है क्या वह संविदा करने में सक्षम है। यदि वह संविदा करने में सक्षम नहीं है तो उसके द्वारा प्रलेख निष्पादित करना निर्थक है क्योंकि ऐसे प्रलेख अग्रिम की सुरक्षा का आधार नहीं बन सकते। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अनुसार “ऐसा प्रत्येक व्यक्ति संविदा करने में सक्षम है जो उस विधि, जिसके अधीन वह शासित है, के अंतर्गत

प्रलेख निष्पादन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य

बनवारीलाल बगड़िया

वयस्क हो तथा वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो तथा उस विधि द्वारा संविदा करने के अयोग्य करार नहीं दिया गया हो।” इस प्रकार प्रलेख निष्पादनकर्ता में निम्नलिखित अयोग्यताएँ नहीं होनी चाहिए-

(i) वह अवयस्क न हो क्योंकि अवयस्क के साथ किया गया कोई भी करार उसके प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। ऐसे करार का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है।

(ii) वह पागल या दिवालिया घोषित न हो।

(iii) किसी विधान द्वारा उसे संविदा करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।

ख) प्रलेख निर्धारित प्रारूप में हों : प्रत्येक बैंक विभिन्न प्रलेखों हेतु छपे हुए फार्म काम में लेता है। बैंक द्वारा ये फार्म विधि विशेषज्ञों की सलाह से विविध कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी भाषा में तैयार कराए जाते हैं ताकि न्यायालय में बैंक अपना पक्ष मजबूती से प्रस्तुत कर सके। इनमें शर्तें समाहित करते समय बैंक के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। अतः इनमें अनावश्यक परिवर्तन, काट-छाँट या हेर-फेर नहीं करने चाहिए। इन मानक प्रारूपों में कोई अन्यथा परिवर्तन करने से वह बैंक के लिए अहितकर हो सकता है।

ग) प्रलेख समुचित रूप से स्टाम्प युक्त हों : यद्यपि निष्पादित किए जाने वाले सभी प्रलेख स्टाम्प युक्त होने अनिवार्य नहीं हैं, फिर भी स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 17 में विनिर्दिष्ट सभी प्रलेखों पर समुचित स्टाम्प उनके निष्पादन से पूर्व या निष्पादित करते समय लगे होने चाहिए अर्थात् किसी भी प्रलेख

पर उसके निष्पादन के पश्चात् स्टाम्प लगाना निर्थक है। इस प्रकार कोई स्टाम्प रहित या कम स्टाम्प लगा प्रलेख निष्पादित नहीं किया जा सकता। यदि निष्पादित किया भी जाता है तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा या वाद का आधार नहीं बन सकता। किसी वचन-पत्र, विनिमय बिल और ऋण अभिस्वीकृति-पत्र को समुचित एवं विधिवत् स्टाम्प युक्त नहीं किया गया है या अपर्याप्त स्टाम्प लगा है तो वह प्रारंभ से ही अवैध है तथा इनके आधार पर वाद विफल हो जाएगा।

हालांकि, मामले की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय अपने विवेकानुसार किसी स्टाम्प रहित या कम स्टाम्प लगे प्रलेख को भी शास्ति (दंड) लगाकर विचारार्थ स्वीकार कर सकता है। ऐसी शास्ति-राशि निर्धारित शुल्क की दस गुना तक हो सकती है। यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह संबंधित प्रलेख पर कितनी शास्ति लगाने का आदेश देता है।

स्टाम्प दो प्रकार के होते हैं - मुद्रित/अंकित व चिपकने वाले। वचन-पत्र, ऋण अभिस्वीकृति-पत्र, रसीद आदि प्रलेखों पर चिपकने वाले स्टाम्प लगाए जाते हैं। इन्हें निष्पादनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित करके या अंगूठे का निशान लगाकर या अन्य विहित रीति से निरस्त किया जाता है। इसके पीछे यह अवधारणा है कि प्रलेख पर स्टाम्प उसे निष्पादित करते समय लगे हुए थे तथा उन्हें फिर से काम में नहीं लाया जा सके।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्टाम्प शुल्क प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है।

अतः प्रलेख निष्पादित करते समय इसकी समुचित जानकारी होनी चाहिए।

घ) प्रलेख निष्पादन एवं साक्ष्यांकन प्रक्रिया : उधारकर्ता और ऋणदाता बैंक के बीच तय हुई अग्रिम की शर्तें स्पष्ट, निश्चित एवं संदेहरहित होनी चाहिए। प्रलेखों में अन्य बातों के साथ-साथ सभी पक्षकारों के सही-सही नाम, भारित की जाने वाली आस्तियों

का विवरण, प्रतिफल, ब्याज-दर, चुकौती की शर्तें आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

प्रलेख निष्पादन के समय निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना चाहिए-

1. प्रतिभूति प्रलेखों के निष्पादन के समय बैंकर को विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इनके निष्पादन में नैमित्तिक दृष्टिकोण अपनाना बैंकर की व्यावसायिक क्षमता का गंभीर प्रतिबिंब प्रकट करता है।
2. बैंक के प्रतिभूति प्रलेख टंकित नहीं होने चाहिए। उन्हें हाथ से लिखकर भरना चाहिए। टंकित प्रलेख न्यायालय में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं।
3. प्रतिभूति प्रलेखों का निष्पादन बैंक के किसी उत्तरदायी अधिकारी की उपस्थिति में किया जाना चाहिए तथा वह अधिकारी उधारकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से पहचानता हो। किसी सह-ऋणी या जमानतदाता के हस्ताक्षर कराने हेतु प्रलेख ऋणी को किसी भी हालत में नहीं सौंपने चाहिए। इससे एक तो जाली हस्ताक्षर करने की आशंका रहती है, दूसरे उस व्यक्ति की वैयक्तिक पहचान भी संदिग्ध हो जाती है। यदि किसी एक भी सह-ऋणी के हस्ताक्षर जाली हों तो वह प्रलेख दोषपूर्ण हो जाता है तथा इसे साक्ष्य स्वरूप काम में नहीं लिया जा सकता। ऐसा प्रलेख पूर्णतया अवैध व निष्प्रभावी माना जाता है।
4. प्रलेख एक ही बार में, उसी लिखावट तथा एक ही पेन व स्याही से पूरी तरह तैयार किए जाने चाहिए। कई हस्तलेखों में विभिन्न प्रकार की लिखावट व कई तरह की स्याही का प्रयोग होने से प्रलेख की सत्यता पर अनावश्यक संदेह उत्पन्न होता है। इससे प्रलेखों की स्वीकार्यता/प्रवर्तनीयता पर प्रतिरोध प्रकट किया जा सकता है।
5. प्रलेखों पर उधारकर्ता(ओं) के पूरे हस्ताक्षर होने चाहिए तथा समान रीति से किए जाने चाहिए। इन पर लघु हस्ताक्षर या आद्यक्षर नहीं होने चाहिए।

- सामान्यतया, उधारकर्ता दायें हाथ से हस्ताक्षर करते हैं। किंतु, यदि किसी को बाएं हाथ से हस्ताक्षर करने का अभ्यास हो तो इसका उल्लेख प्रलेख के साथ नोट लगाकर किया जाना चाहिए।
6. प्रतिभूति प्रलेख में किसी प्रकार की काट-छांट, परिवर्तन, परिवर्धन, कोई लाइन जोड़ना या हटाना यथासंभव टाला जाना चाहिए। फिर भी, यदि प्रलेख में कहीं पर ऐसा दिखाई दे तो उसे उधारकर्ता (ओं) के पूरे हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए।
 7. साधारणतया सभी प्रतिभूति प्रलेख उधारकर्ता (ओं) की अपनी लिखावट में भेरे/निष्पादित किए जाने चाहिए। तथापि, यदि वह अपनी लिखावट में विवरण भरने में असमर्थ हो तो यह सुनिश्चित किया जाए कि वह प्रलेख की विषयवस्तु को समझता हो। बैंक अधिकारियों द्वारा प्रलेख भरने की प्रथा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
 8. प्रलेख दोहरी तिथियों में नहीं होने चाहिए जैसे 2/3 मार्च, 9/10 अप्रैल आदि।
 9. यदि कोई प्रलेख कई पृष्ठों में हो तो उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कराने चाहिए तथा दो पृष्ठों के मोड़ पर इस तरह से हस्ताक्षर किए जाएं कि वे दोनों पृष्ठों पर आ जाएँ।
 10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उधारकर्ता के हस्ताक्षर ऋण करार फार्म के अंत में तथा उसके साथ संलग्न प्रलेख अनुसूची के अंत में भी कराए जाएँ।
 11. यदि प्रलेख को सत्यापित या साक्षांकित कराना विशिष्ट रूप से अपेक्षित न हो तो उसे सत्यापित या साक्षांकित नहीं कराया जाए क्योंकि ऐसे परिवर्तन से प्रलेख की प्रकृति बदल सकती है तथा उस पर मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क लगाना आवश्यक हो सकता है।
 12. ब्याज संबंधी वाक्य का सही एवं स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
 13. पूर्ण प्रलेख या उसके एक या अधिक कालम रिक्त छोड़ देने से वह संपूर्ण प्रलेख ही अमान्य करार दिया जा सकता है।
 14. निष्पादन के पश्चात् प्रलेखों को प्रतिभूति रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। इसमें शाखा प्रबंधक या जिस अधिकारी के समक्ष उन्हें निष्पादित किया गया है उसे अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। यह न्यायालय में साक्ष्य स्वरूप स्वीकार्य होता है तथा किसी विवाद की स्थिति में इससे न्यायालय में प्रलेखों का निष्पादन सिद्ध करने में सहायता मिलती है।
 - इ) **नवीकरण :** प्रलेखों को कालातीत होने से बचाने के लिए उन्हें समय रहते नवीकृत कराना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कराने पर बैंक न्यायालय में अपना पक्ष हार सकता है। कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतया प्रलेख 3 वर्ष के बाद कालातीत हो जाते हैं। अतः नए प्रलेखों के साथ रसीदी टिकट लगी ऋण अभिस्वीकृति लेनी चाहिए जिस पर उधारकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर दिनांक सहित हों। सावधि ऋण संबंधी करार का नवीकरण अपेक्षित नहीं है। किंतु नामे शेष की पुष्टि प्रत्येक छमाही में कराई जानी चाहिए। ऋण चाहे किसी भी प्रकार के हों उधारकर्ता(ओं) व जमानतदाता(ओं) से शेष पुष्टीकरण पर्ची प्रति छमाही अवश्य लेनी चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे प्रथमतः परिसीमन अवधि तीन वर्ष और बढ़ जाती है तथा द्वितीयतः उधारकर्ता व जमानतदाता खाते में उस दिनांक तक की प्रविष्टियों की पुष्टि की जाती है। इससे वे प्रविष्टियों की वैधता को संदेहास्पद नहीं ठहरा सकते।
- इसके अलावा किसी खाते या सुविधा के बारे में तीसरे पक्षकार(रों) द्वारा जमानत दिए जाने की स्थिति में जमानतदाता(ओं) द्वारा नए प्रलेख निष्पादित किए जाने अनिवार्य हैं।
- जब किसी सुविधा की शर्तों में परिवर्तन हो जैसे अग्रिम की राशि में बढ़ोतरी की जाती है या प्रतिभूति(यों) की प्रकृति में कोई सारभूत

परिवर्तन किया जाता है - तो उधारकर्ता(ओं)/ जमानतदाता(ओं) से नए प्रलेख निष्पादित करवाए जाएँ।

नीचे लिखे प्रलेखों पर दो गवाहों के साक्ष्य होने अनिवार्य हैं :-

- (i) स्वयं लिखत पर समनुदेशन, जैसे जीवन बीमा पॉलिसी,
- (ii) पृथक विलेख द्वारा समनुदेशन,
- (iii) विक्रय विलेख,
- (iv) बंधक विलेख,
- (v) ऐसे सभी प्रलेख, जिन पर मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क लगता है,
- (vi) अचल संपत्ति का उपहार विलेख,
- (vii) वसीयत।

नीचे लिखे प्रलेखों पर गवाह का साक्ष्य अपेक्षित नहीं है-

- (i) वचन-पत्र,
- (ii) पुनर्ग्रहणाधिकार-पत्र,
- (iii) सातत्य-पत्र,
- (iv) समंजन-पत्र,
- (v) नकद उधार करार,
- (vi) दृष्टि बंधक पत्र,
- क) व्यापारिक माल का दृष्टिबंधक
- ख) बिल में सम्मिलित माल का दृष्टिबंधक या
- ग) संयंत्र एवं मशीनरी का दृष्टिबंधक
- (vii) गिरवी-पत्र,
- (viii) समनुदेशन-पत्र,
- (ix) गारंटी-पत्र।

यदि उक्त प्रलेखों पर साक्ष्य अंकित कराया गया तो मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क लगाना होगा अन्यथा नाममात्र का निर्धारित स्टाम्प शुल्क लगता है।

बैंकों के प्रतिभूति प्रलेखों संबंधी फार्म हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपवाए जाते हैं। फिर भी अगर कोई उधारकर्ता मात्र हस्ताक्षर करना जानता हो या अनपढ़ होने के कारण अंगूठे का निशान लगाता हो तो यह उचित होगा कि उसके विधि सलाहकार या ऐसे व्यक्ति से, जो उसे जानता हो और उन प्रलेखों का आशय समझता हो, एक घोषणा-पत्र लिया जाए कि उस प्रलेख की विषयवस्तु तथा उसके कानूनी प्रभाव को उसे भली प्रकार समझा दिया गया है तथा वह समझ गया है। इस घोषणा पर उधारकर्ता व विधि सलाहकार अथवा उसकी पहचान वाले व्यक्ति दोनों के हस्ताक्षर (उधारकर्ता के अनपढ़ होने पर उसके अंगूठे का निशान) होने चाहिए। उधारकर्ता पुरुष होने पर उसके बायें हाथ के अंगूठे का निशान लगाया जाता है तथा महिला की स्थिति में दायें हाथ के अंगूठे का निशान लगाया जाना चाहिए।

च) पंजीयन : यद्यपि सभी प्रतिभूति प्रलेखों का पंजीयन कराना अपेक्षित नहीं है, फिर भी निम्नलिखित प्रलेखों का पंजीयन कराना वैधानिक रूप से अनिवार्य है :

(i) बंधक विलेख : पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17(1) के अंतर्गत बंधक विलेख उप पंजीयक कार्यालय या एश्युरन्स पंजीयक के यहाँ पंजीयन कराना अनिवार्य है। इस पर मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क लगता है तथा पंजीयन शुल्क व अन्य खर्चे भी लगते हैं।

(ii) साम्यिक बंधक (ई.एम.) : किसी संपत्ति के स्वत्व विलेखों को जमा करके बंधक करने को साम्यिक बंधक या साम्यमूलक बंधक कहते हैं। यदि ऐसा बंधक करते समय स्वत्व विलेख जमा करने का ज्ञापन लिखित में तैयार किया गया हो और बंधककर्ता द्वारा निष्पादित किया गया हो तो इसका पंजीयन एश्युरन्स पंजीयक के यहाँ कराना होगा तथा इस पर स्टाम्प शुल्क भी लगेगा।

(iii) चल प्रभार : 'चल प्रभार' उधारकर्ता की आस्तियों पर तात्कालिक साम्यमूलक प्रभार है। ऐसे प्रभार का सारतत्व यह है कि यह प्रभार तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक कि उस कंपनी का कारोबार बंद

नहीं हो या जिसके पक्ष में यह प्रभार किया गया है वह हस्तक्षेप न करे। चल प्रभार का पंजीयन कंपनी अधिनियम, 1956 व पंजीयन अधिनियम, 1908 दोनों के अंतर्गत कराना अनिवार्य है। अन्यथा, वह प्रभावी नहीं हो सकता।

- (iv) संयुक्त स्टॉक कंपनी की दशा में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 125 के अंतर्गत कई प्रभार उनके निर्माण के 30 दिन के भीतर कंपनी पंजीयक के यहाँ पंजीकृत कराने अनिवार्य होते हैं।
- (v) विलेख के जरिए किसी संपत्ति में निर्मित अधिकार, स्वत्व या हित के समनुदेशन का एश्युरन्स पंजीयक के यहाँ पंजीयन कराना अनिवार्य है। इस पर मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क लगता है।
- (vi) वाहनों को दृष्टिबंधक रखकर दिए जाने वाले अग्रिमों की दशा में वाहनों पर बैंक का ग्रहणाधिकार संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी के यहाँ पंजीकृत कराना पड़ता है।

बैंकों में खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खातों की स्थिति में प्रलेखों का निष्पादन :

- व्यक्तिगत खाते :** वैयक्तिक खातों की स्थिति में प्रलेखों का निष्पादन खातेदार व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा विधिवत् रूप से नियुक्त मुख्तार (अटर्नी) द्वारा किया जा सकता है।
- संयुक्त खाते :** सभी संयुक्त खातेदारों को संयुक्त व पृथक्-पृथक् रूप से दायित्व ग्रहण करते हुए अपनी व्यक्तिगत हैसियत से प्रलेखों का निष्पादन करना चाहिए। इसके अलावा, संयुक्त खाते में प्रतिभूति की वापसी या सुपुर्दी के बारे में अनुदेशों पर सभी संयुक्त खातेदारों के हस्ताक्षर कराए जाने चाहिए कि प्रतिभूतियाँ स्थिति के अनुसार किसी एक या उत्तरजीवी को या उनमें से किसी एक को या उत्तरजीवियों में से किसी एक को या अंतिम उत्तरजीवी को लौटाई जाएंगी। ऐसे किसी स्पष्ट अनुदेश के अभाव में प्रतिभूतियाँ सभी खातेदारों द्वारा उन्मोचन करने पर ही लौटाई जाएंगी।

- एकल स्वामित्व फर्म :** एकल स्वामी द्वारा फर्म की ओर से हस्ताक्षर करते हुए प्रलेख निष्पादित किए जाएं।
- साझेदारी फर्म :** सभी साझेदारों द्वारा साझेदार के रूप में व अपनी व्यक्तिगत हैसियत से हस्ताक्षर करते हुए प्रलेख निष्पादित किए जाने चाहिए।
- संयुक्त स्टॉक कंपनी :** व्यापारिक संयुक्त स्टॉक कंपनी को उधार लेने का निहित अधिकार होता है। ऐसी सार्वजनिक सीमित कंपनी की दशा में जहाँ पर सभी स्रोतों से उधार ली जाने वाली कुल राशि उसकी चुकता पूंजी तथा निर्बंध प्रारक्षित निधियों से अधिक हो वहाँ पर उधार लेना साधारण सभा की बैठक में प्राधिकृत होना चाहिए, अन्यथा कंपनी के अंतर्नियमों में इसके विपरीत कोई प्रावधान नहीं होने पर कंपनी के निदेशक बोर्ड की बैठक में संकल्प पारित करके उधार लेने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कंपनी के अंतर्नियमों का परीक्षण किया जाना चाहिए कि उधार लेने की शक्ति का प्रयोग करने की रीत क्या है। क्या किसी निदेशक, जैसे प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक, द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। यदि ऐसा है तो अंतर्नियमों में विहित रीत का अनुसरण किया जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 1996 की धारा 292 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक बोर्ड को कंपनी की ओर से उधार लेने की शक्ति का प्रयोग बोर्ड की नियमित बैठक में पारित संकल्प द्वारा ही किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी शक्ति का प्रयोग निदेशकों में परिचालित संकल्प द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः बैंक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसे प्रस्तुत संकल्प कोई परिपत्र संकल्प न हो।

उपर्युक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार निदेशक बोर्ड की शक्तियाँ इसकी विधिवत् रूप से बुलाई गई बैठक में संकल्प पारित करके निम्नलिखित में से किसी को भी प्रत्यायोजित की जा सकती हैं :

- (क) निदेशकों की किसी समिति को,
- (ख) प्रबंध निदेशक को,

- (ग) प्रबंधक या कंपनी के किसी प्रमुख अधिकारी को, या
 (घ) शाखा कार्यालय होने पर शाखा के प्रधान अधिकारी को।

कभी-कभी कंपनी मुख्तारनामे (पावर ऑफ अटर्नी) के द्वारा भी किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकती है। ऐसी स्थिति में मूल मुख्तारनामे की संवीक्षा अवश्य की जानी चाहिए ताकि यह पुष्टि की जा सके कि यह उचित रूप से निष्पादित की गई है, अभी प्रचलन में है तथा यह मुख्तार को प्रधान की ओर से प्रलेख निष्पादित करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करता है।

- 6. हिंदू अविभाजित परिवार :** हिंदू अविभाजित परिवारों के उधार खातों के बारे में कई कानूनी पेचीदगियाँ हैं। विधान में हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता को उधार लेने का निहित प्राधिकार होता है। इस हेतु वह प्रतिभूति प्रलेख निष्पादित कर सकता है। वह किसी आस्ति/परिसंपत्ति को परिवार के सामान्य कारोबार हेतु भारांकित कर सकता है तथा उसके इस कृत्य से परिवार के अन्य सदस्यों को कानूनी रूप से बाध्य किया जा सकता है। किंतु, बाद में सहभागियों की आपत्ति उठने से बचाव के लिए उचित यही होगा कि परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को प्रतिभूति प्रलेखों के निष्पादन में शामिल किया जाए।

उचित होगा कि हिंदू अविभाजित परिवार के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित आशय का वचन लिया जाए कि:

- क)** हिंदू अविभाजित परिवार का सामान्य कारोबार चलाने के लिए अग्रिम की आवश्यकता है।
ख) वे संयुक्त एवं पृथक रूप से तथा उनके बीच उनकी संतानों के हिंदू अविभाजित परिवार की आस्तियों/संपत्तियों में हितबाध्य होंगे।
ग) किसी सदस्य के हिंदू अविभाजित परिवार से अलग होने तथा/या परिवार के पैतृक कारोबार के बंद होने की लिखित सूचना बैंक को दी जाएगी।
घ) परिवार से अलग होने वाला सदस्य बैंक को लिखित नोटिस मिलने तक हिंदू अविभाजित परिवार के लिए

और परिवार की ओर से किए गए सभी लेन-देनों के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

जैसे ही कोई अवयस्क सदस्य वयस्क हो जाए तो वयस्क सहभागियों द्वारा दिए गए वचन के संशोधन स्वरूप उसकी सहमति व्यक्त करते हुए उसके हस्ताक्षर लिए जाएं।

- 7. क्लब, समितियाँ और अन्य गैर-लाभ अर्जक संगठन :** चूंकि अनिगमित क्लब, समिति या अन्य गैर-लाभ-अर्जक संगठनों का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए वे कोई संविदा नहीं कर सकते। इसी कारण से किसी अनिगमित निकाय को धन उधार देते समय विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। इसका आंशिक तथ्य तो यह है कि इसे संगठन की निधियों से प्रतितोष करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है और अंशतः यह कि संघ के किसी सदस्य का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करना आसान नहीं होता है। फिर भी, किसी विशेष प्रकरण पर यदि विचार करना हो तो उस क्लब, समिति या संगठन के उपनियम प्राप्त करके उनका अध्ययन करना चाहिए ताकि उसकी उधार लेने की शक्तियों, उद्देश्य व संघ की आस्तियों को भारित करने की प्रबंध समिति की शक्तियों का निर्धारण किया जा सके। इस संबंध में एक उचित संकल्प महासभा की बैठक में पारित किया हुआ होना चाहिए। सभी परिस्थितियों में ऐसे संगठनों द्वारा लिए गए उधार धन के लिए अच्छी ख्याति वाले व्यक्तियों द्वारा निष्पादित क्षतिपूर्ति बॉण्ड प्राप्त किए जाएं।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बैंक द्वारा दिए गए ऋणों की सुरक्षा हेतु उचित प्रलेख भलीभांति निष्पादित कराए जाने चाहिए तथा उनसे संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।

०००

पत्रिका के जुलाई-सितंबर 1995 अंक में प्रकाशित

भारत में बैंकिंग परिवेश अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक बनता जा रहा है। निजी क्षेत्र में कुछ बैंक पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और कुछ अन्य प्रारंभ होने वाले हैं। विदेशी

बैंक भी भारत में और अधिक शाखाएं खोल रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती हुई आपसी प्रतिस्पर्धा के अलावा विमध्यस्थन की प्रक्रिया में और अधिक विस्तार होने के कारण बैंकों को भारत एवं विदेशों में भी बैंकेतर वित्तीय क्षेत्र एवं पूँजी बाजार में अब कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्याशित रूप से यह प्रतिस्पर्धा बैंकिंग व्यवसाय के उच्च मूल्य वाले खंडों की, विशेष रूप से, कॉर्पोरेट क्षेत्र के विशाल ऋणों एवं अन्य सेवाओं, सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाले व्यक्तियों की सेवाओं, नियाति-आयात व्यवसाय, उपभोक्ता वित्त जैसे क्षेत्रों की लाभप्रदता में विशेष रूप से दिखाई दे रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस प्रकार न केवल अपने व्यवसाय के सर्वाधिक लाभप्रद क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना है, अपितु वे फुटकर बैंकिंग सेवाएं भी समग्र रूप से जारी रखनी हैं, जिनमें से अधिकतर व्यावसायिक रूप से लाभकारी नहीं हैं। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण अग्रिमों से प्राप्त होने वाले ब्याज एवं अन्य शुल्कों की मात्रा भी घटती जा रही है। ग्राहकों एवं अर्थव्यवस्था के लिए यह निश्चित ही लाभकारी परिवर्तन है किंतु बैंकों पर अपनी लागतें घटाने हेतु इसका अपरिहार्य रूप से दबाव पड़ रहा है। अतः वर्तमान भारतीय बैंकों के सामने सबसे प्रमुख समस्या व्यवसाय लागत में कटौती करने की है क्योंकि यदि हम लागतें रोकने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि उन्नत प्रौद्योगिकी, चुस्त कार्यबल और सीमित नेटवर्क के साथ सावधानीपूर्वक चुने हुए लक्ष्य सामने रखकर बाजार में व्यवसाय के लिए प्रवेश करने वाले नए बैंकों के मुकाबले में कहीं हम प्रतिस्पर्धा से ही बाहर न हो जाएं।

लागतों के संबंध में भारत में बैंकिंग प्रणाली की एक विशेषता यह रही है कि विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की लागतों को नियमित आधार पर यह पता लगाने के लिए नहीं आंका गया है कि क्या सेवा शुल्कों में किसी संशोधन की आवश्यकता है। यह कार्य व्यापक अंतराल के बाद होता

लागत में कमी एवं लाभप्रदता

नवनीत चन्द्र मिश्र

रहा है। भविष्य में कम अंतराल पर और नियमित रूप से लागतों को आंकना होगा जिससे सेवा शुल्कों की भी तदनुसार समीक्षा की जा सके। लागतों को कम रखने के साथ ही वास्तविक और निरंतर आधार पर उनके मूल्यांकन को भी यथेष्ट महत्व देना होगा तभी बैंक लाभ की स्थिति को बनाए रख सकेंगे। लागत में एक रूपये की बचत, एक रूपये लाभ के बराबर है।

लाभ एवं लाभप्रदता

एक विशिष्ट अवधि अथवा लेखा वर्ष में कुल आय तथा कुल व्यय में अंतर को लाभ कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि कुल आय कुल व्यय से अधिक होगी तब लाभ होगा।

पीटर ड्रकर के अनुसार लाभ, व्यवसाय की दक्षता का मापदंड है तथा व्यवसाय में बने रहने की क्षमता और भविष्य के लिए पूँजी प्रदान करता है। शुद्ध लाभ के प्रमुख घटकों को निम्नलिखित गणितीय समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।

शुद्ध लाभ = (शुद्ध ब्याज आय + विविध आय) - (स्टाफ व्यय + ऊपरी व्यय)

लाभ एक पूर्ण माप है जबकि लाभप्रदता एक अनुपात है।

बैंकों में लाभप्रदता को आंकने के लिए दो अनुपात महत्वपूर्ण हैं -

1. प्रतिलाभ की सकल दर (जी.आर.आर.)

जहाँ एन : माह की संख्या है।

$$\frac{\text{शुद्ध परिणाम}}{\text{कुल औसत कार्यकारी निधियाँ}} \times 100 \times \frac{12}{\text{एन}}$$

$$2. \text{ खर्च अनुपात} = \frac{\text{कुल ब्याज रहित खर्च}}{\text{शुद्ध ब्याज आय + विविध आय}} \times 100$$

इस प्रकार जहाँ लाभप्रदता हेतु ब्याज आय तथा विविध आय (विविध व्यवसाय से प्राप्त आय) को बढ़ाने की आवश्यकता है वहीं व्यवसाय लागत, स्टाफ व्यय तथा ऊपरी व्यय पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। निश्चित रूप से लागत में कमी लाकर लाभप्रदता को बेहतर किया जा सकता है।

लागत में कमी के लिए जागरूकता

लाभ बैंक के लिए प्राणवायु है। लागत में कमी लाकर लाभ कमाना वर्तमान समय की मांग है। किसी भी सेवा उद्योग में, जिसमें बैंक भी शामिल हैं, कर्मचारियों की सर्वाधिक महत्ता होती है। लागत में कमी लाने हेतु बैंकिंग उद्योग के सभी सदस्यों को विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हुए जागरूक होने की आवश्यकता है। सस्ती दर से निधि जुटाने की योग्यता ही एक मामूली बैंक और एक सफल बैंक के बीच अंतर दर्शाती है। किसी बैंक को अपनी जमाराशियों की लागत में कटौती करने की युक्ति विकसित करनी चाहिए। यद्यपि अग्रिमों की ब्याज दरें अविनियमित कर दी गई हैं, फिर भी चूक के जोखिम की बात ध्यान में रखकर बैंक उच्च ब्याज दरें नहीं लगा सकते हैं। अतः बैंकों को खुदरा जमाराशियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। परिपक्वता और ब्याज दरों के संबंध में आस्ति-देयता पोर्टफोलियो गठित करना सरवाइवल की एक अन्य रणनीति है। परिचालनों की लागत तथा ऊपरी व्यय की विभिन्न मदों की गहन रूप से जाँच समय-समय पर आवश्यक है जिनसे सेवाओं की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना लागत में कटौती करना संभव हो सके।

लागतों पर नियंत्रण

लागत में कमी लाने के लिए लागत पर नियंत्रण होना आवश्यक है। चूंकि आय की तरफ जोड़-तोड़ करने की संभावना बहुत कम होती है, अतः लागतों में कमी किए जाने के अधिकाधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए ब्याज लागत, स्थापना तथा परिचालन लागत, लेन-देन लागतों में कमी लाना महत्वपूर्ण है। लागत नियंत्रण को एक संस्कृति की भाँति अपनाना होगा और छिपुट मितव्ययिता अभियान प्रारंभ करने के लोभ से बचना होगा। इस संबंध में लेफिंग वेल और रॉबिन्सन का प्रसंग उद्धरणीय है - 'तथाकथित मितव्ययिता

अभियान के दौरान क्या होता है? सामान्यतया दो बातें - कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है और कुछ फुटकर खर्चों में कटौती कर दी जाती है। जब आवेग समाप्त हो जाता है जैसे कि सभी आवेगों के साथ होता है, तो वेतन पत्रक फिर बढ़ने लगता है और फिर पूरा संगठन अगला मितव्ययिता अभियान प्रारंभ किए जाने तक धीरे-धीरे वही अपनी पुरानी फिजूलखर्चों की आदतें अपना लेता है।'

लागतों की प्रभावी एवं सतत निगरानी और नियंत्रण हेतु प्रत्येक शाखा में एक स्थायी समिति गठित की जा सकती है, जिसमें अवार्ड और पर्यवेक्षी स्टाफ का बराबरी का प्रतिनिधि हो। यह स्थापना की लागतों का साप्ताहिक विश्लेषण करेगी, बाद में शाखा प्रबंधक इसकी मासिक समीक्षा करेंगे। शाखा प्रबंधक को इन लागतों पर मासिक निष्पादन रिपोर्ट में टिप्पणी करने को कहा जाए जिसमें वे स्थायी समिति द्वारा दिए सुझावों और इन सुझावों पर की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण दर्ज करेंगे।

कंप्यूटरीकरण से लागत में कमी

बैंकों में कंप्यूटर का प्रयोग पिछले कुछ वर्षों से ही शुरू हुआ है। इसके पीछे बैंकों का उद्देश्य कम लागत से आंतरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। खातों का रखरखाव, जो पहले बड़ी मोटी बहियों की सहायता से किया जाता था, अब कंप्यूटर की 'फ्लॉपी डिस्क' की सहायता से किया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि एक 'फ्लॉपी डिस्क' बहुत ही अल्प-मोटाई और कम वजन की होती है तथा इसमें लगभग 6 से 7 बहियों में रखने योग्य सूचना रखी जा सकती है।

कंप्यूटरों के प्रयोग से बैंकों में संचार व्यवस्था सुचारू एवं सुदृढ़ हुई है एवं कम लागत पर एक शाखा से दूसरी शाखा को, केंद्रीय कार्यालय से प्रधान कार्यालय को, प्रधान कार्यालय से आंचलिक कार्यालयों को और आंचलिक कार्यालय से शाखाओं को संदेश भेजने में कंप्यूटर काफी उपयोगी साबित हुआ है।

कंप्यूटरीकरण से शीघ्र निर्णय लेना तथा आंतरिक लेखा कार्यों की सुविधा कम लागत पर संभव हो सकी है। हाउसकीपिंग एवं बहियों का मिलान बहुत आसान हो गया है। अंतर-शाखा समाधान में अब कोई समस्या नहीं है। लाभप्रदता की दृष्टि से लेन-देन का खर्च कम हुआ है। तकनीक की मदद से बैंकिंग परिचालन की लागत में कमी लाना संभव हो सका है। एक अनुमान के अनुसार

ई-बैंकिंग के जरिए परिचालन की लागत परंपरागत परिचालन के तरीके के आठवें हिस्से के बराबर है।

लागत में कमी हेतु सुझाव

शाखा स्तर पर

परिचालन लागत में कमी -

स्टेशनरी लागत

- * लेखन सामग्री की फिजूल खर्ची पर प्रतिबंध।
- * आवश्यकता से अधिक स्टेशनरी को जरूरतमंद शाखाओं में भेजना।
- * अनुपयुक्त स्टेशनरी को नष्ट करना या उसका विक्रय करना ताकि पूँजी पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि की जा सके।

बिजली लागत

- * अनावश्यक बिजली उपयोग पर रोक।
- * बिल का देय तिथि पर भुगतान।

विधि लागत

- * समझौता प्रक्रिया प्रभावी होने के पश्चात् अग्रिमों की वसूली में कानूनी दावे आवश्यकता आधारित होने चाहिए।
- * नियमों का अनुपालन।

संचार लागत

- * टेलीफोन, फैक्स, तार, कुरियर सेवा आदि के प्रयोग का चयन ए.बी.सी. विश्लेषण के आधार पर किया जाए।

मरम्मत एवं रखरखाव लागत

- * कर्मचारियों के मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाए ताकि वे यह स्वीकार करें कि बैंक की संपत्ति हमारी निजी संपत्ति है।
- * आवश्यकता पड़ने पर संपत्ति की मरम्मत समय पर करानी चाहिए।
- * किराया लागत :- यदि बैंक अपने खुद के भवनों का निर्माण करते हैं तो किराए का भार कम किया जा सकता है और बैंकों को पूँजी वृद्धि का लाभ भी मिलेगा।

स्टाफ लागत

- * स्टाफ व्यय में कमी दो प्रकार से की जा सकती है। सर्वप्रथम बैंकों में कंप्यूटरीकरण/मशीनीकरण के पश्चात्

अतिरिक्त हो गए स्टाफ को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान कर तथा दूसरा स्टाफ की उत्पादकता में वृद्धि करके।

- * पदस्थापना - कार्यक्षमता/योग्यता/आवश्यकतानुसार।
- * प्रशिक्षण - कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यकता आधारित होने चाहिए।
- * शाखाओं में गैर-बैंकिंग व्यवसाय दिवस का सदुपयोग होना चाहिए।

प्रदत्त ब्याज में कमी

- * बैंक यदि कम लागत वाली जमाराशियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें तो वे अधिक लाभ कमा सकते हैं।
- * विपणन - ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने हेतु बैंकों को अपनी योजनाओं के विपणन की प्रणाली को कम लागत पर प्रभावी बनाना चाहिए।

ब्याज आय लागत

- * अनुपयोज्य आस्ति प्रबंध - आय का सही निर्धारण, अग्रिमों का सही वर्गीकरण एवं प्रभावी अनुवर्तन।
- * नकदी व बैंक शेष का कुशल प्रबंधन।
- * आय रिसाव पर रोक :- ब्याज की सही गणना, आहरण सीमा का निर्धारण, नियंत्रक की विवरणियों को सही समय पर भेज कर देरी से प्रस्तुतीकरण पर लगने वाले दंड ब्याज से बचाव।
- * समझौता प्रक्रिया, किफायती कानूनी प्रक्रिया, राज्य वसूली अधिनियम के माध्यम से अनुपयोज्य आस्ति में अधिकतम वसूली करना क्योंकि सुचारू रूप से चलने वाले खातों पर अर्जित किए जाने वाले ब्याज से ही ऋण की हानि का प्रावधान करना पड़ता है जिससे ऋण की लागत बढ़ जाती है।

कंप्यूटरीकृत शाखाओं की लागत में कमी हेतु सुझाव

उपर्युक्त सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए लागत में कमी हेतु कंप्यूटरीकृत शाखाओं में निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है:

- * शाखा कंप्यूटरीकरण के पश्चात् अतिरिक्त हो गए स्टाफ सदस्यों को अन्य उत्पादक कार्य में लगाना।
- * कंप्यूटर का परिचालन सही तरीके से करना तथा उसके रखरखाव पर विशेष ध्यान देना ताकि छोटी-मोटी मानवीय भूल के कारण उसकी मरम्मत पर होने वाले अनावश्यक व्यय से बचा जा सके।

बैंकिंग उद्योग तथा प्रबंध-तंत्र स्तर पर लागत में कमी हेतु उपाय

- * प्रशासकीय खर्चों पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक कार्यालयों की संख्या में कमी आनी चाहिए।
- * शाखाओं की सघनता अधिक है, परंतु व्यापार कम है तो ऐसी शाखाओं का विलय कर अथवा उन्हें बंद कर नए बैंकिंग क्षेत्रों में पैठ बनाई जा सकती है। ऐसे प्रयासों से लागत में कमी आएगी, लाभ में वृद्धि होगी और दूसरे बैंकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे सकेंगे।
- * नए-नए सेवा उत्पाद को कम लागत पर तैयार करना जिसका अधिक से अधिक मार्केटिंग कर लाभ कमाया जा सके।

इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्र स्तर पर नियोजित अर्थव्यवस्थाओं सहित विश्व की प्रवृत्तियाँ इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत देती हैं कि यदि व्यावसायिक संगठन अपनी लागत क्षमता को बेहतर नहीं बनाते और अपने ग्राहकों को अत्यंत किफायती एवं सक्षम तरीके से अपनी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराते तो उनका जीवित रहना ही कठिन है। विश्व भर में फैल रहे इस संदेश से इस

तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि हमें अपनी प्रणालियों एवं कार्यविधियों को बेहतर बनाना चाहिए ताकि हम अपने संगठन को अधिकाधिक ग्राहकोन्मुख बना सकें। ग्राहक सेवा का अर्थ केवल मुस्करा कर सेवा करना नहीं होता। इसका अर्थ है अपनी उत्पादकता बढ़ाना, लागत घटाना तथा कार्यक्षमता बढ़ाना। निस्संदेह, हम कम कीमत पर अपनी सेवाएं प्रदान करना नहीं चाहेंगे। फिर भी हमें अपनी लागतों को कम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे लाभ कमाते हुए प्रतिस्पर्धी एवं सक्षम बनने में समर्थ हो सकें। बैंकिंग उद्योग के लिए लागत कटौती कार्यक्रम के एक अंग के रूप में मूल्य विश्लेषण तकनीकों को अपनाने का समय अब आ गया है। बैंकों के कार्य व्यापार में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ मूल्य विश्लेषण तकनीक तथा लागत कटौती कार्यक्रम प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जा सकते हैं। बैंकिंग उद्योग प्रत्येक परिचालन की लागत जाँच-पड़ताल तथा लागत प्रभावकारिता मापन पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इसमें कमी लाकर लाभप्रदता की स्थिति को बनाए रख सकता है।

०००

पत्रिका के अक्टूबर-दिसंबर 2003 अंक में प्रकाशित

वित्तीय संस्थाओं के स्वामित्व का स्वरूप
(31 मार्च 2013 के अंत की स्थिति)

संस्था	स्वामित्व	प्रतिशत
1	2	3
एकिजम बैंक	भारत सरकार	100
नाबार्ड	भारत सरकार	99.3
एनएचबी	भारतीय रिज़र्व बैंक	0.7
सिडबी*	भारतीय रिज़र्व बैंक	100
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	62.5
	बीमा कंपनियां	21.9
	वित्तीय संस्थाएं	5.3
	अन्य	10.3

*आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (19.2 प्रतिशत), भारतीय स्टेट बैंक (15.5 प्रतिशत) और भारतीय जीवन बीमा निगम (14.4 प्रतिशत) सिडबी के तीन बड़े शेयरधारक हैं।

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2012-13

1. मूल संकल्पना

निम्नांकित तीन महत्वपूर्ण संकल्पनाएं समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचे के स्वरूप को निर्धारित करती हैं :-

- क) जोखिम,
- ख) जोखिम प्रबंधन,
- ग) समेकित जोखिम प्रबंधन।

क) जोखिम

जोखिम से बचा नहीं जा सकता और यह तकरीबन प्रत्येक मानवीय स्थिति में मौजूद होता है। यह हमारे दैनिक जीवन में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों में विद्यमान है। संदर्भ के अनुसार जोखिम की अलग-अलग परिभाषाएं प्रयुक्त होती हैं।

सभी परिभाषाओं में जो आम संकल्पना है वह है परिणाम की अनिश्चितता। कुछ लोग जोखिम को प्रतिकूल परिणाम के रूप में ही देखते हैं तो कुछ इसके प्रति तटस्थ भाव रखते हैं। सरल शब्दों में कहें तो -

“जोखिम से तात्पर्य है भविष्य की घटनाओं और उनके परिणामों के प्रति अनिश्चितता। यह किसी भी घटना की संभाव्यता और प्रभाव को परिभाषित करता है जिससे किसी भी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति पर असर पड़ सकता है।”

प्रत्येक जोखिम के लिए दो गणनाएं आवश्यक हैं : उसकी संभावना या संभाव्यता; और प्रभाव या परिणामों की व्यापकता।

ख) जोखिम प्रबंधन

बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन नई संकल्पना नहीं है। यह अच्छे प्रबंधन और सभी स्तरों पर निर्णय लेने का आंतरिक घटक है। किसी भी बैंक में हर विभाग

समेकित जोखिम प्रबंधन

यू. एस. पालीवाल

जाने-अनजाने निरंतर जोखिम प्रबंधन करता रहता है - कई बार गंभीरतापूर्वक और प्रणालीबद्ध तरीके से तो कई बार ऐसे ही।

जोखिम प्रबंधन की कई स्वीकृत परिभाषाएं प्रयोग में हैं। जोखिम प्रबंधन को कुछ लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें जोखिम की पहचान और मूल्यांकन को शामिल नहीं किया जाता तो कुछ लोग इसे एक संपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिसमें जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और जोखिम मुद्दों के बारे में निर्णय शामिल हैं।

समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचे के प्रयोजन के लिए “अनिश्चितता की स्थिति में जोखिम मुद्दों की पहचान, मूल्यांकन, समझ और संप्रेषण के द्वारा प्रणालीबद्ध तरीके से सुनियोजित कार्रवाई करना ही जोखिम प्रबंधन है।” जोखिम प्रबंधन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि जोखिम प्रबंधन की एक परंपरा विकसित की जाए। जोखिम प्रबंधन की परंपरा किसी भी संगठन के समग्र विज्ञन, ध्येय और उद्देश्यों का समर्थन करती है। स्वीकार्य जोखिम पद्धतियों और उसके परिणामों से जुड़ी सीमाओं का निर्धारण और संप्रेषण किया जाता है। चूंकि जोखिम प्रबंधन भावी घटनाओं और उनके परिणामों की अनिश्चितता से जुड़ा होता है, अतः यह मान लिया जाता है कि हर तरह की नियोजन प्रक्रिया में जोखिम प्रबंधन किसी न किसी रूप में सन्निहित होता है। एक स्पष्ट तात्पर्य यह भी है कि जोखिम प्रबंधन में सभी शामिल हैं क्योंकि सभी स्तर

के लोग जोखिम के स्वरूप, संभावना और प्रभाव पर कुछ न कुछ प्रकाश डाल सकते हैं।

जोखिम प्रबंधन का संबंध निर्णय लेने की उस प्रक्रिया से है जो व्यक्तिगत गतिविधि के स्तर और कार्यक्षेत्रों में इसे लागू करके संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करती है। यह विज्ञान आधारित साक्ष्य और अन्य तत्त्वों के मिलान, सीमित संसाधनों के निवेश की लागत और अपेक्षित लाभ अन्वेषण एवं जवाबदेही के निर्धारण के लिए आवश्यक प्रशासनिक और नियंत्रक उपायों के बारे में निर्णय लेने में सहायता करता है।

ग) समेकित जोखिम प्रबंधन

मौजूदा बैंकिंग परिवेश में और अधिक समेकित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अब व्यक्तिगत गतिविधि स्तर पर जोखिम वहन कर पाना पर्याप्त नहीं है। पूरे विश्व में संगठन अपने सभी जोखिमों से निपटने के लिए अधिक सुगठित तौर-तरीके अपनाकर लाभान्वित हो रहे हैं।

आज बैंक अलग-अलग प्रकार के कई जोखिमों से रू-ब-रू हो रहे हैं (उदा. नीति, कार्यक्रम, परिचालनगत, परियोजना, वित्तीय, मानव संसाधन, तकनीकी, राजनीतिक)। विभिन्न मोर्चों और उच्च स्तरों पर उत्पन्न होने वाले उच्च प्रभाव वाले जोखिमों से निपटने के लिए सुगठित, सुनियोजित कॉरपोरेट प्रतिक्रिया जरूरी है।

समेकित जोखिम प्रबंधन एक संगठन के दृष्टिकोण से जोखिम को समझने, निपटने और संप्रेषित करने की निरंतर भविष्योन्मुखी और सुनियोजित प्रक्रिया है। समेकित जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य उन महत्वपूर्ण निर्णयों से है जो किसी संगठन के समग्र कॉरपोरेट उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं।

समेकित जोखिम प्रबंधन में किसी बैंक के लिए प्रत्येक स्तर पर संभावित जोखिम का निरंतर मूल्यांकन अपेक्षित है और उसके बाद कॉरपोरेट स्तर पर उसके

परिणामों को ध्यान में रखते हुए बैंक की प्राथमिकताएं निर्धारित करने और सहायता प्राप्त होती है। बैंक की कॉरपोरेट रणनीति में समेकित जोखिम प्रबंधन अंतर्निहित होना चाहिए और इसके द्वारा बैंक की जोखिम प्रबंधन पद्धति का निर्धारण किया जाना चाहिए। समूचे संगठन के जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन से जोखिम की महत्ता और उसके पारस्परिक निर्भरता का पता चलता है।

समेकित जोखिम प्रबंधन न केवल जोखिम को न्यूनतम और सीमित करने पर ध्यान केंद्रित करता है अपितु यह अन्वेषणों को भी बढ़ावा देता है जिससे अपेक्षित परिणाम, लागत और जोखिम के साथ अधिकतम प्रतिलाभ प्राप्त किया जा सके। समेकित जोखिम प्रबंधन कॉरपोरेट स्तर पर अधिकतम संतुलन प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करता है।

2. प्रयोजन

समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचे का उद्देश्य है:

- क) जोखिम प्रबंधन के लिए अधिक संगठित और सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
- ख) जोखिम-प्रवीण कार्यबल और परिवेश तैयार करने में सहायता करना जिससे अन्वेषण और जिम्मेदारीपूर्वक जोखिम वहन करने को बढ़ावा मिल सके और इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना कि बैंक के हितों की रक्षा के लिए समुचित पूर्वोपाय कर लिए गए हैं तथा यथोचित उद्यमिता सुनिश्चित करना।
- ग) जोखिम प्रबंधन के उपायों को सुझाना जिन्हें विभाग अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और निवेशों के अनुसार अपना सके या ढाल सके।

3. अनुप्रयोग

समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचे को इस तरह से तैयार किया गया है कि उससे प्रबंधकीय क्रियाविधियों, निर्णयन और

प्राथमिकता निर्धारण को मजबूती मिल सके ताकि ग्राहकों की अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। इसके अलावा समेकित जोखिम प्रबंधन को अपनाने से जोखिम-प्रवीण कार्यबल और परिवेश की तरफ जाने में आसानी होगी। यह माना जा रहा है कि इसे लागू करने से :-

- क)** नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और परिचालनों से जुड़े विशिष्ट जोखिम क्षेत्रों की पहचान और मूल्यांकन, और अवांछित प्रभावों को दूर करने के लिए समुचित उपायों की मौजूदगी के साथ ही अवसरों से लाभ उठाने को सुनिश्चित करते हुए बैंकों के कॉरपोरेट प्रबंधन उत्तरदायित्वों का समर्थन किया जा सकेगा;
- ख)** अन्वेषण और जिम्मेदारीपूर्वक जोखिम वहन करने की नींव तैयार करने में सहायक मूल्य, दक्षता, साधन और सहायक परिवेश के साथ ही विनियामक नियंत्रणों का पालन कर अधिक जानकारीयुक्त निर्णयन प्रक्रिया के द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे;
- ग)** यह प्रदर्शित करते हुए कि नीतियों, आयोजनाओं, कार्यक्रमों और परिचालनों से जुड़े जोखिमों के स्तर को स्पष्टतः समझ लिया गया है और जोखिम प्रबंधन उपायों में निवेश तथा धारकों के हितों में अधिकतम संतुलन को पा लिया गया है, जबाबदेही को सुदृढ़ किया जा सकेगा; और
- घ)** ग्राहक सेवा को मजबूती प्रदान कर उत्कृष्ट सेवा प्रदान की जा सकेगी।

4. अपेक्षित परिणाम

समेकित जोखिम प्रबंधन के द्वारा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किए जाने की संभावना है। इसे पूरे संगठन के मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है जो कई संगठित प्रेरक उपायों के एक भाग के रूप में निर्णयन प्रक्रिया में सुधार लाएगा और परिणाम आधारित प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। समेकित जोखिम प्रबंधन, जोखिम के अच्छे प्रबंधन के लिए संगठन के सभी पहलुओं पर ध्यान देने की अपेक्षा करता है। जो संगठन पूरे संगठन के तौर पर जोखिम से निपटान का प्रबंध करते हैं,

उनके अपने उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। प्रभावी जोखिम प्रबंधन से घाटे और नकारात्मक परिणामों में कमी आती है एवं धारकों तथा आम जनता को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार करने के अवसरों का पता चलता है।

जोखिम प्रबंधन के लिए एक सुनियोजित, समेकित लेकिन व्यवहार्य दृष्टिकोण के लिए यह अपेक्षित है कि कोई भी संगठन जोखिम से निपटने के लिए पूर्णतः समर्थ हो ताकि संगठन और धारकों के इस विश्वास को बल मिले कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय और संसाधनों के उत्कृष्ट उपयोग, सहयोगियों के साथ विश्लेषणों और क्रियाओं के आदान-प्रदान के द्वारा विश्वास में मजबूती एवं सुधारित समूहकार्य में मदद मिलती है। अधिक सतर्क और निरंतर परामर्श तथा जोखिम संप्रेषण की जरूरत पर बल देते हुए जोखिम प्रबंधन के समेकित दृष्टिकोण से जोखिम से निपटने के उत्तरदायित्व में सहभागिता बढ़ती है। इससे संगठन की कार्यप्रणाली में विश्वास बढ़ता है और कारोबार के बारे में आम जनता और धारकों की समझ में सुधार होता है।

5. समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचा

समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचे से जोखिम प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण अपनाने हेतु मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस ढांचे को अपनाने से कर्मचारियों और संगठनों को जोखिम के स्वरूप को बेहतर तरीके से समझने और सुनियोजित रूप से उसका सामना करने में मदद मिलेगी। समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचे में निम्नांकित चार घटक मौजूद हैं:

(क) घटक 1 : कॉरपोरेट जोखिम प्रोफाइल को विकसित करना

कोई भी संगठन कॉरपोरेट जोखिम प्रोफाइल के विकास द्वारा तीन तरह के परिणाम की आशा कर सकता है:

- (I)** आंतरिक और बाह्य परिवेश के सतत अवलोकन, विश्लेषण और समायोजन के द्वारा चुनौतियों और अवसरों का पता लगाया जाता है।

परिवेश के अवलोकन द्वारा संगठन अपने सम्मुख आने वाले जोखिमों की विशेषताओं और परिणामों के प्रति अधिक सतर्क हो जाते हैं। इनमें शामिल हैं :-

- * जोखिम का प्रकार : तकनीकी, वित्तीय, मानव संसाधन (क्षमता, बौद्धिक संपदा);
 - * जोखिम का स्रोत : बाह्य (राजनैतिक, सुरक्षा, ज्ञान प्रबंधन, निर्णयन हेतु जानकारी);
 - * जोखिम का प्रभाव : प्रभाव का क्षेत्र/प्रभावन का प्रकार (लोग, प्रतिष्ठा, कार्यक्रमों का परिणाम, सामग्री, वास्तविक संपदा); और
 - * जोखिम को नियंत्रित करने की योग्यता का स्तर : उच्च (परिचालन); मध्यम (प्रतिष्ठा); निम्न (प्राकृतिक विपदाएं)।
- (II) संगठन के भीतर जोखिम प्रबंधन की मौजूदा स्थिति का आकलन किया जाता है - चुनौतियों/अवसरों, क्षमता, प्रक्रियाओं, परंपरा को पूरे संगठन के जोखिम प्रबंधन की रणनीति को तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है।
- (III) संगठन के जोखिम प्रोफाइल की पहचान की जाती है - मूल जोखिम क्षेत्र, जोखिम सहन करने की सीमा, उसे कम करने की योग्यता और सामर्थ्य, सीखने की जरूरतें।

ख) घटक 2 : समेकित जोखिम प्रबंधन कार्य को स्थापित करना

किसी संगठन को यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोखिम प्रबंधन को एक उचित, सुनियोजित और भविष्योन्मुखी तरीके से समेकित किया जाता है। निम्नांकित तीन परिणामों को प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए :

- (I) प्रबंधन : जोखिम प्रबंधन से जुड़े निर्देशों को संप्रेषित, समझा और लागू किया जाता है - ध्येय, नीतियां, परिचालनगत सिद्धांत।
- (II) समेकित जोखिम प्रबंधन को लागू करने के दृष्टिकोण को मौजूदा निर्णयन संरचना, प्रशासन, स्पष्ट भूमिका, उत्तरदायित्व और निष्पादन रिपोर्टिंग के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- (III) निर्माण क्षमता - पूरे संगठन में सीखने की योजनाएं और साधन विकसित किए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन की महत्वपूर्ण दिशा

यह आवश्यक है कि संस्था का प्रबंधक वर्ग जोखिम प्रबंधन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और अपने संगठन में जोखिम प्रबंधन को लागू करने के लिए सर्वोत्कृष्ट तरीके निर्धारित करें। इनमें जोखिम प्रबंधन को लागू करने के लिए कॉरपोरेट ध्येय, आंतरिक मापदंड, प्राथमिकताएं और प्रक्रियाओं का निर्धारण शामिल हैं। जोखिम प्रबंधन पर कॉरपोरेट के ध्यान को केंद्रित करने के लिए संगठन अपने संसाधनों के कुछ भाग को परामर्शकारी और चुनौती वाले कार्यों, विशेषकर इन उत्तरदायित्वों को मौजूदा इकाइयों (उदा. कॉरपोरेट नियोजन और नीति, आंतरिक लेखा-परीक्षा), में लगाएं।

संगठन के मौजूदा विज्ञन और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है। जोखिम प्रबंधन की समग्र दिशा को तय करते समय उसकी एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जाती है जो नीतियों और प्रचलित सिद्धांतों द्वारा समर्थित होती है। यह नीति कर्मचारियों को जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के स्पष्टीकरण, भूमिका और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करते हुए, जोखिम प्रबंधन के तरीकों के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन पद्धतियों के उद्देश्यों और परिणामों के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है।

जोखिम प्रबंधन को निर्णयन प्रक्रिया में समेकित करना

प्रभावी जोखिम प्रबंधन को अलग-अलग रूप में नहीं अपनाया जा सकता बल्कि उसे मौजूदा निर्णयन संरचना और प्रक्रिया में बदलना जरूरी है। चूंकि जोखिम प्रबंधन अच्छे प्रबंधन

का एक महत्वपूर्ण घटक है, अतः जोखिम प्रबंधन कार्य को प्रचलित महत्वपूर्ण प्रबंधकीय और परिचालनगत प्रक्रियाओं में समेकित करने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जोखिम प्रबंधन दैनंदिन गतिविधियों का एक अंतर्निहित हिस्सा है।

यद्यपि प्रत्येक संगठन अपने-अपने तरीके से जोखिम प्रबंधन को प्रचलित निर्णयन संरचना में समेकित करने का प्रयास करता है तथापि निम्नांकित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए-

- * संगठन में सभी स्तर पर जोखिम प्रबंधन का उद्देश्यों के साथ तालमेल स्थापित करना;
- * प्रचलित नियोजन और परिचालनगत प्रक्रियाओं में जोखिम प्रबंधन के घटक को शामिल करना;
- * जोखिम के स्वीकार्य स्तर के बारे में कंपनी/संस्था के दिशा-निर्देशों को संप्रेषित करना; और
- * जोखिम प्रबंधन और उसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण और जवाबदेही प्रणालियों में सुधार लाना।

जोखिम प्रबंधन को निर्णयन में बदलने की प्रक्रिया के पीछे कंपनी/संस्था के सिद्धांत और मान्यताएं कार्य करती हैं जो सभी को जोखिम प्रबंधन के लिए प्रेरित करती हैं। इसे कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि-

- * जोखिम प्रबंधन सहित प्रबंधन पद्धतियों में निपुणता हासिल करना;
- * जोखिम प्रबंधन में निपुण वरिष्ठ प्रबंधकों की मौजूदगी;
- * विपरीत परिस्थितियों के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अन्वेषण को प्रोत्साहित करना;
- * प्रबंधकों को जोखिम प्रबंधन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना;
- * कर्मचारियों के निष्पादन मूल्यांकन के भाग के रूप में जोखिम प्रबंधन को शामिल करना;

- * प्रोत्साहन और पुरस्कार आरंभ करना; और
- * जोखिम प्रबंधन की योग्यता के साथ-साथ अनुभव के आधार पर भर्ती।

संगठनात्मक क्षमता का निर्माण

जोखिम प्रबंधन की क्षमता के निर्माण के लिए कॉरपोरेट और स्थानीय स्तरों पर दो मूलभूत क्षेत्रों, मानवीय संसाधन एवं साधन और प्रक्रियाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जोखिम प्रोफाइल के द्वारा संगठन की क्षमता की तुलना में उसकी मौजूदा ताकत और कमजोरियों का निर्धारण किया जा सकेगा। जिन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना है, वे हैं :-

मानव संसाधन

- * जोखिम प्रबंधन उपायों और तरीकों के प्रति जागरूकता निर्माण करना;
- * उपयुक्त अनुप्रयोगों और साधनों सहित औपचारिक प्रशिक्षण के द्वारा कौशल में वृद्धि करना;
- * उत्कृष्ट पद्धतियों और अनुभवों को आपस में बांटकर ज्ञान में वृद्धि करना;
- * समूह में कार्य करने की क्षमता, योग्यता और कौशल का निर्माण करना।

साधन और प्रक्रियाएं

- * कॉरपोरेट जोखिम प्रबंधन के साधनों, तकनीकों, पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपनाना और विकसित करना;
- * साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग पर मार्गदर्शन प्रदान करना;
- * विशेषीकृत अनुप्रयोगों में जोखिम प्रबंधन के लिए अधिक उपयुक्त तकनीकों और वैकल्पिक साधनों के प्रयोग और/अथवा विकास की अनुमति प्रदान करना; और

- * पूरे संगठन में जोखिम प्रबंधन के समेकन को सुनिश्चित करने के लिए पद्धतियों को अपनाना।

ग) घटक 3 : समेकित जोखिम प्रबंधन को लागू करना

समेकित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को लागू करने के लिए प्रबंधकीय निर्णय और सतत प्रतिबद्धता आवश्यक है और उसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। समेकित जोखिम प्रबंधन को कंपनी/संस्था के समग्र परिवेश की बारीकी से जांच करने के बाद तैयार किया जाता है और उसे कंपनी/संस्था के संसाधनों का पूर्ण समर्थन मिलता है।

समेकित जोखिम प्रबंधन को लागू करने के निम्नांकित परिणाम हो सकते हैं :-

- * उन सभी स्तरों पर, जहां जोखिमों को समझा, प्रबंधित और संप्रेषित किया जाता है, विभागीय जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को सतत लागू किया जाता है।
- * सभी स्तरों पर जोखिम प्रबंधन पद्धतियों के परिणामों को सुव्यवस्थित निर्णयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण, परिचालनगत, प्रबंधन एवं निष्पादन रिपोर्टिंग के प्राथमिकता निर्धारण के साथ समेकित किया जाता है।
- * साधनों एवं पद्धतियों की सहायता से निर्णय लिए जाते हैं। सतत रूप से आंतरिक और बाह्य तौर पर धारकों से परामर्श और संपर्क किया जाता है।

सामान्य जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और संबंधित गतिविधियां इस प्रकार हैं :-

i. मुद्दों की पहचान, संदर्भ निर्धारण

- * समस्याओं अथवा अवसरों, विस्तार, संदर्भ (सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक साक्ष्य इ.) और संबंधित जोखिम मुद्दों को परिभाषित करना;

- * आवश्यक व्यक्तियों, विशेषज्ञों, साधनों एवं तकनीकों (उदा. दृश्यविधान, कुशाग्रता, जांच-सूची) के बारे में निर्णय लेना;
- * धारक विश्लेषण करना (जोखिम सहनशक्ति, धारक स्थिति, दृष्टिकोण निर्धारित करना)।

ii. मूलभूत जोखिम क्षेत्रों का निर्धारण

परिवेशगत जांच के संदर्भ/परिणाम का विश्लेषण करना और सम्मुख आने वाले जोखिम के प्रकारों/श्रेणियों का निर्धारण करना, संगठनवार महत्वपूर्ण मुद्दे और महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे।

iii. संभाव्यता और प्रभाव का मापन

निर्धारित जोखिम के संभाव्यता प्रभाव के रूप में परिभाषित प्रकटीकरण के प्रमाण को निर्धारित करना और साधनों का चयन करना।

iv. जोखिम की रैंकिंग

जोखिम सहन करने की सीमा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा अथवा नए मापदंड एवं संसाधनों का विकास करते हुए जोखिम की रैंकिंग करना।

v. वांछित परिणाम का निर्धारण

रैंक किए गए जोखिमों के लघु/दीर्घ अवधि के उद्देश्य और अपेक्षित परिणामों को स्पष्ट करना।

vi. विकल्प तैयार करना

विकल्पों की पहचान और विश्लेषण - चुनौतियों को नियंत्रित करने और अवसरों को बढ़ाने के उपाय - पहल, साधन।

vii. रणनीति का चयन

- * रणनीति का चयन करना, समस्या/अवसर प्रेरित परिणामोन्मुखी निर्णय मानदंड अपनाना।
- * अनिश्चितता की स्थिति में अपरिवर्तनीय अथवा गंभीर परिणाम वाले जोखिमों के प्रबंधन

के साधन के रूप में स्थिति के अनुसार उपयुक्त एहतियाती दृष्टिकोण, सिद्धांत अपनाना।

viii. रणनीति को लागू करना

किसी योजना को तैयार करना व उसे लागू करना।

ix. निगरानी, मूल्यांकन और समायोजन

सीखना, स्थानीय और पूरे संगठन में व्यापक तौर पर निर्णयन/जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार लाना, प्रभावी मानदंड को अपनाना, निष्पादन और परिणामों की रिपोर्टिंग करना।

घ) घटक 4 : सतत जोखिम प्रबंधन सीखना सुनिश्चित करना

इस परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं :

- * जहां अनुभवों से सीखने को महत्व दिया जाता है और अनुभवों को आपस में बांटा जाता है वहां एक अनुकूल कार्य परिवेश बन पाता है;
- * सीखने के ऐसे अनुभव आगे चलकर संगठन की जोखिम प्रबंधन पद्धतियों में बदल जाते हैं;
- * जोखिम प्रबंधन के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि नवीन अन्वेषणों, सीखने और सतत सुधार में सहायता मिल सके; और
- * उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और उचित उद्यमिता के प्रदर्शन के अलावा उपयुक्त दस्तावेजीकरण को भी सीखने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। समेकित जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन से व्यक्तिगत, दलगत एवं संगठन के स्तर पर नए अन्वेषणों, सीखने और सतत सुधार में सहायता मिलनी चाहिए।

यदि एक उचित जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया कार्यरत हो जाए तो संगठन जोखिम प्रबंधन के संबंध में सतत नए अनुभवों को प्राप्त करता रहता है :

- * सीखने की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर जोखिम प्रबंधन रणनीति से जुड़ी हुई है;
- * जिम्मेदारीपूर्वक जोखिम को वहन करने और अनुभवों से सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है;
- * निर्णयन प्रक्रिया के आधार के रूप में सूचनाओं का पर्याप्त आदान-प्रदान किया जाता है और नए सुझावों एवं प्रतिक्रिया पर बारीकी से ध्यान देकर अगली कार्रवाई तय की जाती है।

6. सारांश

समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचे के उक्त चार घटकों को उनके कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से यहां प्रस्तुत किया गया है जो पूरे संगठन में व्यापक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर अपनाए जाते हैं। समेकित जोखिम प्रबंधन का यह ढांचा जोखिम प्रबंधन के लिए एक अधिक सुनियोजित और समेकित दृष्टिकोण प्रदान करता है। जोखिम प्रबंधन के इस सुगठित दृष्टिकोण का उद्देश्य है- संगठन और उसके परिचालनगत परिवेश में संबंध स्थापित करना, व्यक्तिगत गतिविधियों की परस्पर निर्भरता और समस्तरीय संबंधों को परिभाषित करना।

यद्यपि यह माना जाता है कि एक समेकित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को लागू करने में कुछ विभाग अन्य विभागों से बहुत आगे हैं तथापि सभी बैंकों में बड़े पैमाने पर यह स्वीकार किया जाने लगा है कि जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को मजबूत करने और उन्हें पूरे संगठन के दृष्टिकोण से विकसित किए जाने की आवश्यकता है। समेकित जोखिम प्रबंधन को लागू करना किसी संगठन की तैयारी, समग्र प्राथमिकताओं और विभिन्न घटकों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रयासों के स्तर पर निर्भर करेगा। परिणामस्वरूप एक सुविकसित जोखिम प्रबंधन परिवेश के लिए सतत प्रतिबद्धता की जरूरत होगी जिसमें समय के साथ-साथ सुधार परिलक्षित होगा।

○○○

पत्रिका के अक्टूबर-दिसंबर 2002 अंक में प्रकाशित

भारतीय बैंकिंग उद्योग परिवर्तन के चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। जैसे-जैसे यह चरण अग्रसर होता जाएगा, इस उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वाणिज्य बैंकिंग उद्योग में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह, प्राथमिकताप्राप्ति क्षेत्रों को रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा तथा बढ़ते हुए परिचालन व्यय आदि के कारण इस उद्योग की लाभार्जन क्षमता प्रतिकूल रूप में प्रभावित हुई है। अतः बैंकों को अपने परिचालन को आय की ओर मोड़ने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित करना तथा व्यवसाय के नए क्षेत्रों को खोजकर उस ओर व्यवसाय के विविधीकरण के लिए बाध्य होना पड़ा है। व्यापारिक बैंकिंग एक ऐसा ही क्षेत्र है, जिस ओर भारतीय वाणिज्यिक बैंकों का ध्यान आकृष्ट हुआ है और अधिकाधिक बैंक व्यापारिक बैंकिंग सेवाएं शुरू कर चुके हैं या शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।

व्यापारिक बैंकिंग क्या है?

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ‘व्यापारिक बैंकिंग’ का अर्थ नई कंपनियों को प्रवर्तित करने में लगे उद्यमियों को पैकेज सहायता/सलाह उपलब्ध कराना, नई परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त करना, उनकी योजना बनाना, उनको चालू करना, पूँजी के सार्वजनिक निर्गम का प्रबंधन करना, उद्योगों के विस्तार/विविधीकरण के लिए अध्ययन करना तथा नई-नई वित्तीय सेवाओं की खोजकर उनको उपलब्ध कराना है।

भारत में व्यापारिक बैंकिंग की शुरुआत का श्रेय ग्रिन्डलेज बैंक को है, जिसने साठ के दशक में अपनी व्यापारिक बैंकिंग गतिविधियों की शुरुआत की। भारतीय स्टेट बैंक ने सत्तर के दशक में सीमित स्तर पर इन गतिविधियों में प्रवेश कर भारतीय बैंकों के लिए इस दिशा में मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन बैंकों को कठिपय व्यापारिक बैंकिंग गतिविधियों यथा - पट्टा व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, व्यापारिक बैंकिंग व्यवसाय का मुख्य अंश निजी व्यापारिक बैंकरों के हाथ में ही था। आज के बदले हुए परिवेश में बहु-आयामी व्यापारिक बैंकिंग व्यवसाय

व्यापारिक बैंकिंग : एक परिचय

ध्रुव कुमार फिटकरीवाला

की बढ़ती मांग को दक्षतापूर्वक संभालने के लिए कई बैंकों ने अपनी व्यापारिक बैंकिंग सहायक कंपनियों की स्थापना कर ली है। सूचना मिली है कि भारतीय बीमा कंपनियां भी इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए शीघ्र ही अपनी व्यापारिक सहयोगी कम्पनियां प्रारंभ करेंगी।

विशेषज्ञ वित्तीय सेवाएं

व्यापारिक बैंकिंग गतिविधियां बैंकों के लिए व्यवसाय का एक आकर्षक और लाभदायक क्षेत्र बन गई हैं। इनमें निर्गम प्रबंध, ऋण संघनन, निर्गमित सलाहकारी सेवाएं, पट्टा व्यवसाय, निवेश/संविभाग प्रबंध, पारस्परिक निधियां और खरीद सौदा योजना जैसी विशिष्ट वित्तीय सेवाएं शामिल हैं।

निर्गम प्रबंध

यह व्यापारिक बैंकरों की परंपरागत तथा अत्यंत आम लोकप्रिय गतिविधि है। वास्तव में यह कार्य इतने बड़े पैमाने पर किया जाता है कि कुछ लोग तो यह समझने की भूल तक कर बैठते हैं कि निर्गम प्रबंध ही एक व्यापारिक बैंक का काम है। निर्गम प्रबंध का अर्थ शेयर, ऋणपत्र आदि के नए निर्गमों का प्रबंध करना है। इसके अंतर्गत पूँजी निर्गम के नियंत्रक से आवश्यक अनुमति लेने की औपचारिकता पूरी करना, विवरण तैयार करना, वित्तीय संस्थाओं, दलालों, हामीदारों तथा प्रचार एजेंसियों के चुनाव में कंपनी की मदद करना, इनसे बातचीत कर व्यवस्था को अंतिम रूप देना, इन संस्थाओं के बीच सामंजस्य बनाए रखना, निर्गम में होने वाले खर्च का बजट तैयार करना और निर्गम के समय पर कंपनी को विभिन्न तरह से सलाह देना/मदद करना शामिल है।

ऋण संचयन

यह व्यापारिक बैंकों के कार्य का एक परंपरागत क्षेत्र है। इसके अंतर्गत ये बैंक किसी परियोजना के पूँजीगत लागत की

विस्तृत जांच/समीक्षा करते हैं और उसको अंतिम रूप देते हैं। प्रवर्तक और उनके सहयोगी वित्तीय संस्थाओं/बैंकों, सरकारी एजेंसियों और कंपनी के सभी शेयरों को निवेशक जनता द्वारा न खरीदने की स्थिति में खरीद करने वाले संभावित व्यक्ति/फर्म की शर्तों/आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर परियोजना के वित्तपोषण की योजना बनाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार जब किसी कंपनी की कुल ऋण आवश्यकताएं 5 करोड़ रुपये से अधिक हों, तो जोखिम के बंटवारे के उद्देश्य से बैंकों को ऋण संघनन का तरीका अपनाना चाहिए एवं एक व्यापारिक बैंकर कंपनी को ऐसे बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के चुनाव में मदद करता है जो ऋण-संघनन के लिए तैयार हों तथा उन संस्थाओं से बातचीत कर ऋण के संघनन की समुचित व्यवस्था करता है। यह बात विशेषकर विदेशी मुद्रा ऋणों के मामलों में लागू होती है। इसके अतिरिक्त, व्यापारिक बैंक कंपनी तथा उसके तकनीकी सलाहकार की सहायता से कंपनी द्वारा सावधि वित्तीय संस्थान को दिए जाने वाले सावधि ऋण आवेदन तैयार कर उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है और सावधि ऋण प्राप्त होने तक आवश्यक होने पर कंपनी के लिए बीच की अवधि के लिए वित्त की व्यवस्था भी करता है।

निगमित क्षेत्र को परामर्श सेवाएं

व्यापारिक बैंकों की सेवाओं का एक महत्वपूर्ण भाग निगमित क्षेत्र को विभिन्न परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना भी हो गया है। ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापारिक बैंकर को निगमित क्षेत्र का गहन ज्ञान, अनुभव, दक्षता और विशेषज्ञता की आवश्यकता है। परामर्श सेवाएं मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाती हैं-

(क) पूँजी ऋण पुनर्रचना - इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक कंपनी के ऋण इक्विटी अनुपात की गहन समीक्षा कर कंपनी को यह सलाह देते हैं कि ऋण के एक भाग को पूँजी में परिवर्तित करने, ऋण की मात्रा को बढ़ाने या नए शेयर जारी कर पूँजी बाजार में रकम जुटाने में से कौन सा तरीका कंपनी के लिए उपयुक्त होगा। यह कार्य विशेषकर ऐसी रुण कंपनियों के लिए किया जाता है, जिनके समक्ष गंभीर वित्तीय संकट हो। व्यापारी बैंक किसी कंपनी की खराब होती

वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए भी अध्ययन कर स्थिति में सुधार के लिए वित्तीय योजना तैयार कर कंपनी को उपलब्ध कराते हैं।

(ख) ऋणों की पुनर्व्यवस्था - पूँजी ऋण पुनर्रचना का कार्य अधिकतर रुण इकाइयों के लिए किया जाता है, लेकिन ऋणों की पुनर्व्यवस्था का कार्य रुण और वित्तीय रूप से सूदृढ़, दोनों ही प्रकार की इकाइयों के लिए किया जाता है। व्यापारिक बैंक किसी कंपनी को ऋण उपलब्ध होने के विभिन्न स्रोतों की समीक्षा और लागत लाभ विश्लेषण करने के बाद कंपनी को सलाह देते हैं कि किस प्रकार कंपनी अपने ऋणों की पुनर्व्यवस्था करे।

(ग) परियोजना परामर्श - व्यापारिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली यह एक अत्यंत आम तथा परिचित परामर्श सेवा है। जब कोई उद्यमी किसी नए जोखिम भरे उद्योग की स्थापना का इच्छुक होता है तो उसे परियोजना विचार, परियोजना रूपरेखा, बाजार सर्वेक्षण और सरकारी आदेश प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई आदि की जानकारी आवश्यक होती है। व्यापारिक बैंक परियोजना का गहन अध्ययन करने, परियोजना की संभाव्यता और इसको शुरू करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में परामर्श उपलब्ध कराकर उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं।

(घ) वित्तीय पैकेज - परियोजना परामर्श सेवाओं का एक मुख्य अंग वित्तीय पैकेज तैयार करना है। इस पैकेज में परियोजना के लिए वित्त उपलब्ध होने के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना तथा उनका लागत लाभ विश्लेषण करना शामिल है। इसमें यह परामर्श भी शामिल रहता है कि वित्त के विभिन्न स्रोत जैसे शेयर/ऋणपत्रों का निर्गमन, वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण और व्यावसायिक बैंकों से अल्पावधि ऋण आदि में से प्रत्येक से कितने धन की व्यवस्था करना उपयुक्त होगा। व्यापारिक बैंक वित्तपोषण के

विभिन्न स्रोतों से धन की व्यवस्था इस प्रकार करते हैं कि वह कंपनी के अत्यधिक अनुकूल हो।

निवेश/संविभाग प्रबंध

व्यापारिक बैंकिंग गतिविधियों का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र निवेश प्रबंध है जिसे संविभाग प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। वैयक्तिक निवेशकों के साथ-साथ संस्थागत निवेशकों द्वारा इस सेवा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक सही समय पर सही प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश करने की विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराते समय निवेशक के अनुकूल निवेश, उसकी कर देयताओं, पूँजी में वृद्धि तथा निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करने पर भी ध्यान देते हैं।

पारस्परिक निधियां

पिछली शताब्दी में घरेलू बचत के संग्रहण के लिए ब्रिटेन में पारस्परिक निधियों का जन्म हुआ। अल्प बचतकर्ताओं में लोकप्रिय हो जाने के कारण ये विश्व में वित्तीय बाजारों के विकास में एक महत्वपूर्ण घटक बन चुकी हैं। अल्प बचत किसी भी वित्तीय बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। पारस्परिक निधियां अल्प बचतकर्ताओं के लिए विविध निवेश संविभागों हेतु संसाधन की अपर्याप्तता, समय तथा बाजार संबंधी जानकारी व निपुणता की कमी के कारण “पहुंच के बाहर” रहने वाले धन व्यवस्थापक की आदर्श विकल्प हैं। दूसरे शब्दों में, पारस्परिक निधियां विविध निवेश संविभागों में निवेश हेतु अपना धन एकत्र करने वाले निवेशकों का समूह हैं। निवेशक शेरों के समूह के मालिक न होकर इस निधि के भागीदार होते हैं और निधि की लागत, लाभ व हानि के हिस्सेदार बनते हैं। कई भारतीय बैंकों की सहायक व्यापारिक बैंकिंग कंपनियों ने 2-3 वर्ष पूर्व पारस्परिक निधियों के प्रबंध के क्षेत्र में पदार्पण कर अपने लिए यह एक नई और लाभदायक गतिविधि चुनी है, जिसके द्वारा वे पारस्परिक निधियों के निवेशकों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक निपुणता, वित्तीय कुशग्रता एवं व्यावसायिक जगत की अंतरंग जानकारी के योग से अधिक लाभप्रद एवं सुरक्षित निवेश के अवसर उपलब्ध कराती हैं। इस संदर्भ में, हाल ही में केंट्रीय वित्त मंत्रालय ने पारस्परिक निधियों के परिचालन हेतु व्यापक निर्देश जारी किए हैं, जिनमें पारस्परिक

निधियों के निवेशों का सीमांकन तथा पंजीकरण शामिल हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धांत छोटे निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं कि उनको पर्याप्त लाभ मिल सके। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करेगा।

अन्य गतिविधियां

व्यापारिक बैंकों ने हाल ही में दो नवोन्मेषी क्षेत्रों में भी पदार्पण किया है, ये हैं - (क) कम प्रमुख कंपनियों के शेयर खरीदना जिनको निवेशकों का समर्थन मिलने की आशा कम/नगण्य हो, जिसे खरीद सौदा योजना के नाम से जाना जाता है तथा (ख) नए उद्यमियों को उनकी परियोजना शुरू करने के लिए पूँजी उपलब्ध कराना, जिसे जोखिम पूँजी कोष योजना के नाम से जाना जाता है। व्यापारिक बैंकों की इन सेवाओं की मांग जोर पकड़ती जा रही है और हमें यह देखना है कि ये बैंक इस मांग को पूरा करने में कितने सक्षम सिद्ध होते हैं।

व्यापारिक बैंक रुण और चालू इकाइयों के दूसरी इकाइयों में विलय/अधिग्रहण के लिए समुचित अध्ययन भी करते हैं और अपने ग्राहक को समुचित सलाह देते हैं।

सामान्य टिप्पणियां

व्यापारिक बैंकिंग गतिविधियों का कार्यक्षेत्र व्यापक और निरंतर बढ़ने वाला है और इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो चुकी है। निरंतर नवोन्मेषी वित्तीय सेवाओं का अनुसंधान कर उनको अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराते रहने पर ही व्यापारिक बैंक इस क्षेत्र में टिक सकते हैं। हाल ही में सरकार ने व्यापारिक बैंकिंग के नियमन तथा स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड को इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत कर एक स्वागतयोग्य कदम उठाया है और लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता की पूर्ति की है।

०००

पत्रिका के जुलाई-सितंबर 1990 अंक में प्रकाशित

भारत में सामाजिक परिवर्तन की क्रांति में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सन् 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थागत वित्त की मांग की पूर्ति करना था। सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोली गई 30,000 से अधिक ग्रामीण शाखाओं का नेटवर्क व बैंकिंग का भौगोलिक विस्तार विश्व में एक जीता-जागता उदाहरण है।

वास्तव में ग्रामीण बैंकिंग का आधार ग्रामीण स्तर पर खुले सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं हैं जो समस्त बैंकिंग उद्योग की 50 प्रतिशत शाखाओं से अधिक हैं। ग्रामीण बैंकिंग की रचना के शीर्ष पर नाबाड़ है और वह ग्रामीण बैंकिंग की नीतियों का निर्धारण, संचालन व पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। गांव-गांव में बैंकों की शाखाएं खोलने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना व गांव की सीधी-सादी अशिक्षित जनता, बेरोजगार, गरीब, छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों तथा समाज के कमजोर वर्गों को सूदखोरों के शोषण से बचाना तथा संस्थागत वित्त प्रदान करना था। अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को विकास प्रणाली की धारा में लाकर उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाना सरकार व बैंकिंग का मुख्य लक्ष्य था।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के तीन दशक से अधिक अंतराल में ग्रामीण बैंकिंग में बहुत उपलब्धियां आई हैं। कुल बैंकिंग जमाराशियों की 14 प्रतिशत जमाराशियां ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग की विश्वसनीयता का घोतक है। उसके अतिरिक्त देश को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने में बैंकिंग उद्योग की वित्त प्रणाली एक महान अवयव है। आज देश में 60 मिलियन टन अन्न का भंडार ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं व कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण की देन है। लघु सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों व कमजोर वर्गों को बैंकिंग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कराए जाने के फलस्वरूप गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनता की आबादी सन् 1978 के 48 प्रतिशत के मुकाबले आज सन् 2000 में घटकर 25 प्रतिशत रह गयी है। ये उपलब्धियां ग्रामीण बैंकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका की घोतक हैं।

स्वयं सहायता समूह - ग्रामीण बैंकिंग में एक नई क्रांति

रणवीर सिंह

ग्रामीण विकास के इस उत्थान प्रयास में अब तक 78 से अधिक योजनाओं व कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। सन् 1980 में लागू समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम व बीस सूत्री कार्यक्रम भारत की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को निपटाने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां नीचे सारणी में दी गई हैं :-

वर्ष	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या
1993-94	25.38 लाख
1994-95	22.15 लाख
1995-96	20.90 लाख
1996-97	18.89 लाख
1997-98	16.97 लाख
1998-99	12.68 लाख
कुल योग	116.97 लाख

(स्रोत : वर्ष 1998-99 की भारतीय बैंकिंग की प्रवृत्ति व प्रगति की रिपोर्ट)

लगभग दो दशक तक सक्रिय रहे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 116.97 लाख से अधिक परिवारों को बैंकिंग का लाभ प्राप्त हुआ। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इसके साथ-साथ इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बहुत सी कमियां देखी गईं। एक ओर ग्रामीण वित्त की मांग व पूर्ति में बहुत अंतर पाया गया और दूसरी ओर 1990 के दशक में बैंक इस कार्यक्रम में गरीब व असहाय ग्रामीणों को ऋण प्रदान करने में संकोच करने लगे और उनका सामाजिक उत्थान का दृष्टिकोण लाभ वृद्धि की ओर मुड़ गया। परिणामस्वरूप ग्रामीण बैंकिंग की वित्तीय मांग को समझना व बैंकों की नीतियों में परिवर्तन आवश्यक हो गया है।

उपर्युक्त के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि ग्रामीण परिवारों व व्यक्तियों की वित्तीय एवं बैंकिंग मांगें क्या हैं? उनकी पूर्ति हेतु बैंकिंग सेवाओं का विपणन सफलतापूर्वक कैसे करें?

वित्तीय मांगें एवं पूर्ति

1. ग्रामीण व्यक्तियों खासकर लघु व सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूरों की वित्तीय मांगें आकस्मिक व बार-बार होती हैं। इसके विपरीत बैंक इन व्यक्तियों को एक-दो बार ऋण देकर भूल जाते हैं और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होती।
2. ऋण के अतिरिक्त उन्हें ऋणोत्तर एवं संपूर्ण बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता होती है जो बैंक कर्मी सामान्यतः उपलब्ध नहीं कर पाते।
3. सन् 1999 में सूक्ष्म वित्त पर हुए विश्व शिखर में यह माना जा चुका है कि कमजोर वर्ग भी बचत कर सकता है और वह बैंकिंग करने में सक्षम है क्योंकि कमजोर, असहाय एवं निर्धन वर्ग बचत करना चाहता है। अतः उनके लिए बचत बैंकिंग सेवाओं की अत्यावश्यक मांग है।
4. कमजोर वर्ग, ग्रामीण गरीब व असहाय द्वारा खपत ही ऋण की प्राथमिक आवश्यकता है जिसे बैंक पूर्ण करने में असमर्थ/असहाय रहता है।
5. ग्रामीणों की आवश्यकताएं कम पूंजी की होती हैं जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली आसानी से पूर्ण नहीं कर पाती।
6. इन व्यक्तियों की उत्पाद तथा उपभोग आवश्यकताओं में अधिक अंतर नहीं होता, जबकि बैंक केवल उत्पाद एवं विकास के उद्देश्य से ही ऋण देते हैं।
7. ग्रामीण कमजोर वर्ग के पास संपार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध नहीं होती। यह भी एक मुख्य कारण है कि बैंक इन्हें ऋण प्रदान करने में संकोच करते हैं।

8. इन व्यक्तियों को सामाजिक-आर्थिक सशक्तता की आवश्यकता है जिससे उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हो।

9. यह एक तथ्य है कि ग्रामीण अपना आर्थिक निर्णय स्वयं करें जबकि सभी योजनाओं व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन निर्णय किसी और के द्वारा किए जाते हैं। इसी कारण अधिकतम कार्यक्रमों में लाभार्थियों की सहभागिता नहीं होती और कार्यक्रम असफल होने के आसार रहते हैं।

10. महिलाएं गृह हित का अधिक ध्यान रखती हैं। सामाजिक बंधों के कारण महिला को ऋण स्वीकृत करने में संस्थाएं बहुधा संकोच करती हैं।

देश की उन्नति समाज की उन्नति में ही निहित है और समाज की उन्नति व्यक्ति विशेष की उन्नति में। अब ग्राम एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए वित्तीय मांगों के लक्षण जानकर उचित समाधान की आवश्यकता है जिसमें विकास प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी हो, सहभागिता हो। एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु भारत ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अपनाया, वहीं दूसरी ओर ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद युनुस ने विश्वविद्यालय के आसपास झोपड़पट्टी बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों से संपर्क किया और उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इन निवासियों की ऋण आवश्यकता प्रतिमाह 800 प्रतिशत थी। धीरे-धीरे प्रोफेसर मोहम्मद युनुस ने उनकी ऋण आवश्यकता एवं स्वास्थ्य का अध्ययन किया और पाया कि ये लोग स्वयं को कर्जदार महसूस करते थे। उनके इस प्रयोग से जन्म हुआ बंगला देश ग्रामीण बैंक का, जिसकी सफलता विश्व में एक उदाहरण बन गई। प्रोफेसर मोहम्मद युनुस के इस प्रयोग ने सिद्ध कर दिया कि अशिक्षित कमजोर वर्ग सफलतापूर्वक बैंकिंग करने में सक्षम है। उनके इस सफल प्रयोग से प्रेरित होकर भारत में सन् 1992 में नाबार्ड ने भी उसी प्रणाली का अनुकरण करके देश की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के विकास के लिए एवं ग्रामीण बैंकिंग को सफल बनाने हेतु स्वयं सहायता समूह की शुरुआती योजना आरंभ की। नाबार्ड की इस स्वयं सहायता समूह योजना को अपार सफलता मिली और इस प्रकार स्वयं सहायता

समूह संकल्पना का बड़ी तीव्रता से विस्तार हुआ। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वयं सहायता समूह ने ग्रामीण बैंकिंग में क्रांति ला दी है।

		1997	1999	2001	2002
1.	स्वयं सहायता समूह				
(क)	संख्या	8,598	32,995	2,63,825	4,61,478
(ख)	% महिला समूह	76	84	90	90
2.	बैंकों की संख्या	120	202	314	444
3.	राज्यों में विस्तार	20	24	27	30
4.	जिलों में विस्तार	-	280	412	488
5.	गैर सरकारी संस्थाएं	220	550	1030	2155
6.	बैंक वित्त (करोड़ रु. में)	11.87	57.07	480.87	1026.30
7.	परिवार संख्या (लाख में)	1.5	5.6	44.85	78.00

(स्रोत : नाबार्ड)

मार्च 1997 में 120 बैंकों ने 8598 स्वयं सहायता समूहों को 11.87 करोड़ रु. की वित्त राशि वितरित की, जबकि मार्च 2002 में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्त प्रदान करने वाले बैंकों की संख्या बढ़कर 444 हो गई। इन्होंने मार्च 2002 में 4,61,478 स्वयं सहायता समूह को 1026.30 करोड़ रु. का वित्त प्रदान किया। इस प्रकार गत पांच वर्षों में ग्रामीण बैंकिंग में स्वयं सहायता समूह का 60 गुना विकास हुआ और वित्त वितरण में 95 गुना वृद्धि हुई। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो जहां स्वयं सहायता समूह संकल्पना मात्र 20 प्रदेशों में प्रचलित थी, वहां मार्च 2002 में देश के सभी 30 प्रदेशों में इस संकल्पना ने अपने पैर जमा लिए। मार्च 2002 में 78 लाख परिवार स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं। उल्लेखनीय है कि इसमें 90 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हैं।

चूंकि स्वयं सहायता समूह संकल्पना का विस्तार तीव्रता से हो रहा है, यह चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है कि स्वयं सहायता समूह क्या है? बैंक इस संकल्पना से कैसे जुड़े हैं? इस

संकल्पना के और भागीदार कौन-कौन हैं? इस संकल्पना से प्रत्येक भागीदार को क्या लाभ है? इत्यादि।

स्वयं सहायता समूह क्या है?

यह 15-20 ग्रामवासियों का समूह है। एक समान कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का स्वेच्छा, आपसी मेल-जोल, आपसी सहायता की भावना व छोटी-छोटी बचत से किसी भी आर्थिक कार्यकलाप, अन्य उपयोग व आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना स्वयं सहायता समूह को जन्म देता है। यह समूह औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है।

स्वयं सहायता समूह के कुछ महत्वपूर्ण गुण

- (क) आय में से निरंतर बचत, चाहे मात्रा कितनी भी कम या अधिक हो।
- (ख) समूह के समस्त सदस्य आपस में मिलकर सामूहिक निधि तैयार करते हैं।
- (ग) समूह द्वारा सदस्यों की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- (घ) सामूहिक निर्णय लेना स्वयं सहायता समूह का एक महत्वपूर्ण कदम है।
- (ड) आपसी सलाह से आपसी मतभेदों को दूर करना।
- (च) सदस्यों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा बाज़ारी ब्याज दर पर ऋण राशि प्राप्त करना।
- (छ) बाहरी हस्तक्षेप कम से कम।
- (ज) गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका केवल सलाहकार के रूप में, न कि नियंत्रक के रूप में।

स्वयं सहायता समूह के सदस्य आपस में अपनी प्राथमिकतानुसार वित्तीय आवश्यकताओं को पहचानते हैं और वित्तीय धन के आर्थिक क्रियाकलापों में प्रयोग द्वारा आय स्रोत बढ़ाते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्य स्वेच्छा से समूह की गतिविधियों में भाग लेते हैं। सदस्यों की न केवल आर्थिक क्रियाकलापों में सहभागिता होती है बल्कि वे शिक्षा प्रसार, शुद्ध पेय जल, प्राथमिक स्वास्थ्य, कृषि व उद्योग, उत्पाद विपणन,

कच्चे माल की सामूहिक खरीद व ऋण उपलब्धि आदि सेवाओं का प्रबंधन भी करते हैं।

स्वयं सहायता समूह की भागीदार इकाइयाँ

यूं तो समूह बनाने में सदस्यों की न्यूनतम या अधिकतम संख्या का कोई मानदंड नहीं है परंतु स्वयं सहायता समूह के निर्माण में मुख्यतः तीन इकाइयाँ होती हैं :-

- (1) सदस्य,
- (2) बैंक शाखा,
- (3) गैर सरकारी संस्था।

स्वयं सहायता समूह के निर्माण में बैंकों व गैर सरकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वयं सहायता समूह का निर्माण स्वयं नहीं होता। बैंक व गैर सरकारी संस्था 15-20 अशिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवक व युवतियों को एकत्रित कर उन्हें आर्थिक क्रियाकलाप व आपसी सहायता हेतु प्रोत्साहित करते हैं। उनका कार्य एक प्रकार से उत्प्रेक्ष की भांति होता है जो भागीदार सदस्यों को अल्प बचत व बैंकिंग आदतों के लिए अभिप्रेरित व प्रोत्साहित करते हैं।

स्वयं सहायता समूह औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें समस्या है कि स्वयं सहायता समूह का बैंक में खाता कैसे खोलें। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1998 में बैंकों को आवश्यक निदेश दिए हैं और विशेष दस्तावेज “आपसी सहमति (इंटरसे)” एवं अन्य दस्तावेज बैंकों को भेज दिए हैं जिससे बैंकों को स्वयं सहायता समूह व गैर सरकारी संस्था को बैंक में खाता खोलने में कोई कठिनाई न हो।

स्वयं सहायता समूह से सदस्यों को लाभ

- (क) आवश्यक ऋण की पूर्ति।
- (ख) सदस्यों को एक दूसरे की संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त होती है।
- (ग) जहां बहुधा योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थियों की सहभागिता की कमी पाई जाती है, वहां स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य की सहभागिता उल्लेखनीय है।

(घ) 85 प्रतिशत ग्रुप महिलाओं के हैं। अतः परिवार कल्याण व परिवार की आय बढ़ाने में महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है।

(ङ) सदस्यों एवं महिलाओं में बचत व बैंकिंग की आदत पड़ती है।

(च) सदस्यों को समूह में अपने मानव अधिकारों का ज्ञान होता है जिससे उनके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। फलस्वरूप समाज विकास की ओर अग्रसर होता है।

स्वयं सहायता समूह से बैंकिंग करने में बैंक को लाभ

स्वयं सहायता समूह में बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, अतः बैंक स्वयं सहायता समूह से विशेष रूप से तीन प्रकार से जुड़ सकते हैं :-

(१) सीधे समूह के सदस्यों की वित्तीय मांगों को समझें व उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करें।

(२) बैंक मात्र समूह को वित्त स्वीकृत करते हैं। फिर स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में गैर सरकारी संस्था मात्र ग्रुप के निर्माण का कार्य करती है।

(३) बैंक किसी गैर सरकारी संस्था को ऋण स्वीकृत करें जो आगे स्वयं सहायता समूह को ऋण प्रदान करें। ऐसे में गैर सरकारी संस्था दोहरी भूमिका निभाती है - समूह के निर्माण में व समूह को ऋण प्रदान करने में। इस स्थिति में बैंक का संबंध केवल गैर सरकारी संस्था से रहता है।

स्थानीय परिस्थिति, गैर सरकारी संस्था की प्रतिष्ठा, सहभागिता व स्वयं सहायता समूह के उद्देश्यों एवं उसकी कार्यप्रणाली को देखते हुए किसी भी प्रकार से बैंक स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकते हैं। बैंक अधिकारियों के स्थानांतरण लगभग तीन वर्ष के अंतराल में हो जाते हैं, स्वयं सहायता समूह की सफलता बैंक अधिकारियों की रुचि एवं रुक्षान पर बहुत निर्भर करती है। इसलिए बैंक के हित में होगा कि वे ऐसे समूह का चयन करें, जिसके साथ कोई प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था जुड़ी हो। इस योजना द्वारा निम्नलिखित लाभ हैं :-

- अनुवर्ती कार्रवाई की लागत कम हो जाती है।
- सदस्यों के आपसी संबंधों एवं दबाव से वसूली दर 98 प्रतिशत तक पाई गई है।
- ज्यों-ज्यों सदस्यों की आय बढ़ती है, त्यों-त्यों ग्रामीण बैंकिंग की सफलता एवं उन्नति के अवसर बढ़ते हैं।
- बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की लाभप्रदता में बढ़ोतरी पाई गई है।

गैर सरकारी संस्था

इस संकल्पना में गैर सरकारी संस्था भी लाभान्वित होती हैं क्योंकि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गैर सरकारी संस्था उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधिक से अधिक जनसंपर्क कर सकती है।

गैर सरकारी संस्था के कार्य एवं उद्देश्य

- स्वैच्छिक प्रणाली – गैर सरकारी संस्था स्वेच्छा से कार्यक्रमों में भाग लेती है।
- सामाजिक कार्यक्षेत्र – इन गैर सरकारी संस्थाओं का उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है।
- संस्था का उद्देश्य असहाय की परेशानियों को दूर करना तथा उचित मार्गदर्शन करना होता है।
- स्वहित का कोई लक्ष्य नहीं अर्थात् गैर सरकारी संस्थाएं बिना लाभ अर्जन के उद्देश्य से कार्य करती हैं, एवं
- तुलनात्मक रूप से ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं।

गैर सरकारी संस्था की स्वयं सहायता समूह के निर्माण में भूमिका

- सामाजिक परिवर्तनशीलता लाने में उत्प्रेरक एवं सहायक माध्यम।
- लक्ष्य समूह की सक्षमता बढ़ाने एवं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक।

- स्वयं सहायता समूह बनाने में बैंक कर्मियों को सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
- गैर सरकारी संस्थाएं राज्य व राष्ट्र स्तर पर फोरम बनाती हैं जो लक्ष्य समूह की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को दूर करने हेतु नीति निर्धारण में सहायता करती है।
- इनके तरीके नवीन, सरल, लचीले और समन्वयकारी होते हैं जो अशिक्षित, उपेक्षित लोग भी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं।

बैंक के लिए अच्छे स्वयं सहायता समूह का चयन

यहां कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वयं सहायता समूह बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और ऋण हेतु बैंकों से घनिष्ठता से जुड़े हैं। साथ ही अधिक से अधिक बैंक भी इस संकल्पना को अपनाने में जुटे हैं। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र एवं विदेशी बैंक भी गांवों तक पहुंच बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह पर ही निशाना साध रहे हैं।

जोखिम एवं धोखाधड़ी से बचने के लिए आवश्यक है कि बैंक स्वयं सहायता समूह व गैर सरकारी संस्था से संबंध स्थापित करें तथा ऋण स्वीकृत करने से पूर्व उनका चयन सावधानी से करें।

स्वयं सहायता समूह का चयन करने हेतु कुछ आवश्यक बातें

- स्वयं सहायता समूह को बनाने व बढ़ाने में कौन सी गैर सरकारी संस्था कार्यरत है?
- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का शिक्षा स्तर क्या है? उनकी संख्या कितनी है? समूह में महिलाएं कितनी हैं?
- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का आपस में व्यवहार व तालमेल कैसा है?
- स्वयं सहायता समूह माह में कितनी बार बैठक करते हैं एवं कितने सदस्य बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं एवं उनकी उपस्थिति कितनी है?

- क्या समूह बैठक के निर्णयों की लिखत तैयार करता है?
- सदस्यों की प्रतिमाह प्रति सदस्य बचत राशि कितनी है?
- समूह की आयु क्या है अर्थात् समूह कितने समय से कार्यरत है?
- क्या समूह लेनदेन के रिकॉर्ड सही प्रकार रखता है?
- समूह के आर्थिक कार्यकलाप क्या हैं?
- समूह पर राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप कितना है अथवा समूह कितना लोकतांत्रिक है? क्या समूह के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है?
- समूह सदस्यों को किस ब्याज दर से ऋण देता है एवं उसकी वसूली दर क्या है?

गैर सरकारी संस्था की समूह निर्धारण, निर्माण एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः यह भी आवश्यक है कि गैर सरकारी संस्था की पहचान भी ठीक प्रकार से की जाए।

गैर सरकारी संस्था के लक्षण

- गैर सरकारी संस्था के बोर्ड सदस्य अनुभवी, सक्षम व प्रभावी हों।
- गैर सरकारी संस्था गाँवों में हो या उसने कम से कम तीन वर्ष तक गाँवों में काम किया हो व कार्यकर्ता ग्राम निवासियों से घनिष्ठता से जुड़े हों।
- गैर सरकारी संस्था की उचित पहचान हो।
- समाज की आवश्यकताओं को पहचानने एवं उसके विश्लेषण के पश्चात ही गैर सरकारी संस्था कोई कार्य करे।
- विधि / कानूनी आवश्यकताएं पूर्ण हों।
- रिकॉर्डों का रखरखाव व प्रबंधन अच्छा हो। कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया आसान हों तथा उनकी अनुवर्ती कार्रवाई अच्छी हो।
- गैर सरकारी संस्था की छवि अच्छी हो।

- विकास कार्यों में खर्च पर नियंत्रण हो।
- कार्यप्रणाली लचीली व पेशेवर हो।
- वे अशिक्षित गरीब को सशक्त बनाने व पंचायत में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
- गाँव की नई व आकस्मिक आवश्यकताओं को तुरंत पहचानने की संस्था में क्षमता होनी चाहिए।

स्वयं सहायता समूह की ऋण संबंधी मांग का अनुमान

नाबांड के पहले कदम से इस संकल्पना का विस्तार हुआ है। नाबांड का अनुमान है कि वर्ष 2008 तक देश में दस लाख स्वयं सहायता समूह होंगे। जिस गति से स्वयं सहायता समूहों का विकास हो रहा है उससे निश्चित है कि वर्ष 2008 तक स्वयं सहायता समूहों की संख्या निश्चय ही नाबांड के अनुमान से बहुत अधिक होगी। वर्ष 1999 में नाबांड ने एक समिति का गठन किया जिसने स्वयं सहायता समूहों के सूक्ष्म वित्त की मांग का वर्ष 2000 से 2004 तक का आकलन किया, जो निम्न सारणी में है :

(रु. करोड़ में)

	2000	2001	2002	2003	2004	कुल
1. ऋण निधि	112	217	380	550	890	2139
2. मकान साख	3	9	18	37	55	122
3. अन्य स्रोत	30	50	56	80	89	305
4. सक्षमता निर्माण हेतु आश्रय	15	27	45	67	103	257
कुल	160	293	499	734	1137	2823

(स्रोत : नाबांड टास्क फोर्स रिपोर्ट)

आकल्पना - प्रति स्वयं सहायता समूह की ऋण आवश्यकता का अनुमान

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| ● पहली किस्त | - रु. 15,000/- |
| ● दूसरी किस्त | - रु. 30,000/- |
| ● तीसरी किस्त | - रु. 50,000/- |
| ● ऋण का औसतन अदायगी समय - दो वर्ष | |
| ● सक्षमता निर्माण निधि | - ऋण का 10% |

बैंक शाखाओं हेतु लक्ष्य

स्वयं सहायता समूहों की वर्ष 2000 से 2004 तक की 2,823 करोड़ रुपये की माइक्रो क्रेडिट की मांग को ध्यान में रखते हुए बैंकों को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए आवश्यक नीति निर्धारण को कार्यान्वित करना होगा। वे समूह माध्यम से अधिकाधिक ऋण वितरण की योजनाएं तैयार करें। यहां बैंक शाखाओं की भूमिका दो प्रकार से होगी। एक तो नए समूह तैयार करना व दूसरा वर्तमान समूहों की ऋण मांग को पूरा करना। यदि समस्त बैंकिंग उद्योग ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए एकजुट होकर केंद्रीय व राज्य सरकार के निर्देश में स्वयं सहायता समूहों के द्वारा ग्रामीणों की सहायता करे तो कोई कारण नहीं कि भारत मानव विकास तथा गरीबी उन्मूलन के विषय में एक विशेष स्थान न बना ले क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान एवं ग्राम बहुल देश है। यदि ग्रामीण जनता ने उत्थान, उन्नति और विकास की अंगड़ाई ली तो स्वाभाविक है कि भारत के औद्योगिक एवं ग्रामीण विकास को कोई शक्ति रोक ही नहीं सकती और विश्व में भारत का स्थान सर्वोच्च होगा।

स्वयं सहायता समूहों के समक्ष चुनौतियां एवं उनके समाधान

स्वयं सहायता समूह की संकल्पना एक बहुत ही नाजुक विकास प्रणाली है। समूह के सदस्य, बैंक एवं गैर-सरकारी संस्था स्वयं सहायता समूह के निर्माण एवं संचालन में विशेष महत्व रखती हैं अर्थात् किसी भी स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए तीनों अवयवों की अपनी-अपनी महत्ता है। इस प्रणाली में किसी एक भागीदार की सहभागिता की कमी स्वयं सहायता समूह के संचालन में कुप्रभाव डाल सकती है। स्वयं सहायता समूह के सदस्य अशिक्षित, सीधे-साधे, गरीब तथा कर्मठ ग्रामीण होते हैं। उनके समक्ष स्वयं सहायता समूह को सफल करने में कुछ मूल आर्थिक व सामाजिक कठिनाइयां होती हैं जिनके लिए सरकार का भी ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी : शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, संचार, मकान, यातायात, पेयजल एवं बिजली किसी भी विकसित समाज की मूल आवश्यकताएं हैं। इन मूल आवश्यकताओं का ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव स्वयं सहायता समूह की

सफलता के बीच बहुत बड़ी बाधा है। यदि मूलभूत आवश्यकताओं की संरचना की ओर सरकार ध्यान देती है तो स्वयं सहायता समूह तीव्र गति से उन्नति कर सकते हैं।

2. स्वयं सहायता समूह के सदस्य, बैंक-ऋण या स्वयं की निधि को परंपरागत गतिविधियों या व्यक्तिगत आवश्यकताओं में प्रयोग करते हैं जिसके कारण उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं होता। कई बार तो इन कार्यकलापों में हानि भी हो जाती है। अतः स्वयं सहायता समूह का विकास बहुत धीमी गति से हो पाता है। स्वयं सहायता समूहों को परंपरागत क्रियाकलापों से हटकर नई आधुनिक गतिविधियों में रोजगार के अवसर ढूँढ़ने के प्रयास करने चाहिए ताकि उनकी आर्थिक उन्नति में तीव्रता आए।

3. स्वयं सहायता समूह के समक्ष उत्पाद एवं विपणन के संबंध में भी गंभीर समस्याएं हैं जिनके कारण हतोत्साहित होकर अनेक बार बहुत से स्वयं सहायता समूह बिखर जाते हैं, अर्थात् स्वयं सहायता समूह, बैंक एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को खादी ग्रामोद्योग आयोग की मार्जिन राशि योजना एवं उनके विपणन केंद्रों का सदुपयोग करना चाहिए।

4. स्वयं सहायता समूह के सदस्य अनपढ़ व सीधे-सादे होते हैं। अतः स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के पास आधुनिक गतिविधियां अपनाने का पर्याप्त विवेक नहीं होता। अतः इन सदस्यों को गैर-परंपरागत गतिविधियां अपनाने हेतु विभिन्न प्रबंधन प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है ताकि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के व्यक्तित्व विवेक में कुशलता आए और वे क्रियाकलापों का सक्षमता से संचालन कर सकें। सरकार को भी ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के लिए अभिप्रेरण, प्रशिक्षण आदि के लिए प्रावधान करने चाहिए। हालांकि इस पहलू की ओर नाबार्ड द्वारा की गई

पहल सराहनीय है परंतु प्रशिक्षण के संबंध में गति आनी चाहिए।

5. अधिकांश स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हैं। हमारे पुरुष प्रधान समाज में स्वयं सहायता समूह के गठन के प्रारंभिक चरणों में ही सामाजिक एवं पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः सरकारी प्रशासन, बैंक अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं को चाहिए कि वे ग्रामों में महिला जागृति का संचालन करें। भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की है जो गैर-सरकारी संस्थाओं और महिला विकास कार्यक्रम को 1993 से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए सस्ते ब्याज पर ऋण अर्थात् अनुदान प्रदान करती है। गैर-सरकारी संस्थाओं की महिलाओं के ग्रुप बनाने में राष्ट्रीय महिला कोष की निधि का सुदृपयोग करना चाहिए।

नाबार्ड का लक्ष्य सन 2008 तक एक तिहाई ग्रामीण जनसंख्या को इस प्रणाली के अंतर्गत लाने का है। इस प्रकार भविष्य में ग्रामीण बैंकिंग का यह मुख्य माध्यम होगा। परंतु फिर

भी उक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए स्वयं सहायता समूह के सभी भागीदारों को सरकार की ग्रामीण उत्थान नीतियों का पालन करते हुए निम्न को ध्यान में रखना होगा।

बैंक एवं गैर-सरकारी संस्था स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सामर्थ्य वृद्धि करें और सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए डीसीसी/डीएलआरसी बैठकों में चर्चा करके हल ढूँढ़ने का प्रयास करें। केंद्रीय सरकार का भी दायित्व है कि वह स्वयं सहायता समूह के निर्माण एवं प्रोत्साहन हेतु विभिन्न राज्यों, जिलाधीशों, तहसीलदारों और खंड विकास अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार करके कार्यान्वित करने का निर्देश दें। निजी क्षेत्र की कंपनियां भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए पूँजी निवेश करें ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो एवं ग्रामीण समाज भी शहरी और महानगरीय वर्गों का एक भाग बन जाए और तब देश में आएगी ग्रामीण विकास क्रांति।

०००

पत्रिका के जनवरी-मार्च 2003 अंक में प्रकाशित

सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम में हुई प्रगति (31 मार्च 2012 की स्थिति)

व्यापे	स्वयं सहायता समूह (संख्या - लाख में और राशि - करोड़ रुपये में)		सूक्ष्म वित्त संस्थाएं* (राशि - करोड़ रुपये में)	
	2011 @	2012 @	2011 #	2012 #
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के दौरान	11.96	14,547.73	11.48	16,534.77
संवितरित ऋण	(2.41)	(2,480.37)	(2.09)	(2,643.56)
बकाया	47.87	31,221.16	43.54	36,340.00
ऋण	(12.85)	(7,829.39)	(12.16)	(8,054.83)
बैंकों में	74.62	7,016.30	79.60	6,551.41
बचत खाते	(20.22)	(1,817.12)	(21.23)	(1,395.25)

@ कोषकों में दिए गए आंकड़े एसजीएसवाई के अंतर्गत शामिल एसएचजी के हिस्से को दर्शाते हैं।

* बैंक ऋण प्राप्त ऐसी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की वास्तविक संख्या कम हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि कई सूक्ष्म वित्त संस्थाओं ने एक से अधिक बैंकों से/एक से अधिक ऋण प्राप्त किए हों।

#कोषकों में दिए गए आंकड़े सिंडबी द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को दी गई सहायता को दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2012-13, नाबार्ड

हमारे देश में पहले बैंकों द्वारा यह माना जाता था कि यदि खुदरा बैंकिंग कारोबार को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी तो इससे लागतों में अत्यधिक वृद्धि होगी जिसका बैंकों की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा किंतु इस भ्रम का अंत विकसित देशों में, बैंकों द्वारा, अस्सी के दशक में महसूस किया गया कि खुदरा बैंकिंग में अधिक लागत के बावजूद लाभ की मात्रा अधिक है। विदेशी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भी बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश के साथ ही खुदरा बैंकिंग कारोबार पर अधिक जोर दिया गया जबकि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी दिशा परिवर्तित कर खुदरा बैंकिंग कारोबार पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। खुदरा बैंकिंग व्यवसाय की आवश्यकता आज सभी बैंकों द्वारा महसूस की जा रही है जिसके प्रमुख कारण निम्न हैं -

- ❖ प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सभी बैंक अपने कारोबार में वृद्धि चाहते हैं।
- ❖ औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर में कमी एवं मंदी के चलते ऋणों की मांग का लगातार घटना।
- ❖ मध्यम वर्गीय ग्राहकों की अधिकता होने से खुदरा ऋणों की मांग में वृद्धि।
- ❖ बैंकों का ऋण एक जगह केंद्रित न होकर अलग-अलग प्रयोजनों में लगे होने से बाजार जोखिमों में कमी का होना।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत वाणिज्यिक ऋणों की तुलना में ब्याज दर अधिक होने से बैंकों के लाभ में वृद्धि का होना।
- ❖ खुदरा ऋण योजनाएं बैंकों के ग्राहक ऋण आधार में वृद्धि करती हैं।
- ❖ बैंकों में खुदरा ऋण कारोबार के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत में लगातार होती कमी।

खुदरा बैंकिंग कारोबार : भारतीय बैंक

डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह

- ❖ वसूली निष्पादकता की दृष्टि से खुदरा ऋणों की समुचित व्यवस्था।
- ❖ खुदरा बैंकिंग कारोबार के अंतर्गत बैंकों द्वारा नई-नई विपणन नीतियों को लागू करना आसान।
- ❖ बैंकों में आपसी प्रतियोगिता होने से खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत नए-नए उत्पाद निर्गत करना आसान।
- ❖ खुदरा बैंकिंग कारोबार से बैंकों की तरलता में वृद्धि।
- ❖ बैंकों के अन्य विभागों की तुलना में खुदरा बैंकिंग विभाग की अधिक लाभदायकता।

खुदरा बैंकिंग व्यवसाय एवं बाजार रणनीति

भारतीय बैंकिंग उद्योग में खुदरा बैंकिंग की अवधारणा इतनी आकर्षक हो रही है कि सभी बैंक अपना व्यवसाय तथा लाभदायकता बढ़ाने हेतु आपसी प्रतिस्पर्धा करने में नई-नई तकनीक, उत्पाद एवं सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा ले रहे हैं और आक्रामक विपणन रणनीति बनाने पर मजबूर हो रहे हैं जिसमें ब्याज दरों को घटाना, ग्राहक सेवाओं में वृद्धि करना, नए उत्पादों के साथ मुफ्त सुविधाएं प्रदान करना आदि शामिल हैं। किंतु बैंकों को साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि व्यवसाय बढ़ाने के साथ-साथ सरकता एवं जोखिम प्रबंधन का समुचित ध्यान रखे बिना वे अपनी लाभदायकता को नहीं बढ़ा पाएंगे। अतः खुदरा बैंकिंग के व्यवसाय में वृद्धि हेतु बैंकों को अपनी बाजार रणनीति निश्चित रूप से सुदृढ़ करनी होगी ताकि वे खुदरा बैंकिंग का समुचित प्रचार-प्रसार कर प्रतिस्पर्धा में टिके रह सकें। इस हेतु बैंकों को अपनी बाजार रणनीति में निम्न बातों पर बल देना होगा -

- ❖ समाज में सभी वर्गों के ग्राहकों को खुदरा बैंकिंग से संबंधित नई-नई योजनाओं एवं उत्पादों की सभी जानकारी, विज्ञापन एवं संवर्धन के उचित माध्यमों का प्रयोग करते हुए प्रदान की जाए।
- ❖ खुदरा बैंकिंग की त्वरित एवं आकर्षक सेवाओं का जिम्मा समाज के ऐसे वर्गों को प्रदान किया जाए जिनके माध्यम से इन योजनाओं को जनसाधारण में प्रचारित एवं प्रसारित किया जा सके जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, अध्यापक आदि।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों द्वारा आवासीय ऋण योजनाओं हेतु भवन निर्माताओं, ठेकेदारों, आर्किटेक्ट एवं इंजीनियरों से सीधा संपर्क साधना ताकि ग्राहकों को आवास ऋण परियोजनाओं का सीधा लाभ मिल सके और बैंक भी अपने बाजार हिस्से पर ऋण परियोजनाओं में मजबूत पकड़ बना सकें।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत दुपहिया वाहन, कार, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय हेतु नए ग्राहकों की तलाश, विक्रेताओं से संपर्क करना ताकि ग्राहकों को सीधा ऋण वितरित कर बैंक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों को अपने उत्पाद एवं सेवाओं के प्रति ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए समय-समय पर इनमें फेर बदल करना चाहिए जिससे ग्राहक इन योजनाओं के प्रति अपनी रुचि दिखाएं और एक बैंक छोड़कर दूसरे बैंक की ओर आकर्षित न हों।
- ❖ खुदरा बैंकिंग योजनाओं से संबंधित नवीनतम जानकारी जनसाधारण को स्थानीय मेलों, प्रदर्शनियों, मुख्य एवं भीड़-भाड़ बाले बाजारों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों तथा बड़े प्रतिष्ठानों आदि पर समय-समय पर काउंटर अथवा स्टाल लगाकर दी जानी चाहिए तथा इस कार्य में ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए जो जनसाधारण से संपर्क करने के इच्छुक एवं उत्सुक हों तथा स्थानीय

- स्तर पर उनकी जान पहचान भी हो। साथ ही, वे खुदरा बैंकिंग संबंधी संपूर्ण जानकारी रखते हों जो बड़ी कुशलता से लोगों को प्रदान कर सकें।
- ❖ खुदरा बैंकिंग में ऋण वितरण संविभाग द्वारा ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए और यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक ही योजना में अधिक ऋण वितरित न किए जाएं और थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद नए-नए उत्पाद निर्गत किए जाएं अथवा उत्पादों का विविधीकरण किया जाए। जहां तक संभव हो अभिलेखों एवं कागजी कार्रवाई का सरलीकरण भी किया जाए।
 - ❖ बैंकों द्वारा प्रधान कार्यालय से शाखा स्तर तक आपसी समन्वय एवं सामंजस्य बनाए रखा जाए तथा खुदरा बैंकिंग कक्ष की स्थापना सभी स्तर पर की जाए। शाखा स्तर पर खुदरा बैंकिंग की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्बाध रूप से किया जाए।
 - ❖ बैंकों द्वारा बाजार में खुदरा बैंकिंग की विभिन्न योजनाओं को लागू करने हेतु संपर्क बैंकिंग का सहारा लिया जाए जैसे स्कूल, कालेजों, सरकारी एवं गैर सरकारी दफ्तरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि में जाकर कर्मचारियों के बेतन, पेन्शन, आवर्ती एवं ऋण खाते आदि खोलना तथा समय-समय पर ग्राहक गोष्ठी आयोजित कर खुदरा बैंकिंग से संबंधित नई-नई योजनाओं की जानकारी ग्राहकों को देना।
 - ❖ शाखा स्तर पर बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों को समय-समय पर प्रशिक्षित करना ताकि खुदरा बैंकिंग योजनाओं को प्रभावी ढंग से चलाया जा सके।
 - ❖ खुदरा ऋण योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए ग्राहकों को समय-समय पर ब्याज दरों में छूट, मुफ्त बीमा, ऋण की किस्तों का पुनः निर्धारण, एकमुश्त जमाराशि पर छूट, बकाया ऋणों को जमा करने पर छूट तथा संग्रहण व्ययों में छूट आदि प्रदान कर आकर्षित किया जाए।

- ❖ बाजार एवं ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत नई-नई एवं आकर्षक योजनाओं एवं उत्पादों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत योजनाओं को और अधिक कारगर एवं सफल बनाने हेतु बैंक के प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा उन्हें सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं शाखा पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के सफल संचालन हेतु बैंकों को कम लागत की जमाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिससे बचत एवं चालू खातों में जमा धन में वृद्धि की जा सके।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के क्षेत्र में पर्याप्त विकास करने हेतु बैंकों को आपस में यह तय करना होगा कि वे इस क्षेत्र में आपसी प्रतिस्पर्धा न करें और ऋण के लिए एक बैंक दूसरे बैंक के क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत मुख्यतः आवास ऋण पर प्रदान की जा रही छूटों को जारी रखा जाए।
- ❖ यदि किसी बैंक के कारोबार में पर्याप्त एवं समुचित वृद्धि हो तो खुदरा बैंकिंग की अलग शाखाएं खोलने पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- ❖ बैंकों द्वारा यह भी प्रयास करना होगा कि खुदरा बैंकिंग योजनाओं के अंतर्गत अधिकांशतः युवा ग्राहकों को जोड़ा जाए।
- ❖ बैंकों द्वारा शाखा स्तर पर खुदरा बैंकिंग के सफल संचालन हेतु समस्त स्टाफ को प्रशिक्षित कर सभी योजनाओं की पूर्ण जानकारी उन्हें प्रदान की जाए ताकि ग्राहक संबंध प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
- ❖ खुदरा बैंकिंग की सफल बाजार नीतियों के अंतर्गत आंतरिक एवं बाह्य कर्मियों का रुख स्पष्ट एवं पारदर्शी होना चाहिए। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत भी अन्य विषयान अवधारणाओं की तर्ज पर ही उत्पाद विक्रय के पश्चात् सेवाओं पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए जैसे ऋणों की वसूली में सकारात्मक एवं धनात्मक सोच, समय-समय पर ग्राहकों की शंकाओं का निवारण, ग्राहक गोष्ठी का आयोजन, ऋण स्वीकृति के पश्चात् नियमों में परिवर्तन की जानकारी आदि।

खुदरा बैंकिंग कारोबार की सफलता

खुदरा बैंकिंग कारोबार में सफलता के लिए बैंकों के पास सभी आधारभूत एवं ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि ग्राहकों को नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक बैंकिंग की सभी सुविधाएं प्रदान की जा सकें। खुदरा बैंकिंग भी काफी जोखिम वाला कारोबार होता है अतः बैंकों को काफी सोच समझकर ही इस क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। खुदरा बैंकिंग आज अपने पैर पसार चुकी है। उदारीकरण और निजीकरण ने प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था को बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। बैंकिंग क्षेत्र में जिन चीजों को एक दशक पूर्व असंभव मानते थे वे ही आज लोकप्रिय अवधारणा के रूप में उभर रही हैं। राष्ट्रीयकरण के समय बैंकों को खुदरा बैंकिंग की अवधारणा लागू करने के लिए मजबूर किया जाता था जो कि आज बैंकिंग अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास के लिए अति महत्वपूर्ण हो गई है अतः आज बैंकों को अपना भविष्य सुखद बनाने के लिए खुदरा बैंकिंग की अवधारणा को सफल बनाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए कुछ प्रमुख सुझाव निम्न हो सकते हैं -

- ❖ खुदरा बैंकिंग की सफलता हेतु सर्वप्रथम बैंकों को ग्राहकों की आवश्यकताओं को तलाशना होगा तथा उसी के अनुरूप नए-नए उत्पाद तैयार कर तथा उनमें कुछ समय अंतराल पर परिवर्तन कर बाजार में उतारने होंगे। नए उत्पादों एवं सेवाओं में परिवर्तन, ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप उनकी बैठकों में परामर्श के बाद ही किए जाएं।

- ❖ जो बैंक खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत बीमा व्यवसाय में भी प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें बीमा कंपनियों से समझौता करना होगा ताकि ग्राहक निवेश एवं बीमा संबंधी सुविधाएं बैंक के अंदर ही प्राप्त कर सकें।
- ❖ बैंकों को चाहिए कि खुदरा ऋण वितरित करते समय वसूली निष्पादकर्ता का पूर्ण ध्यान रखा जाए तथा ऋण प्राप्तकर्ता की देय क्षमता, चरित्र, संपत्ति जोखिम, बाजार रुख, परियोजना मूल्यांकन आदि को भली-भांति जांच लें ताकि बाद में चूक की कोई गुंजाइश ही न रहे।
- ❖ खुदरा ऋण स्वीकृति के समय बैंक को यह प्रयास करना चाहिए कि यदि ऋण वाहन की खरीद हेतु स्वीकृत किया जा रहा है तो उसकी कार्यवाही एवं दस्तावेज पूरे कराकर शोरूम पर ही भुगतान सीधे डीलर या निर्माता को ही कर दिया जाए। आवासीय तथा अन्य ऋणों में भुगतान सहकारी समितियों, ठेकेदारों, इंजीनियरों या भवन निर्माण सामग्री विक्रेताओं तथा अन्य डीलरों से सीधा संपर्क साधकर भवन निर्माताओं अथवा उत्पादकों को ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।
- ❖ बैंक द्वारा दूसरे बैंकों के ग्राहकों एवं शाखाओं को भी खुदरा बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। इसके लिए ग्राहकों एवं अन्य बैंकों से अनुबंध कर शुल्क वसूल किया जा सकता है।
- ❖ यदि बैंकों के खुदरा व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हो तो बैंकों को खुदरा ऋण विभाग की अलग से स्थापना कर देनी चाहिए और यदि संभव हो तो खुदरा बैंकिंग की अलग शाखा भी खोली जा सकती है।
- ❖ खुदरा ऋणों में भी अन्य ऋणों की भांति जोखिम विद्यमान होता है अतः खुदरा बैंकिंग की अच्छाइयों एवं बुराइयों, कमजोरियों, अवसरों तथा इसके भविष्य का समुचित विश्लेषण अनिवार्य रूप से कर इस व्यवस्था को लागू करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक दौर में निवेश के अनुरूप उचित प्रतिलाभ प्राप्त नहीं होगा और ग्राहक वर्ग का विस्तार भी धीरे-धीरे होता है।
- ❖ बैंकों को खुदरा बैंकिंग के बीच में काफी सोच विचार के बाद ही प्रवेश करना चाहिए क्योंकि बैंक जिस क्षेत्र में माहिर हैं उसे उसी क्षेत्र के बाजार की पहचान कर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- ❖ खुदरा बैंकिंग की सफलता के लिए बैंक को अपने नए ग्राहकों को जोड़ने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि पुराने एवं मौजूदा ग्राहकों को भी बनाए रखना चाहिए।
- ❖ बैंकों द्वारा खुदरा ऋण वितरित करते समय ही यह ध्यान रखना होगा कि उनकी अनर्जक आस्तियों में बढ़ोतरी न होने पाए। इसके लिए जो भी प्रबंध एवं निगरानी की आवश्यकता हो, समय रहते किए जाने चाहिए।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत जिस गति से व्यक्तिगत ऋणों को स्वीकृत किया जा रहा है उसके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है तथा समुचित जमानत, गिरवी तथा दस्तावेजों को पूर्ण कर ही ऐसे ऋणों की स्वीकृति की जाए।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत यदि किसी कर्मचारी को ऋण स्वीकृत किया जाता है तो उसके लिए यह अनिवार्य किया जाए कि उसका नियोजक उसके वेतन से ऋण की किस्त काटकर बैंक को भेजेगा तभी यह अवधारणा सफल हो सकेगी।
- ❖ खुदरा बैंकिंग कारोबार की सफलता के लिए ग्राहकों द्वारा जमा, चेक, बिल, ड्राफ्ट, धन अंतरण तथा मूल्य संवर्द्धित सेवाओं के संबंध में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और मांग पर ग्राहकों को धन उपलब्ध कराया जाए।
- ❖ खुदरा बैंकिंग व्यवसाय के सफल संचालन हेतु खुदरा ऋण योजनाओं में स्वीकृत धन पर भी ब्याज दर में कमी लाई जाए।

- ❖ खुदरा बैंकिंग व्यवसाय के प्रोत्साहन हेतु निरंतर बने रहने वाले जोखिमों के प्रति भी बैंकों को अपनी नियंत्रण प्रणाली में सुधार करना होगा तथा जोखिमों हेतु समुचित प्रावधान एवं नियम बनाने होंगे।
- ❖ खुदरा ऋण योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृत करने से पूर्व तथा बाद की अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जो कि ग्राहकों तथा ऋण परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे तथा बैंक द्वारा उसके अनुरूप ही ऋण स्वीकृत किए जाएं। बैंक द्वारा ऋण वसूली हेतु कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए जिससे प्रतिमाह अतिदेय ऋणों की सूची निकाली जाए और डाक अथवा टेलीफोन द्वारा ग्राहकों को समय रहते सूचित किया जाए।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत बैंक द्वारा ऋण के नए-नए अवसर तो तलाशने ही चाहिए किंतु ऋण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ऋण जोखिम का विश्लेषण करते समय बैंक को लाभप्रदता, उधारकर्ता की प्रबंधन अनुभव क्षमता, नीतियों, नकद प्रवाह, निवल साख का आकलन करना चाहिए तथा उधारकर्ता को ऋण की मात्रा, ऋण की अवधि, ऋण का प्रमुख प्रयोजन, परियोजना की प्रवृत्ति, बाजार की दशा आदि के बारे में समुचित निर्णय करना चाहिए।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत प्रदत्त ऋणों के विरुद्ध जो प्रतिभूतियां गिरवी रखी गई हों उनके मूल्यांकन तथा विपणनीयता को व्यावसायिक और सामान्य दृष्टि से मूल्यांकित किया जाए तथा प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य, परिसमापन मूल्य और जबरदस्ती बिक्री मूल्य के अंतर को ध्यान में रखकर मार्जिन की अवधारणा का सहारा लिया जाए।
- ❖ खुदरा बैंकिंग में ऋण स्वीकृति के समय दस्तावेजीकरण की पूर्णता पर विशेष चौकसी बरती जाए क्योंकि ऋणों के डूबते समय सही दस्तावेज न्यायालय में वाद के समय प्रस्तुत करने होते हैं।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों को ऐसे ग्राहकों पर विशेष चौकसी रखनी होगी जो विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त कर वर्तमान में अपना बैंक बदलना चाहते हैं। इसीलिए पुराने खातों की तुलना में नए खाते अधिक जोखिम भरे हो जाते हैं।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत यदि ऋण छोटे उद्योगों हेतु स्वीकृत किया जा रहा है तो उस उद्योग के भविष्य का पूर्वानुमान अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ❖ खुदरा बैंकिंग की सफलता सुनिश्चित करने हेतु ग्राहकों की सामान्य आवश्यकताओं की जानकारी अवश्य एकत्रित की जाए तथा उसी के अनुरूप नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल करके जमाकर्ताओं एवं ऋण प्राप्तकर्ताओं को आवश्यकतानुसार सेवा प्रदान की जाए।
- ❖ खुदरा बैंकिंग की सफलता के लिए बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों में बैंक तथा ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, सेवाभाव और समर्पित भावना का विकास करना चाहिए।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्तमान में लागू नई-नई योजनाओं, उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए ताकि ग्राहकों के समक्ष एक ही समय में अलग-अलग कर्मचारी, अलग-अलग सूचना न दें तथा ग्राहकों से संबंधित मूलभूत सांख्यिकी संकलित कर ग्राहक प्रोफाइल भी तैयार कराई जाए।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के सफल संचालन हेतु बैंक की सभी शाखाओं को, जहां तक संभव हो सके, आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटरीकरण से लैस कराया जाए तथा इन शाखाओं को कंप्यूटर नेटवर्क, ई-मेल, फोन बैंकिंग, इन्टरनेट बैंकिंग, मुफ्त काल सेन्टर सुविधा, हर समय बैंकिंग, कहीं भी कभी भी बैंकिंग आदि सुविधाओं से जोड़ा जाना चाहिए।

- ❖ खुदरा बैंकिंग कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसके लिए योजनाओं को लागू करते समय जो अधिकारी एवं कर्मचारी नकारात्मक रुख अपनाते हैं उनको अनिवार्य रूप से दंडित किया जाए।
- ❖ खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत नए-नए ग्राहकों के प्रवेश तथा पुराने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए बैंक परिसर में सजावट, भवन को वातानुकूलित करने, बैठक की उचित व्यवस्था तथा ग्राहकों को अलग कमरे में बैठाकर गोष्ठी एवं चर्चा करने से, पीने के पानी की व्यवस्था, वाहन पार्किंग तथा अशिक्षित ग्राहकों को कर्मचारियों द्वारा सहयोग करने से ग्राहकों की निष्ठा में वृद्धि होगी।

भावी चुनौतियां

विगत दशक में खुदरा बैंकिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर अपनी लाभप्रदता को बनाए रखा है तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को भी बखूबी निभाया है। भविष्य में भी खुदरा बैंकिंग समय के अनुरूप हो रहे बदलावों को अपनाएगा और बेहतर ग्राहक सेवा, ऊँची लाभप्रदता, आधुनिकतम तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तन, जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन तथा मानव शक्ति नियोजन के सफल प्रबंधन को अपना लेगी। खुदरा बैंकिंग योजनाओं में बैंकों को मूल्य एवं लागतों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा तथा उत्पादों की गुणवत्ता एवं विविधीकरण भी महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में सामने होंगे। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत जमाकर्ता एवं उधार प्राप्तकर्ताओं से बैंकों के साथ सौदेबाजी भी बढ़ जाएगी तथा परिणामस्वरूप बैंकों को अनर्जक आस्तियों में वृद्धि पर भी नियंत्रण रखना होगा। बैंकों को अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीति निर्धारण की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट, लचीला, मितव्ययी एवं पारदर्शी बनाना होगा। खुदरा बैंकिंग के समक्ष आने वाला समय ग्राहक संबंध प्रबंधन की दृष्टि से भी चुनौती भरा होगा। अतः बैंकों को मजबूत विपणन रणनीति और ग्राहक संबंधों पर भी सारा ध्यान केंद्रित करना होगा। बैंकों को दिन प्रतिदिन हो रहे बदलाव एवं प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु अपने मानव संसाधन को चुस्त दुरुस्त तथा समय-समय पर प्रशिक्षित कर समुचित एवं पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी होगी। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों

को पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण के मापदंड भी अपनाने होंगे। भविष्य में खुदरा बैंकिंग का और अधिक विकास होगा तथा बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों और नई-नई अवधारणाओं को बहुत आसानी से लागू किया जा सकेगा। आने वाले समय में खुदरा बैंकिंग व्यवस्था को अपने लक्ष्य एवं चुनौतियां स्वयं निर्धारित करनी होंगी तथा इसका सामना करने के लिए बैंक कर्मी एवं प्रबंध तंत्र को सामूहिक रूप से प्रयासरत रहना होगा। खुदरा बैंकिंग पूर्णतः नवीन अवधारणाओं पर आधारित बैंकिंग बन जाएगी।

बैंकिंग व्यवस्था में दिन प्रतिदिन हो रहे परिवर्तनों तथा देश की अर्थव्यवस्था के विकास को मद्देनजर रखकर खुदरा बैंकिंग को अपनाना भारतीय बैंकों के लिए एक अनिवार्यता बन गई है। बैंकों द्वारा भी यह माना जाने लगा है कि खुदरा बैंकिंग अधिक लाभ देने वाला विभाग है जबकि इसमें रूपये के ढूबने की संभावनाएं कम हैं तथा पैसा विभिन्न परियोजनाओं में लगा होने के कारण जोखिम की संभावनाएं भी नगण्य होती जा रही हैं। खुदरा बैंकिंग के पूर्णतः विकास में अभी और भी गुंजाइश है जिसको नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, उत्पादों के विविधीकरण, मानव संसाधन विकास आदि को अपनाकर बढ़ाया जा सकता है। बैंक अपनी लागतों में कमी कर तथा ग्राहकों को अधिकाधिक सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान कर खुदरा बैंकिंग को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं जिसके लिए विशेषज्ञों की सेवाओं का सहारा भी बैंक ले सकते हैं। तकनीकी एवं मानवीय कौशल में समन्वय बनाए रखना बैंक प्रबंध का मुख्य लक्ष्य होगा। बैंकिंग सुधारों के दूसरे चरण के लागू होने से भविष्य में खुदरा बैंकिंग का परिदृश्य बिल्कुल ही बदल जाएगा और बैंक आने वाले समय में खुदरा बैंकिंग को कोर बैंकिंग के साथ शामिल कर बराबर का महत्व प्रदान करने लगेंगे। जो बैंक खुदरा बैंकिंग अवधारणा को सूझ-बूझ के साथ लागू करेंगे, वे ही बैंक भविष्य में होने वाली जटिल प्रतिस्पर्धा में टिक कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित कर पाएंगे।

०००

पत्रिका के अक्तूबर-दिसंबर 2005 अंक में प्रकाशित

बैंक अपने ग्राहकों से एवं ग्राहकों के लिए कारोबार करता है। बैंकों के ग्राहक कई प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। ग्राहकों के साथ बैंकों का संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक कौन सी सेवा प्राप्त कर रहे हैं और इसी से इन संबंधों का कानूनी स्वरूप निर्धारित होता है।

फिर भी, यह ध्यान रखना चाहिए कि बैंक और ग्राहक का संबंध एक संविदा से उत्पन्न होता है। इस संविदा का नियमन भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 10 के अनुसार होता है जिसके अनुसार करार को संविदा तभी कहा जा सकता है जब-

- क. पक्षों की स्वतंत्र सहमति हो।
- ख. पक्षों में करार करने की क्षमता हो।
- ग. वैध प्रतिफल/उद्देश्य हों।
- घ. जो करार किसी अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न कर दिए गए हों।

बैंकों में करार करते समय उपर्युक्त बातों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा बैंक द्वारा किए गए करार व्यर्थ हो जाएंगे। यहां पर दो मुद्दों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है -

1. **स्वतंत्र सहमति** - उक्त अधिनियम की धारा 13 में कहा गया है कि जब दो या अधिक पक्ष एक बात को एक ही अर्थ में समझें तो उनके बीच सहमति है, ऐसा कहा जाएगा। आगे, धारा 14 में इसे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है - “यदि निम्नलिखित का कोई प्रभाव न हो तो उसे स्वतंत्र सहमति कहा जाएगा : -
- बल प्रयोग - जैसे कोई जान से मारने की धमकी देकर मकान बेचने का सौदा कर ले।
- अनुचित दबाव - जैसे कोई वकील यह कहकर कि वह गलत निर्णय करा देगा, मकान का सौदा कर ले।
- कपट, धोखेबाजी।
- मिथ्यावर्णन।

बैंक, ग्राहक, उनकी संविदा तथा अवयस्क ग्राहक

कंचनलता रस्तोगी

- भूल या गलती - धारा 20 के अनुसार जब दोनों पक्ष करार के किसी महत्त्वपूर्ण तथ्य के विषय में गलती करते हैं तो करार व्यर्थ माना जाएगा।”

बैंक अपने ग्राहकों के साथ करार करें तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्राहक इन प्रावधानों का अपने लाभ के लिए उपयोग न कर सकें तथा ग्राहकों को करार के बारे में समझा दें।

इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। हमारे पास एक अनपढ़ ग्राहक आता है। उसे गारंटी पत्र पर हस्ताक्षर करने हैं। हम उसके हस्ताक्षर तो ले लेते हैं, पर उस पत्र के बारे में नहीं बताते हैं। वह बाद में न्यायालय में यह सिद्ध करता है कि उसने इसे गवाही पत्र समझकर हस्ताक्षर किए थे। ऐसी अवस्था में उस ग्राहक के हस्ताक्षर होने के उपरांत भी इसे व्यर्थ कागज माना जाएगा। इसी से बैंकों में यह प्रथा है कि अनपढ़ व्यक्तियों के हस्ताक्षर लेते समय उन्हें उस प्रलेख की बातें समझा दी जाती हैं तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रलेखों के साथ रखा जाता है। अनपढ़ लोगों के मामले में न्यायालय उनकी बात पर विश्वास करता है, अतः यह बैंक को ही सिद्ध करना होगा कि उसने उस प्रलेख की सारी बातें ग्राहक को समझा दी थीं।

अगर सहमति स्वतंत्र न हो तो ऐसा करार कानून की नज़र में व्यर्थ अथवा व्यर्थनीय हो जाता है।

2. **पक्षकारों की क्षमता** - कानून की धाराओं के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति संविदा करने के योग्य है, जो
 - वयस्क हो,
 - सही दिमाग का हो,

- किसी अन्य कानून में संविदा करने के अयोग्य न घोषित किया गया हो जैसे दिवालिया व्यक्ति या विदेशी शत्रु संविदा करने के अयोग्य हैं।

जो व्यक्ति पागल हो या किसी नशे की हालत में हो, वह व्यक्ति भी संविदा नहीं कर सकता है।

इसी प्रकार, कानून अवयस्कों को भी करार/संविदा करने के अयोग्य पाता है। भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 की धारा 3 के अनुसार 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति अवयस्क होते हैं, किंतु निम्न परिस्थितियों में 21 वर्ष पूरे कर लेने के बाद ही उन्हें वयस्क माना जाएगा-

- (I) यदि वयस्क के लिए संरक्षक एवं अभिभावक अधिनियम, 1890 के अनुसार अभिभावक की नियुक्ति की गई हो।
- (II) यदि वह यूरोपियन मूल का हो।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 10 एवं 11 के अनुसार अवयस्क संविदाएं के योग्य नहीं हैं। मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष (1903) 30 सीएएल 539 के प्रसिद्ध मुकदमे में यह निर्णय लिया गया था कि अवयस्क के साथ की गई सभी संविदा प्रारंभ से ही अमान्य हैं, अर्थात् बाद में इनकी संपुष्टि भी नहीं की जा सकती है। किंतु इस नियम के निम्नलिखित अपवाद माने जा सकते हैं :-

- (1) परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 26 के अनुसार एक अवयस्क परक्राम्य लिखतों का आहरण, पृष्ठांकन, सुपुर्दगी तथा बेचान कर सकता है। किंतु वह उसे छोड़कर सभी पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। अर्थात् वह अपने कृत्य से स्वयं को छोड़ अन्य को बाध्य कर सकता है।
- (2) भारतीय संविदा अधिनियम के निहित प्रावधानों के अनुसार वह एक एजेंट बन सकता है। अतः उसे अटर्नी अधिकार दिया जा सकता है। ऐसी अवस्था में उसके द्वारा किए गए सारे कार्यों के प्रति वह नहीं बल्कि मालिक उत्तरदायी होगा चाहे वह उसके अधिकार से बाहर ही क्यों न हो (धारा-184)।

- (3) वह कभी भी व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होता। उसकी तथा उसकी पत्नी की पूरी की गई आवश्यकताओं के लिए उसकी संपत्ति की कुर्की तो की जा सकती है (भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68) पर उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। उसे जेल नहीं भेजा जा सकता। इसी से बैंक उन्हें किसी प्रकार का, यहां तक कि उसकी सावधि जमा पर भी, ऋण नहीं देते हैं।

- (4) उन्हें भागीदारी के लाभ में शामिल किया जा सकता है।

हम विभिन्न अधिनियमों के अलग-अलग प्रावधानों से यह पाते हैं कि यद्यपि अवयस्क संविदा के योग्य नहीं है तथापि वह एक संविदा का लाभ-भोगी हो सकता है। इस प्रकार, वह कभी भी एक ऋणी नहीं हो सकता परंतु आदाता आदि हो सकता है।

जहां तक परक्राम्य लिखत अधिनियम का संबंध है, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं -

- एक अवयस्क एक वैध चेक जारी कर सकता है और इस प्रकार एक बैंकर किसी अवयस्क का जमा खाता खोल सकता है।
- बैंकर को रकम का भुगतान आदाता या चेक के धारक को करना होता है और इस प्रकार का भुगतान बैंकर को अवयस्क आहर्ता के प्रति अपने दायित्व से मुक्त कर देता है।
- यदि बैंकर गलत ढंग से अपने अवयस्क ग्राहक के चेक को नकार दे तो वह उसी प्रकार दायी होगा मानो ग्राहक वयस्क उम्र का हो।
- अवयस्क गलत ढंग से चेक नकारने के कारण बैंकर पर नुकसान भरपाई का दावा करते हुए वाद दायर कर सकता है परंतु सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 नियम 1 के अंतर्गत यह वाद उसके बदले में किसी अन्य द्वारा दायर किया जाना चाहिए, जो वयस्क हों।
- बैंक किसी अवयस्क के विरुद्ध करार भंग करने के लिए उसके दायी होने पर वाद दायर नहीं कर सकता,

अतः अधिक राशि आहरित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- वह एक आदाता या पृष्ठांकिती हो सकता है (गोयंदका लचराओं बनाम विश्वनाथम भोमैया 1956, आंध्रा 182)।

उपर्युक्त कानूनी स्थिति के कारण एक अवयस्क का खाता निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत खोला जाता है -

- कोई चालू खाता नहीं खोला जाएगा।
- उनके खाते से कभी भी अधिक राशि आहरित नहीं की जाएगी।
- स्व-परिचालित खातों के लिए न्यूनतम उम्र 10 वर्ष है।
- स्व-परिचालित खातों में बचत खाते में अधिकतम जमा शेष किसी एक समय में 25,000/- रु. से अधिक नहीं होना चाहिए।
- अवयस्क किसी संविदा का लाभ-भोगी हो सकता है। उसकी जन्म-तिथि का प्रमाण बैंक में दर्ज होना चाहिए।
- जैसे ही वह वयस्क हो जाए, वैसे ही उससे एक जमा-शेष पुष्टि पत्र प्राप्त कर लिया जाए।
- सिर्फ जमा खाते ही खोले जा सकते हैं।

अवयस्क खातों का उसके अभिभावक द्वारा परिचालन

किसी अवयस्क के अभिभावक अवयस्क के नाम से खाता खोल सकते हैं। अभिभावक दो तरह के होते हैं :-

- (क) नैसर्गिक अभिभावक,
- (ख) न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक।
- (क) नैसर्गिक अभिभावक

हिंदुओं के संबंध में हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षता अधिनियम, 1956 में इस आशय का प्रावधान है कि पिता तथा उनकी मृत्यु के बाद माता नैसर्गिक अभिभावक हैं। विवाहित महिला के लिए उसका पति नैसर्गिक अभिभावक है। हमारे

बैंक यह अनुमति देते हैं कि किसी अवयस्क के नाम से उसके पिता की अनुमति प्राप्त कर उसकी माता खाता खोल सकती है।

यही नियम ईसाई और पारसी के संबंध में भी लागू है।

मुसलमानों के संबंध में नैसर्गिक अभिभावक निम्नलिखित क्रम में होते हैं :-

1. पिता,
2. पिता की वसीयत से नियुक्त निष्पादक,
3. पिता का पिता।

मुस्लिम कानून के अंतर्गत माता नैसर्गिक अभिभावक नहीं हो सकती।

बैंक की सावधि जमा पर नैसर्गिक अभिभावक को ऋण

सामान्यतया किसी अवयस्क के नाम में चल रहे सावधि खाते पर कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए (यदि खाता स्वयं अवयस्क द्वारा परिचालित किया जाए, तो ऋण किसी भी हालत में स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अवयस्क ऋणी नहीं हो सकता)। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में ऋण अवयस्क के नैसर्गिक अभिभावक को स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते बैंक इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऋण का इस्तेमाल अवयस्क के हित में किया जाएगा। ऐसे मामलों में, स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि स्वीकृत ऋण का उपयोग अवयस्क के हित में ही किया जाएगा क्योंकि ऐसी स्थिति में कानून बैंक को अवयस्क के पक्ष का न्यासी मानता है।

भागीदार के रूप में अवयस्क

(खाता खोलने के फार्म पर हस्ताक्षर नहीं लेने हैं)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 के अनुसार भागीदारी भागीदारों के आपसी समझौते से उत्पन्न होती है। अतएव कानून ऐसा कोई भी व्यक्ति भागीदार नहीं हो सकता जो करार/संविदा करने के अयोग्य हो। अवयस्क इसी श्रेणी में आता है।

परंतु, भागीदारी अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, एक अवयस्क को, सभी भागीदारों की अनुमति से फर्म के लाभों

में शामिल किया जा सकता है। यह प्रावधान इस नियम से प्रतिपादित होता है कि अवयस्क वचनदाता तो नहीं हो सकता किंतु लाभ प्राप्त करने वाला पक्ष हो सकता है (ख्वाजा मुहम्मद बनाम हुसैनी बेगम, (1910) 32 इलाहाबाद 410)। ऐसी अवस्था में जब एक अवयस्क किसी फर्म का भागीदार होता है तो उसे निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं:-

- फर्म के लाभों एवं संपत्ति से करार किए गए हिस्सों को प्राप्त करने का अधिकार।
- फर्म के लेखे का निरीक्षण करने या उसकी नकल लेने का अधिकार तो है पर यह अधिकार फर्म की बहियों के संबंध में नहीं है [धारा 30 (2)]।
- लाभ का हिस्सा न मिलने की स्थिति में वह लाभ एवं संपत्ति में अपने हिस्से के लिए दावा कर सकता है, किंतु ऐसा दावा तभी हो सकता है जब वह फर्म से अपना संबंध तोड़ना चाहता हो [धारा 30 (4)]।

इसी प्रकार उसके दायित्व भी सीमित हैं, जो निम्न प्रकार से हैं:-

- उसका दायित्व फर्म के लाभ एवं संपत्ति में उसके हिस्से तक ही सीमित है। चूंकि वह व्यक्तिगत रूप से कभी दायी नहीं हो सकता है, अतः फर्म की देनदारी के लिए उसकी निजी संपत्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- अवयस्क को दिवालिया भी नहीं घोषित किया जा सकता है। अतः फर्म के दिवालिया होने की स्थिति में उसका हिस्सा भी सरकारी रिसीवर या समनुदेशिती को अंतरित हो जाता है।

अवयस्क के अधिकार और दायित्व तभी तक के लिए हैं जब तक वह अवयस्क है। जब वह व्यस्क हो जाता है तो व्यस्क होने की तिथि से अथवा उसे भागीदार के रूप में लिए जाने की तिथि से छह माह के अंदर यह सार्वजनिक सूचना देनी होती है कि वह उस फर्म में भागीदार बने रहना चाहता है। यदि वह यह सूचना नहीं देता है तो धारा 30(5) के अनुसार यह माना जाएगा कि वह भागीदार बना रहना चाहता है। ऐसी स्थिति में वह फर्म के सभी कार्यों अथवा देनदारियों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो जाता है तथा उसका उत्तरदायित्व

उस दिन से प्रारंभ हो जाता है जिस दिन से वह अवयस्क के रूप में फर्म में शामिल हुआ था। अन्य अधिकारों के लिए भी वह समान रूप से भागीदार माना जाएगा।

यदि वह फर्म में नहीं रहना चाहता है तो उसका उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है तथा सार्वजनिक सूचना देने के पश्चात् किए गए फर्म के कार्यों के लिए उसका लाभ एवं संपत्ति का हिस्सा उत्तरदायी नहीं होगा।

यदि किसी भागीदारी फर्म में एक अवयस्क भी भागीदार है तो बैंक को चाहिए कि वह उक्त प्रावधानों के अनुसार निर्णय ले। इसी से ऐसे मामलों में बैंक अवयस्क भागीदारों का कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं लेते हैं किंतु उनका नाम एवं उनकी जन्मतिथि को नोट कर रखा जाता है। जैसे ही वह व्यक्ति व्यस्क हो जाता है, बैंक को स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए एवं सभी प्रपत्रों और प्रलेखों को उसके हस्ताक्षर के साथ पुनः लेना चाहिए। कुछ लोग पुराने प्रपत्रों और प्रलेखों पर ही उस व्यक्ति के हस्ताक्षर ले लेते हैं जो कानून गलत है। ऐसे में पूरा प्रलेख ही बेकार हो जाता है।

अवयस्क और हिंदू विधि

अवयस्क को हिंदू विधि में कुछ सुरक्षा दी गई है और उनके अधिकार निरूपित किए गए हैं।

मिताक्षरा विधान के अनुसार कोई पुत्र अपने जन्म के साथ ही पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार हो जाता है और यह हिस्सा उसके पिता के हिस्से के बराबर होता है।

दायभाग विधान के अनुसार पुत्र जन्म से ही सहभागी नहीं होता। पुत्र का अधिकार पिता की मृत्यु के पश्चात् प्रारंभ होता है।

इसके अतिरिक्त, वह पुत्र जो माता के गर्भ में है, संपत्ति का दावेदार हो सकता है। अतः पिता, यदि चाहे भी, पैतृक संपत्ति को किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। यदि अंतरित संपत्ति के हस्तांतरण से उस पुत्र का अधिकार खंडित होता है तो वह पुत्र उस हस्तांतरण को अवैध ठहरा सकता है। किंतु दायभाग विधान के अनुसार पिता पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है (पत्रिक बनाम झूलन 1969 ए. मणिपुर 33)।

अतः बैंक जब अवयस्क की संपत्ति के संबंध में कोई संविदा करता है तो उसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति को विधिसम्मत अधिकार प्राप्त है।

इस संबंध में, वी.एम. राव बनाम परमेश्वरी अम्भाल एवं अन्य ए.आई.आर. 1988 मद्रास 230 का मुकदमा उल्लेखनीय है जिसमें माननीय न्यायाधीशोंने निर्णय दिया था कि यदि न्यायालय की सहमति से भी बंधक कराया गया है तो भी हिंदू अवयस्कता एवं अभिभावकता अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत ऋण की उपादेयता देखी जानी आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि अभिभावक किसी अवयस्क की संपत्ति का बंधक करता है तो उसे उस लेन-देन का औचित्य सिद्ध करना होगा कि यह कार्य अवयस्क के हित में उसके आवश्यक खर्चों के लिए किया गया है।

एक हिंदू अविभाजित परिवार में एक अवयस्क भी “कर्ता” हो सकता है पर ऐसी अवस्था में वह अपने अभिभावक के माध्यम से कार्य करेगा (जगरनाथ सिंह बनाम नारायण - 1956 ए.पी.300)।

दामोदर दास बनाम उत्तमराम (1893) 17 बम्बई 271 के मुकदमे में यह निर्णय दिया गया कि एक अवयस्क जब वयस्क हो जाता है तो वह परिवार के कर्ता पर यह दावा कर सकता है कि उसने दोषपूर्ण प्रबंध किया।

इन प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में बैंकों को न केवल अवयस्क बल्कि उसकी संपत्ति के संबंध में भी सावधानी बरतनी होगी।

अवयस्क और मुस्लिम विधि

हिंदू विधि के विपरीत मुस्लिम विधि में संयुक्त परिवार का कोई प्रावधान नहीं है। अतः ऐसे मामलों में व्यक्ति का जन्म से कोई अधिकार नहीं होता है। फलतः व्यक्ति जब तक जीवित रहता है, अपनी अर्जित तथा पैतृक संपत्ति दोनों को अपने अनुसार बेच सकता है या बंधक रख सकता है।

दूसरी ओर, यदि कुछ संपत्ति विशेष रूप से अवयस्क के नाम में है तो उसके संबंध में उसके अभिभावक ही निर्णय लेंगे। ऐसे अभिभावक निर्णय लेते समय यह ध्यान रखेंगे कि लेन-देन अवयस्क के जीवन-यापन के लिए आवश्यक है (अहम दुल्लाह बनाम मफीरूद्दीन अहमद - ए.आइ.आर. 1973 गुवाहाटी-56)। इस संबंध में इनका विनियमन भी सामान्य विधानों के अंतर्गत होगा।

○○○

पत्रिका के अक्तूबर-दिसंबर-1993 अंक में प्रकाशित

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक			निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक	
	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत		बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिम जिसमें से	12,836	36.3	3,274	37.5	1,033	35.2	
कृषि	5,306	15.0	1,119	12.8	72	2.4	
दुर्बल वर्ग	3,473	9.8	505	5.7	55	1.9	
सूक्ष्म और लघु उद्यम	4,784	13.5	1,417	16.2	283	9.6	

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 20 या उससे अधिक शाखाओं वाले देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/विदेशी बैंकों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेर एक्सपोजर की राशि के समतुल्य ऋण, पिछले वर्ष के 31 मार्च को जो भी अधिक हो, का 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 20 या उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य को मार्च 2018 तक प्राप्त किया जाना है। 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेर एक्सपोजर की राशि के समतुल्य ऋण (ओबीई), पिछले वर्ष के 31 मार्च को जो भी अधिक हो, का 32 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2012-13

ऋण संवितरण किए जाने से पूर्व
ऋणकर्ता दस्तावेजों का निष्पादन
करवाना बैंकिंग की एक महत्त्वपूर्ण
एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। प्रलेखीकरण
की अनिवार्यता का एक प्रमुख कारण
यह भी है कि निष्पादित प्रलेखों का
प्रयोग ऋणकर्ता के विरुद्ध दायर दावे

में साक्ष्य स्वरूप किया जा सके। कोई भी प्रलेख दावे विशेष में
साक्ष्य स्वरूप स्वीकार्य है या नहीं, प्रलेख की वैधता, उपयुक्तता,
उपयोगिता, प्रामाणिकता आदि तथ्यों को जांचने के पूर्व माननीय
न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि दावा परिसीमन अवधि
में दायर किया गया है या नहीं। साक्ष्य हेतु प्रस्तुत प्रलेखों के
निष्पादन की तिथियों के आधार पर परिसीमन अधिनियम, 1963
के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत परिसीमन अवधि आंकी जाती
है। उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार कोई भी वाद,
अपील एवं प्रार्थना-पत्र जो कि परिसीमन अवधि के बाद दायर
किया जाता है, निरस्त हो जाएगा, भले ही परिसीमन को बचाव
का आधार नहीं बनाया गया हो।

विभिन्न मामलों में निर्धारित परिसीमन अवधि का उल्लेख
परिसीमन अधिनियम की अनुसूची में किया गया है। तदनुसार धन
वसूली से संबंधित समस्त दावों के लिए यह अवधि तीन वर्ष है।
लेकिन, परिसीमन अवधि की गणना किस तिथि से की जाएगी;
इसका आधार विभिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न है। बैंकों द्वारा प्रदत्त
विभिन्न ऋण सुविधाओं में परिसीमन अवधि की गणना के आधार
को निम्न प्रकार समझा जा सकता है -

नकद ऋण एवं ओवरड्राफ्ट खाते

परिसीमन की दृष्टि से ये खाते परस्पर खुले एवं चालू
खाते माने जाते हैं क्योंकि ऋणकर्ता अपनी आवश्यकता के
अनुसार धन के लेन-देन का व्यवहार इन खातों में करता है।
ऐसे खातों में परिसीमन अवधि की गणना उस वर्ष की अंतिम
तारीख से की जाएगी जिस वर्ष में उक्त खाते में ऋणकर्ता द्वारा
अंतिम व्यवहार किसी भी तारीख को किया गया है। उदाहरण
के लिए यदि किसी खाते में अंतिम व्यवहार 5 जुलाई 1988
को किया गया है तो परिसीमन अवधि 31 दिसंबर 1988 से
प्रारंभ मानी जाएगी। बैंक द्वारा अपने स्तर पर ही जनित प्रविष्टि,

परिसीमन अवधि - गणना एवं विस्तारण

डी. के. जैन

यथा खर्चों को नामे डालना, आदि को ऋणकर्ता द्वारा किया
गया व्यवहार नहीं माना जाता है तथा इनका परिसीमन अवधि
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इस श्रेणी में वे खाते नहीं आते हैं जिनमें ऋणकर्ता ने मात्र
एक बार ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग किया है, न ही वे साख
खाते जिनमें मात्र नामे प्रविष्टियां हुई हैं, भले ही वे उपर्युक्त मद
में खोले गए हों। ऐसे प्रत्येक आहरण को पृथक्-पृथक् मांग
ऋण माना जाता है।

मांग ऋण खाते

उक्त खातों में परिसीमन अवधि की गणना प्रलेख निष्पादन
की तारीख से की जाती है। ऐसे मामलों में दावे का आधार मांग
वचन पत्र होता है जो कि प्रायः ऋण वितरण की तारीख को
निष्पादित किया जाता है। यदि किसी कारण से मांग वचन पत्र
दावे का आधार नहीं है तो परिसीमन अवधि की गणना ऋण
वितरण के दिनांक से की जाएगी।

सावधि ऋण खाते

ऐसे ऋण खातों में चुकौती निर्धारित आवधिक किस्तों में
की जाती है। इनमें परिसीमन अवधि की गणना प्रत्येक किस्त
की देय तिथि से की जाती है। लेकिन, बैंकों के ऋण प्रलेखों
में सामान्यतः यह प्रावधान होता है कि यदि किसी भी निर्धारित
तिथि को चुकौती में चूक की जाती है तो समस्त अदत्त राशि
तत्काल देय मानी जाएगी अथवा बैंक को यह अधिकार होगा
कि खाते की बकाया राशि की तत्काल मांग कर ले। यदि अदत्त
राशि देय मान ली जाती है या बैंक अपने उक्त अधिकार का
प्रयोग कर संपूर्ण अदत्त राशि की मांग कर लेता है तो परिसीमन
अवधि की गणना चुकी हुई किस्त की देय तिथि या मांग तिथि
(जैसी भी स्थिति हो) से प्रारंभ की जाएगी।

भुनाए/क्रय किए गए बिल खाते

भुनाए/क्रय किए गए बिलों पर अग्रिम में ऋणकर्ता के विरुद्ध दावे का आधार अनादृत बिल होता है। बिल का अनादरण निर्धारित तिथि को भुगतान न प्राप्त होने से हो सकता है अथवा भुनाए गए बिलों की स्थिति में बिल की प्रस्तुति पर अस्वीकार से भी हो सकता है। विभिन्न स्थितियों में परिसीमन की गणना निम्नानुसार की जाती है-

- (i) क्रय किए गए वित्त की स्थिति में परिसीमन अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि को विनिमय पत्र आहर्ता के समक्ष भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था।
- (ii) भुनाए गए बिलों के संबंध में परिसीमन अवधि की गणना आहर्ता द्वारा अस्वीकृति की तारीख अर्थात् स्वीकृति के लिए प्रस्तुति की तारीख से अथवा भुगतान न किए जाने के कारण अनादरण की स्थिति में निर्धारित तिथि (जो भी स्थिति हो) से की जाएगी।

बैंक गारंटी

यह एक गैर-निधिक साख सुविधा है जिसमें प्रलेख निष्पादन के समय बैंक का दायित्व आकस्मिक स्वरूप का होता है। यह एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बैंक का दायित्व हिताधिकारी द्वारा भविष्य में किसी कार्य के करने या न करने पर निर्भर करता है और हिताधिकारी द्वारा चूक की दशा में ही लेनदार को बैंक से अनुबंध की राशि की मांग करने का अधिकार प्राप्त होता है। बैंक के विरुद्ध दावा दायर करने के लिए परिसीमन अवधि की गणना तब से की जाएगी जब बैंक गारंटी की शर्तों के अधीन बैंक से मांग की जाती है। बैंक हिताधिकारी के विरुद्ध दावा लेनदार को भुगतान करने की तिथि से 3 वर्ष में कर सकता है।

ऊपर हमने धन वसूली के लिए ऋणकर्ता के विरुद्ध दावा दायर करने के लिए परिसीमन अवधि की गणना के बारे में चर्चा की। लेकिन यदि ऋणकर्ता की चल-अचल संपत्तियों पर बैंक का भार हो तो आवश्यकता पड़ने पर प्रतिभूति के प्रवर्तन द्वारा धन वसूली अधिक सुनिश्चित एवं सुरक्षित रूप से की जा सकती है। प्रतिभूतियों का प्रवर्तन न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना हो सकता है या नहीं, यह संपत्ति पर बैंक के भार की प्रकृति द्वारा जाना जा सकता है। संपत्ति पर भार निम्न में से किसी रूप में हो सकता है :

1. गिरवी,
2. दृष्टिबंधक,
3. ग्रहणाधिकार,
4. समनुदेशन,
5. बंधक।

इनके अतिरिक्त, बैंक को ऋणकर्ता के अन्य खातों पर समंजन का अधिकार भी प्राप्त होता है।

गिरवी, ग्रहणाधिकार, समनुदेशन एवं समंजन के मामलों में परिसीमन अवधि की गणना की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि संपत्तियां वास्तविक अथवा रचनात्मक रूप में बैंक के आधिपत्य में ही होती हैं और बैंक कभी भी न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना करार की शर्तों के अनुसार अथवा अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रतिभूतियों का प्रवर्तन कर धन वसूली कर सकता है। लेकिन, इस तरह प्राप्त राशि यदि संपूर्ण अदत्त राशि की वसूली के लिए अपर्याप्त है और शेष राशि के लिए दावा दायर करना पड़ता है तो धनवसूली हेतु ऐसे दावों के संबंध में परिसीमन अवधि की गणना उपर्युक्त वर्णित विधि से की जाएगी।

यद्यपि दृष्टिबंधक के करार में भी बैंक को यह अधिकार होता है कि ऋणकर्ता द्वारा चूक की दशा में बैंक दृष्टिबंधक संपत्ति अपने आधिपत्य में लेकर उसे बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के बेच सकता है लेकिन, व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं होता है। अतः बैंक को प्रतिभूति के अधिग्रहण के लिए न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ती है। दृष्टिबंधक संपत्ति का आधिपत्य पाने के लिए परिसीमन अवधि तीन वर्ष है एवं इसकी गणना उस तिथि से की जाती है जब बैंक को यह अधिकार प्राप्त होता है अर्थात् यदि करार में बैंक को यह अधिकार ऋणकर्ता की चूक की दशा में है तो चूक की तिथि से, अन्यथा करार प्रलेख के निष्पादन की तारीख से, परिसीमन अवधि की गणना की जाएगी।

अचल संपत्तियों पर बंधक भार निर्मित करते हुए बैंक इन्हें प्राथमिक अथवा संपादिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करता है। भारतीय बैंकों में बंधक के दो रूप अधिक लोकप्रिय हैं - नियमित बंधक एवं साम्य बंधक। दोनों ही स्थितियों में बंधनग्राही की हैसियत से बैंक को बंधक संपत्ति को न्यायालय के हस्तक्षेप के जरिए बेचने का अधिकार प्राप्त है। बंधक संपत्ति के विक्रय

हेतु न्यायालय में वाद दायर करने के लिए परिसीमन अवधि 12 वर्ष है। उक्त अवधि की गणना ऋण की चुनौती की निर्धारित तिथि से की जाती है। उसे ज्ञात करने के लिए यह जानना होगा कि बंधक संपत्ति ऊपर वर्णित विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाओं में से किस प्रकार की ऋण सुविधा के लिए प्रतिभूति है, तदनुसार परिसीमन अवधि की गणना का आधार तय किया जाएगा।

विभिन्न मामलों में परिसीमन अवधि एवं उसकी गणना के आधार जान लेने के उपरांत यह उपयोगी होगा कि हम परिसीमन अधिनियम में अवधि की गणना संबंधी प्रमुख उपबंध की जानकारी लें -

1. परिसीमन अवधि की गणना करते समय उस तारीख को अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है जिसे गणना का आधार बनाया गया है। उदाहरण के लिए, यदि ऋण वितरण की तारीख 5 जनवरी 1989 है तो परिसीमन अवधि 6 जनवरी से प्रारंभ होगी और 5 जनवरी 1992 तक जारी रहेगी।
2. यदि परिसीमन अवधि की अंतिम तिथि को पूरे दिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए न्यायालय में अवकाश घोषित हो जाता है तो अंतिम तिथि अवकाश के तुरंत पश्चात् आने वाले प्रथम कार्य दिवस को मानी जाएगी।
3. यदि त्रुटिवश दावा ऐसे न्यायालय में दायर कर दिया जाता है जो उसके न्याय क्षेत्र से बाहर है तो ऐसे न्यायालय में प्रकरण के लंबित रहने की अवधि को परिसीमन अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
4. यदि कोई दावा किसी त्रुटि अथवा बचाव पक्ष के कपटपूर्ण कार्य, दुराव या धोखे के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए दायर किया जाता है तो परिसीमन अवधि की गणना ऐसी त्रुटि, कपटपूर्ण कार्य या धोखे की जानकारी की तारीख से प्रारंभ होगी।
5. परिसीमन अवधि की गणना में उस अवधि को नहीं गिना जाता है जितनी अवधि के लिए प्रतिवादी विदेश में रहा हो।

उपर्युक्त कतिपय प्रावधानों के अतिरिक्त परिसीमन अधिनियम की धारा 18 एवं 19 की चर्चा भी आवश्यक है क्योंकि ये धाराएं परिसीमन अवधि के विस्तारण से संबंधित हैं। परिसीमन अवधि का विस्तारण निम्न 2 विधियों से संभव है-

1. ऋण की अभिस्वीकृति द्वारा,
2. ऋण के आंशिक भुगतान द्वारा।

1. ऋण की अभिस्वीकृति

धारा 18 के अनुसार ऋणी द्वारा ऋण की अभिस्वीकृति दिए जाने पर परिसीमन अवधि की गणना अभिस्वीकृति की तारीख से की जाएगी, बशर्ते -

- i. अभिस्वीकृति लिखित हो,
- ii. अभिस्वीकृति स्वयं ऋणी या उसके द्वारा प्राधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरयुक्त हो, एवं
- iii. अभिस्वीकृति परिसीमन अवधि समाप्त होने के पूर्व दी गई हो।

यदि अभिस्वीकृति अदिनांकित है तो हस्ताक्षर की तारीख या समय के संबंध में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि अभिस्वीकृति ऋणदाता को ही आदेशित हो। यदि ऋणकर्ता द्वारा धारा 18 के उपबंधों के अनुरूप किसी भी अन्य व्यक्ति को आदेशित कर देयता स्वीकार की जाती है तो भी इसे परिसीमन के लिए वैध अभिस्वीकृति माना जाता है। इस संबंध में, श्री विजय कुमार मशीनरी एण्ड इलेक्ट्रिक स्टोर्स बनाम लक्ष्मी कान्थम्मा (743 आईटीआर 224) के मामले में दिया गया न्यायालय का निर्णय उल्लेखनीय है। उक्त वाद में एक फर्म द्वारा आयकर विभाग को दिए जाने वाले वित्तीय पत्रों में दायित्व को दर्शाया गया था। माननीय न्यायालय ने वित्तीय पत्रों में दायित्व रूप में दर्शने को उक्त ऋण की अभिस्वीकृति माना।

अभिस्वीकृति के साथ देय राशि अदा करने का वचन होना आवश्यक नहीं है। दायित्व का होना स्वीकारते हुए किसी अन्य आधार पर अदा करने से मना करने को भी अभिस्वीकृति माना जाता है। किसी तिथि विशेष के शेष का, जिसका अभिस्वीकृति में उल्लेख हो, परिसीमन की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण वह तिथि है जिस तिथि को अभिस्वीकृति दी गई है। अभिस्वीकृति में अदत राशि का सही-सही उल्लेख आवश्यक नहीं है। दायित्व

को स्वीकार कर लेना प्रमुख शर्त है। दायित्व की सही राशि का निर्धारण वाद का विषय हो सकता है। ऋणकर्ता द्वारा वचन-पत्र के निष्पादन की पुष्टि करना भी अभिस्वीकृति ही है।

जहां ऋणकर्ता एक से अधिक व्यक्ति है अथवा भागीदारी फर्म है तो किसी एक ऋणकर्ता या भागीदार द्वारा दी गई अभिस्वीकृति से अन्य ऋणकर्ताओं या साझेदारों के विरुद्ध परिसीमन अवधि का विस्तरण नहीं हो जाता है जब तक कि अन्य ऋणकर्ताओं या भागीदारों ने उक्त अभिस्वीकृति को इस आशय का प्राधिकार नहीं दे दिया हो।

ऐसी अभिस्वीकृति का जो वाद का आधार नहीं है वरन् उसे मात्र परिसीमन अवधि के संदर्भ में परखा जा रहा है, स्टांप्युक्त होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि यह वाद का आधार है अर्थात् करार को सिद्ध करने वाला प्रलेख है तो वह स्टांप अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्टांप्युक्त होना अनिवार्य है।

2. ऋण का आंशिक भुगतान

परिसीमन अवधि के विस्तारण का दूसरा तरीका ऋण का आंशिक भुगतान है। इसके लिए यह आवश्यक है कि -

- यह भुगतान परिसीमन अवधि समाप्त होने के पूर्व किया गया हो,
- भुगतान स्वयं ऋणकर्ता द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया हो, एवं
- ऐसे भुगतान की जमा पर्ची जमाकर्ता की हस्तालिपि में या उसके द्वारा हस्ताक्षरित हो।

उक्त आंशिक भुगतान ऋण अथवा ऋण के ब्याज किसी भी मद में हो सकता है और इसका खुलासा आवश्यक नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं कि प्राधिकृत व्यक्ति को स्पष्ट प्राधिकार प्राप्त हो। यह निहित भी हो सकता है जिसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। आंशिक भुगतान नकद या चेक द्वारा किया जा सकता है। यदि ऋणकर्ता ने किसी दूसरे बैंक के अपने खाते का चेक अथवा किसी अन्य खातेदार का स्वयं के नाम में प्राप्त चेक अपने ऋण खाते में जमा किया है तो यह परिसीमन अवधि के विस्तारण के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। ऐसी स्थिति में परिसीमन अवधि की गणना का आधार चेक बैंक

में जमा करने की तिथि को माना जाएगा, न कि बैंक द्वारा भुगतान प्राप्त करने की तिथि को। ऐसे चेक आगामी तिथि के भी हो सकते हैं, लेकिन चेक जमा कर देना पर्याप्त नहीं है। यह आवश्यक है कि भुगतान के लिए प्रस्तुत करने पर चेक अनादृत न हों।

ऋणकर्ता के किसी अन्य खाते के जमा शेष को ऋण खाते में अंतरित करने के उसके पत्र को आंशिक भुगतान माना जा सकता है। लेकिन, ऐसी स्थिति में भुगतान की तिथि वह तारीख मानी जाएगी जब ऋणकर्ता वह पत्र बैंक को देता है फिर भले ही बैंक की पुस्तकों में अंतरण बाद की किसी भी तारीख को किया गया हो। बैंक द्वारा स्वयमेव अपने समंजन के अधिकार का प्रयोग परिसीमन की दृष्टि से धारा 19 के अंतर्गत आंशिक भुगतान नहीं माना जाता है भले ही ऋणकर्ता द्वारा निष्पादित प्रलेखों से बैंक को यह अधिकार प्राप्त हो।

संयुक्त ऋणकर्ताओं की स्थिति में एक ऋणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची अन्य ऋणकर्ताओं के विरुद्ध परिसीमन अवधि का विस्तार नहीं करती है जब तक कि जमाकर्ता शेष ऋणकर्ताओं द्वारा इसके लिए प्राधिकृत न हो। अतः यह आवश्यक है कि सभी ऋणकर्ता जमापर्ची पर हस्ताक्षर करें, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि जमा की जाने वाली राशि में सभी की हिस्सेदारी हो।

यद्यपि परिसीमन अवधि समाप्त होने के बाद दायर किया जाने वाला दावा स्वयमेव निरस्त हो जाता है लेकिन ऋणकर्ता से कालातीत ऋण के लिए नए प्रलेखों का निष्पादन करवाकर परिसीमन का नवीकरण करवाया जा सकता है। संविदा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत कालातीत ऋणों के भुगतान के लिए किए गए करार को वैध करार माना जाता है।

कालातीत ऋण का नवीकरण तभी संभव है जब ऋणकर्ता सहयोग करे। अतः यह आवश्यक है कि परिसीमन अवधि को अक्षुण्ण रखा जाए। समय-समय पर ऋण की अभिस्वीकृति प्राप्त की जाए एवं जब भी ऋणकर्ता खाते में पैसे जमा करे, जमापर्ची पर उसके हस्ताक्षर ले लिए जाएं।

०००

पत्रिका के अक्टूबर-दिसंबर 2010 अंक में प्रकाशित

आज के इस अतिव्यस्त जीवन में बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए यह अत्यावश्यक है कि समय एवं स्थान की दूरी को न्यूनतम किया जाए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि ग्राहकगण कहीं से भी, किसी भी समय बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकें और वह भी बैंक के स्टाफ के पहले से अनुमान न लगाए जा सकने वाले 'मूड' का सामना किए बिना। सही मायने में इसका उत्तर है - 'नेट-बैंकिंग'।

नेट-बैंकिंग की संकल्पना

नेट-बैंकिंग से तात्पर्य इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैंकिंग सेवाओं का यथासंभव पूरा लाभ उठाने से है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा आदि) की शुरुआत करके ग्राहकों के बार-बार छोटे-मोटे कार्यों के लिए बैंक जाने की समस्या काफी सीमा तक कम करने का प्रयास पहले से ही किया जा रहा है तथा नेट-बैंकिंग के जरिए हम एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। नेट-बैंकिंग द्वारा हम घर बैठे इंटरनेट पर बैंकिंग संबंधी कारोबार कर सकेंगे।

इंटरनेट है क्या?

'इंटरनेट एक ऐसा वाइड-एरिया-नेटवर्क है, जिसमें लाखों - और संभवतः करोड़ों - कंप्यूटरों को परस्पर संबद्ध करने की क्षमता है।'¹ इंटरनेट के लिए निम्नलिखित 3 बातें जानना अत्यावश्यक है :

1. इंटरनेट एक ऐसी प्रौद्योगिकी है, जिसमें सभी प्रकार के कंप्यूटर एक दूसरे से सूचना एवं आंकड़ों का आदान-प्रदान कर सकें, अर्थात् उनमें परस्पर कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जा सके।
2. इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हम क्लाइंट नामक एक साफ्टवेयर टूल (प्रोग्राम) - उदाहरण के लिए 'इंटरनेट एक्सप्लोरर' - का प्रयोग करते हैं, जो सुदूर स्थित ऐसे कंप्यूटर के साथ संपर्क करता है जिसमें सर्वर नामक प्रोग्राम रहता है। यह सर्वर आपके द्वारा

नेट बैंकिंग

डॉ. रमाकांत गुप्ता

अपेक्षित डेटा आपके क्लाइंट (वेब-ब्राउजर) को प्रेषित करता है, जो उसे आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर दर्शाता है।

3. वेब-ब्राउजर इंटरनेट तक पहुंचने के दुर्गम मार्ग को सुगम बना देता है, क्योंकि यह हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्लिक करते ही नया वेब पृष्ठ सामने आ जाता है।

इंटरनेट पर किए जाने वाले सामान्य बैंकिंग कार्य

सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य यथा, खाता खोलने के फार्म एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना, खाते में शेष राशि के संबंध में पूछताछ करना, पिछले कुछ लेनदेन देखना, चेक बुक लेने अथवा चेक की अदायगी रुकवाने के लिए अनुरोध करना तथा अपने किन्हीं दो खातों के बीच निधियों का अंतरण आदि कार्य संबंधित बैंक की वेब-साइट पर आसानी से किए जा सकेंगे तथा भारत में भी कुछ चुनिंदा बैंकों ने अपने ग्राहकों को इनकी सुविधा उपलब्ध करा दी है। आंतरिक नेटवर्क के जरिए न सिर्फ निजी क्षेत्र के बैंकों ने, अपितु अब कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भी 'एनीव्हेयर बैंकिंग' अर्थात् किसी भी शाखा में जाकर लेन-देन करने की संकल्पना को साकार कर दिया है, पर इस आंतरिक नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने पर नकद लेन-देन को छोड़कर शेष अधिकांश बैंकिंग कार्यों के लिए किसी भी शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे न सिर्फ ग्राहक अपितु संबंधित बैंक भी काफी सीमा तक लाभान्वित होंगे। सामान्य बैंकिंग कार्यों के अलावा और भी कई प्रकार की सेवाएं बैंक इंटरनेट के जरिए अपने कॉर्पोरेट एवं व्यक्तिगत ग्राहकों को उपलब्ध करा सकेंगे, जिनकी चर्चा आगे की जा रही है।

¹ माइक्रोसाफ्ट विंडोज 95 इंटरनेट किट, पृ. 5 (हिंदी अनुवाद)।

बी2बी मॉडल पर आधारित आई-पेमेंट (ई-कामर्स)

बिजनेस-टु-बिजनेस मॉडल पर आधारित आई-पेमेंट की सुविधा के लिए माल के क्रेता एवं विक्रेता दोनों को बैंक में आरंभ में अपना चालू खाता खोलना होगा। तत्पश्चात् कंपनी अपने ग्राहकों एवं डीलरों के साथ ऑन-स्क्रीन नकद लेन-देन कर सकेगी तथा इस प्रकार आर्डर प्रॉसेस करने के कार्य में समय की काफी बचत होगी। इस सुविधा के तहत डीलर संबंधित बैंक के पास खोले गए अपने खाते का उल्लेख करते हुए कंपनी को अपना आर्डर पेश करेगा। कंपनी द्वारा आर्डर स्वीकार किए जाने पर डीलर के बैंक खाते में उतनी राशि नामे डाल दी जाएगी एवं कंपनी के खाते में वह राशि जमा कर दी जाएगी।

बी2सी (बिजनेस-टु-कंज्यूमर) मॉडल पर आधारित आई-पेमेंट (ई-कामर्स)

इस प्रणाली के तहत उपभोक्ता अपने टेलीफोन बिल, बिजली के बिल आदि का भुगतान घर बैठे इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं, बशर्ते उनका खाता यह सुविधा प्रदान करने वाले बैंक में हो। इंटरनेट पर पासवर्ड के साथ उपभोक्ता का निर्देश मिलने पर बिल से संबंधित राशि उसके खाते में नामे डालकर संबंधित कंपनी के खाते में जमा कर दी जाएगी। इस प्रकार इसके अंतर्गत इंटरनेट शॉपर, वेब मर्चेंट एवं बैंक के बीच इंटरफेस का प्रावधान किया जाता है।

पेमेंट गेटवे तथा ई-कामर्स

इस सुविधा के तहत एक ही बैंक में कंपनी और उसके ग्राहक दोनों के खातों का होना आवश्यक नहीं होगा। पेमेंट गेट-वे द्वारा इंटरनेट के माध्यम से साथ-साथ ऑन-लाइन अंतर-बैंक निधि अंतरण और निपटान का कार्य संभव हो सकेगा, जिसके फलस्वरूप अंतर-बैंक, बी2बी, बी2सी और ई-कामर्स संबंधी अन्य लेन-देन वेब पर किया जा सकेगा। फलस्वरूप ई-कामर्स की सुविधा प्रदान करने वाला विक्रेता कंपनी का बैंक इंटरनेट के माध्यम से पासवर्ड सहित निर्देश मिलने पर उपभोक्ता द्वारा की गई खरीदारी आदि से संबंधित बिल की राशि ऑन-लाइन अंतर-बैंक निधि अंतरण के जरिए उसके बैंक के खाते में तत्काल नामे डालकर विक्रेता के खाते में जमा कर देगा। इस प्रकार, पेमेंट गेटवे के जरिए डीलर वेब-साइट पर खरीद का आर्डर दे सकेंगे तथा अन्य बैंक में खाता होने पर भी राशि अदा

कर सकेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत कंपनी, डीलरों एवं बैंकों के बीच इंटरफेस की सुविधा उपलब्ध होगी।

ई-कार्ड

ऐसे क्रेडिट कार्ड, जिनका निपटान इंटरनेट के जरिए होता है। भारत में पहली बार ‘आईसीआईसीआई बैंक’ द्वारा इस प्रकार के कार्ड जनवरी 2000 में जारी किए गए। इन कार्डों में क्रेडिट-कार्ड धारकों के पासवर्ड के माध्यम से सामान की खरीदारी होती है तथा ये पासवर्ड कार्ड के विक्रेताओं की वेब-साइट में निहित रहते हैं तथा संबंधित सर्वर इस पासवर्ड के माध्यम से ही क्रेता की वास्तविकता की पहचान करता है। इस सुविधा के तहत कार्ड-धारक क्रेडिट-कार्ड के जरिए की गई खरीद के ब्यौरे भी इंटरनेट पर घर बैठे किसी भी समय देख सकेंगे।

नेट-बैंकिंग के लाभ और सुरक्षा-उपाय

नेट-बैंकिंग के लाभ

नेट-बैंकिंग के अनगिनत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इससे आज के मशीनी युग के अतिव्यस्त जीवन में ग्राहकों के बहुमूल्य समय की बचत होती है। बैंकों के बीच बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अब वे ही बैंक टिके रह पाएंगे जो ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

इसके अलावा नेट-बैंकिंग सेवाओं का बेहतर उपयोग करके स्टेशनरी आदि के खर्च को भी काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। अपनी वेबसाइट पर खाता खोलने के आवेदनपत्र आदि उपलब्ध करादिए जाने से न तो बैंक को अतिरिक्त स्टेशनरी छपवाने की जरूरत पड़ेगी और न ही ग्राहकों को बैंक की शाखा तक जाने की। इतना ही नहीं, इस सुविधा से विभिन्न आवेदनपत्रों के फार्मेट में परिवर्तन होने पर उन्हें बार-बार छपवाना भी नहीं पड़ेगा। इसी तरह अपनी वेब-साइट पर बैंक अपनी नवीनतम योजनाओं आदि के बारे में विज्ञापन भी न्यूनतम खर्च पर दे सकेंगे।

यदि बैंकों के खर्चों का विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि उनके कुल खर्च का बहुत बड़ा भाग स्थापना संबंधी खर्च है। पश्चिमी देशों में नेट-बैंकिंग की संकल्पना अब इतनी उन्नत हो

चुकी है कि कई बैंक अपना पूरा कार्य इंटरनेट के जरिए करने लगे हैं तथा ग्राहकगण इंटरनेट पर (www.netbank.com) सीधे खाता खोल सकते हैं – इस प्रकार शाखाओं की संख्या का कोई मतलब ही नहीं रहा, न तो शाखा खोलने के लिए परिसर लेने की जरूरत है, न ही फर्नीचर की और न ही उनके रखरखाव की। जाहिर है कि जब शाखाएं नहीं होंगी तो अलग-अलग शाखाओं के लिए स्टाफ रखने का भी कोई खर्च नहीं होगा। मूलभूत संरचना (अर्थात् साइबर कानून बनाना, तदनुरूप बैंकिंग कानूनों में अपेक्षित परिवर्तन करना, बैंक-ऑफिस के पूर्ण स्वचालन सहित बैंकों द्वारा सफल आंतरिक नेटवर्क तैयार करना, सर्वर, ब्राउजर या पाथ-वे पर डेटा तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करना एवं आम जनता तक कंप्यूटर व इंटरनेट की पहुंच होने तक रिहाइशी इलाकों के पास इंटरनेट ढाबे सुलभ कराना आदि) विकसित होने पर वह दिन दूर नहीं, जब भारत में भी बैंक अपना पूरा कार्य इंटरनेट के जरिए कर सकेंगे।

उक्त खर्चों में कमी आएगी तो निश्चय ही बैंक अपने ग्राहकों को उनकी जमाराशियों पर बेहतर व्याज दरें दे सकेंगे तथा साथ ही विभिन्न बैंकिंग सेवाएं कम शुल्क पर उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इस प्रकार जमा एवं अग्रिमों की व्याज दरों के बीच पहले की तुलना में कम अंतर होने के बावजूद नेट-बैंकिंग संबंधी खर्चों में आई कमी के कारण बैंक अपेक्षाकृत अधिक लाभ कमा सकेंगे।

नेट-बैंकिंग का सबसे बड़ा फायदा तो उन कंपनियों को होगा, जो ई-कार्मस के जरिए अपने अनगिनत ग्राहकों के आर्डरों का निपटान तत्काल कर सकेंगे एवं बेचे गए माल की अदायगी तत्काल प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार, जहां कंपनियों की चलनिधि की स्थिति बेहतर होगी, वहीं कारोबार बढ़ने पर इस प्रकार की सेवाओं पर लगाई जाने वाली स्वल्प शुल्क

राशि से भी बैंकों को काफी लाभ मिलेगा। वैसे भी आज बैंक ऋण संबंधी जोखिमों को मद्देनजर रखते हुए शुल्क आधारित आय बढ़ाने पर काफी बल दे रहे हैं।

नेट-बैंकिंग के जरिए बैंकों के ग्राहक घर बैठे अपने बिलों का भुगतान किसी भी समय कर सकेंगे और इस प्रकार वे इन कार्यों में लगने वाले बहुमूल्य समय का उपयोग अन्य अधिक उपयोगी कार्यों के लिए कर सकेंगे। इंटरनेट की सुविधा से युक्त क्रेडिट-कार्ड भी निश्चय ही सामान्य क्रेडिट कार्डों की तुलना में अधिक उपयोगी साबित होंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नेट-बैंकिंग से बैंकों के ग्राहकों – सामान्य ग्राहक एवं व्यावसायिक ग्राहक दोनों – के जीवन में अत्यधिक गुणात्मक बदलाव आएगा।

☞ नेट-बैंकिंग के संबंध में बताते

जाने वाले सुरक्षा-उपाय

(अ) नेट-बैंकिंग के फायदों के साथ ही हमें उन खतरों को भी ध्यान में रखना होगा, जिनका संबंध सीधे नेट-बैंकिंग से है। इंटरनेट के अपराधियों की पहुंच परंपरागत अपराधियों से कहीं अधिक होती है क्योंकि ये अपराधी अपने घरों में बैठे-बैठे ही आराम से चोरी कर सकते हैं। ‘विश्व भर में कंपनियां कंप्यूटर अपराधों की बढ़ती संख्या से त्रस्त हैं।... पूर्णतः सुरक्षित कंप्यूटर प्रणाली जैसी कोई चीज नहीं है।... हाल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 12 महीनों में अमरीका की 62 प्रतिशत कंपनियों ने सुरक्षा भंग किए जाने की रिपोर्ट की। फलस्वरूप कुल लगभग 124 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।’² अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड/वीजा कार्ड रखने वालों को प्रायः इन कार्डों के नाजायज इस्तेमाल का सामना करना पड़ता है। इंटरनेट पर अपराध करने वाले इन कार्डों के विक्रेताओं

² फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 22 जनवरी 2000 (हिंदी अनुवाद)

के सर्वर (वेब-साइट) में दाखिल होकर क्रेडिट कार्डधारकों के पासवर्ड ज्ञात कर उन कार्डों पर स्वयं खरीदारी कर लेते हैं।

(आ) जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, इंटरनेट - जो वस्तुतः एक खुली डायरी की तरह है - बहुत ही असुरक्षित है। सुरक्षा संबंधी ये जोखिम मूलतः तीन प्रकार के हैं³:-

(क) वेब सर्वर में 'बग' या 'मिस-कनफिगरेशन', जिसकी वजह से अनधिकृत लोग वेब-सर्वर की होस्ट मशीन में प्रवेश कर सूचना को बदल देते हैं और गोपनीय स्वरूप की सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं।

(ख) ब्राउजर से संबंधित जोखिम, जिनके फलस्वरूप नेट के उपयोगकर्ताओं के सिस्टम दुष्प्रभावित हो जाते हैं तथा उनकी 'प्राइवेसी' भंग हो जाती है।

(ग) सर्वर से ब्राउजर तक या ब्राउजर से सर्वर तक जाने वाली गोपनीय स्वरूप की सूचनाएं बीच में अर्थात् 'पाथ-वे' पर पकड़ लिया जाना। शरारती तत्व 'पाथ-वे' पर किसी भी जगह अपनी करामात दिखा सकते हैं।

(इ) अतः यह जरूरी है कि सर्वर और ब्राउजर दोनों ही स्तरों पर गोपनीय स्वरूप की सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाए। एक मूलभूत सुरक्षा उपाय तो यह होगा कि इस संबंध में एक लिखित सुरक्षा नीति तय की जाए कि सिस्टम के उपयोग की अनुमति किसे, कब और किस सीमा तक दी जानी है; सिस्टम में प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी, 'रिमोट' और 'लोकल' 'लाग-इन' की क्या पद्धतियां होंगी और साथ ही सिस्टम पर निगरानी रखने की क्या प्रणाली होगी।

जब कोई संस्था अपने 'बैक-एंड' एप्लिकेशनों को इंटरनेट से जोड़कर सूचनात्मक वेबसाइट से लेन-देन संबंधी वेबसाइट की ओर अग्रसर होती है, उस समय उसे सुरक्षा संबंधी जोखिमों का समाधान अवश्य खोजना होगा ताकि ग्राहकों के साथ सुरक्षित लेन-देन किया जा सके। संस्था के आंतरिक नेटवर्क को इंटरनेट से संबद्ध करते समय एक प्रमुख सुरक्षा उपाय है - 'फायरवाल', जो इंटरनेट के जरिए संस्था के आंतरिक नेटवर्क में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को इसकी अनुमति तभी देता है, जब उस व्यक्ति की उचित पहचान कर ली जाए। पहचान के कई तरीके हो सकते हैं - यथा उस व्यक्ति का पासवर्ड, जैविक हस्ताक्षर और उसकी कंप्यूटर में प्रतिकृति जैसे उसके अंगूठे के निशान की प्रतिकृति आदि। वह व्यक्ति किस प्रकार की सूचना चाहता है या किस प्रकार का लेन-देन करना चाहता है - इसे ध्यान में रखते हुए आंतरिक नेटवर्क में प्रवेश की इजाजत देने के पूर्व उससे कई विशिष्ट प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। सुरक्षा उपायों के रूप में पासवर्ड के अलावा एनक्रिप्शन तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु 'बरो तथा एफबीआई' के एजेंट नेटेडे ने चेतावनी दी है कि एनक्रिप्शन, जिसका इस्तेमाल कंपनी के डेटा के संरक्षण के लिए किया जाता है, का प्रयोग अब अपराधियों द्वारा अपने ट्रैक को छिपाने के लिए अमोघ अस्त्र के रूप में भी किया जाने लगा है।⁴

अधिकांश मामलों में इस प्रकार की चोरी करने वाले पकड़ लिए जाते हैं, पर उन्हें निवारक दंड देने के लिए जरूरी है कि देश में उपयुक्त

³ स्रोत - इकॉनॉमिक टाइम्स, 21 फरवरी 2000, पृ. 20

⁴ फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 22 जनवरी 2000 (हिंदी अनुवाद)।

साइबर कानून हों। जहां तक कानूनी प्रावधानों का संबंध है, भारत में नई सरकार द्वारा साइबर कानून का प्रारूप तैयार कर लिया गया है तथा उसमें साइबर चोरों के लिए सख्त दंड के प्रावधान किए गए हैं।

भारत में नेट-बैंकिंग में हुई प्रगति

⇒ निजी क्षेत्र के बैंकों एवं विदेशी बैंकों में नेट-बैंकिंग

अब हमारे देश में भी नेट-बैंकिंग एक वास्तविकता बन चुकी है। प्रारंभ में, निजी क्षेत्र के दो बैंकों आईसीआईसीआई बैंक (www.icicibank.com) तथा इंडसइंड बैंक (www.indusind.com) ने नेट-बैंकिंग की सेवाएं प्रदान कीं। दोनों बैंकों ने प्रारंभ में नेट-बैंकिंग खंड में सीमित बैंकिंग सेवाएं प्रदान कीं - यथा, खाते में शेष राशि के संबंध में पूछताछ, अंतिम कुछ लेन-देन देखने की सुविधा, चेक-बुक लेने अथवा चेकों की अदायगी रुकवाने के लिए अनुरोध करना तथा अपने किन्हीं दो खातों के बीच निधियों का अंतरण करना⁵। बाद में एचडीएफसी बैंक तथा यूटीआई बैंक (www.utibank.com) ने भी नेट-बैंकिंग संबंधी सेवाएं प्रारंभ कर दीं। यूटीआई बैंक ने अपनी वेबसाइट पर बैंक की वित्तीय स्थिति, शाखा नेटवर्क, आदि के अलावा खाता खोलने के लिए आवेदनपत्र को डाउनलोड करने⁶ की सुविधा भी प्रदान कर दी है। इस प्रकार अब खाता खोलने के आवेदनपत्र के लिए न तो बैंक को अतिरिक्त स्टेशनरी छपवाने की ज़रूरत है और न ही ग्राहकों को बैंक की शाखा तक जाने का समय बर्बाद करने की। इसके विपरीत टेक्नोलोजी के क्षेत्र में पिछड़े

बैंकों की विभिन्न शाखाओं में आज भी ग्राहकों को सिर्फ आवेदनपत्र प्राप्त करने के लिए शाखा के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं।

बैंकिंग संबंधी मुख्य कार्यों में इंटरनेट की उपयोगिता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि अब जमाराशियां जुटाने में भी नेट-बैंकिंग काफी सहायक सिद्ध हो रही है। 1998 में इंटरनेट के जरिए आईसीआईसीआई बैंक ने कुल 436 करोड़ रुपये की अनिवासी जमाराशियां जुटाई⁷

अब आईसीआईसीआई बैंक ने व्यापक स्तर पर नेट-बैंकिंग प्रारंभ कर दी है। आई-पेमेंट नामक नई ई-कार्मस सुविधा प्रदान करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने हिंदुस्तान लीवर सहित 40 कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। इसी तरह बिजनेस-टु-बिजनेस और बिजनेस-टु-कंज्यूमर जैसी नई नेट-बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एचडीएफसी बैंक ने भी बीपीएल जैसी कंपनियों के साथ समझौता किया है तथा फलस्वरूप बीपीएल ने दिसंबर 1999 से छोटे उपस्करों, रंगीन टेलीविजन सेटों एवं वाशिंग मशीन की बिक्री इंटरनेट पर प्रारंभ कर दी है।⁸ एचडीएफसी बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक दोनों ने अपने ग्राहकों को टेलीफोन, बिजली आदि के बिलों का भुगतान इंटरनेट के माध्यम से करने की सुविधा प्रदान की है। अपने कारोबार में इंटरनेट का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक को इकनॉमिक टाइम्स एवं माइक्रोलैंड लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया 'साइबर कॉर्पोरेट ऑफ डियर' नामक पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

⁵ निधियों के अंतरण संबंधी कार्य को शामिल करते हुए वेब-आधारित सेवाओं का विस्तार किया गया। इसकी मदद से इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहक बैंक की किसी भी शाखा में रखे गए अपने विभिन्न खातों के बीच निधियों का अंतरण करा सकते हैं। 'Anywhere Banking' की सुविधा प्रदान करने से ग्राहक सेवा में काफी सुधार आया है क्योंकि अब वे बैंक की किसी भी शाखा से बैंकिंग संबंधी नेमी लेन-देन कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, वार्षिक रिपोर्ट, 1998-99, पृ. 11 (हिंदी अनुवाद)।

⁶ स्रोत - यूटीआई बैंक, वार्षिक रिपोर्ट, 1998-99, पृ. 9

⁷ स्रोत - इकनॉमिक टाइम्स, 06 मार्च 2000

⁸ स्रोत - दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 21 जनवरी 2000, पृ. 01 तथा पृ. 10

21 जनवरी 2000 से आईसीआईसीआई बैंक ने भारत में पहली बार इंटरनेट सुविधा से युक्त क्रेडिट कार्ड जारी करना प्रारंभ कर दिया है, जिसके तहत ग्राहक न सिर्फ अपने लेन-देन इंटरनेट पर कर सकेंगे, अपितु खरीद संबंधी राशि की अदायगी भी इंटरनेट के जरिए कर सकेंगे। साथ ही, इस बैंक ने जनवरी 2000 में ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथरॉरिटी के साथ समझौता करके बिजनेस-टु-कंज्यूमर प्रणाली के जरिए ईबीपीपी (इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रेजेंटेशन एण्ड पेमेंट) की संकल्पना को साकार करने की घोषणा की है तथा इसके लिए कंपैक के नेतृत्व में कुछ कंपनियों द्वारा ई-कार्मस पेमेंट गेटवे का कार्यान्वयन किया जाएगा तथा वह पेमेंट गेटवे आईसीआईसीआई की सहायक संस्था के स्वामित्व में रहेगा।⁹

अब फेडरल बैंक ने भी इंफोसिस टेक्नोलोजिस के 'बैंकअवे' नामक साप्टवेयर पैकेज का प्रयोग करके अप्रैल 2000 से महानगरों एवं बड़े शहरों में स्थित अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा कर दी है।¹⁰

20 जनवरी 2000 को समन्वित वेब-आधारित कंपनी बैंकिंग ई-बिजनेस संबंधी समाधान शुरू कर सिटी बैंक ने स्वयं को नेट-बैंकिंग के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस प्रणाली के दो घटक हैं -

- क) 'स्पीड कलेक्ट 2000' नामक पहला घटक नकदी प्रबंधन के लिए प्लेटफार्म प्रदान करेगा तथा
- ख) 'सिटीकार्मस' (www.citicommerce.com) नामक दूसरा घटक विक्रेता पर आधारित ई-कार्मस संबंधी समाधान प्रदान करेगा, जिसके तहत कंपनियां अपने डीलरों के नेटवर्क से जुड़ जाएंगी।¹¹

⁹ स्रोत - दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 28 जनवरी 2000

¹⁰ स्रोत - इकॉनॉमिक टाइम्स, 31 जनवरी 2000, इंवेस्टर्स गाइड, पृ. 4

¹¹ स्रोत - दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 21 जनवरी 2000, पृ.01

⇒ सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नेट-बैंकिंग

सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने भी अपनी वेबसाइट प्रारंभ कर दी हैं - यथा, भारतीय स्टेट बैंक (www.statebankofindia.com), देना बैंक (www.denabank.com), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (www.unionbankofindia.com), बैंक ऑफ बड़ौदा (www.bankofbaroda.com) आदि। परंतु इनमें से अधिकांश वेबसाइटों में नेट-बैंकिंग की चर्चा तक नहीं है, नेट-बैंकिंग संबंधी सेवाएं प्रारंभ करना तो बहुत दूर की बात है। अब देना बैंक, सिंडिकेट बैंक आदि सरकारी क्षेत्र के बैंक भी अपने ग्राहकों को नेट-बैंकिंग संबंधी सेवाएं प्रदान करने जा रहे हैं।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 'रिसर्जेंट इंडिया बांड' के माध्यम से जुटाई गई राशि का एक बड़ा हिस्सा भी इंटरनेट के माध्यम से ही जुटाया जा सका था।

तथापि भारत में नेट-बैंकिंग संबंधी सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने वाले बैंक भी इस संबंध में पश्चिमी देशों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की तुलना में बहुत पीछे हैं और इसके कई कारणों में से एक प्रमुख कारण है तत्संबंधी सुरक्षा उपायों एवं विधिक परिवर्तनों का अभाव। इनके बारे में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी।

भारत में नेट-बैंकिंग की सीमाएं

1) विधिक सीमाएं

इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 को अंतिम रूप देकर सरकार ने 16 दिसंबर 1999 को उसे लोक-सभा के पटल पर पेश कर दिया है तथा इस विधेयक में साइबर अपराधों के लिए सख्त दंड देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अभी भी उक्त विधेयक को कानून की शक्ति अखिलयार करना है। ऐसी स्थिति में कोई भी बैंक ऐसी सेवाएं प्रदान करके, जिनके संबंध में विधिक समर्थन प्राप्त नहीं है,

खुद को जोखिम में नहीं डालना चाहता। उदाहरण के लिए भारत में निजी पहचान संख्या (Personal Identification Number) के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन को उस तरह की मान्यता प्राप्त नहीं है जैसी मान्यता परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत हस्ताक्षर करके जारी किए जाने वाले चेक को प्राप्त है। साइबर कानून पारित होने के बाद बैंक संबंधी कानूनों में भी तदनुरूप परिवर्तन करना पड़ सकता है।

2) पूर्ण स्वचालन का अभाव

‘नेट-बैंकिंग प्रणाली को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसे मुख्य बैंकिंग प्रणालियों के साथ पूरी तरह से समन्वित किया जाए ताकि जो भी लेन-देन किए जाएं वे मुख्य सर्वर के माध्यम से किए जाएं। इसके लिए पूर्ण बैंक-ऑफिस स्वचालन जरूरी है।’¹² बैंक-ऑफिस कार्यों का पूर्ण स्वचालन न होने के कारण ही सरकारी क्षेत्र के बैंक अभी तक सिर्फ विज्ञापन के लिए ही इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। ग्राहकों के साथ लेन-देन के लिए इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए इन बैंकों को पहले बैंक-ऑफिस कार्यों को पूर्णतः स्वचालित करना होगा। इसके बाद वे भी अधिक कारोबार वाली शाखाओं को आंतरिक नेटवर्क से जोड़कर तथा साथ ही उस आंतरिक नेटवर्क को इंटरनेट से संबद्ध करके अपने बड़े ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं।

3) इंटरनेट के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की कमी

अभी भी भारत में नेट-बैंकिंग के लिए आवश्यक टेलीफोन सुविधाओं एवं कंप्यूटरों के उपयोगकर्ताओं की काफी कमी है। “5000 शहरों एवं कस्बों एवं छह लाख गांवों में फैली 95 करोड़ की आबादी वाले इस देश में घरेलू कंप्यूटरों (होम पीसी) की संख्या मात्र 35 लाख है। इंटरनेट की सुविधा 100 शहरों एवं कस्बों तक ही पहुंच पाई है तथा इंटरनेट खातों की संख्या 4 लाख से भी कम है।”¹³

4) इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की कमी

जैसाकि पिछले पैराग्राफ में बताया जा चुका है, भारत में कंप्यूटर के उपयोगकर्ताओं की अत्यधिक कमी है (फिलहाल

भारत में प्रति 1000 व्यक्तियों में से सिर्फ 2 के पास ही कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है) तथा उसमें से इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की तो और भी कमी है। इसे देखते हुए बैंक नेट-बैंकिंग में किए जाने वाले खर्च को भी अनावश्यक ही मानते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक वस्तुतः भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए नेट-बैंकिंग की संकल्पना को साकार बनाने में लगे हुए हैं। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री प्रमोद महाजन ने इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए केबल के जरिए इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा की है। इस प्रकार भविष्य में कंप्यूटर की सुविधा से युक्त टीवी या टीवी ट्यूनर युक्त कंप्यूटरों में केबल के जरिए इंटरनेट की सेवाएं और भी सस्ती दरों पर सुलभ कराई जा सकेंगी। इन दिनों निजी क्षेत्र की कंपनियों के इस क्षेत्र में आने के बाद इंटरनेट की दरों में भी उल्लेखनीय कमी आई है। इसलिए अब आसानी से अपनी आवश्यकतानुसार इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तथापि, कंप्यूटरों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। भारत में नेट-बैंकिंग को व्यापक बनाने के लिए किए जाने वाले उपाय

नेट-बैंकिंग के सफल प्रयोग के लिए बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी को उन्नत करने एवं नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के साथ-साथ कानूनों में उपयुक्त संशोधन एवं ग्राहकों के लिए कंप्यूटर तथा इंटरनेट को सहज सुलभ बनाने की भी आवश्यकता है।

बैंकिंग के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री आ. वासुदेवन की अध्यक्षता में एक समिति (कमिटी ऑन टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन इन द बैंकिंग सेक्टर) का गठन किया गया तथा हाल ही में प्रस्तुत उक्त समिति की रिपोर्ट में भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की संकल्पना को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं।

बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए उक्त समिति ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह की है कि ‘बैंक सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सहायक संस्थाएं – अकेले अथवा कुछ बैंकों के साथ संयुक्त रूप से – स्थापित करें तथा इन्हें तकनीकी

¹² स्रोत – टाइम्स कंप्यूटिंग, 16 जून 1999, पृ. 11 (हिंदी अनुवाद)

¹³ स्रोत – इकॉनॉमिक टाइम्स, 06 मार्च 2000

समाधान के साथ संबद्ध किया जाए।¹⁴ इसी तरह आंकड़े संप्रेषित करते समय उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए मानक क्रिप्टोग्रैफी प्रक्रियाओं के व्यापक उपयोग की भी संस्तुति की गई है।¹⁵ साथ ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन को गति देने के लिए हर छमाही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की बैठक बुलाने की भी संस्तुति की गई है।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त समिति ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कानूनों में अपेक्षित संशोधनों की भी सिफारिश की है, यथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए बहुल अदायगी प्रणालियों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रखे गए रिकॉर्डों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देने के लिए बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 1881 में संशोधन करने एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के विधि विभाग, भारतीय बैंक संघ एवं कुछ बैंकों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग संबंधी विधिक मसलों की जांच के लिए एक स्थायी समिति की स्थापना करने संबंधी सिफारिशें।¹⁶

पर अभी भी हम नेट-बैंकिंग के बारे में पूरी गंभीरता से नहीं सोच पा रहे हैं तथा उक्त समिति की रिपोर्ट में भी इस दिशा में स्पष्ट तौर पर कोई उल्लेखनीय सिफारिश नहीं की गई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां के ग्राहक वर्ग की कंप्यूटर एवं इंटरनेट तक पहुंच बहुत कम है और सीमित ग्राहकों के उपयोग के लिए न तो कोई बैंक तत्संबंधी मूलभूत संरचना के लिए व्यापक खर्च करना चाहेगा और न ही इन थोड़े से लोगों के लिए अभी व्यापक कानूनी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

तथापि उक्त समिति ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए एवं सूचना प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए जो सिफारिशें की हैं वे भविष्य में नेट-बैंकिंग को प्रारंभ करने का कार्य काफी सीमा तक आसान बना देंगी। इस बीच कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सेवाएं यथासंभव सस्ती एवं सर्वसुलभ बनाए जाने की जरूरत है ताकि निकट भविष्य में बैंकों के ग्राहकों द्वारा नेट-बैंकिंग की मांग में वृद्धि हो तथा

¹⁴ 'कमिटी ऑन टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन इन द बैंकिंग सेक्टर की रिपोर्ट', पृ. 67, पैरा 9.18 (हिंदी अनुवाद)

¹⁵ 'कमिटी ऑन टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन इन द बैंकिंग सेक्टर की रिपोर्ट', पृ. 65, पैरा 9.10 (हिंदी अनुवाद)

¹⁶ देखें - 'कमिटी ऑन टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन इन द बैंकिंग सेक्टर की रिपोर्ट', पृ. 73-74

¹⁷ टाइम्स कंप्यूटिंग, 16 जून 1999, पृ. 11

¹⁸ टाइम्स ऑफ इंडिया, 2 फरवरी 2000 (साइकामोर नेटवर्क के अध्यक्ष श्री गुरुराज 'राज' देशपांडे का साक्षात्कार - हिंदी अनुवाद)।

बैंकों को नेट-बैंकिंग की सेवाएं प्रदान करने के लिए एवं सरकार को तत्संबंधी कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़े। जैसे ही सरकार साइबर-लॉ संबंधी कानून बनाएगी, आजकल उपलब्ध नेट-बैंकिंग संबंधी आधी-अधीरी सेवाओं के बजाय वास्तविक नेट-बैंकिंग की सुविधा तक आपकी पहुंच हो सकेगी।¹⁷ जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि 'सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999' को अंतिम रूप देकर सरकार ने 16 दिसंबर 1999 को उसे लोक-सभा के पटल पर पेश कर दिया है।

विधिक प्रावधान करने तथा पीसी को सामान्य जनता तक सुलभ बनाने के ही साथ-साथ हमें प्रौद्योगिकीय मूलभूत संरचना के विकास पर भी पर्याप्त ध्यान देना होगा। 'आज, हालात ऐसे हैं कि बी-टु-बी (बिजनेस-टु-बिजनेस) के लिए ही पर्याप्त बैंडविड्थ उपलब्ध नहीं है, फिर बी-टु-सी (बिजनेस-टु-कंज्यूमर) या ई-टु-सी (एंटरटेनमेंट-टु-कंज्यूमर) के लिए उपयुक्त आर्किटेक्चर उपलब्ध होना तो बहुत दूर की बात है।¹⁸

नेट-बैंकिंग की शुरुआत गत सहस्राब्दी के अंतिम वर्ष (1999) में हो गई तथा एक वर्ष से भी कम समय में कम-से-कम निजी क्षेत्र के एवं विदेशी बैंकों में तो यह तेजी से लोकप्रिय हो गया है तथा जिस तीव्र गति से हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, हमें आशा करनी चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के कंप्यूटरीकरण एवं उनके ग्राहक वर्ग के बीच इंटरनेट के सुलभ होते ही वहां भी नेट-बैंकिंग का तेजी से प्रचलन प्रारंभ हो जाएगा। 'सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999' के पारित होने पर निश्चय ही इसे और अधिक गति मिलेगी।

०००

पत्रिका के जुलाई-सितंबर 2000 अंक में प्रकाशित

विश्व में भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में और मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के क्षेत्र में हुए सतत विकास एवं परिवर्तन कागजी लेन-देन पर आधारित भुगतान प्रणाली की जगह इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी के प्रति बदले

व्यवहार को दर्शाते हैं। इसका एक मुख्य कारण रख-रखाव में आसानी एवं इसका सुविधाजनक उपयोग है। ई-भुगतान प्रणाली के सभी माध्यमों जैसे, ई-निधि अंतरण, ई-समाशोधन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि में, ई-मुद्रा (ई-मनी) की संकल्पना ने विगत कुछ वर्षों में जोर पकड़ा है। विश्व में आज ई-मुद्रा की संकल्पना विकास के अलग-अलग चरणों में है।

यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक ने ई-मुद्रा को मोटे तौर पर एक तकनीकी उपकरण पर इलेक्ट्रॉनिक मूल्य संचय के रूप में परिभाषित किया है जिसका उपयोग निर्गमकर्ता को छोटे दूसरों को भुगतान करने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः पूर्वदत्तवाहक अर्थात् प्री-पेड के रूप में बिना बैंक खातों को सम्मिलित किए कार्य करता है।

ई-मुद्रा को सामान्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है – एक, पूर्वप्रदत्त मूल्य-वाला कार्ड और दूसरा सॉफ्टवेयर पर आधारित उत्पादक के रूप में। पूर्वप्रदत्त मूल्यवाला कार्ड ही इलेक्ट्रॉनिक पर्स (ई-पर्स) के रूप में जाना जाता है। सॉफ्टवेयर पर आधारित उत्पाद जो कंप्यूटर पर संचित रहता है और जिसका उपयोग इंटरनेट के जरिए किया जाता है, साधारणतः ‘डिजिटल कैश’ या ‘ई-कैश’ के रूप में जाना जाता है। ई-पर्स योजना सामान्यतया एक मेमरी कार्ड युक्त माइक्रोप्रोसेसर चिप का इस्तेमाल करती है जो एक प्लास्टिक कार्ड या सामान्यतया स्मार्ट कार्ड के अंदर स्थित होता है। जब एक बार ई-पर्स में संचित मूल्य समाप्त हो जाता है, उसमें पुनः मूल्य संचित किया जा सकता है। सामान्यतया ई-पर्स का उपयोग छोटे मूल्य वाले खुदरा भुगतान के रूप में किया जाता है और यह भविष्य में बैंक नोट, चेक, सिक्के, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के सहयोगी की भूमिका निभा सकता है। विश्व में भुगतान प्रणाली की विभिन्नता के कारण ई-पर्स के अलग-अलग प्रकार प्रचलित हैं। इसके पहले कि हम भारत

ई-पर्स

सुजीत कुमार अरविन्द

और दूसरे देशों में ई-पर्स की वास्तविक स्थिति, कार्यान्वयन और ई-पर्स से संबंधित अन्य पहलुओं पर विचार करें, हम ई-पर्स की जरूरत, इसके प्रकार और मुख्य बातों को जान लें।

ई-पर्स की आवश्यकता

अगर हम भारत की बात करें तो यह स्पष्ट है कि भारत में बैंक नोट एवं सिक्कों की मांग नकद लेन-देन पर अत्यधिक निर्भरता के कारण अधिक है। इसके कारण सदा ही मांग और आपूर्ति में अंतर बना रहता है जो भारतीय रिजर्व बैंक पर अच्छी अवस्था वाले बैंक नोट के निर्गम और परिचालन के लिए दबाव डालते हैं। ई-पर्स का व्यापक तौर पर सफलतापूर्वक कार्यान्वयन मानवश्रम, कीमती समय और मुद्रा जैसे संसाधन बचाने में मदद कर सकते हैं क्योंकि इससे छोटे मूल्य वाले बैंक नोट और सिक्कों के मुद्रण एवं ढलन की आवश्यकता काफी कम हो जाएगी।

ई-पर्स मुद्रा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सुविधाजनक वाहक के रूप में भी सहायक होता है। इसका व्यवहार हम उपयोगिता बिल भुगतान, टेलीफोन सेवाओं, यातायात सेवाओं, शापिंग मॉल्स, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं, पार्किंग टोल्स, स्थानीय टैक्स/शुल्क इत्यादि में कर सकते हैं जो हमें नकद लेन-देन में होने वाली असुविधाओं से बचा सकता है। ई-पर्स का व्यापक तौर पर प्रयोग वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों में परिचालनात्मक कुशलता प्रदान करता है और यह देश के प्रांतों एवं ग्रामों में भी बैंकिंग वित्तीय सुविधाओं के प्रसारक के रूप में कार्य कर सकता है।

ई-पर्स के प्रकार

क) एकल प्रयोजन ई-पर्स कार्ड

इसका प्रयोग मुख्यतः एक तरीके के लेन-देन जैसे, सार्वजनिक यातायात, टेलीफोन सेवाओं,

अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि में किया जाता है। इस प्रकार के ई-पर्स में एक मैग्नेटिक चिप होती है जिसमें संचित मूल्य जैसी सूचना संचित रहती है। सामान्यतया कम राशि संचित रहती है जिसका प्रयोग कार्डधारक सेवाओं के भुगतान के लिए कर सकता है।

ख) बंद या सीमित प्रयोजन ई-पर्स कार्ड

सीमित प्रयोजन ई-पर्स कार्ड का विषय क्षेत्र सीमित होने के कारण इसके प्रदाता ही कुछ चुने हुए विक्रय स्थानों में इसे स्वीकार करते हैं। अतः सामान्यतया मुद्रा के रूप में इसकी काफी अधिक मान्यता नहीं है। सभी सीमित ई-पर्स सामान्यतया ऋण (क्रेडिट) संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जोखिम कम होने के कारण इसका नियंत्रण भी सीमित ही होता है।

ग) खुला या बहु-उद्देशीय ई-पर्स कार्ड

बहु-उद्देशीय ई-पर्स कार्ड का विषय क्षेत्र काफी बड़ा है। इस प्रकार के ई-पर्स में संचित मूल्य को हम मुद्रा के समकक्ष मान सकते हैं। इसके उपयोग की सीमा लेन-देन के क्षेत्र में व्यापक है। बहु-उद्देशीय ई-पर्स कार्ड बहु विक्रेताओं द्वारा प्रदत्त सेवा जैसे, क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड इत्यादि के साथ मिलकर विभिन्न सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। अतः विभिन्न खुदरा विक्रेता एवं सेवाप्रदाता इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके व्यापक उपयोग एवं इसमें मुद्रा प्रतिस्थापन करने की क्षमता निहित होने के कारण विश्व में सामान्यतया सभी केंद्रीय बैंक इस पर नियंत्रण रखते हैं।

ई-पर्स की मुख्य विशेषताएं एवं कार्य-प्रणाली

ई-पर्स को एक पूर्व संचित मूल्य के रूप में किसी स्मार्टकार्ड योजना के अंतर्गत सामान या सेवा के क्रय के लिए उपयोग किया जाता है। ई-पर्स में मूल्य संचय नकद भुगतान करने या किसी योजना के अंतर्गत अंक संग्रह से किया जाता है। ई-पर्स में मूल्य संचय बैंक-अंतरण, बैंक एटीएम, नकद/


सिक्का भुगतान मशीन के जरिए भी किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, मुद्रा को सबसे पहले ई-पर्स जारीकर्ता को अदा किया जाता है। इसके उपरांत जारीकर्ता अदा किए गए मूल्य के समकक्ष मूल्य को ई-पर्स कार्ड में संचित करता है। इसके बाद उपभोक्ता के स्मार्टकार्ड अधिप्रमाणन की प्रक्रिया व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) के जरिए शुरू होती है। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के उपरांत उपभोक्ता के ई-पर्स से क्रय-मूल्य को घटा दिया जाता है और विक्रेता के ई-पर्स में समान मूल्य से

चित्र-1



बढ़ोतरी हो जाती है। विक्रेता तदुपरांत इस एकत्रित ई-मुद्रा को सेवा प्रदान करने वाली संस्था को भेज देता है और इसके एवज में सेवा प्रदान करनेवाली संस्था विक्रेता के बैंक खाते में ई-मुद्रा के समतुल्य मूल्य को जमा कर देती है। ई-पर्स की प्रक्रिया को हम निम्न दो तरीकों से दर्शाते हैं। चित्र संख्या 1 में बैंक स्वयं एक ई-पर्स निर्गमकर्ता के रूप में कार्य करता है और

चित्र-2



चित्र सं. 2 में एक मध्यवर्ती संस्था ई-पर्स निर्गमकर्ता के रूप में कार्य करती है।

ई-पर्स के प्रचार हेतु वांछनीय विशेषताएं

ई-पर्स योजना की स्वीकृति एवं प्रसार व्यापक तौर पर सुविधा, परिचालन सुरक्षा, ई-पर्स संचित मौद्रिक मूल्य, गोपनीयता-प्रश्न, अधिप्रमाणन, विश्वसनीयता, अखंडता, लागत-मूल्य आदि तत्वों पर निर्भर करता है।

क) सुविधा

ई-पर्स में सबसे अधिक वांछनीय लक्षण इसका सुविधाजनक उपयोग है। अतः मुद्रा-मूल्य को आसानी से ई-पर्स में संचित करना और इसके वहन करने में कोई दिक्कत नहीं आना ही इसके उपयोग को बढ़ाने में सहायक होगा। इसमें आसान तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए जिसे हम भविष्य में उन्नत

भी कर सकें। आवश्यकतानुसार कार्ड का इस्तेमाल परवर्ती या सतत सक्रिय रूप में ही किया जा सके। ई-पर्स को और भी मान्यता मिलेगी अगर अलग-अलग तरीकों की मुद्रा को ई-पर्स में संचित किया सके।

ख) परिचालन सुरक्षा

ई-पर्स के प्रयोग में सुविधाजनक उपयोग के अलावा परिचालनात्मक सुरक्षा की भी अत्यंत आवश्यकता है। परिचालन त्रुटियों से भी इसे मुक्त होना चाहिए। सुविधाजनक इनक्रिप्शन और डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए एक सुरक्षित परिचालन वातावरण प्रदान किया जा सकता है। अगर ई-पर्स सतत सक्रिय रूप में इंटरनेट के जरिए मुद्रा-मूल्य के हस्तांतरण की क्षमता रखे तो उपभोक्ता कंप्यूटर के जरिए घर बैठे सामान खरीद सकते हैं और इसका भुगतान ई-पर्स के जरिए क्रेडिट/डेबिट कार्ड की तरह कर सकते हैं।

ग) मौद्रिक मूल्य

ई-पर्स में संचित मूल्य को किसी दूसरी वांछित मुद्रा में या किसी दूसरे ई-पर्स धारक को विनिमय में देने की क्षमता भी होनी चाहिए।

घ) गोपनीयता, अधिप्रमाणन, अखंडनीयता एवं लागत मूल्य

मुद्रा की तरह ई-पर्स के जरिए लेन-देन संपूर्ण गुमनामी/गोपनीयता प्रदान नहीं करता है क्योंकि हरेक लेन-देन का रिकार्ड रखा जाता है। सुरक्षा कारणों से हालांकि संपूर्ण गुमनामी तो ई-पर्स में प्रदान नहीं की जा सकती परंतु उपभोक्ता को सीमित तौर पर गुमनामी एवं गोपनीयता प्रदान करनी चाहिए। अधिप्रमाणन एवं अखंडनीयता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल में आने वाला हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का लागत मूल्य भी कम होना चाहिए। विश्व में उपयोग होने वाला मॉन्डेक्स ई-पर्स इसका अच्छा उदाहरण है।

परिचालन लागत मूल्य भी कम होना चाहिए ताकि ई-पर्स को अधिकाधिक प्रसार मिले।

विश्व और भारत में ई-पर्स क्रियान्वयन

ई-पर्स क्रियान्वयन विश्व के अलग-अलग देशों में विकास की अलग-अलग अवस्थाओं में है। यूरोप में सफल ई-पर्स योजनाओं में ‘प्रोटोन’ ई-पर्स है जो कि बोल्जियम एवं नीदरलैंड में ज्यादा प्रचलित है। जर्मनी में ‘गेल्डकार्ट’ ई-पर्स प्रचलित है। इटली, स्पेन और पुर्तगाल में भी ई-पर्स योजनाएँ प्रचलित हैं लेकिन उनका उपयोग व्यापक नहीं है। ये सभी ई-पर्स योजनाएँ प्रायः भिन्न-भिन्न परिवेश में परिचालित होने के कारण एक-दूसरे के बीच परस्पर परिचालन में बाधा उपस्थित करती हैं। इसे देखते हुए कॉमन यूरोपियन पर्स स्कीम (CEPS) की शुरुआत यूरोप में सभी ई-पर्स योजनाओं के लिए एक आम यूरोपियन मानक के रूप में की गई है। यह सभी विक्रेताओं एवं संघों के साथ मिलकर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रस्तावों एवं CENEN 1546 मानक पर आधारित ई-पर्स योजना है।

अमेरिका में दूसरे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के ज्यादा चलन के कारण ई-पर्स योजना का बहुप्रचलन नहीं हुआ है। यह सामान्यतः सरकारी यातायात एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में ही ज्यादा प्रयुक्त हुआ है। बहुप्रचलित ई-पर्स योजनाओं में वीजा कैश और मॉन्डेक्स आते हैं।

एशिया में सिंगापुर और मलेशिया स्मार्टकार्ड कार्यान्वयन में अग्रणी हैं। मलेशिया का बहु-अनुप्रयोगवाला राष्ट्रीय पहचानपत्र ‘माइकैड’ आम जनता के लिए विश्व में सबसे अधिक सफलतापूर्वक लागू बहु-अनुप्रयोगी स्मार्टकार्ड योजना है। इसमें पहचानपत्र के अलावा ड्राइवर लाइसेंस, ई-पर्स, स्वास्थ्य संबंधी अनुप्रयोग, पासपोर्ट, यातायात संबंधी सुविधाएं समाहित हैं। ‘मैप्स कैश’ (प्रोटोन) एक दूसरी प्रचलित ई-पर्स योजना है।

थाईलैंड ने भी इसी आधार पर बायोमैट्रिक तकनीक पर आधारित राष्ट्रीय बहु-अनुप्रयोग वाले स्मार्टकार्ड पहचानपत्र की पहल की है। सिंगापुर में ‘नेट्स ई-पर्स’ खुदरा खरीददारी के लिए भुगतान प्रणाली के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में लागू किया गया है। यातायात, टोल-टैक्स एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं

के लिए इसके उपयोग ने आम जनता की सुविधा को बढ़ाया है। ‘कैशकार्ड’ एक दूसरी ई-पर्स योजना है जिसमें मूल्य संचय किओस्क (Kiosks) एटीएम, मोबाइल फोन या इंटरनेट के जरिए भी किया जा सकता है।

हांगकांग में ‘ऑक्टोपस कार्ड’ सबसे अधिक सफल ई-पर्स कार्ड योजना है। इसमें करीब 83 लाख अमेरिकी डालर के कारोबार एवं 90 लाख लेन-देन रोजाना होते हैं, जो कि हांगकांग के सकल देशी उत्पाद (GDP) का 2 प्रतिशत है। यहाँ दूसरे प्रचलित कार्ड मॉन्डेक्स और वीसा हैं।

अगर हम भारत की बात करें तो भारत में स्मार्ट कार्ड उद्योग अभी भी शैशवावस्था में ही है। तकनीकी विकास भारत में ई-पर्स के विकास के लिए बाधा का कारण नहीं है और धीरे-धीरे इसका उपयोग भविष्य में जोर पकड़ेगा। मुंबई में बेस्ट ने सार्वजनिक बस यातायात में ई-पर्स की सुविधा शुरू की है। इसमें संपर्क-रहित स्मार्ट कार्ड स्वचालित रूप में यात्रा के शुरू एवं अंत के रिकार्ड के आधार पर शुल्क को ई-पर्स के संचित मूल्य से घटा लिया जाता है। बहु-अनुप्रयोगी इस कार्ड का नाम ‘गो-मुंबई’ रखा गया है। आईसीआईसीआई बैंक बेस्ट के लिए निपटान बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। एचपीसीएल (HPCL) ने अपने उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित डिजिटाइज्ड ई-पर्स योजना शुरू करने की पहल की है। राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरा स्मार्ट कार्ड भुगतान प्रणाली जीरो मास उद्योग सहायता संघ (Zero-Mass Industry Consortium) के जरिए लागू की जा रही है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ एवं सूचना मंत्रालय, आईडीआरबीटी एवं आईआईटी, मुंबई द्वारा संचालित किया जा रहा है। ‘जीरो मास योजना’ प्रोटो मेट्रिक्स कार्ड प्रबंधन तंत्र पर आधारित है। इसके जरिए करीब 7 करोड़ ऐसे लोग भी लाभ उठा सकेंगे जिनके पास बैंकिंग सुविधा नहीं है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण योजना ‘स्मार्स’ (रुपी सिस्टम) की शुरुआत 1998 में एक पायलट के तौर पर आईआईटी, मुंबई में शुरू की गई ताकि पूरे कैम्पस को कैशरहित बनाया जाए। केनरा एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आईआईटी, मुंबई शाखा के सभी बचत खाताधारियों को यह कार्ड जारी किया गया। कार्ड-रीडर मशीन कुछ चुनिंदा व्यावसायिक केंद्रों पर कैम्पस के अंदर लगाई


गई। हालांकि यह प्रोजेक्ट सफल रहा परंतु बहु-प्रचलित नहीं हुआ।

आईडीआरबीटी ने पूर्व संचित ऋण प्रयोजन से संबंधित तकनीकी मानक तैयार कर भारतीय रिज़र्व बैंक को विचारार्थ प्रस्तुत किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस संदर्भ में 16 नवंबर 1999 को स्मार्टकार्ड के परिचालन संबंधी निर्देश जारी किए हैं। मई 2000 में यह फैसला लिया गया कि आईडीआरबीटी ही एकमात्र प्रमुख प्रबंधन अभिकरण के रूप में सभी स्मार्ट कार्ड संबंधी क्रिया-विधियां करेगा। प्रक्रिया संबंधित सभी नीतियाँ भी आईडीआरबीटी ही सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, औद्योगिक संस्थाओं एवं ‘स्मार्स’ सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर तय करेगा।

ई-पर्स संबंधी विश्व-प्रणाली – अभिकल्पना एवं सांख्यिकी

जैसा कि पहले ही जिक्र किया गया कि बेल्जियम में प्रोटोन, कनाडा, अमेरिका, हांगकांग में मॉन्डेक्स, जर्मनी में गेल्डकार्ट, हांगकांग में ऑक्टोपस, वीसा कैश रिपब्लिक ब्राजील एवं अमेरिका में ई-पर्स योजनाएं बहुप्रचलित हैं।

अगर संख्या की बात करें तो प्रोटोन मॉन्डेक्स, ऑक्टोपस, कैशकार्ड एवं गेल्डकार्ट सबसे अधिक प्रचलित हैं। बीआईएस द्वारा मार्च 2004 में जारी किए गए ई-मुद्रा से संबंधित प्रणालीगत विशेषताएं एवं सांख्यिकी सारणी संख्या 1 और 2 में इंगित हैं।



सारणी संख्या 1

देश	ई-पर्स योजना
बेल्जियम	प्रोटोन
हालैंड	चिपनिप
कनाडा	विजा कैश

हांगकांग	ऑक्टोपस, याहू पे डीरेक्ट
जर्मनी	गेल्डकार्ट
अमेरिका	स्टारबक्स, वीसा कैश
कोरिया	कै-कैश, माईबाई, ऐ-कैश
फ्रांस	मॉन्डेक्स, मीनठ पे
सिंगापुर	नेटस् कैशकार्ड, इजी लिंक कार्ड
मलेशिया	मेप्स कैश, टच एन गो
चेक रिपब्लिक	फनचीप
इटली	मीनी पे, मोनीटा, सेला, कलीबा
नाइजीरिया	वैल्यू कार्ड, स्मार्ट पे, एसका
भारत	गो मुंबई, स्मार्स, जीरो मास प्रोजेक्ट

ई-पर्स संबंधी कुछ प्रश्न/विचार

ई-पर्स संबंधी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों में ‘ई-पर्स’ के प्रयोग से केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर प्रभाव, पर्यवेक्षण एवं उपरिपरिवेक्षण संबंधी प्रश्न, विधि-संबंधी प्रश्न, सुरक्षा संबंधी प्रश्न, ई-पर्स निर्गमकर्ता संबंधी प्रश्न एवं सीमा-पार लेन-देन संबंधी प्रश्न आदि शामिल हैं।

क) केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर प्रभाव

सामान्यतः ई-पर्स में छोटे मूल्य ही संचित रहते हैं जिसमें ऊपरी सीमा तय रहती है, अतः अभी तक किसी केंद्रीय बैंक ने ई-पर्स के कारण मौद्रिक नीति पर कुप्रभाव की बात नहीं की है। छोटे मूल्य होने के कारण केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र पर मुद्रा संचलन संबंधी समस्या भी नहीं है। कुछ केंद्रीय बैंक जैसे जर्मनी, बेल्जियम, हांगकांग, सिंगापुर, यूके आदि देश ई-पर्स संबंधी तथ्य संग्रह करते हैं एवं सतत निगरानी करते हैं। ECB के अनुसार केन्द्रीय बैंक अपने तुलन-पत्र (Balance sheet) को ई-मुद्रा निर्गमकर्ता पर आरक्षित अभीष्ट निधि के जरिए बनाए रख सकता है। दूसरे विकल्प के रूप में केंद्रीय बैंक स्वयं ही ई-मुद्रा को निर्गमित कर सकता है।

ख) पर्यवेक्षण एवं उपरिपरिवेक्षण प्रश्न

सभी केंद्रीय बैंक ई-पर्स से संबंधित प्रायः सभी तथ्यों पर नजर रखते हैं। फर्जी ई-पर्स योजना भी केंद्रीय बैंक के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन एवं यूके में पर्यवेक्षण की भूमिका अलग संस्थाएं करती हैं, और कोरिया, मैक्सिको एवं स्विट्जरलैंड जैसे देशों में ई-पर्स/ई-मुद्रा से संबंधित कोई उपाय नहीं किए गए हैं। भारत में इस क्षेत्र में दिशा-निर्देश दिए गए हैं और ई-मुद्रा से जुड़े सभी अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास हैं। भारत में सिर्फ बैंक ही ई-मुद्रा का निर्गम कर सकते हैं।

ग) विधि संबंधी प्रश्न

ई-मुद्रा के समाशोधन एवं भुगतान संबंधी व्यवस्थाएँ, अंतिम भुगतान संबंधी प्रश्न, अंतिम भुगतान के पहले ही ई-पर्स निर्गमकर्ता के दिवालिया होने से संबंधित प्रश्न आदि कुछ महत्वपूर्ण विधि संबंधी प्रश्न हैं। यूरोपियन यूनियन ने सन 2000 में दो दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें ई-मुद्रा से संबंधित विवेक-सम्मत पर्यवेक्षण के बारे में बताया गया है।

घ) सुरक्षा से संबंधित प्रश्न

ई-पर्स योजना में सुरक्षा भंग होने से निर्गमकर्ता, उपभोक्ता एवं बैंक सभी को नुकसान पहुँच सकता है। अतः ई-पर्स कार्ड योजना को सुरक्षित बनाने के लिए अंतर्निहित विशेषताएँ जैसे, इनक्रिप्शन, अधिकतम मौद्रिक मूल्य, अहस्तांतरणीयता आदि का समावेश होना चाहिए। PIN का उपयोग ई-पर्स में मूल्य संचित करते समय सुरक्षा को बढ़ाता है।

ङ) ई-पर्स निर्गमकर्ता संबंधी प्रश्न

भारत, मेक्सिको, ताईवान और सिंगापुर जैसे देशों में जहाँ ई-मुद्रा का निर्गम सिर्फ बैंक ही कर सकते हैं, निगरानी संबंधी प्रश्न नहीं है। लेकिन कनाडा, मलेशिया, हांगकांग और अमेरिका में, जहाँ

ई-मुद्रा के निर्गम पर कोई नियंत्रण नहीं है, केंद्रीय बैंक की पर्यवेक्षण एवं निगरानी की दृष्टि से भूमिका बढ़ जाती है।

यूरोपियन यूनियन जैसे एकत्रित परिवेश में सीमा पार संबंधी परिचालन की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

इसे दूर करने के लिए यूरो क्षेत्र में दो प्रोजेक्ट, ‘पेस (PACE)’ और ‘डुकाटो (DUCATO)’ की शुरुआत की गई है। विश्व के अन्य देशों के बीच भी इसी आधार पर पारस्परिक ई-पर्स योजनाएँ लागू की जा सकती हैं।

पूरे देश में एकसमान तकनीकी मानकीकरण की भी आवश्यकता है ताकि ई-पर्स निर्गमकर्ताओं के बीच पारस्परिक परिचालन से संबंधित प्रश्न उत्पन्न न हों। साथ-ही-साथ इसमें कम लागत मूल्य और परिचालनात्मक दक्षता भी प्राप्त हो। भारत ने इस संबंध में काफी सक्रिय कदम उठाया है और जैसाकि पहले वर्णन किया जा चुका है, भारत ने मानकीकरण संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

हालांकि ई-पर्स योजनाओं में सामान्यतः मूल्य-संचय कम ही होते हैं परंतु बेहिसाबी ई-पर्स योजना का व्यापक तौर पर गलत उपयोग केंद्रीय बैंक के लिए जोखिम का विषय बन सकता है। विश्व में बढ़ते काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया के कारण आज केंद्रीय बैंक को इस संबंध में सतत सचेत निगरानी रखनी होगी।

अगर हम पूरे विश्व में ई-पर्स के क्रियान्वयन पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि कुछेक चुनिंदा ई-पर्स योजनाओं को छोड़कर बाकी ई-पर्स योजनाएँ सफल नहीं हुई हैं। इसका कारण वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था की उपलब्धता, परिवर्तन का विरोध, उपभोक्ताओं तक पहुँचने में बाधा, आम उपभोक्ताओं के लिए इसे रखने की अक्षमता आदि हो सकते हैं। भारत में धीरे-धीरे इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार बढ़ रहा है।

क्रेडिट कार्ड्स के अधिक सुविधाजनक होने के कारण ई-फर्म को उपभोक्ताओं से अपेक्षित मान्यता नहीं मिल पाई है। इसके कारण ही पूर्व में ‘साइबर कैश आईएनसी’ जैसी ई-पर्स संस्था सन् 1998 के उपरांत 310 लाख अमेरिकी डालर से भी ज्यादा नुकसान उठा चुकी है। ‘डिजीकैश’ एवं ‘फर्स्ट बर्चुअल होल्डिंस’ जैसी ई-पर्स कंपनियाँ पहले ही बंद हो चुकी हैं। वीसा एवं मास्टर कार्ड के नए-नए तरीके ई-पर्स के प्रचार एवं प्रसार में प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं।

गोपनीयता की कमी भी ई-पर्स के विकास और भविष्य में मुद्रा को स्थानापन्न करने में बाधक है। एक ई-पर्स कार्ड से दूसरे कार्ड में मूल्य की हस्तांतरणीयता का प्रश्न भी इसके विकास में रुकावट पैदा कर रहा है। अतिरिक्त सुरक्षा-संबंधी विशेषताएं भी इसके लागत-मूल्य एवं सुविधाजनक उपयोग पर

प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं। लेकिन भविष्य में इसे ही सरलीकृत कर दूसरी भुगतान-प्रणाली, जैसे क्रेडिट/डेबिट कार्ड के सामने एक अच्छे विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

भविष्य में ई-पर्स लेन-देन में गोपनीयता, अखंडनीयता, अधिप्रमाणिकता आदि विशेषताएँ कम लागत मूल्य पर सुविधाजनक रूप में आम लोगों के बीच प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी क्षमता को पहचान सकें एवं इसे सहर्ष स्वीकार कर सकें। यह भी विचारणीय प्रश्न है कि क्या बैंकों के अलावा भी दूसरी संस्थाओं को ई-पर्स निर्गमकर्ता के रूप में अनुमति दी जाए या नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी निगरानी केंद्रीय बैंक को सतत ही करनी पड़ेगी।

सारणी 2

देश	ई-पर्स योजना	निर्गमकर्ता की संख्या	दैनिक लेन-देन संख्या	दैनिक लेन-देन मूल्य (यूएस डालर)	सूचित करने की तिथि
बेल्जियम	प्रोटोन	2.5	300,445	1,774,438	फरवरी 2003
ब्राज़ील	वीसा कैश	7	7,233	125,704	2003
चेक रिपब्लिक	फनचीप	1	15,092	413,228	दिसम्बर 2002
हांगकांग	ऑक्टोपस/पे डीरेक्ट	60.1	7,000,000/उपलब्ध नहीं	6,000,000/उपलब्ध नहीं	अक्टूबर 2003
जर्मनी	गेल्डकार्ट	3,500	107,547	209,569	जुलाई 2003
मलेशिया	मेप्स कैश, टच एन गो	12/1	42/80/615	43,87/एमवाईआर 260,867 एमवाईआर	जून 2003
आस्ट्रिया	विविक / पेसेफ	1/1	47,123/उपलब्ध नहीं	363,013/8000	दिसम्बर 2002
फ्रांस	मौनिया	11	53,700	198,000 यूरो	जून 2003
सिंगापुर	नेट्स कैशकार्ड, ईजी लिंक कार्ड	3; 1	116,000,000; 26,000,000	138,000,000; 12,4000,000	मार्च-दिसंबर 2002
कोरिया	के-कैश माईबाई ऐ-कैश	18; 6; 2	12,858; 501,020; 80,000	7,600; 308,700; 47,100	जून 2003 सितम्बर 2003 अगस्त 2003

○○○

पत्रिका के अक्टूबर-दिसंबर 2006 अंक में प्रकाशित

भारत में 1998 तक शेयरों का कारोबार परंपरागत ढंग से अर्थात् काग़जी या दस्तावेज़ी रूप में होता था। कारोबार की इस प्रकार की अपनी सीमाएं और कमियां थीं जैसे कि प्रमाणपत्रों की चोरी होने/ गुम होने/कट-फट जाने का डर, नकली/जाली प्रमाणपत्र आ जाने का डर साथ ही प्रमाणपत्रों में हेराफेरी या जालसाजी भी आसानी से हो जाती थी। यही नहीं, प्रतिभूतियों के स्वामित्व में बदलाव करने के लिए ट्रांसफर में लगाने वाला लंबा समय और जटिल प्रक्रिया भी थका देने वाली थी। इन कमियों से निजात पाने के लिए एक नई प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसे डिपॉजिटरी प्रणाली का नाम दिया गया है। जिस प्रकार एक बैंक खाते में जमाराशि रखी जाती है ठीक उसी प्रकार इस प्रणाली में प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है अर्थात् अब काग़जी प्रतिभूतियों के स्थान पर बुक एंट्री फार्म में प्रतिभूतियों का लेन-देन होता है।

डिपॉजिटरी क्या है?

डिपॉजिटरी एक ऐसा संगठन है जो निवेशकों के अनुरोध पर प्रतिभूतियों (यथा - शेयरों, डिबेंचरों, बॉण्डों, सरकारी प्रतिभूतियों, म्यूचुअल फंड की यूनिटों आदि) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने पास रखता है। यह कार्य डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) के माध्यम से किया जाता है और इसी क्रम में निवेशकों को उनकी प्रतिभूतियों के लेन-देन से संबंधित सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। डिपॉजिटरी की तुलना एक बैंक से की जा सकती है। एक बैंक के समान ही ये भी ग्राहक का एक खाता खोलते हैं जिसे बेनिफिशियल ओनर खाता (BO Account) कहा जाता है, फर्क यही होता है कि बैंक में हम धन जमा करते हैं तो बी.ओ. खाते में प्रतिभूतियां रखी जाती हैं, खातेदार के निर्देश पर एक खाते से दूसरे खाते में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है और प्रतिभूतियों की सुरक्षा की भी पूरी तरह गारंटी रहती है।

डिपॉजिटरी सहभागी (डी.पी.) डिपॉजिटरी के एजेंट होते हैं जिनके माध्यम से डिपॉजिटरी निवेशकों तक अपनी पहुंच

डिपॉजिटरी (डीमैट) प्रणाली

के.सी. मालपानी

सुनिश्चित करती है और अपनी सेवाएं प्रदान करती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने वाली सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से भारत में कार्यरत कोई भी विदेशी बैंक, राज्य वित्त निगम, स्टॉक दलाल, समाशोधन निगम, समाशोधन गृह, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सार्वजनिक निर्गमों के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों को डिपॉजिटरी सहभागी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

फिलहाल हमारे देश में दो डिपॉजिटरी कार्यरत हैं (i) राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) (ii) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL)। इसके अलावा 30 सितंबर 2008 की स्थिति के अनुसार सेबी द्वारा कुल 711 डिपॉजिटरी सहभागियों (डी.पी.) का पंजीकरण किया जा चुका है।

बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) पर होने वाले कारोबार के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब 99.9 प्रतिशत सौदे अभौतिक (डीमैट्रियल) रूप में निपटाए जा रहे हैं।

डिपॉजिटरी प्रणाली के लाभ

- प्रतिभूतियों को रखने का एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका,
- प्रतिभूतियों का तत्काल अंतरण संभव,
- प्रतिभूतियों के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगता,
- काग़जी प्रमाणपत्रों के साथ जुड़े विभिन्न जोखिमों यथा नकली प्रतिभूतियों, अपूर्ण डिलिवरी (Bad

Delivery), प्रतिभूतियों की चोरी, स्वामित्व के अंतरण में लगने वाली देरी आदि से बचाव,

- ⦿ प्रतिभूतियों के अंतरण में होने वाली कागजी कार्रवाई में कमी,
- ⦿ लेन-देन लागत में कमी,
- ⦿ ऑड लाट की समस्या का समाधान (अब एक शेयर का भी कारोबार किया जा सकता है),
- ⦿ नामांकन की सुविधा,
- ⦿ डी.पी. के पास दर्ज पते में परिवर्तन किए जाने पर यह परिवर्तन उन सभी कंपनियों के साथ स्वतः ही पंजीकृत हो जाता है जिनके शेयर, बांड निवेशक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित किए गए हैं। इस प्रकार प्रत्येक कंपनी के साथ अलग-अलग पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
- ⦿ प्रतिभूतियों का अंतरण डी.पी. द्वारा किया जाता है जिससे कंपनियों के साथ पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
- ⦿ बोनस / विभाजन / विलयन आदि के परिणामस्वरूप मिलने वाले शेयर डीमैट खाते में सीधे ही जमा हो जाते हैं।
- ⦿ इक्विटी और कर्ज (debt) दोनों ही प्रकार के निवेश को एक ही खाते में साथ-साथ रखा जा सकता है।
- ⦿ निवेश पर मिलने वाला लाभांश डी.पी. के पास दर्ज निवेशक के बैंक खाते में ईसीएस सुविधा द्वारा सीधे ही जमा हो जाता है।
- ⦿ सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से आबंटित होने वाले शेयर डी.पी. में खोले गए बेनिफिशियल ओनर खाता (BO Account), जिसे डीमैट खाता भी कहते हैं, में इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा हो जाते हैं जबकि रिफंड के रूप में मिलने वाली रकम ईसीएस सुविधा के माध्यम से ग्राहक के उस बैंक खाते में जमा हो

जाती है जिसकी जानकारी ग्राहक ने डी.पी. को दे रखी है।

खाता खोलना

डिपॉजिटरी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निवेशक को डिपॉजिटरी सहभागी (डी.पी.) के साथ एक बेनिफिशियल ओनर खाता (BO Account) खोलना होगा। इसके लिए निवेशक को किसी डिपॉजिटरी के पास जाकर खाता खोलने का फार्म भरना होगा तथा फार्म के साथ पासपोर्ट आकार का फोटो, किसी भी बैंक में अपने खाते के प्रमाणस्वरूप माइक्र चेक की एक नमूना प्रति, पहचान का प्रमाण तथा पते का प्रमाण देने के लिए सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्रमाण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। पहचान के प्रमाण (POI) के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड तथा पते के प्रमाण (POA) के रूप में राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पास बुक तथा मतदाता पहचान पत्र में से किसी एक की प्रतिलिपि दी जा सकती है। 1 अप्रैल 2006 से खाता खोलते समय पैन कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया गया है। खाता खोले जाने के समय इन दस्तावेजों की प्रतिलिपियों और मूल दस्तावेजों को डी.पी. के अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है ताकि वे प्रतिलिपियों का सत्यापन कर सकें।

इसके अलावा आवेदक को डी.पी. द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक करारनामा भी करना होगा जिसमें निवेशक और डी.पी. के अधिकारों और कर्तव्यों का भी उल्लेख किया रहता है। डी.पी. द्वारा निवेशक को इस करारनामे और शुल्क आदि की एक तालिका भी दी जाएगी, जिनकी बाद में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद डी.पी. द्वारा खाता खोल दिया जाता है और इसे एक विशेष नंबर दिया जाता है जिसे बी.ओ. आईडी कहा जाता है, भविष्य में जो भी सौदे किए जाते हैं वे सब इसी खाते के माध्यम से होते हैं।

निवेशक एक ही नाम में अलग-अलग डी.पी. के पास या एक ही डी.पी. में एक से अधिक खाते भी खोल सकते हैं। डीमैट खाता कागजी प्रतिभूतियों के स्वामित्व के अनुसार अर्थात् एकल स्वामित्व वाले शेयर प्रमाणपत्रों के लिए एकल

नाम में और संयुक्त स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों के लिए संयुक्त नाम में खोलना होगा। ध्यान रहे कि इन संयुक्त खातों का संचालन बैंक खाते के समान अर्थात् दोनों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी के आधार पर नहीं किया जा सकता है। खातेदार अपनी इच्छानुसार जब भी चाहे खाता बंद कर सकता है। ऐसी अवस्था में डी.पी. खातेदार से मिले निर्देशों के अनुसार निवेशक के खाते में मौजूद सभी प्रतिभूतियों को उसके द्वारा बताए गए अन्य खाते में अंतरित कर देगा और खाता बंद कर दिया जाएगा।

नामांकन सुविधा

खातेदार की मृत्यु की दशा में प्रतिभूतियों के अंतरण को आसान बनाने के लिए डीमैट खाते के साथ नामांकन की सुविधा भी दी जाती है। इसके लिए खाता खोलते समय या बाद में भी विधिवत भरा हुआ नामांकन फार्म; जिस पर खातेदार, नामिती और दो गवाहों के हस्ताक्षर हों; नामिती के नाम, पते तथा फोटो के साथ डी.पी. को प्रस्तुत करना होगा। नामांकन के बाद व्यक्तिगत हिताधिकारी खातेदार, जो एकल अथवा संयुक्त रूप में खाता खेता हो, के द्वारा ही किया जा सकता है। साझेदारी संस्था, सोसाइटी, ट्रस्ट, एचयूएफ का कर्ता, मुख्तारनामाधारक नामिती भी केवल व्यक्ति ही हो सकता है अर्थात् साझेदारी संस्था, सोसाइटी, ट्रस्ट, एचयूएफ का कर्ता, मुख्तारनामाधारक नामिती नहीं हो सकते। हालांकि एक नाबालिंग को नामिती बनाया जा सकता है। इसके लिए नामिती के साथ-साथ उसके संरक्षक का नाम, पते तथा फोटोग्राफ आदि भी डी.पी. को प्रस्तुत किया जाना होगा।

खाता खोलने का शुल्क और अन्य प्रभार

सेबी द्वारा खाता खोलने, खाता बंद करने, लेन-देन शुल्क (क्रेडिट और प्रतिभूतियों के खरीद लेन-देनों के लिए) तथा कस्टडी प्रभारों को समाप्त कर डीमैट खातों के संबंध में लेन-देन लागतों/प्रभारों को तर्कसंगत बनाया गया है। अब कस्टडी प्रभार प्रतिभूतियों को जारी करने वाली कंपनियों द्वारा वहन किए जाते हैं। खातेदार को अब केवल निम्न प्रभार ही चुकाने होते हैं:

- * प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कराने (डीमैटिरियलाइज़ेशन) और इलेक्ट्रॉनिक फार्म से कागज़ी रूप में परिवर्तित कराने (रिमैटिरियलाइज़ेशन) के शुल्क,
- * वार्षिक खाता रखरखाव प्रभार,
- * लेन-देन शुल्क (केवल प्रतिभूतियों के बिक्री (डेबिट) सौदों के लिए)।

कागज़ी प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जाना (डीमैटिरियलाइज़ेशन)

डीमैटिरियलाइज़ेशन की प्रक्रिया में निवेशक के कागज़ी प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलकर डी.पी. में खोले गए डीमैट खाते में प्रतिभूतियों की संख्या के अनुसार जमा कर दिया जाता है। डीमैट खातेदार को किसी भी कागज़ी प्रतिभूति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कराने हेतु डी.पी. द्वारा निर्धारित फार्म (डीआरएफ) को भरकर संबंधित कागज़ी प्रमाण पत्र के साथ डी.पी. को प्रस्तुत करना होता है। डिपॉजिटरी प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रतिभूतियों को बारह अंकों की वर्णकीय (अल्फान्यूमरिक) संख्यात्मक पहचान संख्या ISIN दी गई है। अलग-अलग ISIN संख्या वाली प्रतिभूतियों के लिए अलग-अलग डीआर फार्म भरने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्नानुसार हैं:

- * निवेशक द्वारा कागज़ी प्रतिभूतियों को डीमैटिरियलाइज़ेशन किए जाने हेतु निर्धारित फार्म के साथ डी.पी. को प्रस्तुत किया जाता है।
- * डी.पी. द्वारा इस संबंध में प्राप्त अनुरोध की सूचना कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से डिपॉजिटरी को दी जाती है।
- * डी.पी. द्वारा डीमैटिरियलाइज़ेशन हेतु प्राप्त कागज़ी प्रमाणपत्रों को संबंधित कंपनी के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाता है।
- * संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा डिपॉजिटरी से डीमैटिरियलाइज़ेशन अनुरोध की पुष्टि प्राप्त की जाती है।

- * रजिस्ट्रार द्वारा काग़जी प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और इसकी सूचना डिपॉजिटरी को दी जाती है।
- * डिपॉजिटरी द्वारा अपने लेखों में इस आशय की प्रविष्टि दर्ज की जाती है और इसकी सूचना डी.पी. को भेज दी जाती है।
- * अंततः डी.पी. द्वारा निवेशक के डीमैट खाते में प्रतिभूतियां जमा कर दी जाती हैं।
- * इस पूरी प्रक्रिया में सामान्यतया तीस दिन तक का समय लग सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूतियों को पुनः काग़जी प्रमाणपत्रों में परिवर्तित किया जाना (रिमैट्रियलाइज़ेशन)

डीमैट्रियलाइज़ेशन प्रक्रिया के ठीक विपरीत निवेशक अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूतियों को पुनः काग़जी स्वरूप में परिवर्तित करवा सकते हैं। इसके लिए खातेदार को निर्धारित फार्म (आर.आर.एफ.) में अपना अनुरोध डी.पी. को प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद डी.पी. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निवेशक का अनुरोध संबंधित डिपॉजिटरी तक पहुंचाया जाता है। डिपॉजिटरी द्वारा इस बात की जांच करने के बाद कि खातेदार के पास प्रतिभूति का पर्याप्त शेष मौजूद है, संबंधित कंपनी के रजिस्ट्रार को इस बारे में सूचित कर दिया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों को फिर से काग़जी प्रमाणपत्र के रूप में परिवर्तित कर निवेशक को भेज देता है।

इलेक्ट्रॉनिक (डीमैट) रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का कारोबार/निपटान

इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखी गई प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री उतनी ही आसान है जितनी कि काग़जी प्रतिभूतियों की। केवल इनकी सुपुर्दगी (Delivery) तथा प्राप्ति (Receipt) की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर पाया जाता है। प्रतिभूतियों की बिक्री हेतु खातेदार को सबसे पहले ब्रोकर के माध्यम से स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों को बेचना होगा। इसके बाद अपने डी.पी. को यह अनुदेश देना होगा कि अमुक प्रतिभूति उसके

खाते में नामे कर दी जाए तथा संबंधित ब्रोकर/सब ब्रोकर के समाशोधन खाते में जमा कर दी जाए। अपने खाते से सुपुर्दगी देने हेतु खातेदार को अनुदेश पर्ची (DIS) को विधिवत भरकर तथा अपने हस्ताक्षर कर डी.पी. को प्रस्तुत करना होता है। डी.पी. द्वारा खाता खोले जाते समय खातेदार को सुपुर्दगी अनुदेश पर्चियों (DIS) की एक पुस्तक प्रदान की जाती है। इन पर्चियों की तुलना बैंक खाते की चेक बुक से की जा सकती है। इसके बाद निपटान तारीख पर निवेशक के खाते में प्रतिभूतियां डेबिट कर दी जाती हैं तथा ब्रोकर द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय प्रतिफल का भुगतान निवेशक को कर दिया जाता है।

प्रतिभूतियों का क्रय किए जाने हेतु सबसे पहले ब्रोकर को क्रयादेश देना होगा तथा इसके बाद ब्रोकर को प्रतिभूतियों का भुगतान करना होगा। निपटान की तारीख को खातेदार के डीमैट खाते में ब्रोकर के समाशोधन खाते के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रतिभूतियां जमा कर दी जाती हैं। इसके लिए खाता खोलते समय ही डी.पी. को डीमैट खाते में प्रतिभूतियां जमा के रूप में स्वीकार किए जाने हेतु एकबारगी स्थायी अनुदेश दिया जाना होता है अन्यथा हर बार खाते में प्रतिभूतियां जमा किए जाने हेतु डी.पी. को प्राप्ति अनुदेश (Receipt Instructions) देने पड़ेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों पर लाभांश/ब्याज और बोनस शेयर आदि का वितरण

लाभांश और ब्याज का वितरण किए जाने हेतु कंपनियां एक निश्चित तारीख को डीमैट खातेदारों से संबंधित सूचनाएं तथा उनके खातों में बनी हुई धारिताओं की सूचना डिपॉजिटरी से प्राप्त कर लेती हैं और उनको देय लाभांश/ब्याज आदि का भुगतान ईसीएस अथवा भुगतान आदेश, जिस पर खातेदार के बैंक खाते के ब्यौरे आदि छपे रहते हैं, द्वारा कर देती हैं। बैंक खातों के ब्यौरे वे होते हैं जो खातेदार द्वारा खाता खोलते समय डी.पी. को उपलब्ध कराए जाते हैं। बोनस शेयर का वितरण किए जाने हेतु कंपनियां एक निश्चित तारीख को डीमैट खातेदारों से संबंधित सूचनाएं तथा उनके खातों में बनी धारिताओं संबंधी सूचना डिपॉजिटरी से प्राप्त कर लेती हैं और उनकी पात्रता के अनुसार बोनस शेयर उनके डीमैट

खातों में जमा कर दिए जाते हैं। कंपनी या उसके रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा खातेदार को इस प्रकार के आबंटन की सूचना (Allotment Advice) भी अलग से दी जाती है।

प्रतिभूतियों को बंधक रखा जाना

डीमैट फार्म में रखी गई प्रतिभूतियों को बंधक रखकर ऋण प्राप्त करना काफी आसान होता है। इसके लिए ऋणदाता (जिसके पक्ष में बंधक रखा जाता है) तथा ऋणी (जिसके द्वारा बंधक रखा जाता है) दोनों का ही डिपॉजिटरी में डीमैट खाता होना चाहिए। इसके लिए ऋणी को निर्धारित फार्म में अपना अनुरोध और उन प्रतिभूतियों का ब्यौरा डी.पी. को देना होगा जिनको बंधक के रूप में रखा जाना है। इसके बाद ऋणदाता को अपनी डी.पी. के माध्यम से बंधक अनुरोध की पुष्टि करनी होगी। पुष्टि प्राप्त हो जाने के बाद इन प्रतिभूतियों पर बंधक की शुरुआत हो जाती है। ऋणी द्वारा ऋण चुकता कर दिए जाने के पश्चात् डी.पी. को निर्धारित फार्म में इन प्रतिभूतियों पर बंधक समाप्त किए जाने का अनुरोध करना होगा। ऋणदाता द्वारा भी ऋण चुकता कर दिए जाने के बाद अपने डी.पी. को इन प्रतिभूतियों पर बंधक समाप्त कर दिए जाने के अनुदेश देने होते हैं। इसके बाद बंधक प्रतिभूतियों को बंधक से मुक्त कर दिया जाता है। बंधक के दौरान बंधक रखी गई प्रतिभूतियों पर मिलने वाले लाभांश/ब्याज आदि पर ऋणी का ही अधिकार होगा। इसके अलावा डीमैट खातों में रखी गई प्रतिभूतियों को खातेदार द्वारा सेबी द्वारा अनुमोदित मध्यस्थों को उधार भी दिया जा सकता है।

लेन-देनों का विवरण

डी.पी. द्वारा खातेदारों को समय-समय पर लेन-देनों का विवरण उपलब्ध कराया जाता है जिसमें खातेदार द्वारा डीमैट खाते में किए गए विभिन्न लेन-देनों तथा इसमें मौजूद प्रतिभूतियों के शेष की जानकारी दी गई होती है। सामान्यतया डी.पी. द्वारा इस प्रकार का विवरण मासिक अंतराल पर तथा खाते में कोई लेन-देन न होने की दशा में तिमाही अंतराल पर उपलब्ध करवाया जाता है। आजकल एस.एम.एस. अलर्ट्स के माध्यम से भी डीमैट खाते में होने वाले डेबिट

(अंतरण) तथा क्रेडिट (सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त होने वाली प्रतिभूतियों के लिए) की सूचना दिए जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए खातेदार को अपना मोबाइल नंबर डी.पी. को प्रदान करना होता है। लेन-देन विवरण में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर खातेदार इसके निराकरण के लिए डी.पी. से संपर्क कर सकते हैं। यदि डी.पी. द्वारा इसका निराकरण नहीं किया जाता है तो खातेदार डिपॉजिटरी से संपर्क कर सकते हैं और यदि इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाता है तो सेबी से भी संपर्क किया जा सकता है।

ट्रांसमिशन

ट्रांसमिशन वह प्रक्रिया है जिसमें दिवंगत खातेदार के खाते में मौजूद प्रतिभूतियां उसके कानूनी वारिस/नामिती के खाते में अंतरित की जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण की प्रक्रिया ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें डीमैट खातों में रखी गई सारी प्रतिभूतियों के स्वामित्व अंतरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ यथा मृत्यु प्रमाणपत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र/प्रोबेट आदि केवल डी.पी. को ही प्रस्तुत करने होते हैं इसके बाद खाते में मौजूद सभी प्रतिभूतियों का स्वामित्व अंतरण कानूनी वारिस/नामिती के खाते में हो जाता है जबकि काग़जी प्रतिभूतियों के मामले में कानूनी वारिस/नामिती को सभी कंपनियों के साथ अलग-अलग पत्राचार करना पड़ता है।

अंतर डिपॉजिटरी अंतरण

अलग-अलग डिपॉजिटरियों अर्थात् एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के पास खोले गए डीमैट खातों के बीच आपस में प्रतिभूतियों का अंतरण भी संभव है।

○○○

पत्रिका के जनवरी-मार्च 2009 अंक में प्रकाशित

साइबरस्पेस एक विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क (इंटरनेट) है जो कंप्यूटर एवं संचार संबंधी उपकरणों को जोड़ता है। इंटरनेट स्वभावतः कम सुरक्षित होने के कारण सदैव घुसपैठ के खतरों से प्रभावित रहता है। जब इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कंप्यूटर वायरस के संपर्क में आता है तो नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर भी इससे जुड़े होने के कारण प्रभावित हो जाते हैं। इसी प्रकार एक कंप्यूटर की कमजोरी किसी बड़ी घुसपैठ की संभावना को जन्म देती है।

साइबर खतरे कई हैं जो बिलकुल अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नांकित हैं :

1. फ़िशिंग (Phishing)

कंप्यूटर सुरक्षा के क्षेत्र में, फ़िशिंग एक आपराधिक धोखाधड़ी की प्रक्रिया है जिसके द्वारा नकली पहचान बनाकर संवेदनशील जानकारी जैसे उपयोगकर्ता के नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड के विवरण आदि की चोरी का प्रयास किया जाता है।

फ़िशिंग के प्रकार

- भ्रामक फ़िशिंग (Deceptive Phishing),
- मैलवेयर-आधारित फ़िशिंग (Malware-based Phishing),
- डीएनएस आधारित फ़िशिंग (DNS-based Phishing)।

भ्रामक फ़िशिंग (Deceptive Phishing)

भ्रामक फ़िशिंग के हमले में फ़िशिंग करने वाला एक लिंक भेजता है जिस पर क्लिक करने के लिए प्राप्तकर्ता से आग्रह किया जाता है। लिंक पर क्लिक करने से प्राप्तकर्ता किसी नकली वेबसाइट पर पहुंच जाता है जहाँ पर दी गई जानकारियाँ गलत हाथों में पहुंच जाती हैं। कई मामलों में, फ़िशिंग करने वाला सीधा नुकसान नहीं करता है लेकिन वह प्राप्त जानकारी बाजार में बेचकर धन प्राप्त करता है।

बैंकों में साइबर सूचना संबंधी खतरे

आनंद कृष्ण

मैलवेयर आधारित फ़िशिंग (Malware Based Phishing)

मैलवेयर आधारित फ़िशिंग में शिकार व्यक्ति के कंप्यूटर पर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर चला दिया जाता है जिसे मैलवेयर कहते हैं। यह मैलवेयर कई प्रकार से नुकसान पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्यतः यह मशीन पर सामाजिक इंजीनियरिंग अथवा डाउनलोड किए सॉफ्टवेयर के माध्यम से आता है। उदाहरण के लिए:

- की लागर (Key loggers),
- स्क्रीन लागर (Screen loggers),
- स्पाई वेयर (Spyware)।

डीएनएस आधारित फ़िशिंग (फार्मिंग) (Pharming)

फार्मिंग हमले में उपभोक्ता को वैध वाणिज्यिक वेबसाइटों से फर्जी साइटों पर पहुंचा दिया जाता है जो देखने में वास्तविक साइट की तरह ही लगती है। लेकिन जब उपयोगकर्ता अपने लॉगिन नाम या पासवर्ड दर्ज करते हैं अथवा अन्य कोई जानकारी दर्ज करते हैं तो उस पर अपराधियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। ऐसा करने के लिए डोमेन नाम सर्वर (Domain Name Server) के साथ छेड़खानी की जाती है और वेब यातायात को गुप्त रूप से और दुर्भावनापूर्ण तरीके से एक अलग नकली साइट पर भेज दिया जाता है जिसकी जानकारी उपभोक्ता को नहीं हो पाती।

स्निफर (Sniffer)

स्निफर मूलतः रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जो कि नेटवर्क पर भेजे जा रहे डेटा पैकेट को रिकॉर्ड और स्टोर

करता है और कभी-कभी डेटा पैकेट का विश्लेषण भी करता है। मूलतः इसका विकास नेटवर्क के रखरखाव के लिए किया गया था, उदाहरणार्थ किसी हवाई जहाज का ब्लैक बाक्स भी इसी तरह का कार्य करता है। इस साफ्टवेयर का प्रयोग करके नेटवर्क पर भेजी जा रही सूचनाएं चुरा ली जाती हैं और उनका दुरुपयोग किया जाता है।

3. पासवर्ड की चोरी (Password Cracking)

- अनुमान के द्वारा (By simple guess),
- डिफॉल्ट पासवर्ड (Default passwords),
- शब्दकोश आधारित हमले (Dictionary based attacks),
- ब्रूटफोर्स हमला (Brute force attack)।

अनुमान से पासवर्ड डालने की कोशिश करना पासवर्ड क्रैकिंग का सबसे सरल तरीका है। यह प्रक्रिया धीमी गति से चलने के कारण कई बार हमलावर पासवर्ड जानने के लिए एक स्वचालित साफ्टवेयर का प्रयोग कर शब्दकोश के विभिन्न शब्दों को पासवर्ड की तरह डालने की कोशिश करता है। सामान्यतः डेटाबेस एवं अन्य कई साफ्टवेयर डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ आते हैं, इनका न बदला जाना भी पासवर्ड क्रैकिंग का खतरा उत्पन्न करता है। ब्रूटफोर्स हमले में स्वचालित साफ्टवेयर द्वारा विभिन्न प्रकार के पासवर्ड संयोजित करके उनका प्रयोग करने की कोशिश की जाती है।

4. पहचान हमला : आईपी स्पूफिंग (IP Spoofing)

आईपी स्पूफिंग हमले को पहचान हमला भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमलावर अपने स्रोत कंप्यूटर की पहचान छुपाकर नकली पहचान धारण कर लेता है। इससे प्राप्तकर्ता को ऐसा प्रतीत होता है कि डेटा किसी वास्तविक (genuine) स्रोत से भेजा गया है और वह इस तरह किसी धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है।

5. इनपुट मान्यकरण हमला (Input Validation Attack)

इनपुट सत्यापन हमले खराब प्रोग्रामिंग की वजह से तब होते हैं जब इनपुट स्वीकार करने से पहले इसे मान्य करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया ठीक तरह से काम न कर रही हो। यह हमले का सरलतम प्रकार है, इसमें किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। एक हमलावर अवांछनीय एवं दुर्भावनापूर्ण तरीकों का प्रयोग करके संवेदनशील फाइलों, क्रेडिट कार्ड विवरणों इत्यादि की चोरी कर सकता है।

6. एसक्यूएल इंजेक्शन हमला (SQL Injection Attack)

यह इनपुट सत्यापन हमले का दूसरा रूप है जिसमें विशेष रूप से हमलावर SQL queries का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण गतिविधियाँ करता है। यह जोखिम तब उत्पन्न होता है जब एक डेटाबेस क्वेरी इंटरनेट के माध्यम से की जाती है तथा वेब पेज में इसके सत्यापन का अभाव होता है। ऐसे हमले करने के लिए केवल एप्लीकेशन (Application) की कमजोरी को जानने की आवश्यकता होती है।

7. सेवा रोकने वाले हमले (Denial of Service Attack)

सेवा रोकने वाले हमले वेबसाइट पर सामान्य गतिविधि को रोकने के इरादे के साथ किए जाते हैं। ऐसे हमले में वेबसाइट से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों जैसे सीपीयू, मेमोरी, डिस्क स्पेस, नेटवर्क आदि का अत्यधिक उपयोग बढ़ाकर उन्हें बाधित कर दिया जाता है जिससे वास्तविक ग्राहक का संबंध उक्त वेबसाइट से नहीं हो पाता और सामान्य गतिविधियाँ रुक जाती हैं। स्मर्फ (Smurf) और सिन (Syn) हमले सेवा रोकने वाले हमलों के ही एक उदाहरण हैं।

i. स्मर्फ हमला (Smurf Attack)

यह हमला शिकार नेटवर्क पर प्रसारित जाली संदेश की बाढ़ लाकर किया जाता है। इस तरह के हमले में

एक अपराधी बड़ी मात्रा में पिंग ट्रैफिक (ping traffic) भेजता है जिसमें स्रोत आईपी एड्रेस नकली होते हैं। अत्यधिक मात्रा में पिंग ट्रैफिक होने के कारण नेटवर्क के कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

ii. सिन बाड़ (SYN Flood)

यह हमला शिकार नेटवर्क पर प्रसारित SYN अनुरोधों की बाड़ लाकर किया जाता है। ऐसे हमले में कुछ सिस्टम क्रैश कर सकते हैं या उनमें बुरी तरह खराबी आ सकती है जिससे सेवा बाधित हो जाती है।

8. 'मध्य में आदमी' हमला (Man-in-Middle Attack)

यह रास्ते में डेटा की चोरी का एक तरीका है। यह जावा स्क्रिप्ट, स्निफर, की-लागर आदि के माध्यम से किया जाता है। इसमें डेटा भेजने के बाद रास्ते में उसकी नकल कर ली जाती है या उसमें अवांछनीय परिवर्तन कर दिए जाते हैं।

9. सोशल इंजीनियरिंग हमला (Social Engineering Attack)

इस प्रकार के हमले में हमलावर अत्यंत चालाकी से अल्प समय के लिए शिकार व्यक्ति का जबरदस्त भरोसा प्राप्त करके उससे क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड, एकाउंट नंबर, पते आदि की जानकारी प्राप्त कर लेता है। संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए हमलावर तकनीकी व्यवस्थापक, सिस्टम व्यवस्थापक आदि होने का दिखावा करता है और कई प्रकार का भय दिखाकर ऐसी जानकारी प्राप्त कर लेता है।

10. सीएसआरएफ हमला (Cross Site Request Forgery (CSRF) Attack)

ऐसे हमले में हमलावर उस उपयोगकर्ता को, जिसने इंटरनेट में लॉग-इन किया है, हमलावर द्वारा बनाए पृष्ठ विशेष पर जाने के लिए प्रेरित करता है। इस पृष्ठ विशेष पर जाने पर एक जाली लेन-देन का अनुरोध, बिना उपयोगकर्ता की जानकारी

के, एक असली अनुरोध की तरह जारी हो जाता है और इस तरह बिना वैध अनुरोध के धोखाधड़ी कर ली जाती है।

11. क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग (Hijack of user session via XSS (Cross Site) Scripting)

क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग (XSS) वेब प्रोग्राम (एप्लीकेशन) में एक प्रकार की कमजोरी है। इसके द्वारा हमलावर पहुँच नियंत्रण (Access Controls) को बाईपास करने में सक्षम हो सकता है जिसके कारण वह कई प्रकार के नुकसान कर सकता है।

12. ई-मेल और सूचनाओं की चोरी

- असंतुष्ट कर्मचारियों अथवा दुर्भावनापूर्ण हमलावरों द्वारा ई-मेल का दुरुपयोग कर बौद्धिक संपत्ति की चोरी की जा सकती है।
- एन्क्रिप्शन का अभाव होने के कारण महत्वपूर्ण सूचनाओं की चोरी संभव हो जाती है।
- कई बार उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड ईमेल द्वारा सादे शब्दों में भेजता है जिसकी चोरी कर हमलावर इसका दुरुपयोग कर सकता है।
- अगर ब्राउजर में 'Save password' के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो पासवर्ड का पता किया जा सकता है।
- ई-मेल के सबसे आम खतरे हैं: अपमानजनक ई-मेल, जाली ईमेल और स्पैम।
- 70 प्रतिशत ई-मेल संदेश स्पैम होते हैं।

13. ई-मेल फोर्जिंग (Email forging)

यह ई-मेल शिकार व्यक्ति को इस तरह से भेजा जाता है मानो यह किसी आधिकारिक स्थान से भेजा गया हो। ई-मेल भेजने वाला ऐसे ई-मेल में अपनी पहचान छुपा लेता है। ऐसा करने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) की केवल बुनियादी जानकारी होने से भी ऐसा करना संभव है। शिकार व्यक्ति धोखे से अपनी सारी सूचनाएं ई-मेल भेजने वाले को प्रदान कर

देता है जिसका कालांतर में दुरुपयोग किया जा सकता है।

14. स्वचालित हमले : साइट पर कैप्चा (CAPTCHA) का अभाव

कैप्चा (Completed Automated Public Turing test to tell Computers and Human Apart) का प्रयोग वेबसाइट पर किए जाने वाले कई प्रकार के स्वचालित हमलों से बचने के लिए किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता एक तस्वीर में दिखाए गए शब्द को पहचान कर वेबपेज में दिए textbox में दर्ज करता है। शब्द सही होने पर ही उपयोगकर्ता को आगे जाने की अनुमति मिलती है। वेबसाइट पर कैप्चा का प्रयोग न होने पर स्वचालित हमलों की संभावना बढ़ जाती है।

साइबर सुरक्षा रणनीति

इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि अपनी सूचनाओं को सुरक्षित रखना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, विशेषकर तब जब ये सूचनाएं धन से संबंधित होती हैं। बैंकों में सूचना सुरक्षा के महत्व को समझते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिससे बैंकों एवं खातेदारों को होने वाली किसी भी सम्भावित हानि से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने आईटी अधिनियम, 2000 तथा आईटी (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित कर इस प्रकार के अपराधों को दंडनीय अपराधों की श्रेणी में रख दिया है।

०००

पत्रिका के जुलाई-सितंबर 2011 अंक में प्रकाशित

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों की मात्रा और मूल्य						
लेनदेन का प्रकार	मात्रा		प्रतिशत घट-बढ़	मूल्य		प्रतिशत घट-बढ़
	2011-12	2012-13		2012-13	2011-12	
ईसीएस क्रेडिट	121.5	122.2	0.6	1,838	1,771	-3.6
ईसीएस डेबिट	165	177	7.2	834	1,083	29.9
क्रेडिट कार्ड	320	397	23.9	966	1,230	27.3
डेबिट कार्ड	328	469	43.2	534	743	39.1
एनईएफटी	226	394	74.3	17,904	29,022	62.1
आरटीजीएस	55	69	24.5	5,39,308	6,76,841	25.5

टिप्पणी : आंकड़ों का पूर्णांक मिलियन या बिलियन रूपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घट-बढ़ हो सकती है।

इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भुगतान करने में हुई प्रगति							
निम्नलिखित का उपयोग कर रही 15 वर्ष और इससे अधिक आयु की आवादी का प्रतिशत	विश्व	उच्च आय वर्ग	उच्च मध्यम आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	भारत	निम्न मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग
क्रेडिट कार्ड	14.8	49.8	11.8	7.1	1.8	2.2	1.9
डेबिट कार्ड	30.4	61.4	38.6	24.8	8.4	10.1	7.4
भुगतान का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (तार और ऑनलाइन अंतरण)	14.5	55.2	8.2	5.3	2.0	2.3	1.9
मोबाइल फोन से बिल का भुगतान	2.0	-	1.7	1.8	2.2	2.0	2.6

टिप्पणी : डेटा 2011 के हैं।
स्रोत : वैश्विक फिंडेक्स (वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस), विश्व बैंक।

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2012-13

व्युत्पन्न साधन ऐसे वित्तीय लिखत हैं जिनका मूल्य अंतर्निहित मूल्य पर निर्धारित रहता है। सामान्य शेयरों के मुकाबले व्युत्पन्न साधनों की अवधि

की पूर्व-निश्चित सीमा होती है जिसके अंत में वे समाप्त होते हैं और सामान्यतया उनमें भुगतान का विनिमय शामिल रहता है जो लेन-देन के आनुमानिक अंतर्निहित मूल्य की तुलना में कम होता है। वे अनिवार्य रूप से ऐसे वित्तीय सार होते हैं जिनका मूल्य अंतर्निहित मूल्य के परिवर्तनों से गणितानुसार प्राप्त किया जाता है। अंतर्निहित तथ्यों में ब्याज दरें, पण्य, स्टॉक, स्टॉक संविभाग अथवा सूचकांक या विविध मुद्रा समूह तथा शब्दशः कुछ भी हो सकता है।

व्युत्पन्न साधनों का उद्गम

व्युत्पन्न साधनों का उद्गम सन 1970 के बाद के दशक के पूर्वार्द्ध में हुआ जब ब्रेटनवुड प्रणाली असफल हुई, जिसकी परिणति मुद्रास्फीति, अस्थिर ब्याज दरों तथा मौद्रिक उथल-पुथल में हुई। ब्रेटनवुड युग में एक ऐसी सापेक्ष मुद्रा स्थिरता आई कि लगभग सभी मुद्राओं को निर्धारित समानता मिली। परंतु उक्त प्रणाली के विफल हो जाने के कारण तथा अध्यक्ष निक्सन द्वारा की गई इस घोषणा के बाद कि इसके बाद डॉलर का सोने में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अगस्त 1971 में ब्रेटनवुड प्रणाली का वास्तविक रूप से अंत हुआ। तदनुसार बड़ी बहुदेशीय संस्थाएँ अर्थात् बैंक तथा कंपनियाँ चाहती थीं कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अस्थिर ब्याज तथा मुद्रा दरों के उतार-चढ़ाव के समक्ष वे अपने आप को सुरक्षित बना लें। उनकी इस इच्छा ने व्युत्पन्न साधनों के विकास का बीजारोपण किया।

आज व्युत्पन्न साधनों का व्यापार अनुमानतः प्रतिदिन 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की राशि से भी अधिक है जिसकी प्रगति इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आसमान की ऊँचाइयाँ छू रही है कि यह उद्योग केवल 25 वर्ष पुराना है। ऐसे कई पहलू हैं जिन्होंने व्युत्पन्न साधनों की तीव्र वृद्धि में योगदान दिया है, यथा व्यापार और पूँजी प्रवाह में विश्वव्यापी अंतर-संबद्धता, संचार और प्रौद्योगिकी में प्रगति, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में जबरदस्त उन्नति और गौण बाजार के प्रमुख सक्रिय

व्युत्पन्न साधन (डेरिवेटिव) – एक विहंगावलोकन

पी. विजय भास्कर

बैंकों के बीच बढ़ता हुआ व्यवसायीकरण। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि विज्ञान और गणित के उपयोग ने जोखिमों को मूलभूत भागों में विभाजित करने और उन्हें नापने में सहायता की है। इसने वित्तीय इंजीनियरिंग व्यवसाय को जन्म दिया है।

परिणामस्वरूप, जिस दिन से बचाव की माँग करने वाले अलग से व्यक्तिगत जोखिमों का बचाव ढूँढ़ पाए हैं उस दिन से जोखिमों को नापने और उनकी निगरानी करने की प्रौद्योगिकी अब अधिक आधुनिक बन रही है। वस्तुतः वित्तीय इंजीनियरिंग व्यवसाय की तुलना ‘अणु वित्त’ से की जाती है तथा यह कहा जाता है कि खगोल भौतिकी की तरह इसकी माँग की जाएगी।

व्युत्पन्न साधनों के प्रकार

व्युत्पन्न साधन मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं।


- क) विदेशी मुद्रा व्यापार में प्रयुक्त उत्पाद और
- ख) ओटीसी उत्पाद

विदेशी मुद्रा व्यापार में प्रयुक्त उत्पाद वे उत्पाद हैं जिनका व्यापार ‘लिफे’, ‘टिफे’ ‘साईमैक्स’, ‘मैटिफ’ इत्यादि की तरह परिभाषित सदस्यता के ढांचे के साथ किसी केंद्रीकृत विपणन-स्थल (एक्सचेंज) के नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। परिणामस्वरूप, राशि, परिपक्वता आदि जैसे इनके विविध लक्षण अत्यंत मानकीकृत हैं।

इसके विपरीत ओटीसी उत्पाद वे उत्पाद हैं जिनका व्यापार काउंटर पर (ओवर द काउंटर) होता है और सामान्यतः द्विपक्षी करार द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए समझौते के आधार पर निपटाया जाता है। दूसरे शब्दों में ओटीसी लिखत ऐसी संविदाएँ हैं जो सुव्यवस्थित एक्सचेंज से दूर दो प्रमुख पार्टियों के बीच तय की जाती हैं यद्यपि कोई दलाल बिचौलिये की भूमिका अदा कर सकता है। ये अनिवार्य रूप से ऐसे उत्पाद हैं, जो व्यक्तिगत ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हैं।

दूसरे शब्दों में, वे ऐसे ग्राहकीकृत व्युत्पन्न उत्पाद हैं जिनका ढाँचा विशेष रूप से वित्तीय इंजीनियरों द्वारा बनाया गया होता है ताकि व्यक्तिगत तौर पर ग्राहकों द्वारा सामना किए जाने वाले विशिष्ट जोखिमों का प्रतिकार किया जा सके।

व्युत्पन्न साधन लिखतों के मूल रूप से तीन प्रकार होते हैं।



जबकि 'फ्यूचर्स' के उत्पाद ऐसे हैं जिनका व्यापार एक्सचेंज द्वारा होता है, 'आषान्स' तथा स्वैप अनिवार्य रूप से ओटीसी उत्पाद हैं। फ्यूचर्स कांट्रैक्ट एक ऐसा करार है जिससे संविदा की दोनों पार्टियों के बीच निर्धारित मूल्य पर भविष्य की तारीख पर विदेशी मुद्रा/किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आस्ति की मानक मात्रा में बिक्री अथवा खरीद की जा सकती है।

स्वैप एक संविदात्मक करार है जिसमें दो पार्टियाँ, जिन्हें काउंटर पार्टियाँ कहा जाता है, एक दूसरे को आवधिक रूप से भुगतान (विनिमय) करने के लिए सहमत होती हैं। स्वैप व्युत्पन्न उत्पादों में सबसे अधिक परिवर्तनशील हैं तथा सही मायने में उनके अनगिनत प्रकार हैं। स्वैप का सबसे प्रचलित प्रकार है 'फिक्स्ड फॉर फ्लोटिंग स्वैप' (अस्थायी स्वैप के लिए निर्धारित) जो आम तौर पर 'प्लेन वनिला स्वैप' के नाम से जाना जाता है।

आषान्स थोड़े में कहा जाए तो एक ऐसे अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें कोई बाध्यता नहीं होती। मोटे तौर पर कहा जाए तो आषान्स के खरीदार को बाध्यता के बिना अधिकार प्राप्त है। आषान्स की ट्रेडिंग एक्सचेंज (सूचीबद्ध विकल्प) पर तथा काउंटर पर (ओटीसी विकल्प) दोनों प्रकार से होता है।

बचाव बनाम सट्टेबाजी

व्युत्पन्न साधन लिखत अनिवार्य रूप से बचाव हेतु बनाए गए हैं। दुर्भाग्यवश, विविध खिलाड़ियों ने इन लिखतों पर सट्टेबाजी की है तथा काफी घाटा उठाया है। वस्तुतः बारिंग, डैवा बैंक,

आरेज काउंटी की हाल में हुई पराजय तथा उनसे पहले कई अन्यों की हुई हार के कारण इस बात पर तीव्र बहस शुरू हो गई है कि व्युत्पन्न साधनों को उपयोग में लाना कहाँ तक बुद्धिमानी है। यह बात तर्कसंगत है कि बचाव के लिए विकसित किए गए उत्पाद सट्टेबाजी के लिए भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। परंतु अगर वे बेरोकटोक चलाए जाते हैं तो इसका परिणाम अनर्थकारी होता है। इस संदर्भ में यह उचित होगा कि बचाव तथा सट्टेबाजी के बीच आवश्यक भेद समझा जाए-

मद	बचाव	सट्टेबाजी
पहचानने की आवश्यकता	विशिष्ट प्रदर्शन	बाज़ार के अवसर
उद्देश्य यह है कि निर्णय इस पर आधारित हैं। प्रभावी निष्पादन	बाज़ार की गतिविधियों को निष्प्रभावी बनाना। बाज़ार की गतिविधियों का भय। नकदी प्रवाह को स्थिर करना तथा पूँजी की लागत घटाना।	बाज़ार की गतिविधियों को वश में करना। बाज़ार की गतिविधियों की अपेक्षाएँ। लाभप्रदता बढ़ाना।

व्युत्पन्न साधनों के मुख्य लाभ

- 1) मौजूदा निवेश सीमाओं का बचाव करना।
- 2) सुधारित मूल्य निर्धारण से नकदी बाज़ार नीतियों को पुनः चालित करना।
- 3) नकदी बाज़ार में अनुपलब्ध नीतियों को आवश्यकता के अनुरूप बनाना।

जोखिम बचाव के लिए व्युत्पन्न साधन

जैसाकि ऊपर बताया गया है, व्युत्पन्न साधनों का मूल रूप से यद्यपि जोखिम से बचाव हेतु उद्गम हुआ है, तथापि फिलहाल सट्टेबाजी की गतिविधियों का हिस्सा व्युत्पन्न साधनों के व्यापार में बहुत बड़ा है।

भारतीय व्यापार प्रतिष्ठानों द्वारा जिन जोखिमों का सामना किया जा रहा है उन्हें स्थूल रूप से विदेशी मुद्रा के अंतर्गत आने वाले (विदेशी मुद्रा/मुद्रा जोखिम) तथा देशी मुद्रा (रुपया) के अंतर्गत आने वाले जोखिमों के रूप में बाँटा जा सकता है।

मुद्रा जोखिम को स्थूल रूप से तीन वर्गों में अर्थात् स्थानांतरण, लेन-देन तथा आर्थिक के रूप में बाँटा जा सकता है।

स्थानांतरण जोखिम

यह अनिवार्य रूप से तब उठता है जब किसी इकाई के पास अपनी लेखाविधि मुद्रा से भिन्न मुद्रा में आस्तियाँ अथवा देयताएँ हों। लेखाविधि मुद्रा के विरुद्ध मुद्राओं के मूल्य में परिवर्तन से इकाई की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

लेन-देन जोखिम

यह जोखिम तब उत्पन्न होता है जब इकाई के पास विदेशी मुद्रा में कोई नकदी प्रवाह अथवा संभाव्य नकदी प्रवाह हो जो उन्हें भविष्य में किसी बिंदु पर विदेशी बाजार में लेन-देन करने में सहायक होगा। मुद्रा के संबंधित मूल्य में परिवर्तन का अर्थ है - उसके द्वारा की गई योजना की तुलना में अनुमानित नकदी प्राप्तियों या व्यय में परिवर्तन। इससे लेन-देन में लाभ और हानि के बीच परिवर्तन हो सकता है।

आर्थिक जोखिम

इसका अधिक विस्तृत विशेषार्थ है तथा इसका संदर्भ दो संस्थाओं की एक दूसरे की संबंधित प्रतिस्पर्द्धात्मकता से है। भारत में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु बनाकर यूके में बेचने वाला केवल स्टर्लिंग-पौंड के मुकाबले भारतीय रूपये के मूल्य से ही संबंध नहीं रखता, अपितु पौंड-स्टर्लिंग की तुलना में अपने प्रतिस्पर्द्धियों (अन्य देशों के) की मुद्राओं के मूल्य से भी संबंध रखता है। यदि उसके प्रतिस्पर्द्धियों की मुद्राएँ कमजोर रहती हैं तो यूके के खरीदारों के लिए उनके उत्पाद अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और इस प्रकार भारतीय कंपनियों की बिक्री को हानि उठानी पड़ेगी।

रूपये के संबंध में महत्त्वपूर्ण जोखिमों को ऋण/प्रतिपक्ष जोखिम, तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम में वर्गीकृत किया जा सकता है।

ऋण अथवा प्रतिपक्ष जोखिम वह जोखिम है जब प्रतिपक्ष अपनी वचनबद्धता को निर्धारित समय पर पूरा नहीं कर पाता।

तरलता जोखिम का अभिप्राय उस जोखिम से है कि कोई भी इकाई अपने कारोबार की गतिविधियों के दौरान उचित समय पर अपनी वचनबद्धता को पूरा करने की स्थिति में न हो।

ब्याज दर जोखिम से मतलब है शुद्ध ब्याज आय में अस्थिरता अथवा शुद्ध ब्याज मार्जिन में तथा ब्याज दरों में अप्रत्याशित परिवर्तनों के कारण शुद्ध आस्ति मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव। दूसरे शब्दों में, ब्याज दर जोखिम धारित आस्तियों और देयताओं के संबंध में विभिन्न मूल धन राशियों, परिपक्वता तारीखों अथवा पुनर्मूल्यन तारीखों अर्थात् 'रोल ओवरहेड्स' से उत्पन्न होते हैं।

हाल ही की सड़ेबाजी की घोर असफलता

ऐसी कई घटनाओं की सूचना मिल चुकी है जहाँ व्युत्पन्न साधनों में ट्रेडिंग के कारण कंपनियों को घाटे हुए हैं, इसमें से डैवा और बारिंग का मामला सबसे अद्यतन है। ये घटनाएँ उस बहुत बड़े नुकसान का स्पष्ट उदाहरण हैं जिसे वैश्विक बैंकों द्वारा उठाना पड़ सकता है जब जोखिम प्रबंध तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ पर्याप्त नहीं हों। इन घटनाओं द्वारा जबरदस्ती सिखाया गया सबक यह है कि प्रबंधन को चाहिए कि वह विदेशी उच्च प्रौद्योगिकी से युक्त अग्रणी व्यापार प्रणालियों से अधिक कार्यालय के बाद के निपटान तथा आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्यों की तरह ऐसे लौकिक प्रतीत होने वाले कार्यों की तरफ ज्यादा-से-ज्यादा ध्यान दें। जो बैंक अथवा संस्थाएँ आवश्यक निवेश के प्रति उपेक्षा करती हैं वे ऐसा अपने जोखिम पर करती हैं।

व्युत्पन्न साधनों के दुरुपयोग में योग देने वाले प्रमुख कारण हैं :

- जोखिम प्रबंध के अस्पष्ट लक्ष्य
- 'बदतरीन घटना परिदृश्य' के प्रति खोई हुई दूरदर्शिता
- ब्याज बचत तथा लाभार्जिन के लिए अत्यधिक दौड़
- प्रभावी प्रबंधकीय नियंत्रण का अभाव
- वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा व्युत्पन्न साधनों को न समझना
- निम्न ब्याज दर वातावरण में अत्यधिक नकदी शेष।

जो भी हो, व्युत्पन्न साधन बढ़ते हुए उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा वे तब तक रहेंगे जब तक हमारे आर्थिक वातावरण में जोखिम अस्तित्व में रहेगा।

बैंकों के लिए पूँजी पर्याप्तता

जुलाई 1988 में पूँजी पर्याप्तता पर अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (दि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेन्ट्स) के मार्गदर्शी नियम बैंकों द्वारा सामना किए जाने वाले ऋण जोखिमों से बचाव करने के लिए अनिवार्य रूप से स्थापित किए गए थे जो भारत में परिचालित बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1991-92 से चरणबद्ध रूप से निर्धारित किए गए हैं। तब से वैश्वीकरण तथा प्रौद्योगिकीगत उन्नति की गति अधिक तीव्र हो गई जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैंकों द्वारा व्युत्पन्न शुल्क-आधारित वित्तीय सेवाओं, स्वामित्व स्थान ग्रहण, प्रतिभूतियों से संबंधित गतिविधियों तथा कुछ मामलों में बीमा व्यापार पर अतिरिक्त बल दिया जाने लगा।

नई प्रौद्योगिकियाँ, वित्तीय नवोन्मेष तथा घटती हुई बाधाएँ अधिक सक्षम तथा अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक पूँजी बाज़ारों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। इस वातावरण में उचित जोखिम प्रबंध का महत्त्व असंदिग्ध है। प्रौद्योगिकी की जिस प्रगति की वजह से सुधारित जोखिम प्रबंध तकनीकों तथा व्युत्पन्न साधनों और अन्य लिखतों के माध्यम से जोखिम का विशाखन किया जा सकता है, उसी प्रगति के कारण अपर्याप्त जोखिम प्रबंध की प्रथाएँ तथा निर्णय लेने में त्रुटियाँ बड़ी हानियों के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। जैसे ही बाज़ार का स्थान अधिक गतिशील बनता है, वैसे ही व्यक्तिगत बैंकों के बने रहने में बाज़ार-जोखिम का प्रभाव अधिक सुस्पष्ट हो।

इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत जनवरी 1996 में अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक की बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति ने 1988 के पूँजी समझौते (ऊपर उल्लिखित) में बैंकों की व्यापार गतिविधियों और उनकी विदेशी मुद्रा और पण्यों में जोखिम की स्थितियों से उत्पन्न होने वाले बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी प्रभार समाविष्ट करने के लिए एक प्रमुख संशोधन घोषित किया। जी-10 देशों में निगमित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सभी बैंकों द्वारा 1997 के अंत में सुनिश्चित पूँजी प्रभार लागू करने से पहले दो वर्ष की कार्यान्वयन अवधि की अनुमति दी जा रही है। इस संशोधन से बैंकों को स्वामित्व के ‘जोखिम पर मूल्य’ मॉडेल (कड़े गुणात्मक और मात्रात्मक स्तरों के अधीन) के परिणामों का उपयोग उनके विनियामक पूँजी आवश्यकता के बाज़ार जोखिम घटक को नापने के आधार पर करने के लिए अनुमति दी गई है। किसी भी बैंक के समग्र पूँजी अनुपात की गणना करते समय ऋण तथा बाज़ार जोखिम की मात्रा को 12.5 से गुना करके किया जाएगा (अर्थात् 8% के न्यूनतम पूँजी अनुपात का व्युत्क्रम) तथा इस गणित के परिणामस्वरूप आने वाली संख्या को ऋण जोखिम प्रयोजनों के लिए संकलित जोखिम-भारित आस्तियों के जोड़ में मिलाकर उसे तैयार किया जा सकेगा।

○○○

पत्रिका के अप्रैल-जून 1996 अंक में प्रकाशित

भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत दरें *

बैंक दर	: 8.75 प्रतिशत
रेपो दर	: 7.75 प्रतिशत
रिवर्स रेपो दर	: 6.75 प्रतिशत

आरक्षित अनुपात *

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)	: 4 प्रतिशत
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)	: 23.0 प्रतिशत

* 12 नवंबर 2013 को।

डेरिवेटिव एक ऐसी वित्तीय लिखते हैं जो अपने मूल्य अंतर्निहित प्रतिभूति (underlying security) यथा स्टॉक, मुद्रा, स्वर्ण, कमोडिटी इत्यादि से ग्रहण करते हैं, किंतु इनका स्वतंत्र रूप से भावी तय तिथि (एक्सपाइरी डेट) के लिए क्रय-विक्रय किया जा सकता है। ‘एक्सपाइरी तिथि’ पर सौदा निपटान की दर (स्ट्राइक मूल्य) सौदा करते समय ही तय कर ली जाती है एवं इस तिथि पर प्रतिभूति की वास्तविक बाजार दर के आधार पर लाभ अथवा हानि की मात्रा का निर्धारण होता है। इसमें संविदा शर्तों के अनुसार सौदे का निपटान लाभ-हानि के भुगतान अथवा अंतर्निहित प्रतिभूति की डिलिवरी (सुपुर्दगी) द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन एवं फ्यूचर्स डेरिवेटिव के सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप हैं।

डेरिवेटिव के प्रकार

- i) एक्सचेंज के माध्यम से लेन-देन किए जाने वाले डेरिवेटिव :

किसी संगठित एक्सचेंज के माध्यम से इन डेरिवेटिवों का क्रय-विक्रय किया जाता है एवं इनका एक मानक स्वरूप होता है अर्थात् इनकी लॉट साइज (प्रतिभूति/कमोडिटी की मात्रा) एवं एक्सपाइरी तिथि पहले से ही तय होती है। प्रतिभूति की विभिन्न एक्सपाइरी तिथियों की दरें, यथा एक माह, दो माह इत्यादि, एक्सचेंज द्वारा निर्धारित की जाती हैं एवं ये दरें उस प्रतिभूति की मांग एवं पूर्ति के आधार पर निरंतर बदलती रहती हैं। इन सौदों का निपटान एक्सचेंज के माध्यम से होने के कारण इसमें ‘भुगतान में चूक की संभावना’ नगण्य रहती है। इसके सबसे अधिक प्रचलित रूप ऑप्शन्स एवं फ्यूचर्स हैं।

- ii) ‘ओवर द काउन्टर’ डेरिवेटिव :

इन डेरिवेटिवों का आपस में लेन-देन किया जाता है एवं इनका मानक प्ररूप नहीं होता। इसमें कमोडिटी की मात्रा, स्वरूप, एक्सपाइरी तिथि, भुगतान एवं निपटान आदि आपसी समझौते द्वारा तय किए जाते हैं। इन सौदों में ‘काउन्टर पार्टी’ नहीं होने के कारण ‘भुगतान में चूक’ की संभावना तुलनात्मक रूप

डेरिवेटिव – ऑप्शन्स एवं फ्यूचर्स

अशोक कुमार गुप्ता

से अधिक होती है। इसके प्रमुख स्वरूप हैं – फार्वर्ड सौदे, स्वैप, स्वैपऑप्शन्स।

ऑप्शन क्या है?

ऑप्शन वह संविदा है जिसमें ऑप्शन क्रेता (ऑप्शन होल्डर) किसी अंतर्निहित संपत्ति / प्रतिभूति को, पूर्व तय कीमत पर, निश्चित समय पर अथवा इससे पहले क्रय करने अथवा विक्रय करने का अधिकार (Right) अर्जित करता है परन्तु इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए वह बाध्यकारी नहीं है। इसमें ऑप्शन क्रेता अधिकार हासिल करता है। दूसरी ओर, ऑप्शन विक्रेता, जिसे ऑप्शन राइटर भी कहा जाता है, का दायित्व होता है कि यदि ऑप्शन क्रेता अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहे तो वह इसे स्वीकार करे।

ऑप्शन संविदा के विभिन्न घटक

- i) अंतर्निहित संपत्ति या प्रतिभूति : स्टॉक, सूचकांक, कमोडिटी, फ्यूचर्स, करेन्सी, ब्याज दर इत्यादि।
- ii) प्रीमियम : ऑप्शन होल्डर संविदा के तहत ऑप्शन राइटर को ऑप्शन अधिकार क्रय करने के बदले जो प्रतिफल प्रदान करता है, उसे प्रीमियम कहा जाता है। ऑप्शन होल्डर चाहे अधिकार का प्रयोग करे अथवा नहीं, उसे राइटर को प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है।
- iii) स्ट्राइक मूल्य : वह पूर्व तय कीमत, जिस पर अंतर्निहित संपत्ति के क्रय अथवा विक्रय का अधिकार / दायित्व निश्चित किया जाता है, उसे स्ट्राइक मूल्य अथवा एक्सरसाइज मूल्य कहा जाता है। यह मूल्य साधारणतः कैश मार्केट में उस संपत्ति / प्रतिभूति के प्रचलित मूल्य से जुड़ा रहता है।
- iv) एक्सपाइरी तिथि : वह तिथि जिस पर संविदा एक्सपायर या समाप्त हुई मानी जाएगी। एक्सपाइरी तिथि को या तो ऑप्शन का प्रयोग कर लिया जाएगा अन्यथा वह समाप्त हुई समझी जाएगी।

v) एक्सरसाइज तिथि : वह तिथि जिस पर आँप्शन का वास्तविक प्रयोग किया जाए। यूरोपियन आँप्शन की दशा में एक्सरसाइज तिथि एवं एक्सपाइरी तिथि एक ही होती है जबकि अमेरिकन आँप्शन की दशा में आँप्शन का प्रयोग संविदा की क्रय तिथि से एक्सपाइरी तिथि के दौरान कभी भी किया जा सकता है।

आँप्शन्स के प्रकार

आँप्शन्स को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :

- i) काल आँप्शन ii) पुट आँप्शन।

काल आँप्शन

काल आँप्शन संविदा में क्रेता (होल्डर) किसी अंतर्निहित संपत्ति / प्रतिभूति को स्ट्राइक मूल्य पर क्रय करने का अधिकार अर्जित करता है एवं प्रतिफल में काल विक्रेता (राइटर) को प्रीमियम का भुगतान करता है। इस दशा में काल राइटर को काल एक्सरसाइज किए जाने पर अंतर्निहित प्रतिभूति / संपत्ति का विक्रय करना होगा। इसके बदले वह प्रीमियम प्राप्त करता है। काल आँप्शन होल्डर भविष्य में अंतर्निहित प्रतिभूति की दरों में तेजी की आशा रखता है। काल आँप्शन होल्डर अपने अधिकार का प्रयोग उस दशा में नहीं करेगा जबकि एक्सपाइरी तिथि को हाजिर बाजार (Spot Market) में प्रतिभूति का मूल्य स्ट्राइक मूल्य से कम रहता है।

उदाहरण

‘अ’ ने रिलायन्स कंपनी के शेयर 1,000 रुपये प्रति शेयर स्ट्राइक कीमत पर ‘ब’ से एक काल आँप्शन क्रय किया। एक्सपाइरी तिथि (यूरोपियन आँप्शन) पर स्पॉट बाजार में यदि शेयर का मूल्य स्ट्राइक मूल्य से अधिक होता है अर्थात् 1,000 रुपये प्रति शेयर से अधिक होता है तो ‘अ’ अपने आँप्शन का प्रयोग करेगा किंतु यदि यह शेयर 1,000 रुपये प्रति शेयर से नीचे रहता है तो वह आँप्शन का प्रयोग नहीं करेगा। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि ‘अ’ का अधिकतम दायित्व प्रीमियम राशि तक ही रहता है जबकि ‘ब’ का दायित्व असीमित होता है। यदि रिलायन्स शेयर की दर एक्सपाइरी तिथि को 2,000 रुपये प्रति शेयर या इससे अधिक भी होती है तो भी उसे ‘अ’ को 1,000 रुपये प्रति शेयर की दर पर ही शेयर विक्रय करना होगा।

पुट आँप्शन

पुट आँप्शन संविदा में क्रेता (होल्डर) किसी अंतर्निहित संपत्ति/प्रतिभूति का विक्रय स्ट्राइक मूल्य पर करने का अधिकार प्राप्त करता है एवं प्रतिफल में पुट विक्रेता (राइटर) को प्रीमियम का भुगतान करता है। पुट होल्डर यदि आँप्शन एक्सरसाइज करता है तो पुट राइटर को संपत्ति/प्रतिभूति क्रय करनी होगी। पुट होल्डर भविष्य में अंतर्निहित प्रतिभूति की दरों में कमी की आशा रखता है। वह अपने अधिकार का प्रयोग तभी करेगा जबकि एक्सपाइरी तिथि को स्पॉट बाजार में प्रतिभूति का मूल्य स्ट्राइक मूल्य से कम होगा, अन्यथा नहीं।

उदाहरण

‘अ’ ने एक पुट आँप्शन ‘ब’ से 600 रुपये शेयर स्ट्राइक मूल्य पर क्रय किया। यदि एक्सपाइरी तिथि (यूरोपियन आँप्शन) को हाजिर बाजार मूल्य 550 रुपये प्रति शेयर रहता है तो वह आँप्शन का प्रयोग करेगा। यदि उस समय मूल्य 620 रुपये प्रति शेयर रहता है तो वह आँप्शन का प्रयोग नहीं करेगा बल्कि शेयर का विक्रय हाजिर बाजार में करेगा। यहाँ पर पुट होल्डर का अधिकतम दायित्व प्रीमियम राशि ही है जबकि पुट राइटर का अधिकतम दायित्व प्रतिभूति की कीमत (नेट ऑफ प्रीमियम) तक होती है।

आँप्शन राइटर का जोखिम एवं सुरक्षा के उपाय

जैसाकि उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है, आँप्शन राइटर का लाभ प्रीमियम राशि तक सीमित होता है एवं हानि असीमित या अत्यधिक। इसलिए आँप्शन राइटर के कार्य में अत्यधिक निपुणता एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। यह कार्य बाजार रुख के जानकार एवं अनुभवी व्यक्ति को ही करना चाहिए जिसे अंतर्निहित जोखिम की समझ हो एवं जो इस जोखिम को वहन करने की क्षमता एवं पर्याप्त पूँजी भी रखता हो।

जोखिम की मात्रा को कम करने के लिए आँप्शन राइटर उस प्रतिभूति में हेजिंग करते हुए विपरीत आँप्शन अथवा फ्यूचर में उस प्रतिभूति में विपरीत सौदा कर सकते हैं।

आँप्शन की उपयोगिता

आँप्शन निम्नलिखित पहलुओं के कारण अत्यधिक उपयोगी साबित हो रहे हैं:

- 1) कम धन राशि निवेश करके अधिक राशि के सौदे/लेन-देन किए जा सकते हैं, इसी कारण इन्हें अत्यधिक लीवरेज्ड (leveraged) प्रलेख कहा जाता है।
- 2) ऑप्शन होल्डर को अधिकतम हानि की पूर्व जानकारी रहती है।
- 3) ऑप्शन होल्डर को कम निवेश द्वारा अधिकतम लाभ की संभावना रहती है।
- 4) व्यक्ति अपने स्टॉक / प्रतिभूति / संपत्ति में भावी गिरावट की आशंका में पुट ऑप्शन का क्रय करके संभावित हानि से बचाव कर सकता है। यहाँ पर प्रीमियम एक तरह से बीमा कवर की तरह कार्य करता है। उदाहरण : किसी निवेशक के पास इन्फोसिस कंपनी के शेयर हैं जिसका वर्तमान बाजार भाव 3,800 रुपये प्रति शेयर है एवं वह इसे ओवर वैल्यूड मानता है। इस दशा में वह एक पुट ऑप्शन खरीदता है, जो उसे 100 रुपये प्रीमियम पर 3,600 रुपये स्ट्राइक मूल्य पर उपलब्ध है। यदि भविष्य में इस कंपनी का शेयर 3,600 रुपये से नीचे जाता है तो वह ऑप्शन एक्सरसाइज द्वारा हानि से बच सकता है।

शेयर (स्टॉक) सूचकांक ऑप्शन

शेयर सूचकांक ऑप्शन वह ऑप्शन है जिसमें अंतर्निहित संपत्ति / प्रतिभूति शेयर सूचकांक यथा एस एंड पी 500, बीएसई सूचकांक इत्यादि होते हैं। सर्वप्रथम यह ऑप्शन 1983 में 'शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन्स एक्सचेंज' द्वारा उनके 'एस एंड पी 100' के लिए प्रारंभ किया गया था। संपूर्ण विश्व में ये ऑप्शन काफी लोकप्रिय साबित हुए हैं क्योंकि इनके द्वारा निवेशक मात्र एक लेन-देन द्वारा सूचकांक में शामिल विभिन्न शेयरों में एक्सपोजर प्राप्त कर सकता है। इसके अभाव में इस हेतु भिन्न-भिन्न शेयर अलग-अलग मात्रा में रखना तुलनात्मक रूप से कठिन कार्य है। इसमें लेन-देन की लागत काफी कम आती है एवं हानि की अधिकतम सीमा की पूर्व जानकारी रहती है।

फ्यूचर्स

फ्यूचर्स सौदे वे संविदा होते हैं जिनमें किसी अंतर्निहित संपत्ति/प्रतिभूति का पूर्व निर्धारित कीमत पर एक भावी निर्धारित

तिथि को या एक निश्चित समयावधि के दौरान (संविदा शर्तों के अनुसार) क्रय अथवा विक्रय किया जाता है। फ्यूचर्स सौदे में क्रेता भावी तय तिथि पर या इस समयावधि के दौरान कभी भी (संविदा शर्तों के अनुसार) स्ट्राइक कीमत पर अंतर्निहित प्रतिभूति का क्रय करने का वचन देता है एवं विक्रेता उस प्रतिभूति को सुपुर्द करने का वचन देता है।

फ्यूचर्स में क्रेता एवं विक्रेता को लाभ-हानि के बराबर अवसर रहते हैं। एक फ्यूचर्स संविदा में निम्न तत्त्व पाए जाते हैं:

- i) क्रेता
- ii) विक्रेता
- i) मूल्य
- ii) एक्सपाइरी तिथि।

इक्विटी स्टॉक, सूचकांक, कमोडिटी, करेन्सी इत्यादि प्रमुख प्रचलित फ्यूचर्स संविदाएं हैं।

फ्यूचर्स एवं ऑप्शन में अंतर

- फ्यूचर्स में भावी तिथि पर अंतर्निहित प्रतिभूति का क्रय-विक्रय किए जाने की संविदा की जाती है, जबकि ऑप्शन में क्रेता अंतर्निहित संपत्ति का क्रय अथवा विक्रय करने का अधिकार अर्जित करता है।
- भाव के उतार-चढ़ाव की दशा में फ्यूचर्स सौदे में क्रेता एवं विक्रेता दोनों की जोखिम प्रोफाइल समान होती है। ऑप्शन सौदे में क्रेता एवं विक्रेता की जोखिम प्रोफाइल असमान रहती है। ऑप्शन होल्डर का जोखिम सीमित (प्रीमियर) होता है, जबकि लाभ असीमित रहता है। ऑप्शन राइटर का लाभ सीमित एवं हानि असीमित होती है।
- फ्यूचर्स संविदा में प्रवेश के लिए कोई लागत नहीं आती है जबकि ऑप्शन संविदा में प्रवेश पर प्रीमियम राशि की लागत अवश्यंभावी है।

जब कोई निवेशक फ्यूचर संविदा करता है तो उसे फ्यूचर एक्सचेंज में एक न्यूनतम राशि जमा करानी होती है। इस हेतु 'प्रारंभिक मार्जिन' के साथ ही कुछ राशि मेंटेनेस मार्जिन के रूप में भी जमा रखी जाती है। यह निवेशक के कुल एक्सपोजर के 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक होती है। यह राशि निवेशक के

एक्सपोजर में बाजार घट-बढ़ के अनुसार प्रति दिन घटती-बढ़ती रहती है। निवेशक के एक्सपोजर / पोर्टफोलियो यथा प्रतिभूतियों में लगातार हानि होने पर आवश्यक मार्जिन राशि की भरपाई करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है, जिसे 'मार्जिन कॉल' कहा जाता है। यह आवश्यक है कि निवेशक 'मार्जिन कॉल' मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक धनराशि की भरपाई करे अन्यथा उसकी प्रतिभूतियों को निस्तारित (विक्रय) किया जा सकता है। अंतर्निहित प्रतिभूति की स्पॉट मार्केट एवं फ्यूचर मार्केट के मध्य दरों में अंतर को 'बेसिस' कहा जाता है। 'बेसिस' साधारणतया नकारात्मक होता है, अर्थात् फ्यूचर मार्केट की दरें स्पॉट मार्केट की दरों से अधिक होती हैं। इसका प्रमुख कारण ब्याज की लागत, भंडारण एवं बीमा खर्च इत्यादि होता है। स्पॉट मार्केट से यदि आप किसी कमोडिटी का क्रय करते हैं तो उस पर आपको उक्त सभी व्यय करने होते हैं जिसकी फ्यूचर मार्केट में क्रय की दशा में आवश्यकता नहीं होती। इस नकारात्मक 'बेसिस' को 'Contango' कहा जाता है। किंतु कभी-कभी आपको संपत्ति/प्रतिभूति फ्यूचर्स में क्रय करने की अपेक्षा मूर्त रूप में रखना अधिक फायदेमंद हो सकता है, यथा स्टॉक में डिविडेंड का प्राप्त होना इत्यादि। यदि फ्यूचर मार्केट दरें स्पॉट मार्केट दरों (खर्चों को शामिल करते हुए) से कम हों तो इसे सकारात्मक बेसिस कहा जाता है। इस स्थिति को backwardation कहा जाता है। यह सामान्यतः भविष्य में उस संपत्ति के मूल्य में कमी की संभावना को दर्शाता है।

लीवरेज - एक दुधारी तलवार

फ्यूचर मार्केट को अत्यधिक लीवरेज मार्केट कहा जाता है। लीवरेज का आशय है अधिक राशि की प्रतिभूतियों पर तुलनात्मक रूप से काफी कम निवेश द्वारा एक्सपोजर प्राप्त करना। अन्य शब्दों में फ्यूचर मार्केट में कम राशि यथा 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत मार्जिन जमा करवाकर उस प्रतिभूति की कुल राशि के सौदे किए जा सकते हैं। इसी कारण फ्यूचर मार्केट में, अन्य किसी निवेश की तुलना में, प्रतिभूति में थोड़ी सी घट-बढ़ भी अत्यधिक हानि या लाभ में बदल जाती है। यह बाजार अत्यंत जोखिमपूर्ण होता है, इस कारण लाभ या हानि की मात्रा भी अधिक ही होती है। इसमें लेन-देन करने वाले निवेशकों को लीवरेज को बारीकी से समझना आवश्यक है। इसमें पूर्ण सावधानी, अनुभव एवं हानि की भरपाई के लिए पर्याप्त धनराशि रखनी आवश्यक है।

उदाहरण

'अ' एक 'संवेदी सूचकांक फ्यूचर' 250 रुपये प्रति सूचकांक पॉइंट घट-बढ़ की दर पर क्रय करता है। वर्तमान संवेदी सूचकांक स्तर 15000 पॉइंट है। इस हेतु वह 50,000 रुपये प्रारंभिक मार्जिन एवं 2,00,000 रुपये मेटेनेंस मार्जिन जमा करवाता है। यदि एक्सपाइरी तिथि को सूचकांक में 7 प्रतिशत की भी वृद्धि दर्ज होती है तो कुल 1050 पॉइंट वृद्धि पर 'अ' को 2,62,500 रुपये अर्थात् 105 प्रतिशत का लाभ होगा। किंतु इतनी घटत पर हानि की राशि भी यही होगी एवं 'अ' को 12,500 रुपये हानि की भरपाई के लिए और पैसे जमा करवाने होंगे।

फ्यूचर्स बाजार की आर्थिक उपयोगिता

संपूर्ण विश्व के फ्यूचर्स बाजार अत्यधिक सक्रिय हैं एवं इसे बाजार जानकारी एवं भावी संभावनाओं के सूचक के स्रोत के रूप में देखा जाता है। ये मुख्यतः निम्न कारण से उपयोगी साबित हुए हैं:

1) भावी मूल्यों की खोज

यह वर्तमान मूल्यों के आधार पर, भविष्य में मांग एवं पूर्ति के अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, कमोडिटी के मूल्यों की खोज में सहायक रहते हैं। भावी मूल्यों के इस पूर्वानुमान से सरकार मूल्यों में स्थिरता लाने हेतु आवश्यक कदम उठा सकती है। व्यापारियों को भी व्यापार संबंधी भावी निर्णय लेने में आसानी रहती है। इसमें मांग एवं पूर्ति के विभिन्न पहलू यथा मौसम, युद्ध, ऋण भुगतान में चूक, फसल की आवक इत्यादि का ध्यान रखा जाता है।

2) मूल्यों में अस्थिरता के प्रति सुरक्षा

कमोडिटी मूल्यों में अचानक घट-बढ़ की भविष्य में अनिश्चितता बनी रहती है। फ्यूचर्स संविदा में आवश्यक कमोडिटी के सौदे एक निश्चित मूल्य पर किए जाने से इस अनिश्चितता से होने वाली हानि से बचा जा सकता है, साथ ही व्यापारी इस संबंध में दूरगामी निर्णय ले सकते हैं। कमोडिटी मूल्य के पूर्वानुमानों के आधार पर सरकार भी इसके भावों में स्थिरता लाने हेतु आवश्यक कदम उठा सकती है।

०००

पत्रिका के जनवरी-जून 2010 अंक में प्रकाशित

आज सब ओर बदलाव का दौर चल पड़ा है। आधुनिकीकरण, शहरीकरण और एकल पारिवारिक प्रणाली में तेजी का दौर है। सामान्यतया लोग खुश नजर आ रहे हैं। परंतु अभी भी समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग कई प्रकार की हानियों को झेल रहा है – वह वर्ग है, बुजुर्ग एवं वरिष्ठ नागरिकों का। ऐसे नागरिक, जिन्होंने 60 वर्ष की उम्र पार कर ली हो और जिनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु नियमित आय का जरिया नहीं हो, उनकी मुसीबतों का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। अपनी जरूरतों की पूर्ति हेतु वे दूसरों पर निर्भर हैं। बुद्धापे में संतान की उपेक्षा भी सहन करनी पड़ती है। जमा पूँजी अथवा संपत्ति के नाम पर उनके पास महज अपना एक घर होता है। समाज के वरिष्ठ नागरिकों की तनावमुक्त जिंदगी व्यतीत करने की लालसा बनाए रखने तथा उनके स्वाभिमान की रक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने वर्ष 2007 के अपने बजट भाषण में रिवर्स मॉर्गेज योजना का जिक्र किया था। इस योजना के अंतर्गत बुजुर्ग नागरिकों को उनके मकान को गिरवी रखकर 15 वर्ष तक एक नियत भुगतान की व्यवस्था की जाती है।

परिचय

जैसाकि नाम से प्रतीत होता है, रिवर्स बंधक सामान्य बंधक के विपरीत है। सामान्य बंधक प्रक्रिया के अंतर्गत लोग कर्ज लेकर लगातार सावधिक तौर पर उसे चुकता करते हैं। लेकिन रिवर्स मॉर्गेज के अंतर्गत एक वरिष्ठ नागरिक अपने घर को बंधक रखकर बदले में आवधिक भुगतान अपने जीवन के शेष काल में प्राप्त करता है। इस अवधि में वरिष्ठ नागरिक अपने घर में अपनी पत्नी/अपने पति के साथ रहना भी जारी रख सकते हैं। उन्हें इस राशि को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक वार्षिकी कार्यक्रम की तरह कार्य करता है जिसमें एक नियत आमदनी मकान मालिक को मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर वितरित की जाती है। इस योजना में वे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष और उससे ऊपर है, अपनी संपत्ति किसी बैंक या गृह वित्त कंपनी के पक्ष में बंधक रखकर नियमित गृह

रिवर्स मॉर्गेज (प्रतिगामी बंधक) योजना – बुजुर्गों का सहारा

ओम प्रकाश अग्रवाल

आमदनी प्राप्त करते हैं और साथ ही उसमें उन्हें रहने की इजाजत भी रहती है। यह गृह कर्ज व्यवस्था सन् 2007-08 के बजट से प्रारंभ की गई है जो कि उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी है जिनके पास गृह संपत्ति होने के बावजूद आमदनी का कोई निश्चित जरिया नहीं होता है।

प्रतिगामी बंधक कर्ज के मार्गदर्शी सिद्धांत

राष्ट्रीय आवास बैंक ने इस नई योजना के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं, जो इस प्रकार हैं :-

- 1) बंधक कर्ज अधिकतम 15 वर्ष हेतु लिए जा सकते हैं। यदि स्वयं मालिक या उसकी पत्नी (या पति) कर्ज के समय तक भी जीवित हो, तो वे उस घर में रह सकते हैं। सिर्फ उन्हें समयावधि के बाद ऋण का आवधिक मासिक भुगतान नहीं होगा।
- 2) कर्ज लेने वाला व्यक्ति 60 वर्ष या उसके ऊपर की उम्र का हो जिसके नाम पर यह संपत्ति (मकान/फ्लैट/बंगला) हो। वह संपत्ति आवासीय होनी चाहिए। शादीशुदा युगल संयुक्त कर्जदार के रूप में हो सकते हैं। यदि संयुक्त कर्जदार के रूप में कर्ज लिया जाता है तो पति-पत्नी दोनों में से किसी एक का 60 वर्ष से ज्यादा आयु का होना जरूरी है। दूसरा साथी, यदि कर्ज लेते समय 60 वर्ष से कम आयु का हो तो भी कर्ज दिया जा सकता है।
- 3) आवासीय संपत्ति, स्वयं-अधिगृहीत हो, उसमें वे स्वयं रहते हों और यह संपत्ति ऐसी हो जिसमें वरिष्ठ नागरिक की मालिकी हो और गृह संपत्ति का शेष जीवन कम-से-कम 20 वर्ष बचा हो।

- 4) कर्ज की राशि निम्नलिखित बातों पर निर्भर रहेगी -
 - * संपत्ति का बाजार मूल्य
 - * कर्जदार, अर्थात् वरिष्ठ नागरिक की आयु
 - * कर्ज की वर्तमान ब्याज दर।
- 5) यदि वरिष्ठ नागरिक कर्ज के किसी भाग का पूर्व-भुगतान करते हैं तो उन पर कोई शुल्क या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
- 6) कर्ज राशि वरिष्ठ नागरिक की वर्तमान आय के आधार पर गृह संपत्ति के बाजार मूल्य के 40 से 60 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। ज्यादा उप्र होने पर वरिष्ठ नागरिक को ज्यादा कर्ज मिलेगा।
- 7) उधारकर्ता संस्था हर 5 वर्ष में संपत्ति का बाजार-पुनर्मूल्यांकन करती रहेगी और कर्ज की राशि का संशोधन इस पुनर्मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
- 8) इस योजना में प्राप्त राशि सिर्फ विशेष जरूरतों में ही इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे, घर का रखरखाव, पेंशन या अन्य आमदनी को बढ़ाने में, चिकित्सा खर्च और आपातकालीन खर्चों में, घर से संबंधित कर्जों को चुकाने में और अन्य यथार्थ खर्चों में।
- 9) कर्ज राशि का भुगतान मासिक/त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक या वार्षिक हो सकता है। एकमुश्त राशि भी ली जा सकती है। लेकिन यह विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है, जैसे कि चिकित्सा, आपातकाल, रखरखाव/घर का नवीकरण आदि।
- 10) इस योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि को आमदनी नहीं माना जा सकता है। इसलिए इसके अंतर्गत प्राप्त राशि (चाहे मासिक या वार्षिक ही क्यों न हो) को आयकर अधिनियम के लिए अंतर्गत नहीं माना जाएगा।

योजना का प्रारंभ

सबसे पहले यह योजना पंजाब नैशनल बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में आरंभ की गई। इस योजना को बैंक ने ‘पीएनबी-बागवान’ नाम दिया है। इस योजना में कर्ज की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये रखी गई है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कर्जदार अपना एक करोड़ का आवासीय मकान 10 वर्ष के लिए इस योजना में गिरवी रखता है तो उसे ₹49,000 मासिक का कर्ज मिलेगा। यह योजना प्रायोगिक तौर पर 30 सितंबर 2007 तक के लिए बनाई गई। इसका अनुभव आने के बाद इसमें संशोधन कर इसमें अन्य बातों को भी शामिल करने की व्यवस्था थी। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक इलाहाबाद बैंक द्वारा 20 लाख रुपये तक की रिवर्स मॉर्गेज योजना लागू की गई है।

निजी वित्तीय संस्था दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी ‘सक्षम’ योजना में प्रतिगामी बंधक कर्ज देना प्रारंभ किया है। यह संपत्ति के 90 प्रतिशत ब्याज सहित कर्ज देना स्वीकार करती है। इसका अर्थ यह है कि यदि गृह संपत्ति का मूल्य 10.00 लाख रुपये है तब कर्ज राशि और उसका ब्याज मिलाकर यह संस्था 9.00 लाख रुपये कर्ज देगी। यदि ब्याज दर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष होती है और ये सिर्फ 10 वर्ष के लिए ही पात्र हैं तब मासिक भुगतान के रूप में कर्जदार को ₹3,900 ही प्राप्त होंगे। यह कंपनी उन गृह संपत्तियों पर वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिगामी बंधक कर्ज नहीं देती जो 20 वर्ष से ज्यादा पुरानी हैं।

कर्ज अवधि के बाद आय

यदि गृह संपत्ति का मालिक या उसकी पत्नी या पति कर्ज अवधि के बाद भी जीवित रहते हैं तो वे उस इमारत में रह सकते हैं। लेकिन उन्हें कर्ज की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक राशि, जो अभी तक मिल रही थी, मिलनी बंद हो जाएगी।

ब्याज दर

राष्ट्रीय आवास बैंक की सिफारिशों के अनुसार ब्याज दर वित्तीय संस्था द्वारा ही निश्चित की जा सकती है और यह जोखिम-ज्ञान और कर्ज मूल्य निर्धारण नीति के आधार पर निश्चित होगी। यह ब्याज दर स्थिर या चलायमान

(फ्लोटिंग) कोई भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए शर्तों का पारदर्शी प्रकटीकरण होना जरूरी है। इन सभी बातों का ध्यान रखने के बाद पंजाब नैशनल बैंक ने इस बंधक पर ब्याज दर 10 प्रतिशत (स्थिर) वार्षिक निश्चित की है जबकि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यह ब्याज दर प्रत्येक व्यक्ति के कर्ज की मात्रा के अनुसार निश्चित करती है। यह 12 प्रतिशत से 16 प्रतिशत सीमा में हो सकती है।

कर्ज वापसी

एक बार जब कर्ज अवधि पूरी हो जाती है तो वरिष्ठ नागरिकों के देहांत के बाद उनके वारिसों द्वारा राशि चुकाई जा सकती है। लेकिन वारिसों द्वारा राशि की अदायगी नहीं करने पर बैंक/वित्तीय संस्था, जिसने प्रतिगामी बंधक किया था, उस संपत्ति को बेचकर अपना कर्ज वसूल कर सकती है। कुछ मामलों में यह भी हो सकता है कि संपत्ति को ऊँची कीमत पर बेचा जाए। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त राशि का भुगतान वरिष्ठ नागरिक के वारिसों को किया जाएगा।

कर्ज दस्तावेज

इस कर्ज में निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता रहती है:-

- * निवास स्थान का प्रमाण
- * पिछले 6 माह का बैंक खाते का विवरण
- * पिछले 3 माह के बिजली/पानी एवं टेलीफोन बिल की प्रतियाँ
- * फ्लैट से संबंधित हाउसिंग सोसाइटी से पिछले 6 माह के रखरखाव खर्चों की रसीदें
- * संपत्ति की सीमा का प्रमाणपत्र/बीमा पॉलिसी
- * राशन कार्ड की प्रति।

समय-पूर्व भुगतान

राष्ट्रीय आवास बैंक के नियमानुसार प्रतिगामी बंधक कर्ज ब्याज सहित समय-पूर्व भी चुकाया जा सकता है लेकिन वित्तीय संस्था भुगतानकर्ता से कोई भी पूर्व-भुगतान शुल्क नहीं लेगी।

संपत्ति का मूल्यांकन तथा उम्र

राष्ट्रीय आवास बैंक ने मूल्यांकन अनुपात कर्जदार की बढ़ती उम्र के साथ इस प्रकार रखा है:-

उम्र	संपत्ति का आनुपातिक प्रतिशत
60 से 70 वर्ष	45 प्रतिशत
71 से 75 वर्ष	50 प्रतिशत
76 से 80 वर्ष	55 प्रतिशत
80 वर्ष से ज्यादा	60 प्रतिशत

इसको इस प्रकार रखने के दो मूल कारण हैं। पहला उम्र बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ते हैं और आमदनी कम होती जाती है और दूसरा यह कि उम्र जितनी ज्यादा होगी, वित्तीय संस्था द्वारा किया जाने वाला मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक भुगतान उतना ही कम होगा (क्योंकि मृत्यु की संभावना उतनी ही नजदीक होती जाती है)।

परिणाम

यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को न केवल स्वावलंबी बनाएगी अपितु वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनकी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों के वारिसों द्वारा धन/संपत्ति हड़पने की घटनाओं में भी कमी आएगी क्योंकि वारिस बिना पूरा भुगतान किए संपत्ति को छुड़ा नहीं सकते। इससे वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वित्तीय तकलीफों से बच जाएंगे। यह योजना अभी नई है और इसमें बुजुर्गों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन की बात बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सोची जा रही है।

○○○

पत्रिका के अप्रैल-दिसंबर 2008 अंक में प्रकाशित

भारतीय बैंकिंग प्रणाली अपने विस्तृत शाखा-तंत्र के लिए जानी जाती है। यह लगभग 96,000 शाखाओं का नेटवर्क है। बैंक शाखाएं ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों तक फैली हैं। बैंकों के पास व्यापक ग्राहक आधार है। ग्राहकों के साथ उनके दशकों पुराने और विश्वसनीय संबंध हैं। ग्रामीण अंचल में भी बैंकों की अच्छी पहुँच है। ग्रामीण क्षेत्र को जीवन बीमा के बड़े बाजार के रूप में देखा जा रहा है। निजी बीमा कंपनियों ने इस तथ्य को ध्यान में रखकर काम करना शुरू कर दिया है। बिरला सन लाइफ ने केवल ग्रामवासियों को लक्ष्य करके अपने कुछ उत्पाद बाजार में प्रस्तुत किए हैं। यह वास्तविकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां अपने अब तक के कार्यकाल में बीमा सेवाओं का पर्याप्त प्रसार नहीं कर सकीं। इनका शाखा विस्तार भी जिला केंद्रों तक ही सीमित है। इसलिए बीमा कंपनियां बैंक काउन्टरों के माध्यम से अपनी पॉलिसियाँ बेचने की इच्छुक हैं।

बीमा बाजार में निजी कंपनियों और विदेशी उद्यमियों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। अभी तक सार्वजनिक बीमा कंपनियां पूरे कारोबार पर एकाधिकार अवस्था का लाभ ले रही थीं। अब एलआईसी और जीआईसी को बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए योजनाओं और रणनीति में परिवर्तन करना पड़ रहा है। अब आक्रामक विपणन रणनीति का सहारा लिया जा रहा है। बीमा कंपनियों को ऐसे सहयोगी की तलाश है जो विपणन कार्य में सहायक बन सके। बैंकों के पास ऐसा कुशल स्टाफ है जिसे भारतीय वित्त बाजार का लंबा अनुभव है और सीएआईआईबी जैसी योग्यताएं प्राप्त हैं। बीमा के संदर्भ में बैंकर्स की इस डिग्री को आईआरडीए ने भी उपयोगी माना है।

बैंक एश्योरेंस में चुनौतियाँ

- विपणनकर्ता की व्यस्तता
- उत्पाद वैषम्य
- प्रतिस्पर्धी उत्पाद
- कालातीत दर
- रिबेट विषयक प्रावधान : धारा 41

बैंक एश्योरेंस : बाधाएं और समाधान

डॉ. सुबोध कुमार एवं
हरीश चन्द्र रत्नाली

- सेवा गुणवत्ता में कमी
- स्पेसीफाइड पर्सन के लिए प्रोत्साहन का अभाव
- टेल्क एश्योरेंस।

विपणनकर्ता की व्यस्तता

बैंक एश्योरेंस में विपणनकर्ता की व्यस्तता बीमा व्यवसाय संवर्धन के मार्ग में प्रमुख बाधा मानी जाती है। बैंक अधिकारी कार्य समय में बैंकिंग सेवाओं के अपने कार्य में प्रायः अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। बैंकों में दैनिक कारोबार का दबाव काफी अधिक रहता है। इस स्थिति में बैंक अधिकारी से यह अपेक्षा करना भी उचित नहीं लगता कि वे बीमा के संभावित ग्राहक के लिए थोड़ा भी समय आसानी से निकाल पाएंगे। दूसरी ओर, बीमा कंपनी के अभिकर्ता प्रस्तावक के लिए व्यक्तिगत परामर्श और मार्गदर्शन के लिए यथेष्ट समय देते हैं। बीमा में ग्राहक के लिए निजी तौर पर व्यक्तिगत समय दिए जाने की जरूरत होती है। यहाँ, यह भी उल्लेखनीय है कि बैंक की किसी व्यस्त शाखा से बीमा ट्रेनिंग के लिए एक अधिकारी का उपलब्ध हो पाना कठिन लगता है। यह सुझाव दिया जा सकता है कि बैंक में बीमा व्यवसाय के लिए विशेष रूप से अधिकारी नामित किया जाए जिसका कार्य केवल बीमा संबंधी सेवाओं तक ही सीमित हो। इस प्रकार नियुक्त पूर्णकालिक बैंक कार्मिक बीमा विपणन को सुचारू ढंग से संपन्न कर पाएंगे। इस आधार पर परीक्षण भी हुए हैं। एक बैंक ने केवल बीमा कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी को वापस बुला लिया क्योंकि बीमा व्यवसाय से प्राप्त आय उसके वेतन और भत्तों की राशि से कम थी (वरदराजन आर एवं नटराजन के, 2007)। बीमा व्यवसाय करते समय बैंकों को लागत लाभ विश्लेषण करते रहना होगा। इसी बैंक ने बीमा कंपनी के कर्मचारी को अपने यहाँ एक काउंटर उपलब्ध करा दिया, जहाँ बैंक ग्राहकों को बीमा उत्पाद बेच सकते थे। किंतु, ग्राहक वर्ग की ओर से बैंक में बीमाकर्ता को स्वीकार्यता नहीं मिली और यह प्रयोग वहाँ सफल नहीं रहा।

दूसरी ओर, सर्वेक्षण में ऐसे भी उदाहरण मिले जिसमें स्केल-तीन बैंक अधिकारी ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिए इतना व्यवसाय किया कि उन्हें बीमा कंपनी की ओर से प्रतिवर्ष सपरिवार विदेश यात्रा का उपहार मिला।

उत्पाद वैषम्य

बैंकिंग सेवाओं और बीमा उत्पाद में एक मौलिक भेद है कि बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहक स्वयं बैंक आता है जबकि बीमा उत्पाद के लिए ग्राहक बीमादाता के पास नहीं जाता बल्कि बीमा अभिकर्ता संभावित ग्राहक के घर अथवा कार्यस्थल पर जाकर संपर्क करता है। बैंकर को अपने ग्राहक को प्रेरित करने के लिए कभी भी इस प्रकार का आग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती जैसाकि बीमा व्यवहारों में बीमा अभिकर्ता द्वारा सदैव किया जाता है। इस संदर्भ में मोटर वाहन बीमा जैसे व्यवहार अपवादस्वरूप हैं, जिनमें ग्राहक भी चलकर सेवादाता के पास आ जाए। बीमा के विषय में प्रसिद्ध उक्ति है कि ‘बीमा खरीदा नहीं जाता, अपितु बेचा जाता है’। बीमा व्यवसाय में विपणन के इस भिन्न चलन को बैंक कार्मिक वर्ग में यकायक स्वीकृति नहीं मिल सकती। इसके लिए बैंक कार्मिक को थोड़ी मानसिक तैयारी करने की आवश्यकता अवश्य होगी। बीमा उत्पादों के विपणन में प्रचलित परंपरा और रीति को आत्मसात् करने के क्रम में बैंक बीमा कार्मिकों का सहयोग ले सकते हैं। बीमा विकास अधिकारियों के अनुभव और सुझाव बैंक के लिए बीमा विपणन में बहुत उपयोगी होंगे।

प्रतिस्पर्धी उत्पाद

बीमा उत्पाद और बैंक उत्पाद में आधारभूत अंतर है। बीमा का प्रयोजन है – ‘जोखिम प्रबंधन’ जबकि बैंक सेवाएं प्रस्तुत करते हैं – ‘बचत सुरक्षा और मूल्य अभिवृद्धि’। किंतु, दोनों ही व्यवहारों में एक साम्य है, वह है – नकद रोकड़ प्रवाह का बहिर्गमन। प्रयोजन चाहे आर्थिक सुरक्षा हो अथवा बचत पर आय-अर्जन, किंतु एक बात सामान्य है, वह है – उपभोक्ता के पास उपलब्ध नकदी का उपयोग। एक बैंक कर्मचारी अपने ग्राहकों को बीमा प्लान की सलाह देते समय बड़े संकोच का अनुभव कर रहे थे क्योंकि ऊँची बोनस दर और आयकर बचत के कारण बीमा प्लान अपने बैंक की बचत योजनाओं की तुलना में कहीं

अधिक आकर्षक था। साथ ही, बीमा प्लान में विनियोजन के लिए रकम बैंक के सावधि खाते से ही निकालनी थी।

सर्वेक्षण के दौरान भी बीमा और बैंक उत्पादों के मध्य प्रतिस्पर्धा विषयक घटक सत्यापित हुआ। जिला सहकारी बैंक का आईएनजी वैश्य जीवन बीमा कंपनी के साथ करार है। बैंक शाखाओं में बीमा कंपनी के कर्मचारी के लिए एक काउंटर उपलब्ध कराया गया है। किंतु, बैंक के शाखा प्रबंधक इस बात को लेकर चिंतित थे कि उपभोक्ता बीमा उत्पाद खरीदने के लिए अपनी जमाराशियाँ बैंक से ही निकालेंगे जिससे बैंक की जमाराशियों में कमी आना निश्चित है। विविध अध्ययनों में प्रमाणित हुआ है कि बैंक और बीमा दोनों ही संस्थाओं में ग्राहक वर्ग का बड़ा हिस्सा वेतनभोगी वर्ग से बनता है। प्रायः वेतनभोगी ग्राहक की सीमित आय में एक विशिष्ट भाग है जिससे वे बैंक के आवर्ती जमा खाते अथवा बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की किस्त के लिए बचत कर सकते हैं। एक ही विक्रेता के पास परस्पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद होने के कारण उपभोक्ता हितपोषण में भी कठिनाई उपस्थित होगी। बैंक और बीमादाता मिलकर बैंक ग्राहक के लिए उपयुक्त बीमा उत्पाद की सिफारिश करें, तब इस समस्या का समाधान मिल सकता है। व्यवहार में, बैंक को अपने व्यवसाय की कीमत पर बीमा विपणन करने में कठिनाई अवश्य आएगी। यहाँ कम कीमत की सावधि बीमा योजनाओं की सिफारिश करना एकदम उपयुक्त होगा लेकिन सावधि बीमा को अभी तक भारतीय बाजार में लोकप्रिय नहीं बनाया जा सका है।

कालातीत दर

जीवन बीमा में उत्पाद विपणन से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है – कालातीत दर पर नियंत्रण रखना। पॉलिसी कालातीत दर बीमा के लिए खतरे का सूचकांक है। यदि बीमा कंपनी कालातीत दर पर नियंत्रण नहीं रख सकी तो जल्दी ही इसका अस्तित्व समाप्त होना निश्चित है। बैंकों द्वारा किए गए बीमा व्यवसाय में ऊँची कालातीत दर की समस्या प्रकट होने लगी है। बैंकों की ओर से नियमित प्रीमियम जमा कराने के क्रम में ऐसे अनुवर्ती प्रयास बिल्कुल नहीं किए जाते जैसे कि बीमा कंपनी, बीमा विकास अधिकारी, बीमा अभिकर्ता द्वारा किए जाते हैं। पॉलिसी जारी रखने के लिए वांछित प्रयासों की एक पूरी शृंखला है जिसके लिए एक संपूर्ण व्यवस्थित प्रणाली की आवश्यकता होती है। प्रीमियम देय होने से पूर्व ग्राहक को स्मरण कराया जाए।

चूक हो जाने पर तुरंत अनुस्मरण कराया जाए, कालातीत होते ही ग्राहक को अवगत कराया जाए। इसके बाद भी, विविध समय अंतरालों पर ग्राहक को परामर्श और मार्गदर्शन दिया जाए कि पॉलिसी चलाने में बीमादार का हित है और पॉलिसी बंद करने में उसकी अत्यधिक हानि है।

सर्वेक्षण में सम्मिलित एक बीमा ग्राहक ने अपना अनुभव बताया कि उन्होंने एसबीआई लाइफ की 'स्वधन' बीमा पॉलिसी ली, उसके लिए बीमाधारक ने बीमा प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित बैंक के लिए स्थायी अनुदेश पर हस्ताक्षर किए कि वार्षिक प्रीमियम उनके खाते से काटकर बीमा कंपनी को नियमित रूप से देता रहे। लेकिन अगले वर्ष फरवरी के महीने में अपनी पासबुक देखने पर उन्हें मालूम हो गया कि बीमा प्रीमियम नहीं काटा गया है। अब इस प्रीमियम को जमा कराने के लिए उन्हें बैंक को तीन-चार बार स्मरण कराना पड़ा और लिखित रूप में अपना पॉलिसी विवरण बार-बार प्रस्तुत करना पड़ा। इस कार्य में लगभग दो महीने का समय लगा। इस दौरान बैंक ने देय प्रीमियम पर विलंब शुल्क की भी माँग रखी जबकि चूक केवल बैंक की ओर से हुई थी। उपभोक्ता फिर भी संतुष्ट है कि वास्तव में विलंब शुल्क लिए बिना ही पॉलिसी जारी रही और अनुकर्ता प्रीमियम समय से लिया जा रहा है। बीमा के मामले में यह एकदम उलट उदाहरण है कि प्रीमियम देने के लिए ग्राहक को बार-बार बीमाकर्ता के बैंकर को स्मरण कराना पड़े। वास्तव में, इस प्रकार के कुल मामलों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। ऐसे उपभोक्ता जो इतने सजग और जागरूक नहीं हैं, वहाँ कालातीत दर में तीव्र वृद्धि अवश्य होगी।

रैपको बैंक ने बैंक एश्योरेंस में 'हनी बी' नाम से एक योजना प्रारंभ की है, जिसमें बैंक के संग्राहक बीमादार के घर अथवा कार्यस्थल से प्रतिदिन प्रीमियम की राशि एकत्र करके बैंक में जमा करेंगे। उदाहरण के लिए, पॉलिसी का प्रीमियम यदि ₹300 प्रतिमाह है तो हनी बी द्वारा बीमाधारक से ₹10 प्रतिदिन एकत्र कराया जाएगा। प्रीमियम की देय तिथि पर बैंक सीधे बीमा कंपनी को इस राशि का भुगतान कर देगा। प्रीमियम जमा करने का बैंक द्वारा प्रायोजित यह प्रबंध दुकानदार वर्ग जैसे बीमा ग्राहकों के लिए अति उत्तम है और पॉलिसी कालातीत होने से रोकने का उपाय भी है। बीमा विपणन की दृष्टि से यह रीति बहुत सफल सिद्ध होगी क्योंकि मासिक प्रीमियम किस्त की राशि फुटकर व्यापारियों को

बहुत ज्यादा लगती है, जबकि दैनिक आधार पर विभक्त इसके अंश के लिए वे सहर्ष सहमत हो जाएंगे।

रिबेट विषयक प्रावधान : धारा 41

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 के अनुसार, किसी प्रस्तावक या बीमादार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रीमियम से कोई रिबेट देना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पाँच सौ रुपये जुर्माना निर्धारित है। अतः एजेंट को इस संबंध में सावधान रहना चाहिए। बीमा कंपनी की ओर से घोषित और प्रकाशित किसी छूट के अलावा बीमा अभिकर्ता अपनी जेब से अथवा अपने कमीशन में से कोई राशि बीमा ग्राहक को नहीं दे सकता और इस प्रकार की कोई राशि बीमादार द्वारा स्वीकार किया जाना भी दंडनीय अपराध है।

धारा 41 में वर्णित व्यवस्था केवल किताबों तक सीमित होकर रह गई है। व्यवहार में अस्सी प्रतिशत बीमा अनुबंधों के मामले में अभिकर्ता द्वारा ग्राहक को अपने कमीशन में से रिबेट के रूप में कुछ न कुछ राशि अवश्य दी गई। रिबेट की राशि की सीमा ग्राहक और अभिकर्ता के मध्य सौदेबाजी, पॉलिसी पर अभिकर्ता को अर्जित होने वाले कमीशन की राशि आदि घटकों के आधार पर तय हुई। ऐसे मामले जहाँ रिबेट का लेन-देन नहीं हुआ, वे हैं - छोटी राशि की पॉलिसी; कम कमीशन अर्जन वाली पॉलिसी; कम पढ़े-लिखे ग्राहक; मित्र/रिश्तेदार/सहकर्मी प्रस्तावक; किसी अन्य रूप में प्रतिफल प्राप्तकर्ता ग्राहक।

सर्वेक्षण में प्रकाश में आया कि बीमा व्यवहारों में रिबेट का चलन इतना ज्यादा है कि काफी कम पढ़े-लिखे लोग भी इस परंपरा से परिचित हैं कि बीमा अभिकर्ता बीमा करते समय रिबेट देते हैं। एक माली ने बीमा एजेंट से पूछा कि उसे अपनी दो बेटियों के लिए बीमा पॉलिसी लेनी है, इसमें उसे कितनी छूट मिलेगी। माली ने यह भी बताया कि उसे दूसरे अभिकर्ता से इतनी छूट मिलती है। निष्कर्ष रूप में, यह कहा जा सकता है कि ग्राहक रिबेट के लिए अच्छा खासा मोलभाव करते हैं, जिसमें अभिकर्ता की भी सक्रिय भूमिका रहती है। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि अधिकांश ग्राहक धारा 41 के प्रतिबंध से परिचित नहीं हैं। विधिवेत्ता वर्ग में भी इस प्रावधान की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। बीमा विषय और व्यवसाय से जुड़े लोग नियम से परिचित थे, किंतु वे रिबेट राशि के लोभ का संवरण न कर

सके। वस्तुतः काफी ग्राहक रिबेट को अपने अधिकार के रूप में मानते और माँगते हैं।

रिबेट विषयक प्रावधान और इसके अनुपालन के बारे में बीमा अभिकर्ताओं और विकास अधिकारियों का मत जानने का प्रयास किया गया। एजेंटों का अभिप्राय था कि रिबेट उनके व्यवसाय में एक प्रेरक घटक है इसके बिना उनके लिए कार्य करना कठिन हो जाएगा। यद्यपि वे इसके प्रतिबंधित होने की बात भलीभाँति जानते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के एक विकास अधिकारी ने रिबेट संबंधी अनियमितता के संबंध में अन्यंत सहजता से कहा कि इसमें परेशानी किसको हो रही है, रिबेट लेने वाला और देने वाला दोनों खुश हैं। कहीं कोई शिकायत नहीं है। अतः किसी भी स्तर पर कुछ किए जाने की कोई जरूरत नहीं है। निगम के एक दूसरे प्रबुद्ध विकास अधिकारी ने रिबेट के चलन के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘स्वरूप समिति’ की सिफारिशें लागू होने पर इस समस्या का समूल निराकरण हो जाएगा। किंतु, वर्तमान परिदृश्य में समाधान उनकी ओर से नहीं आ सका।

‘स्वरूप समिति’ की रिपोर्ट में धारा 41 के उल्लंघन की समस्या का समाधान निहित है। किंतु, बीमा उद्योग में इस रिपोर्ट का विरोध भी मुख्य हो चुका है। बीमा अभिकर्ता व्यवसाय में लक्ष्य आदि के दबाव में काम करते हैं। साथ ही, बीमा पॉलिसी बेचना श्रमसाध्य माना जाता है। इस संबंध में गोवर्धन समिति की सिफारिशें भी उल्लेखनीय हैं जिनमें अभिकर्ताओं के कमीशन की पुनर्रचना प्रस्तावित की गई। कमीशन दोनों में परिवर्तन अथवा कमीशन प्रणाली बंद करने का बीमा व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जीवन बीमा में अभिकर्ताओं के अपने व्यवसाय को छोड़ने की दर पहले ही चिंताजनक स्तर से अधिक है जिसके और बढ़ जाने की आशंका है। इस धारणा को महज आशंका ही माना जा सकता है क्योंकि दूसरे कुछ देशों में फीस आधारित बीमा विपणन सफलतापूर्वक चल रहा है।

कई कंपनियों ने ऑनलाइन बीमा पॉलिसियों का विपणन शुरू किया है जिसमें अभिकर्ता की कोई मध्यस्थता नहीं होती। इस प्रकार, अभिकर्ता के कमीशन पर होने वाले व्यय की बचत होती है और पॉलिसी सस्ती हो जाती है। विशेष रूप से, सावधि बीमा योजनाओं के संदर्भ में यह रीति अधिक उपयुक्त होगी जहाँ तुलनात्मक विश्लेषण सरल होता है और परामर्श की

अधिक आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार ऑनलाइन विपणन में धारा 41 के उल्लंघन की समस्या का समाधान भी हो जाता है। जीवन बीमा में रिबेट संबंधी प्रतिबंध का खुला उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस नियम को समाप्त करने की सिफारिश की जा सकती है।

स्वरूप समिति ने वित्तीय सेवाओं के बाजार में ग्राहक जागरूकता और ग्राहक शिक्षा के लिए उपाय किए जाने की सिफारिश की है। वित्तीय साक्षरता के लिए ‘फाइनेंशियल वेल बीइंग बोर्ड’ की स्थापना का सुझाव दिया है। व्यवसाय में ग्राहक शिक्षा को सेवाप्रदाता का दायित्व माना जाता है। प्रीमियम में रिबेट संबंधी नियम को उपभोक्ता शिक्षा में शामिल कर लेने पर समस्या के निराकरण की दिशा में सुविधा होगी।

बैंक एश्योरेंस में प्रमुख समस्या के रूप में अनुभव किया जा रहा है कि बीमा ग्राहक बैंक अधिकारी से प्रीमियम में अनधिकृत रिबेट की माँग करते हैं जिस प्रकार कि विगत में उन्हें अपने बीमा एजेंट से सदैव मिलती रही है, जबकि बैंक अधिकारी इस प्रकार के व्यवहार में लिस नहीं हो सकते। यहाँ, उल्लेखनीय है कि बैंक में आने वाले बीमा ग्राहक अपेक्षाकृत शिक्षित, जागरूक और उच्च आय वर्ग के हैं, इसलिए उनके द्वारा रिबेट आदि माँग करने की संभावना अधिक बनती है। किंतु, यह भी रोचक बात है कि बैंक द्वारा उन्हें समझाया जाना भी आसान होगा। बैंक अधिकारी उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं कि बैंक में बीमा व्यवहारों में रिबेट दिया जाना संभव नहीं है। यह देखने में आया है कि बैंक बीमा ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए कतिपय नए और अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए, चिकित्सीय परीक्षण आदि के व्यय की प्रतिपूर्ति ग्राहक को कर दी जाती है। इस प्रकार ग्राहक को वस्तुस्थिति स्पष्ट करके और अन्यथा बेहतर सेवा प्रदान करके संतुष्ट रखा जा सकता है।

सेवा गुणवत्ता में कमी

जब बैंक बीमा व्यवसाय करते हैं तो ग्राहक का संपर्क बैंक से होता है, जबकि बीमा सेवा संबंधी सभी काम बीमा कंपनी द्वारा किए जाते हैं। बीमा संविदा में दावे के अलावा भी ऐसे कई अवसर होते हैं जब ग्राहक को बीमा कंपनी की सेवा लेनी होती है, उदाहरण के लिए – पॉलिसी अंतरण, नामांकन

में परिवर्तन, समनुदेशन नोटिंग, समर्पण मूल्य, पॉलिसी का पुनर्चलन आदि। पॉलिसी सेवा में कभी भी कमी होने पर बीमा ग्राहक बैंक पर दोषारोपण करेगा। बैंक की साख के लिए यह प्रतिकूल अवस्था होगी। बीमा दावों में प्रायः विवाद की स्थिति उपस्थित हो जाती है। बीमादार और बीमादाता दोनों ही अपनी अपेक्षा के अनुरूप अपने अधिकार का विस्तार कर लेते हैं और अपने दायित्व का संकुचन कर लेते हैं। यद्यपि, बीमा पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्य के परिसीमन के लिए 'आसन्न कारण सिद्धांत' आदि नियम हैं, किंतु, फिर भी व्यवहार में विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार, पूर्ण प्रकटन के नियम के संदर्भ में बीमा कंपनी और बीमा ग्राहक परस्पर आरोप-प्रत्यारोप लगा देते हैं। बीमा सेवा में किसी भी प्रकार की कमी और विवाद का प्रभाव बैंक की साख पर प्रतिकूल रूप से पड़ेगा। अब, इस प्रकार के उदाहरण सामने आने लगे हैं, जब बैंक ग्राहक ने बीमा सेवा में असंतुष्टि के कारण बैंक में अपना खाता बंद कर दिया (वरदराजन आर एवं नटराजन के, 2007)। इस समस्या के समाधान के लिए बैंक को ग्राहक को समुचित बीमा सेवा हासिल करवाने में अपना सक्रिय सहयोग करना होगा और ग्राहक को बीमा व्यवहार विषयक उसके अधिकार और कर्तव्य का बोध कराना होगा। जीवन बीमा में भी बीमा कंपनी के लिए भौतिक संकट के साथ आचरण संबंधी संकट भी व्याप रहता है। अतः भूल अथवा दोष बीमादार अथवा बीमा कंपनी दोनों में किसी का भी हो सकता है।

स्पेसीफाइड पर्सन के लिए प्रोत्साहन का अभाव

भारतीय जीवन बीमा निगम की कॉरपोरेट एजेंसी राष्ट्रीयकृत बैंक इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने ली है। बैंक अधिकारियों के मध्य सर्वेक्षण में मालूम हुआ कि बैंक बीमा प्रशिक्षण के लिए अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारी इस कोर्स में जाने से बचने का पूरा प्रयास करते हैं अथवा प्रशिक्षण को अधूरा छोड़ देते हैं। इस कोर्स में अनिच्छा के पीछे उनका तर्क होता है कि उन्हें यह परीक्षा पास करने के बाद बैंक के कार्य के साथ-साथ निगम का अतिरिक्त कार्य करना होगा, जिसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है। बीमा विपणन जैसा श्रमसाध्य कार्य बिना किसी प्रोत्साहन के कोई भी कर्मचारी करेगा, इसकी संभावना कम दिखाई देती है। आईओबी के पास एक साधारण बीमा कंपनी की भी

एजेंसी है, जिसके लिए वे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का विपणन करते हैं। स्वास्थ्य बीमा की पच्चीस पॉलिसियों का लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर बैंकर के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था है। किंतु, इस प्रोत्साहन के प्रति बैंक अधिकारी बिल्कुल आशावान नहीं थे और उनकी प्रतिक्रिया थी कि निर्धारित किया गया लक्ष्य बहुत अधिक है और व्यवहार में अपने बैंक कार्य के साथ बीमा विपणन के इस लक्ष्य को प्राप्त करना दुष्कर है। अतः यह प्रोत्साहन उनके लिए निरर्थक है।

टेल्क एश्योरेंस

बैंक एश्योरेंस के क्षेत्र में यह बड़ी चुनौती के रूप में प्रकट होने वाली स्थिति है कि मोबाइल सेवा कंपनियाँ बीमा व्यवसायियों के साथ अपने वितरण ढाँचे का उपयोग करने के लिए सहमत हो जाएं। इस क्षेत्र में शुरुआत हो चुकी है। भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एयरटेल के साथ अनुबंध किया है कि एयरटेल के कस्टमर केअर पर फोन करके भारती एक्सा इंश्योरेंस के उत्पादों की जानकारी हासिल की जा सकेगी और कंपनी के रिलेशनशिप सेंटर पर बीमा सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। फोन सेवाप्रदाता और बीमादाता के मध्य इस संबंध को नाम दिया गया- 'टेल्क एश्योरेंस'। सेलफोन कंपनी के कार्मिक बीमा उत्पादों के विषय में इस तरह परिचित नहीं हो सकते जिस तरह बैंक कर्मी सामान्य रूप से होते हैं। बैंकर बीमा और निवेश क्षेत्र की समझ और विशेषज्ञता सहज रूप से रखते हैं। बीमा उत्पाद सर्वथा जटिल होते हैं, इनकी विशिष्टताओं को समझना आसान नहीं होता है। इस दृष्टि से, एक सुझाव हो सकता है कि फोन कंपनियाँ अपने स्टाफ को आईआरडीए द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण अथवा दूसरा कोई समकक्ष अथवा सम्यक प्रशिक्षण दे दें।

बैंक एश्योरेंस में बीमा सेवा गुणवत्ता हेतु सुझाव

- बीमा संविदा के समय और संविदा के बाद सक्रिय सहयोग
- बीमा कार्य के लिए पृथक सारणी
- बीमा प्रशिक्षण की अनिवार्यता में शिथिलता
- बीमा कार्मिक की तैनाती
- बैंकर के लिए प्रोत्साहन।

बीमा संविदा के समय और संविदा के बाद सक्रिय सहयोग

बीमा व्यवहार में संविदा करते समय उत्पाद चयन और विक्रय उपरांत सेवाएं दोनों ही महत्त्वपूर्ण होती हैं। उत्पाद चयन में प्रस्तावक के लिए पॉलिसी की उपयुक्तता की परीक्षा की जाती है। किसी पॉलिसी विशेष की सिफारिश करते समय प्रस्तावक की आय और व्यय के पैटर्न को ध्यान में रखना जरूरी है। वस्तुतः, व्यक्ति जीवन बीमा निवेश के माध्यम से संपूर्ण वित्तीय नियोजन की व्यवस्था करता है, जिसमें लंबे समय तक आने वाली वित्तीय जरूरतें और आयकर प्रबंधन भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार, बीमा संविदा में प्रवेश करते समय ग्राहक को बैंकर की विशेषज्ञ राय और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। अतः, बैंक से अपेक्षा है कि ग्राहक को इस समय सक्रिय सहयोग मिले। इसी प्रकार पॉलिसी अवधि पर्यंत ऐसे कई अवसर आते हैं जब ग्राहक को बैंक अथवा बीमा कंपनी की ओर से मदद की जरूरत पड़ेगी, यथा - समर्पण मूल्य, ऋण, नामांकन, समनुदेशन, पुनर्चलन, दावा प्रस्तुतीकरण। ग्राहक को पॉलिसी संबंधी सभी सेवाओं के लिए बैंक की ओर से समुचित सलाह और सक्रिय सहयोग अवश्य मिलना चाहिए, तभी बीमादार के लिए बीमा का प्रयोजन पूरा होगा, अन्यथा, ग्राहक असंतोष और परिवाद के मामलों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि होगी।

बीमा कार्य के लिए पृथक समय-सारणी

सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्राहक जब बीमा कार्य के लिए बैंक पहुँचता है, तब बहुधा बीमाकर्ता उपलब्ध नहीं होता। उपलब्ध न होने का कारण जानने का प्रयास किया गया। कई बार उपलब्ध स्टाफ की ओर से कोई स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर भी नहीं मिल सका। शाखा में एक ही नामित व्यक्ति के होने के कारण कभी-कभी उसके छुट्टी पर होने की पूरी संभावना रहती है। किंतु, यह सूचना भी ग्राहक को उचित रीति से दी जाए तब उसे निराशा कम होगी। अधिक समस्या वहाँ दिखाई देती है जब बैंक अपने को बीमा कार्य के लिए जवाबदेह ही न समझे। बीमा विपणन के संदर्भ में बैंक की ओर से इस प्रकार का संकेत नहीं जाना चाहिए कि वे बीमा सेवाओं में कम रुचि लेते हैं अथवा यह उनकी दोयम दर्जे की प्राथमिकता है। अन्यथा, बीमा विपणन में बहुत अधिक सफलता की आशा नहीं की जा सकती।

बैंक में बीमा कार्य के लिए एक पृथक समय-सारणी प्रस्तावित की जा सकती है जो कि बैंकर, ग्राहक और बीमाकर्ता तीनों के लिए सुविधाप्रद होगी। इसी प्रकार जहाँ बीमा कंपनी का कर्मचारी बैंक में आता है, वहाँ उसके आने के दिन और उपलब्ध रहने के समय का उल्लेख नोटिस बोर्ड आदि स्थान पर कर देना ग्राहक वर्ग के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

बीमा प्रशिक्षण की अनिवार्यता में शिथिलता

बीमा विपणन के मार्ग में बड़ी बाधा है - प्रशिक्षित स्टाफ का अभाव। बैंक अधिकारी को भी आईआरडीए द्वारा निर्धारित बीमा विषयक प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है, उसके बाद ही उसे पॉलिसी विक्रय के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ट्रेनिंग संबंधी नियमों के बारे में 'इंश्योरेंस काउंसिल' की ओर से आईआरडीए से आग्रह किया गया है कि बीमादाताओं को लचीला विकल्प दिया जाना हितकर होगा, जिसमें बीमादाता अपने स्टाफ की जरूरत के मुताबिक कम अथवा अधिक अवधि की ट्रेनिंग आयोजित कर सकें। सहयोगी बैंक की प्रत्येक शाखा में एक से अधिक प्रशिक्षित व्यक्ति यदि उपलब्ध हो जाए, तब किसी एक के छुट्टी पर रहने पर भी बीमा कार्य बाधित नहीं होगा।

बीमा कार्मिक की तैनाती

कॉरपोरेट एजेंसी के मामले में भी कंपनी के एक कर्मचारी को बैंक में रहना चाहिए जो कि ग्राहक एवं बैंक अधिकारी की जिज्ञासाओं को शांत कर सके। बैंक अधिकारी बीमा की संपूर्ण उत्पाद शृंखला के बारे में उस प्रकार नहीं बता पाते जिस तरह बीमा अभिकर्ता एवं बीमा विकास अधिकारी बताते हैं। उपभोक्ता मनोविज्ञान होता है कि वह कई उत्पादों को जानने, समझने, तुलना करने के बाद चयन करके अधिक संतुष्ट होता है, अपेक्षाकृत इसके कि उसे केवल एक पॉलिसी के बारे में बताया जाए और उसी को चुनने की सलाह दी जाए।

बैंकर के लिए प्रोत्साहन

एजेंट अपने कमीशन के लिए व्यवसाय वृद्धि हेतु प्रयासरत रहते हैं। बैंक अधिकारी उस प्रकार से प्रयत्नशील नहीं होते हैं। संभवतः, अच्छी नियमित आय होने के कारण उन्हें बीमा पारिश्रमिक का आकर्षण कम रहता है। बैंक में बीमा कार्य करने वाले अधिकारी के लिए समुचित मौद्रिक अथवा गैर मौद्रिक प्रोत्साहन रखा जाना चाहिए। 'आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल' अपने सहयोगी

बैंक बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को बीमा प्रीमियम की लक्ष्य राशि के लिए सपरिवार विदेश यात्रा का उपहार देती है।

बैंकिंग और बीमा व्यापार में पिछले केवल दस वर्षों में ही मौलिक बदलाव आए हैं। ये परिवर्तन स्वामित्व को लेकर भी हैं और बाजार की प्रवृत्तियों से संबंधित भी हैं। अब बाजार 'क्रेता बाजार' बन गया है। अब केंद्र में उत्पाद नहीं, अपितु ग्राहक रहेगा। ग्राहक की माँग और जरूरत के अनुरूप उत्पाद विकसित किए जाने हैं। बाजार का, विशेष रूप से वित्तीय बाजार का, वैश्वीकरण हो चुका है। बैंक और बीमा संस्थाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंड स्थापित हैं। भारतीय बाजार क्रमशः वैश्विक मानकों की ओर अग्रसर है। बैंकिंग और बीमा सेवाओं का सम्मिश्रण भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का ही एक उपादान कहा जा सकता है। उद्योगों को सदैव बाजार के अनुरूप परिवर्तित और परिष्कृत होते रहना होगा। बैंकिंग और बीमा कारोबार में देश की विनियामक संस्थाओं की भूमिका प्रायः मुख्य रहती है।

इसलिए विनियंता संस्थाओं को भी गतिशील बाजार की प्रवृत्तियों का सजगता और तत्परता से विश्लेषण करते रहना होगा ताकि समयानुकूल व्यवस्थाएं की जा सकें।

संदर्भ

- i) वरदराजन आर एवं नटराजन के 2007,
- ii) बैंक एश्योरेंस - इमर्जिंग चैलेंजें,
- iii) रीसेंट ट्रेन्ड्स इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, संपादक रविचन्द्रन के, अभिजीत पल्लिकेशंस दिल्ली, 99-107
- iv) सुबोध कुमार एवं रतूड़ी हरीश चन्द्र 2009, जीवन बीमा में कालातीत पॉलिसियाँ : कारण और परिणाम
- v) आईआरडीए जर्नल नवम्बर 2009, हैदराबाद 42-47

○○○

पत्रिका के जनवरी-जून 2010 अंक में प्रकाशित

क्र. बैंक समूह सं.	वर्ष 3	ऋण आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूहवार		(मार्च के अंत में)		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां		(₹ बिलियन)
		मानक आस्तियां	अवमानक आस्तियां	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	
		4	5	6	7	8	9	10	11	
1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	2012	38,255	97.0	623	1.6	490	1.2	60	0.1	
	2013	43,957	96.4	815	1.8	761	1.7	68	0.1	
1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक**	2012	26,909	97.5	402	1.5	268	1.0	21	0.1	
	2013	30,396	96.8	558	1.8	424	1.3	35	0.1	
1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह	2012	11,345	95.9	221	1.9	222	1.9	39	0.3	
	2013	13,561	95.6	258	1.8	337	2.4	33	0.2	
2 निजी क्षेत्र के बैंक	2012	9,629	98.1	52	0.5	104	1.1	29	0.3	
	2013	11,384	98.2	64	0.6	112	1.0	32	0.3	
2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2012	2,287	98.2	18	0.8	17	0.7	7	0.3	
	2013	2,679	98.1	23	0.9	23	0.8	6	0.2	
2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	2012	7,342	98.1	34	0.4	87	1.2	22	0.3	
	2013	8,705	98.2	41	0.5	89	1.0	25	0.3	
3 विदेशी बैंक	2012	2,284	97.3	21	0.9	22	0.9	20	0.8	
	2013	2,610	97.0	29	1.1	27	1.0	23	0.9	
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	2012	50,168	97.2	695	1.3	617	1.2	109	0.2	
	2013	57,951	96.8	909	1.5	900	1.5	123	0.2	

टिप्पणी : 1. पूर्णांकन के कारण घटक मढ़ों के जोड़ में अंतर हो सकता है।

2. *: सकल अभियां के प्रतिशत के रूप में।

3. **: आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां।

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2012-13

भारत में आज्ञादी के बाद के आर्थिक इतिहास में व्यापक रूप से तीन आर्थिक मॉडल अपनाए गए। आज्ञादी के बाद से वर्ष 1966 तक हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। वर्ष 1966 से 1990 तक इसने समाजवादी/नियंत्रित अर्थव्यवस्था का रूप धारण कर लिया था और वर्ष 1990 से अब वह विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था बन गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के दौर में उत्पादन एवं वितरण दोनों ही चैनलों में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी रही। उस अवधि में निजी क्षेत्र की क्षमता सीमित थी। अतः प्रमुख विकासात्मक परियोजनाएँ, बुनियादी सुविधाएँ एवं सामाजिक कल्याण सरकारी दायित्व का हिस्सा थे जिसकी अपनी पूँजीगत सीमाएँ थीं। अत्यावश्यक वस्तुओं/उपभोज्य वस्तुओं का उत्पादन, जिसमें निजी निवेश करना आवश्यक था, निजी क्षेत्र के हाथों में था। तथापि, समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण अपने नियंत्रण में ही रखा था। इस महत्त्वपूर्ण मोड़ पर उत्पादन एवं उसके वितरण के लिए सहकारिता के दृष्टिकोण को एक विकल्प के रूप में आज़माया गया ताकि उत्पादन और वितरण के बीच पूँजी और क्षमता संबंधी अंतरालों को पाटा जा सके। इस प्रकार सहकारिता को इस प्रयोजन के लिए आदर्श और महत्त्वपूर्ण माना गया तथा उन्हें न केवल वास्तविक क्षेत्र में बल्कि वित्तीय क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई। भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों तथा कुछ सीमा तक डाक सेवा को छोड़कर वित्तीय सेवा उद्योग मुख्यतः निजी क्षेत्र के पास था। आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र को कोई प्रोत्साहन नहीं था। सहकारिता को इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभानी थी और आगे चलकर यह क्षेत्र सबसे बड़ा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माता भी बन गया। आयोजना की प्रक्रिया में भी सहकारिता के लिए सुस्पष्ट और महत्त्वपूर्ण भूमिका अभिनिर्धारित की गई। इस क्षेत्र को सरकारी समर्थन एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता थी जो आगे चलकर निरंतर रूप से उपलब्ध होती गई। प्रारंभ में भले ही उसका स्वागत किया गया और वह उस समय आवश्यक भी था, तथापि, बाद में यह क्षेत्र पूरी तरह से सरकार/सरकारी एजेंसियों पर

विश्वव्यापी बाज़ार अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका

के.सी. मिश्र

आश्रित हो गया और आत्मनिर्भर होने के बदले लालफीताशाही के चंगुल में फँस कर रह गया।

समावेशी वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पूँजी, क्षमता एवं प्रयास की अत्यधिकता के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था के आर्थिक-सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन कर वर्ष 1966 में समाजवादी अर्थव्यवस्था का ढाँचा अपनाया गया। इस समय सरकारी क्षेत्र को आर्थिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई। वित्तीय क्षेत्र में भी निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण, नई विकास संस्थाओं की स्थापना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईसीआईसीआई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक आदि की स्थापना करते हुए परिवर्तन लाया गया। यद्यपि, सहकारिता ने विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाना जारी रखा तथापि, उनके प्रयासों को इन नई संस्थाओं ने तथा सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई पहलों ने अपना समर्थन भी जारी रखा। सहकारी क्षेत्र ने ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में अपना अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

वैश्वीकरण और उसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

वैश्विक अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है बाज़ार के घटकों के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाते हुए अर्थव्यवस्था को उदार, नियंत्रणमुक्त, विनियमन रहित बनाते हुए उसका निजीकरण करना। दूसरे शब्दों में इस दृष्टिकोण को अपनाकर स्वयं को सही/नियमित करने की बाज़ार की क्षमता पर विश्वास दर्शाया जाता है। तथापि, हाल ही के आर्थिक संकट ने इस विश्वास को हिला दिया है। वैश्वीकृत वातावरण में टिके रहने के लिए और कार्यरत रहने के लिए बाज़ार के घटकों की गतिविधि यदि मूल मंत्र बन जाए तो क्या उसमें सहकारिता की कोई भूमिका हो भी सकती है? और यदि इसका उत्तर हाँ में है तो फिर किस रूप में?

औपचारिक तौर पर “वैश्वीकरण” की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग रूप से उसका अर्थ निकाला जाता है। जब आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में उसका उल्लेख किया जाता है तो सूजन जॉर्ज कहती हैं कि इस शब्द से यह आभास मिलता है कि विश्व के सभी क्षेत्रों के सभी लोग किसी एक ही आंदोलन में लगे हुए हैं और सबको समाविष्ट करने वाला एक विशालकाय तंत्र है और सभी भविष्य के सुनहरे सपने को साकार करने के लिए चल पड़े हैं। इस संकल्पना के समर्थकों ने उसे किसी भी देश और उसकी जनता की सारी आर्थिक बीमारियों का एकमात्र इलाज माना है।

वित्तीय वैश्वीकरण की कमान कंपनियों और निजी बैंकों ने संभाल ली है। अतः यह आश्चर्य की बात नहीं है कि नए नियम उन्हीं के हितों की रक्षा करते हैं और बाज़ार के तत्त्वों के लिए और खुलेपन को सुनिश्चित करते हैं। इन नए नियमों के अंतर्गत आम आदमी के लिए यहाँ तक कि विशेषज्ञ के लिए भी कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। किसी को भी किसी भी समय प्रणाली से आसानी से हटाया जा सकता है। यदि मनुष्य का विकास ही वैश्वीकरण का उद्देश्य होता तो इसे स्वीकार करना ही होगा कि वैश्वीकरण पूर्णतः असफल रहा है। बाज़ार के तत्त्व और अंतरराष्ट्रीय नौकरशाहियों को नियम निर्धारित करने की अनुमति प्राप्त है। उसके परिणाम हमारे इर्द-गिर्द दिखाई दे रहे हैं। मेक्सिको संकट के बाद और वर्ष 1994-95 के अवमूल्यन के बाद आधे से अधिक मेक्सिकन आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली गई, इसके पहले एशियन टाइगर्स को पैरागॉन के रूप में अलग-अलग किया गया। आज इंडोनेशिया में भुखमरी वापस लौट आई है। कोरिया में कर्मचारियों को अपने तथा परिवारों के लिए कोई आशा नज़र नहीं आ रही और इसीलिए वहाँ पर आत्महत्या करने वालों की संख्या एकदम बढ़ गई है। स्थानीय तौर पर उनकी मृत्यु को आईएमएफ डेथ कहा जाने लगा है। रूस में एक दशक के बीच आयुर्मान 7 वर्ष से घट गया है जो 20वीं सदी का अनुसुना सत्य है। तथाकथित “उभरते बाज़ारों” में अनियंत्रित वित्तीय सङ्कटों से प्रभावित देशों में बहुत बड़ी आबादी के समक्ष विकराल समस्या पैदा हो गई है। भारत में किसानों की आत्महत्याएं बहुत बड़ी सामाजिक एवं राजनीतिक समस्या बन गई हैं। छोटे कृषकों की उपजाऊ खेती योग्य जमीन को बहुत कम कीमत देते हुए सरकार उन्हें खरीद लेती है। ये जमीनें आगे इकॉनॉमिक जोन्स/इंडस्ट्रियल इस्टेट,

निजी टाउनशिप और अन्य लाभ कमाने वाली परियोजनाओं के लिए निजी उद्यमों के माध्यम से निजी कंपनियों को सस्ते दामों में उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे उसी भूमि से 300 से 400 प्रतिशत तक लाभ कमाया जाता है। इसी के परिणामस्वरूप कई सारे हिंसक आंदोलन हुए हैं और सरकारें तक गिर गई हैं। भारत तो एक विशालकाय देश है और कितनी सारी जमीन बंजर पड़ी हुई है। ऐसी बंजर जमीन को क्यों न प्राप्त किया जाए और उस पर आर्थिक जोन्स, आदि बनाए जाएँ। किसानों को ही उनकी उपजाऊ जमीन से क्यों खदेड़ा जाए? इसका बारीकी से विश्लेषण करने पर ऐसा लगता है कि इन अधिग्रहणों के पीछे निश्चय ही कोई साजिश है। जो किसान अपने आप अपनी जमीन से विस्थापित होता है, निजी उद्यमों के लिए वह अपनी ही जमीन पर सस्ता और अकुशल मजदूर बन जाता है।

कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय, सेंटर स्कारा में अमेरिका के गैरी ए डिमिस्की द्वारा किए गए प्रायोगिक अध्ययन में इस बात को सिद्ध किया गया है कि वैश्वीकरण के विभिन्न चरण वित्तीय और सामाजिक वंचन निर्माण करते हैं। यह तो स्वाभाविक ही है, जब जीवित रहने और विकसित होने के लिए नियंत्रण और विनियमन के बिना गलाकाट प्रतिस्पर्धा होती है तो ऐसे समय बाज़ार के सहभागी बहुत प्रभावी और प्रतिस्पर्धात्मक बने रहते हैं और तब लागत कम करने और नौकरियों को समाप्त करने की आवश्यकता पैदा होती है। लाभप्रदता की स्थितियों में बने रहने के लिए एक और महत्त्वपूर्ण पहलू है ‘इकॉनॉमीज ऑफ स्केल’ के तत्त्व को अपनाना, जहाँ यह माना जाता है कि कम संसाधनों वाले और कम मात्रा में लेन-देन करने वाले व्यक्ति जोखिम और लागत को बढ़ाएंगे और इसीलिए बाज़ार के खिलाड़ी लागत-लाभ विश्लेषण की योजना में उन्हें शामिल नहीं करते। अतः ऐसे सहभागी इन लोगों को हटा देते हैं। वित्तीय सेवाओं सहित अन्य संसाधनों के वंचन का परिणाम उनके वित्तीय वंचन में हो जाता है और वे आर्थिक विकास में भाग नहीं ले पाते। इस प्रकार के वित्तीय वंचन से सामाजिक वंचन और राजनीतिक वंचन भी हो जाता है। अपने ही जीवन के हर क्षेत्र से वंचित होने की भावना पूरे सिस्टम से अलग-थलग पड़ने की भावना को पैदा करती है और उसके विरुद्ध शिकायत करने लगती है। इसका कुछ भी परिणाम हो सकता है और यह जरूरी नहीं कि वह हर समय शांतिपूर्ण हो। समाज विरोधी तत्त्वों द्वारा देश के राजकीय एवं

अन्य गवर्नेंस विन्यास के विरोध में इस प्रकार के वंचित समूहों को बरगलाया जा सकता है।

विश्व के विभिन्न भागों में जो विभिन्न आर्थिक संकट पैदा हो रहे हैं, जिसमें हाल ही में ‘सब प्राइम क्राइसिस’ नाम से पैदा हुआ संकट भी शामिल है, इस बात का गवाह है। ऐसा कौन सा मॉडल है जो न केवल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, बल्कि समावेशी वृद्धि और वित्तीय समावेशन के अंतिम उद्देश्यों को भी हासिल करने में सहायता प्रदान करता हो? सहकारिता मॉडल में, यह निहित है, जिसका मूलमंत्र और मुख्य तत्त्व ऊपर उठाई गई सभी चिंताओं का निवारण करते हैं।

सहकारिता – धारणीय समावेशी वृद्धि का समाधान

सहकारिता का जन्म भी उन्नीसवीं शताब्दी में लगभग ऐसी ही स्थितियों में हुआ था जब छोटी आमदनी वाले लोग, किसान आदि सामाजिक और वित्तीय रूप से वंचित थे। वे विकास और वृद्धि की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे। समाज के वंचित और गरीब तबके के लोगों को समाज एवं अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाने के लिए सहकारिता को एक आदर्श संस्थागत व्यवस्था माना गया जो स्वस्फूर्त, स्वैच्छिक और पारस्परिक तथा सेवा उन्मुख मूल्यों पर आधारित थी, न कि लाभ कमाने के मूल्यों पर। उससे अर्थव्यवस्था, सरकार और पूरे सिस्टम को भी किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचती थी।

चूंकि सहकारिता आर्थिक और सामाजिक दोनों ही उद्देश्यों को पूरा करती है, उसके पास उसके अपने मूल्य हैं और उसका अपना समुदाय भी है और उनका दृष्टिकोण भी लोकोन्मुख है, अतः वह आजादी, समानता, सुरक्षा और सम्मान के साथ आर्थिक वृद्धि का नेतृत्व कर सकती है और वैश्वीकरण का यथोचित स्थानीय जवाब भी हो सकती है।

हम 60 और 70 के दशक में प्रसिद्ध इस कहावत को याद कर सकते हैं कि “सहकारिता असफल हो चुकी है परंतु उसका सफल होना बहुत जरूरी है।” इसमें इस देश की आर्थिक वृद्धि तथा राजकीय आर्थिक स्थिरता में सहकारिता की आवश्यकता तथा उसके महत्व को अधोरेखित किया गया है। वैश्वीकरण के सामाजिक दुरुणों और गलत प्रभाव तथा उसके खतरे के चलते अब यह उक्ति भूत काल की अपेक्षा इस समय अधिक संगत लगती है। पूरे विश्व में विभिन्न देशों एवं संयुक्त राष्ट्र तथा आईएलओ, आदि

जैसे वैश्विक संगठनों ने वैश्वीकरण के गलत प्रभावों को सीमित करने में तथा सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता के उपयोग तथा तार्किकता के महत्व, उसके मूल्य और तत्त्वों को एवं उस पर आधारित कारोबारी मॉडल के महत्व को समझ लिया है। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड नेशन्स जनरल एसेंब्ली ने वर्ष 1996 के अपने संकल्प सं. 51/58 (ई) (ए) (सी) (एफ) (आर) (एस) में और दिनांक 13 जुलाई 2009 को चौसठवें सत्र में प्रस्तुत की गई सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में सामाजिक आर्थिक विकास में सहकारिता के महत्व को तथा वित्तीय सहकारिता विश्व भर में फैले खाद्यान्न एवं वित्तीय संकटों के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार खाद्यान्न सुरक्षा तथा प्रभावी और समावेशी वृद्धि के लिए दीर्घावधि समाधान प्रदान कर सकती है इस बात के महत्व को अधोरेखित किया गया है। यूएन जनरल एसेंब्ली ने सहकारिता के विभिन्न मूल्यों एवं तत्त्वों की प्रशंसा की है और इस बात पर बल दिया है कि सहकारिता स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता, सदस्यों के लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सूचना, सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग प्रदान करती है और अपने समुदाय के प्रति चिंतित रहती है ताकि वे आर्थिक विषमता वंचन और गवर्नेंस के लोकतांत्रिक पक्ष को खतरा पैदा करने वाली समस्याओं को मिटा सकें। यूएन भी 90 के दशक से आयोजित किए जा रहे यूनाइटेड नेशन्स ग्लोबल कॉन्फरेन्स और सेमिनार द्वारा तैयार की गई विकास की कार्यसूची को अमल में लाने के लिए सहकारिता आंदोलन को एक महत्वपूर्ण सहभागी मानता है। कोपनहेंगन में सामाजिक विकास के लिए वर्ष 1995 में आयोजित विश्व समिट में भी विकास के लिए जन केंद्रित सहकारिता के महत्व को अधोरेखित किया गया था। सरकारों ने भी सहकारिता पर वर्ष 2001 के यूनाइटेड नेशन्स के दिशा-निर्देशों को अपनाया था जो सहकारिता के गठन का मार्गदर्शन करते हैं तथा साथ ही सरकारों की भूमिका को केवल इसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाने तथा समान अवसर उपलब्ध कराने तक ही सीमित करते हैं ताकि सहकारी संस्थाएं निरंतर आधार पर काम कर सकें। वर्ष 2002 की आईएलओ सिफारिश सं 193 में सहकारिता के कारोबार की क्षमता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि वे निरंतर विकास और रोजगार निर्माण में अपना योगदान दे सकें। असेंब्ली का यह अवलोकन रहा कि वित्तीय सहकारिता गरीबों को सूक्ष्म वित्त

सेवाएं प्रदान करने वाला सबसे बड़ा सेवा प्रदाता है। उन्होंने यह अनुमान लगाया है कि वित्तीय सहकारी संस्थाएं विश्व स्तर पर प्रतिदिन 2 अमेरिकी डॉलर की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 78 मिलियन लोगों को सेवा प्रदान करती हैं। विशेषतः दक्षिण एशिया में प्रतिदिन 2 अमेरिकी डॉलर से भी कम आमदनी वाले 54.50 प्रतिशत उधारकर्ताओं को सहकारी संस्थाओं ने अपनी सेवा प्रदान की है। यूनाइटेड नेशन्स ने भी यह उल्लेख किया है कि वित्तीय सहकारी संस्थाएं ऐसे लोगों को ऋण प्रदान करती हैं जो बड़े पैमाने पर बचत नहीं कर पाते अथवा ऋण के लिए बड़े बैंकों से संपर्क नहीं कर सकते। वे ऐसे बाजारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बन जाती हैं जहां कम आय होने की संभावना, अधिक जोखिम अथवा लेन-देन की अधिक लागत के चलते वित्तीय सेवाप्रदाता नदारद रहते हैं। इस प्रकार सहकारी संस्थाएं समावेशी और व्यापक सहभागी वृद्धि को हासिल करने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं बशर्ते उनको सही दिशा में विकसित किया गया हो। सबसे रोचक बात तो यह है कि वर्ष 2007-08 का वैश्विक वित्तीय संकट एकाधिकारी बहुराष्ट्रीय वित्तीय निगमों/उनके समूहों का किया धरा था। इस बारे में यूएन सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट निश्चित रूप से पढ़ने योग्य है -

मौजूदा वित्तीय संकट ने वैकल्पिक वित्तीय संस्थाओं की भूमिका के महत्व और किसी एकमात्र तथा आर्थिक/वित्तीय उद्यमों पर निर्भर रहने में स्थित जोखिमों को गंभीरता से समझने पर मजबूर कर दिया है। इस संकट के दौरान सहकारी और ऋण यूनियन क्षेत्र के पास अपनी बचत रखने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करने वाले संतम जमाकर्ताओं की जमाराशियों का अंबार लग गया। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र विचारपूर्वक ऋण देने में सक्षम रहा जबकि निवेशकों के स्वामित्व वाले अन्य बैंकों ने अपनी कमजोर हुई पूंजी के कारण ऋण देने में कोताही बरतना चालू कर दिया। वित्तीय सहकारी संस्थाओं ने अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी और वास्तव में बचत एवं ऋण की मात्रा में वृद्धि दर्शाई। उदाहरणार्थ, नीदरलैंड में वर्ष 2008 में सहकारी बैंकों की बचत, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण तथा बंधक ऋणों में 30 से 40 फीसदी की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2008 में उससे स्थानीय सदस्य बैंकों की जमाराशियों में 20 प्रतिशत, तो कारोबारी ऋणों में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अमेरिका में क्रेडिट यूनियनों ने 7 प्रतिशत अथवा 35 बिलियन डॉलर के अधिक ऋण दिए जबकि

पारंपरिक बैंकों की ऋण की मात्रा वर्ष 2008 में 31 बिलियन डॉलर तक सीमित हो गई। ब्राजील, कनाडा और आयरलैंड की वित्तीय संस्थाओं ने भी ऋण प्रदान करने के अपने पिछले स्तरों में वृद्धि दर्शाना जारी रखा। इन नतीजों से इस बात को बल मिलता है कि वित्तीय प्रणाली की लोच को बढ़ाने के लिए संस्थागत विविधता का और आर्थिक ढांचे में सदस्यों के स्वामित्व वाले सहकारी कारोबारी मॉडल जैसे एक वैकल्पिक मजबूत कारोबारी मॉडल की भूमिका का बहुत महत्व है।

वित्तीय सहकारी संस्थाएं उन संस्थाओं में से हैं जिन्होंने हाल ही के आर्थिक संकट का तुलनात्मक रूप से बेहतर ढंग से मुकाबला किया है। प्राथमिक और स्थानीय वित्तीय सहकारी संस्थाओं ने सहकारिता के नेटवर्क में स्वयं को अधिक स्थिर संस्थाओं के रूप में सिद्ध कर दिया है। यह वस्तुस्थिति कि पूरे विश्व में किसी भी क्रेडिट यूनियन को अपनी स्थिरता और मजबूती बनाए रखने के लिए सरकार से दुबारा पूंजी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, वित्तीय उथल-पुथल में टिके रहने की उनकी क्षमता को सिद्ध करती है। नीदरलैंड में सबसे बड़े बैंकों को पूंजी के समर्थन की आवश्यकता पड़ी। अपवाद था सहकारी बैंक। सहकारी संस्थाएं न केवल वित्तीय समावेशन में बल्कि सामाजिक समानता में और लोकतांत्रिक सहभागिता में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उदाहरणार्थ, श्रीलंका और नेपाल में सहकारी संस्थाएं ही ऐसी स्वतंत्र संस्थाएं हैं जिन्हें राजनैतिक पक्षों ने संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में कार्यरत रहने की अनुमति दी है। जहां ऐसे संघर्ष समाप्त हो चुके हैं वहां सहकारी संस्थाएं अर्थव्यवस्था और नागरी समाज के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सहकारी संस्थाओं के लिए अपेक्षित सुधार

लेकिन क्या भारत में सहकारी संस्थाओं से जो अपेक्षाएं थीं वे उनको पूरा कर पाई हैं और क्या वे ऊपर की गई चर्चा के अनुसार अपना दायित्व निभा पाएंगी? यह महसूस किया जाता है कि वे अभी भी इसके लिए और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए चैतन्य से भरी संस्थागत व्यवस्था प्रदान करने के लिए सक्षम हैं। तथापि उन्हें अपनी प्रणालियों में इस अवधि के दौरान उभरी अपनी कुछ खामियों से उबरना होगा और कानूनी तथा ढांचागत दोनों ही प्रक्रियाओं में सुधार लाना होगा और परिचालनगत स्तर को भी सुधारना होगा। इस

बारे में जिन बातों की ओर तत्काल ध्यान देना होगा उनका उल्लेख नीचे किया गया है:

1. सहकारिता की पहचान को मजबूत बनाना

मौजूदा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में, जहां आकार का महत्त्व बहुत है, कुछ संस्थाएं दूसरों की तरह बनने और गैर-सहकारी संस्थाओं के नक्शे कदम पर चलने के प्रयास करती हैं। विश्व के कुछ भागों में तो यह एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। अगर ऐसा होता है तो सहकारी संस्थाएं सहकारी नहीं रह सकेंगी, वे अपने उस धरातल को ही खो बैठेंगी जो उन्हें वित्तीय बाजारों में वैकल्पिक संस्थाओं का दर्जा देता है। सहकारिता के लिए उनमें मिशनरी की तरह काम करने की भावना नहीं बची है बल्कि अब कुछ असामाजिक तत्त्व इस सहकारी ढांचे का लाभ उठाते हैं और सहकारी संस्था के नाम पर उन्हें अपने निजी उद्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस समस्या को सहकारिता से जुड़े सदस्यों को प्रशिक्षण और शिक्षा देकर सुलझाया जा सकता है। भारत में प्रत्येक राज्य के सहकारी संस्था अधिनियम में सहकारी शिक्षा निधि के निर्माण का प्रावधान है। यह निधि इकट्ठा तो की जाती है लेकिन उसका उपयोग इस तरह नहीं किया जाता जैसे कि प्रशिक्षण और शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए।

2. प्रौद्योगिकी को अपनाना और उसे आत्मसात करना

वर्तमान में कारोबार का स्वरूप, खासकर वित्तीय क्षेत्र का, दिनोदिन यांत्रिकीकरण और ऑटोमेशन में परिवर्तित हो रहा है। आज ग्राहकों को टेक्नोलोजी चाहिए क्योंकि इससे उन्हें संस्थाओं के साथ लेन-देन करना आसान हो जाता है, इसलिए सहकारी संस्थाओं को चाहिए कि वे समय के साथ चलें और उन्हें वे दें जो उन्हें चाहिए। आधुनिक प्रौद्योगिकी के साधनों के बिना वित्तीय संस्थाओं की कल्पना तक नहीं की जा सकती। भारत में सहकारी क्षेत्र में यांत्रिकीकरण/कंप्यूटरीकरण की गति बहुत धीमी है जिससे सहकारी संस्थाओं की कार्य-कुशलता, उत्पादकता, लाभ और

बाजार में उनकी सहभागिता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यदि प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने में किसी प्रकार की हिचक/विरोध और/या अक्षमता है तो उसे जागरूकता, प्रशिक्षण और कौशल-विकास के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए ताकि सहकारी संस्थाएं न केवल बाजार के सहभागियों के साथ स्पर्धा कर सकें बल्कि वे सभी उत्पाद और सेवाएं अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा सकें जो उनके प्रतियोगी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा जो सहकारी संस्थाएं मार्केटिंग में लगी हुई हैं उन्हें ई-कॉर्मर्स का सहारा न केवल सक्षम प्रतिस्पर्धा के लिए बल्कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेना चाहिए।

3. मूल्य-वर्धित और नवोन्मेषी उत्पाद तथा सेवाएं प्रदान करना

सहकारी संस्थाओं के सदस्य और ग्राहक, दोनों ही उसी समाज के अंग हैं, जिसके कि अन्य लोग भी हैं, इसलिए वे उन सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहते जो अन्य लोगों को उपलब्ध हैं। उन्हें नवोन्मेषी ऐसी सुविधाएं चाहिए जो उनकी आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को प्रभावशाली ढंग से और कुशलतापूर्वक पूरा करती हों। अतः यह जरूरी है कि शिक्षित और सक्षम नेतृत्व और प्रबंधन को उस तरह तैयार किया जाए ताकि वे ये सेवाएं दे सकें। सहकारी संस्थाओं में मूल्य-आधारित व्यावसायिक प्रबंधन केवल घोषवाक्य के रूप में ही प्रदर्शित न हो, बल्कि उन्हें दैनंदिन व्यवहार और आचरण में लाया जाना चाहिए।

4. क्षमता निर्माण

सहकारी संस्थाओं की अंतर्निहित संरचना के कारण वे स्थानीय स्तर पर उन मानवीय तथा बुद्धिजीवी संसाधनों को आकर्षित तथा अपना नहीं सकतीं जो उनके प्रतिस्पर्धी अपनाते हैं। इससे व्यावसायिक रणनीति के निर्माण तथा स्पर्धा का सामना करने की उनकी क्षमता में भारी अंतर आ जाता है। अतः सहकारी संस्थाओं को प्रशिक्षित करना, उनका कौशल-विकास

करना, लेखा-परीक्षा और लेखाकरण सेवाएं प्रदान करना, उनका तकनीकी मार्गदर्शन तथा उन्हें परामर्शी सेवाएं देना आवश्यक हो जाता है। यह उनके फेडरेशन द्वारा राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर किया जाना चाहिए। बेहतर यह होगा कि सहकारी संस्थाओं के बीच भागीदारी व्यवस्था विकसित की जाए।

5. शासन संरचना को सुधारना

सबसे महत्वपूर्ण है शासन संरचना और सहकारी संस्थाओं की शैली, जिनमें व्यवसाय के बदलते स्वरूप के अनुरूप सुधार लाने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए। किसी भी संस्था की सफलता की गारंटी उसकी कारगर, कुशल, पारदर्शी और प्रतिबद्धता के आधार पर बनी शासन संरचना के बिना नहीं दी जा सकती। इसे कानूनी तथा चुनावी रूपरेखा में सुधार और संरचनात्मक परिवर्तन करके बदला जा सकता है।

6. सहकारी संस्थाओं के बीच व्यावसायिक गठजोड़ और सहकारिता को बढ़ावा देना

सहकारी संस्थाएं स्थानीय संगठन होती हैं जिनकी वैश्विक/व्यापक पहुंच नहीं होती, इसलिए वे अपने बड़े प्रतिस्पर्धियों के साथ मुकाबला नहीं कर सकतीं। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्ध्वाकार और क्षेत्रिज लिंक विकसित करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है क्योंकि ऐसे बाजारों में सफलता की एक शर्त यह होती है कि भागीदारों में रणनीतिक गठजोड़ स्थापित किया जाए। यदि सहकारी संस्थाओं में सहकारिता के सिद्धांतों को सही मायने में कार्यान्वित किया जाता है तो उनके बीच भागीदारी/गठजोड़ को बढ़ावा दिया जा सकता है जिनके फलस्वरूप बड़े उद्यमी/संस्थाओं के साथ वे बराबरी से स्पर्धा कर सकती हैं।

7. ब्रांड छवि विकसित करना

दुर्भाग्यवश, हाल के कुछ वर्षों में भारत में सहकारी संस्थाओं के बारे में नकारात्मक विचार उभरे हैं। इस नकारात्मक छवि के कारण बाजार में सहकारी

संस्थाओं की भागीदारी में तीव्रता से कमी तो आई ही है, इसके अलावा विनियामकों और पर्यवेक्षकों ने भी इस पर कड़े नियम लाद दिए हैं। सहकारी संस्थाओं द्वारा नकारात्मक छवि को दूर करने और एक सुदृढ़ ब्रांड छवि को उभारने का कोई संयुक्त प्रयास नहीं किया गया जो इस अति-स्पर्धात्मक कारोबारी बातावरण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। छवि उभारने की बात को इंटरनेशनल को-ऑपरेटिव एलायंस (आईसीए) ने भी मान्यता दी है, जिसने इस मामले पर विचार करना शुरू कर दिया है और जो अपने “को-ऑपरेटिव इमेज एंड आइडेंटिटी प्रोग्राम” नामक व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से सहकारिता के अस्तित्व और छवि को विकसित करने और उसे उभारने के लिए प्रयासरत है। भारत की सहकारी संस्थाओं को चाहिए कि वे आईसीए के प्रयासों के साथ जुड़ें और इस संबंध में कुछ स्थानीय कार्यक्रमों पर विचार करें।

ऊपर उल्लिखित प्रयास पर्याप्त तो नहीं बल्कि सांकेतिक मात्र हैं। इन्हें लागू करने से सहकारी संस्थाओं को एक सफल कारोबारी मॉडल का स्वरूप प्राप्त होगा जो वैश्वीकरण के अनुचित प्रभावों का सामना करने के लिए सक्षम होगा। वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था में मानवजाति के लिए सहकारिता ही एक ऐसी किरण है जो विश्व के विभिन्न भू-भागों में सहभागिता और समावेशक विकास के साथ-साथ राजकीय एवं सामाजिक स्थिरता को कायम रख सकती है।

संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में एक संकल्प पारित किया गया है जिसमें वर्ष 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। यह आशा की जाती है कि यह केवल सहकारिता वर्ष ही नहीं होगा बल्कि इसके साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में सहकारिता का एक नया युग शुरू होगा। क्या भारत तब तक सहकारिता के क्षेत्र में आवश्यक सुधारों के साथ तैयार हो जाएगा? इस सवाल का जवाब आने वाला समय ही दे पाएगा।

○○○

कानूनी दृष्टि से दुनिया के समस्त व्यवसाय दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला, कानूनी अथवा वैध व्यवसाय जो उस देश में प्रचलित नियम कानूनों की परिधि में संचालित होता है एवं इनमें लाभ अर्जन एक सीमा तक होता है। दूसरा, गैर कानूनी अथवा अवैध व्यवसाय जो किसी कानून को नहीं मानता। उनका अपना कानून होता है तथा इस व्यापार में, जो कि समाज के हित की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता, अपार लाभ अर्जित होता है। यही अपार लाभ लोगों को इस व्यवसाय की ओर आकर्षित करता है और दुनिया के लाखों लोग इस व्यवसाय से जुड़े जाते हैं। वर्तमान समय में अवैध व्यापार की एक समानांतर अर्थव्यवस्था है और इससे जुड़े लोग अवैध तरीके से अर्जित धनराशि को बैंकिंग व्यवस्था को औजार बनाते हुए ऐसी धनराशि में परिवर्तित करते हैं जो वैध तरीकों से अर्जित की हुई प्रतीत होती है। इसी प्रक्रिया को मनी लॉन्डिंग अथवा धन-शोधन की संज्ञा दी गई है।

मनी लॉन्डिंग के कारण

मनी लॉन्डिंग निम्न कारणों से की जाती है -

- ⇒ धन के स्रोतों की पहचान छुपाना,
- ⇒ धन के वास्तविक मालिक की पहचान छुपाना,
- ⇒ धन के स्वरूप को बदलना,
- ⇒ ऐसे स्थान पर, जहाँ लोगों का ध्यान कम आकर्षित हो, धन का स्थानांतरण करना,
- ⇒ ऐसे धन का अर्थव्यवस्था के अंदर समावेश करना।

मनी लॉन्डिंग का माध्यम

अपराधी तत्त्वों द्वारा सामान्यतया बैंकों को इसका माध्यम बनाया जाता है। चूंकि बैंकों की शाखाएं/नेटवर्क संसार में फैला हुआ रहता है, अतः इन लोगों द्वारा गैर कानूनी तरीकों से अर्जित धन को एक स्थान से दूसरे स्थान एवं अंततः देश

धन-शोधन (मनी लॉन्डिंग) एवं इसे रोकने के उपाय

सर्जू शरण

की अर्थव्यवस्था में समावेश करने हेतु बैंकों की इस स्थिति को एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 800 बिलियन यू.एस. डालर से 1.6 ट्रिलियन डालर के समतुल्य अवैध तरीकों से अर्जित धनराशि के लगभग 47 प्रतिशत की मनी लॉन्डिंग बैंकों के माध्यम से की जाती है।

मनी लॉन्डिंग की प्रक्रिया

सामान्यतया मनी लॉन्डिंग की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है: 1. प्लेसमेन्ट (स्थिरीकरण), 2. लेयरिंग (परतीकरण), 3. इन्टिग्रेशन अथवा समावेश।

स्थिरीकरण अथवा प्लेसमेन्ट

इस प्रक्रिया में अवैध तरीकों से अर्जित लाभ को वित्तीय व्यवस्था में डालने का प्रयास किया जाता है। इस लाभ को छोटी-मोटी राशि में परिवर्तित कर विभिन्न खातों के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था में डाला जाता है अथवा छोटी-छोटी राशि के वित्तीय प्रपत्र यथा ड्राफ्ट/बैंकर चेक इत्यादि बनाकर खातों में जमा कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार पूरी की जाती है ताकि समस्त वित्तीय लेन-देन संदेह से परे लगे। सामान्यतया यह प्रक्रिया धन के स्रोत से दूर अन्य किसी स्थान पर की जाती है।

परतीकरण अथवा लेयरिंग

इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न खातों में वित्तीय लेन-देनों का ताना-बाना इस प्रकार बुना जाता है ताकि समस्त लेन-देन वैध एवं उचित प्रतीत हों। ऐसे धन का प्रयोग वित्तीय सिक्यूरिटी के लेनदेन अथवा व्यापार में भी किया जा सकता है अथवा वैध सेवा अथवा वस्तुओं की खरीद हेतु भुगतान के रूप में भी किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत धन

को उसके स्रोतों से बहुत दूर कर उसे वैध दिखाने का प्रयास किया जाता है।

समावेश अथवा इन्टिग्रेशन

इस प्रक्रिया में उपर्युक्त तरीकों से धन को वैध तरीकों से अर्जित प्रतीत कर अंततः इसका देश की अर्थव्यवस्था में समावेश कर दिया जाता है। इसके लिए ये लोग अचल संपत्तियों की खरीद, भोग-विलास की वस्तुओं इत्यादि की खरीद अथवा किसी वैध व्यवसाय में निवेश या अन्य कोई वैध विकल्प का सहारा लेते हैं।

मनी लॉन्डिंग के खतरे

‘मनी लॉन्डिंग’ प्रक्रिया सीधे-सीधे गैर कानूनी रूप से अर्जित धन से जुड़ी हुई प्रक्रिया है जिसमें इस प्रकार अर्जित धन देश की अर्थव्यवस्था में समाहित किया जाता है। देश के नीति निर्माताओं एवं वित्तीय नियामकों को इस धन के स्रोतों एवं इसके अर्थव्यवस्था में प्रवाह की जानकारी नहीं होती है। अतः वे इसे नियंत्रित करने में असफल रहते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

इस प्रक्रिया में चूंकि बैंकों को औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, अतः बैंकों के कर्मचारियों एवं ऐसे असामाजिक तत्त्वों के मध्य संपर्क बन जाता है। ऐसे असामाजिक तत्त्वों पर देश के कानून लागू करने वाली संस्थाओं की पैनी दृष्टि हरदम रहती है। अगर ये संपर्क इन एजेन्सियों द्वारा पकड़े जाने के उपरांत जनता के सामने खुलते हैं तो इससे जनता के बीच बैंक की साख (रेपुटेशन) का हास होता है और वे कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। इस प्रकार बैंकों को मनी लॉन्डिंग से रेपुटेशन-रिस्क एवं कानूनी रिस्क का खतरा रहता है। समाज के कुछ लोगों का आकर्षण ऐसी गतिविधियों की तरफ बढ़ता है जिससे समाज पर बुरा असर पड़ता है।

पिछले कुछ समय से आतंकवादी संगठनों एवं ऐसे असामाजिक तत्त्वों के बीच गठजोड़ बना हुआ है। इस गठजोड़ का वीभत्स स्वरूप 11 सितंबर 2001 को अमरीका में ट्रिवन टावर पर हमलों एवं इसके पश्चात कई देशों में हुए आतंकवादी हमलों, जिनमें हजारों निर्दोष लोगों की जान गई,

के रूप में सामने आया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनी लॉन्डिंग विश्व शांति एवं सह अस्तित्व के लिए एक खतरा बनता जा रहा है।

मनी लॉन्डिंग रोकने के उपाय

अपराधी तत्त्वों एवं अवैध व्यापार, यथा मादक द्रव्यों, हथियारों की तस्करी इत्यादि के अंतराष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ के परिणामस्वरूप संगठित अपराधों का प्रादुर्भाव हुआ। सर्वप्रथम 1980 में इस तथ्य को यूरोपियन कौन्सिल के मंत्रियों की एक समिति ने पहचाना। संगठित अपराधों के अंतराष्ट्रीय आयामों के मद्देनज़र इस समिति ने इसके विरुद्ध अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहल करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि बैंकिंग प्रणाली कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेन्सियों एवं पुलिस की सहायता कर इस प्रवृत्ति से निपटने में अपनी प्रभावी निरोधात्मक भूमिका अदा कर सकती है।

तत्पश्चात् कई देशों में कानून प्रणाली एवं बैंकिंग विनियामकों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ और उन्होंने इस प्रवृत्ति के विरुद्ध कदम उठाए, किंतु अन्य कई देशों में बैंकिंग विनियामकों के पास पर्याप्त अधिकार न होने के कारण अंतराष्ट्रीय स्तर पर कोई कदम प्रभावी नहीं हो पाया। कई बैंकों के विनियामकों ने इस संबंध में बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेंट की बैंकिंग विनियमन एवं विनियामक पद्धति की बासेल समिति को ज्ञापन दिया। इस समिति का मानना था कि बैंक विनियामकों का प्राथमिक कर्तव्य अपने देश की बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना एवं इसे सुदृढ़ करना है न कि प्रत्येक वित्तीय व्यवहार की वैधता की जांच करना। फिर भी बैंक विनियामक अपराधी तत्त्वों द्वारा बैंकिंग प्रणाली के दुरुपयोग के प्रति उदासीन नहीं रह सकते क्योंकि इससे जनता के बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को ठेस पहुंचने की संभावना बहुत अधिक है जिससे बैंकिंग प्रणाली के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लग जाएगा क्योंकि बैंकिंग प्रणाली का अस्तित्व ही जनता के विश्वास पर टिका हुआ है। इस समिति ने बैंकिंग विनियामकों से यह अपेक्षा की है कि वे अपने-अपने देश की

बैंकिंग प्रणाली में उच्च स्तर की पेशेवर क्षमता एवं व्यावसायिक सिद्धांतों एवं मानदंडों को बढ़ावा दें।

सिद्धांतों का वक्तव्य (स्टेटमेंट ऑफ प्रिन्सिपल्स)

दिसंबर 1988 में बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेंट द्वारा गठित बैंकिंग विनियमन एवं विनियामक पद्धति की बासेल समिति द्वारा मनी लॉन्डिंग को रोकने हेतु बैंकों में उच्चस्तरीय पेशेवर क्षमता एवं व्यावसायिक मानदंडों को विकसित करने के उद्देश्य से ‘सिद्धांतों का वक्तव्य’ जारी किया गया।

साथ ही इस समिति ने बैंक विनियामकों से यह अपेक्षा की है कि वे अपने-अपने देश की बैंकिंग व्यवस्था में इन सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करें और ग्राहक की पहचान सुनिश्चित करने हेतु कड़े नियम बनाएं ताकि अपराधी तत्त्वों द्वारा मनी लॉन्डिंग के उद्देश्य से बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग रोका जा सके। यह प्रतिवेदन कोई कानूनी दस्तावेज़ नहीं है। अतः समिति ने यह अपेक्षा की है कि बैंकिंग विनियामक अपने-अपने देश के कानूनी ढांचे के अंतर्गत रहते हुए इन सिद्धांतों का पालन करें।

प्रतिवेदन के मुख्य बिंदु

1) ग्राहक की पहचान

बैंकिंग सेवाओं को अपराधी तत्त्वों द्वारा दुरुपयोग से बचाने के लिए ऐसे सभी ग्राहकों, जो बैंक में खातेदार हैं एवं जो सेफ कस्टडी सेवाओं का उपयोग करते हैं, की सही पहचान बैंकों द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2) कानूनों का अनुपालन

बैंक प्रबंधन को अपना व्यवसाय, उच्च व्यावसायिक मानदंडों के अनुरूप चलाते हुए देश के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे व्यवहार, जिसमें यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त कारण हों कि ये मनी लॉन्डिंग से संबंधित हैं, को सहयोग नहीं करना चाहिए।

3) कानून लागू करने वाली संस्थाओं/अभिकरणों से सहयोग

बैंक देश की कानून लागू करने वाली संस्थाओं को, देश की कानूनी परिधि में रहते हुए, पूर्ण

सहयोग प्रदान करें। कानून को धोखा देने का प्रयास करने वाले लोगों का सहयोग न करें एवं अपराधी तत्त्वों/मनी लॉन्डिंग के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले खातों, जिसके बारे में पर्याप्त सबूत हों, से अपने संबंध-विच्छेद करें, एवं कानून के अनुसार उचित कदम उठाएं।

4) सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करना

बैंक प्रबंधन उक्त प्रतिवेदन में दिए गए सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही अपने कर्मचारियों को इन सिद्धांतों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। इन सिद्धांतों के अनुपालन की निगरानी हेतु आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था करें।

फाइनेन्शियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)

मनी लॉन्डिंग के अंतरराष्ट्रीय आयाम एवं वित्तीय एवं बैंकिंग व्यवस्था को इससे उत्पन्न हो रहे / भविष्य में संभावित खतरों के मद्देनज़र 1989 में ग्रुप - 7 देशों की एक बैठक फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई जिसमें इस टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस टास्क फोर्स को मनी लॉन्डिंग तकनीक एवं इससे जुड़े विभिन्न आयामों को जांचने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब तक मनी लॉन्डिंग के विरुद्ध उठाए गए कदमों की समीक्षा करने एवं इससे लड़ने के लिए आवश्यक उपाय सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

शुरुआत में इस टास्क फोर्स में 16 सदस्य थे जो वर्ष 2007 में बढ़कर 34 तक पहुंच गये। इस टास्क फोर्स ने अप्रैल 1990 में मनी लॉन्डिंग से कड़ाई से निपटने हेतु 40 सूत्रीय सिफारिश की। मनी लॉन्डिंग से निपटने की विस्तृत कार्य-योजना इसमें निहित थी। मनी लॉन्डिंग के खतरों से निपटने के लिए इन सिफारिशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है। वर्ष 1996 एवं 2003 में ऐसी समीक्षा की जा चुकी है। वर्ष 2001 में एफ.ए.टी.एफ. को आपराधिक तत्त्वों के आतंकवाद को वित्त मुहैया कराने के विरुद्ध भी मानदंड सुझाने का लक्ष्य दिया गया। इसके विरुद्ध भी इस टास्क फोर्स ने 9 विशेष सिफारिशें की हैं।

वर्तमान में एफ.ए.टी.एफ. विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों, यथा यू.एन.ओ.सी.डी., यूरोपीय कमीशन, इत्यादि के सहयोग से विभिन्न देशों के मध्य ऐसे संगठन के रूप में कार्य कर रही है जो मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद को वित्त मुहैया कराने वाले संगठनों से निपटने हेतु कार्य-योजना बनाकर प्रस्तुत करता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ

मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्तपोषण के खतरों के प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ भी पूरी तरह सचेत है। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं इससे उत्पन्न अपराधों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में एक विशेष कार्यालय यू.एन.ओ.डी.सी. की स्थापना की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध कार्य करने के लिए इसमें एक अलग इकाई स्थापित है। समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध कदम उठाए हैं, जैसे:-

- ☞ वर्ष 1988 में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध अधिवेशन,
- ☞ वर्ष 1999 में आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने वालों को कुचलने हेतु अधिवेशन,
- ☞ वर्ष 2000 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले संगठित अपराधों के विरुद्ध अधिवेशन,
- ☞ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराधों के विरुद्ध वैश्विक कार्य-योजना पर राजनैतिक घोषणा पत्र,
- ☞ 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुई आतंकवाद की घटना के उपरांत सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1373(2001)।

इसके अतिरिक्त वित्तीय एवं बैंकिंग व्यवस्था के मनी लॉन्ड्रिंग उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपराधी तत्त्वों द्वारा दुरुपयोग रोकने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 10 जून 1991 को सदस्य देशों को दिशा-निर्देश जारी किए थे जिनको 4.12.2001 को संशोधित किया गया।

मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध एक मॉडल कानून

01.12.2005 को संयुक्त राष्ट्र संगठन के मादक द्रव्य एवं अपराध से संबंधित कार्यालय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के संयुक्त प्रयासों से एक कानून का मॉडल बनाया गया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध कानूनी उपाय सुझाए गए हैं। इसके साथ-साथ इसमें इन अपराधों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के उपाय भी सुझाए गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासंघ की अपने सदस्य देशों से यह अपेक्षा है कि सदस्य देश मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध कानून बनाते समय इसमें दिए गए उपायों का भी अवलोकन करें ताकि इन अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी उपाय किए जा सकें।

भारत में मनी लॉन्ड्रिंग

भारत में बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग स्वतंत्रता पूर्व से ही होता आया है। स्वतंत्रता पूर्व बैंकों के संचालक एवं प्रबंधक वर्ग उन्हीं व्यापार / व्यवसायों में पैसा लगाते थे जिनमें उनके स्वार्थ निहित हुआ करते थे। स्वतंत्रता के पश्चात् जब बैंक निजी क्षेत्र में थे, बैंक के मालिकों द्वारा बैंकिंग व्यवसाय का उपयोग स्वयं के हितसाधनों के लिए ही किया जाता था। देश की तत्कालीन अर्थनीति के परिणामस्वरूप आर्थिक क्षेत्र में कई विकृतियां, यथा जमाखोरी, तस्करी, कर वंचना इत्यादि उभरकर आईं, जिनके परिणामस्वरूप देश में काले धन की बहुत तेजी से उत्पत्ति हुई। आर्थिक सुधारों के बाद भी एक अनुमान के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में अब भी 40 प्रतिशत काला धन विद्यमान है।

अर्थव्यवस्था में स्थित यह काला धन बैंकों के माध्यम से सफेद धन में परिवर्तित होता रहा है। इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ उपाय कर रखे थे, जैसे, ग्राहक की पहचान सुनिश्चित करने हेतु तृतीय पार्टी / वर्तमान ग्राहक से परिचय लेना, देश के कानून एवं कानूनी एजेंसियों यथा आयकर विभाग / कोर्ट इत्यादि के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना एवं कानून लागू करने वाली एजेंसियों का सहयोग करना एवं जनता के हितों के रक्षार्थ ग्राहकों के खातों की गोपनीयता के अधिकार को हटाना, आदि।

इतने प्रयत्नों के बावजूद भारत में मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रभावी तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकी।

भारत आतंकवाद का शिकार प्रथम देश है। भारत के पंजाब प्रांत में सर्वप्रथम अपराधियों का आतंकवादियों से गठजोड़ हुआ था जिसे कहा जाता है कि पड़ोसी देश का प्रश्न भी प्राप्त था, जिसके फलस्वरूप भारत का आर्थिक रूप से संपन्न प्रदेश लगभग 15 वर्षों तक आतंकवाद की आग से झुलसता रहा। वर्तमान में तो यह स्थिति है कि इसने सारे देश में अपने पांच पसार लिए हैं और सरकार के लिए इससे निपटना आज की सबसे बड़ी चुनौती है।

मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते भारत ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध एक कानून ‘प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002’ पारित किया जो 01.07.2005 से लागू हुआ। इस कानून में ऐसे सभी व्यवसाय/गतिविधि शामिल हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना रहती है, जैसे मादक द्रव्य, अवैध हथियारों का व्यापार, देह व्यापार, फिरौती, आतंकवाद, तस्करी इत्यादि। उक्त कानून की धारा 3 में मनी लॉन्ड्रिंग अपराध को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धनराशि को बेदाग धनराशि के रूप में दिखाने का प्रयास करता है अथवा ऐसी किसी गतिविधि में सहयोग करता है, वे इस कानून के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि के अपराधी माने जाएंगे। इस परिभाषा में ऐसे वित्तीय व्यवहार भी शामिल हैं जिनमें धन आतंकवादी गतिविधियों को वित्त मुहैया कराने में जाता हो, भले ही उस धन की उत्पत्ति का स्रोत कैसा भी हो।

ऐसे अपराधी को कम-से-कम 3 साल एवं अधिकतम 7 साल के कठोर कारावास और पांच लाख रुपये तक आर्थिक दंड का प्रावधान है।

देश में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण रखने के लिए एक वित्तीय गुप्तचर इकाई का गठन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को धन-शोधन पर निगरानी रखने हेतु अधिकृत किया गया है।

बड़े वित्तीय संव्यवहार (दस लाख रुपये एवं इसके ऊपर) एवं संदेहास्पद वित्तीय व्यवहारों का डेटा बैंक बनाने हेतु रिज़र्व बैंक के माध्यम से बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे व्यवहारों के विवरण वित्तीय गुप्तचर इकाई को नियमित रूप से तय की गई सीमा के अंतर्गत प्रेषित करें। बैंकों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने बैंक में एक मुख्य अधिकारी की नियुक्ति करें जो अपने बैंक में धन-शोधन को रोकने के कार्य पर निगरानी रखेगा एवं वित्तीय गुप्तचर इकाई से समन्वय स्थापित करेगा।

ऐसे व्यवहारों के डेटाबेस एवं अन्य देशों की वित्तीय गुप्तचर सेवाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वित्तीय गुप्तचर इकाई धन-शोधन का पता लगाएगी और इस पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगी।

अगर कोई बैंक, वित्तीय संस्था अथवा स्टॉक ब्रोकर संदेहास्पद वित्तीय व्यवहारों को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ऐसी संस्थाओं को वित्तीय दंड, जो कि प्रत्येक बारी के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये होगा, जिसे बढ़ाकर 1,00,000/- रुपये तक किया जा सकता है, अदा करना होगा। बैंक प्रबंधन से यह अपेक्षा की गई है कि वे सभी स्टाफ-सदस्यों को इस बारे में जानकारी दें और इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था करें जिससे धन-शोधन को प्रभावी रूप से रोका जा सके।

इस प्रकार अपराधी तत्त्वों द्वारा धन-शोधन हेतु बैंकिंग व्यवस्था के दुरुपयोग को रोकने हेतु संसार भर में लगभग सभी देश सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में अब अपराधी तत्त्वों द्वारा आतंकवाद का वित्तपोषण रोकना भी शामिल है ताकि संसार भर में आतंकवाद को समूल नष्ट कर मानव के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सके।

०००

पत्रिका के अप्रैल-सितंबर 2008 अंक में प्रकाशित



डॉ. रघुराम राजन बने भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. रघुराम जी. राजन ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर का पदभार 4 सितंबर 2013 को संभाल लिया। डॉ. राजन रिज़र्व बैंक के 23वें गवर्नर हैं। इसके पूर्व वे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। वे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। जनवरी 2003 में अमेरिकन वित्त संघ द्वारा डॉ. राजन को 40 वर्ष की आयु में सर्वोत्तम वित्त अनुसंधानकर्ता के लिए फिशर ब्लैक प्राइज भी प्रदान किया गया है। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अन्य पुरस्कारों में वर्ष 2011 में नैसकॉम से “ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर” पुरस्कार, वर्ष 2012 में इंफोसिस द्वारा आर्थिक विज्ञान के लिए सम्मान तथा वर्ष 2013 में वित्तीय अर्थशास्त्र के लिए “सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज़, ड्यूशू बैंक सम्मान” शामिल हैं।

2004 में उनकी पुस्तक “सेविंग कैपिटलिजम फ्रॉम कैपिटलिस्ट” प्रकाशित हुई जिसके सह लेखक थे प्रोफेसर लुईगी जिनॉल्स। उनके द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक “फाल्ट लाइन्स: हाऊ हिडेन फैक्टर्स स्ट्रिल थ्रेटेन्स द वर्ल्ड इकोनॉमी” को वर्ष 2010 में अर्थ-व्यापार श्रेणी की सर्वोत्तम पुस्तक के रूप में चुना गया और इसके लिए उनको फाइनेंशियल टाइम्स-गोल्डमैन सैक्प पुरस्कार भी मिला।

भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिहास का चौथा खंड (1981-1997) जारी

हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिहास का चौथा खंड जारी किया गया। रिज़र्व बैंक और एकेडेमिक फाउण्डेशन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित इस खंड में वर्ष 1981 से 1997 तक की 16 साल की अवधि के स्मरणीय क्षण शामिल किए गए हैं। इस खंड के साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 1997

घूमता आईना

के.सी. मालपानी

प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

तक का अद्यतन इतिहास जारी किया जा चुका है। वर्ष 2009 में रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. बिमल जालान की अध्यक्षता वाली एक परामर्शदात्री समिति के मार्गदर्शन में इस खंड को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

इस खंड में कार्यालयीन अभिलेखों, प्रकाशनों तथा इस अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक के कार्यों से निकट से जुड़े व्यक्तियों के साथ चर्चा पर आधारित रिज़र्व बैंक के सांस्थानिक इतिहास का दस्तावेज़ीकरण किया गया है। दो भागों, भाग ‘क’ और भाग ‘ख’, में प्रकाशित इस खंड में प्रतिबंधात्मक से प्रगतिशील उदारवादी भारतीय अर्थव्यवस्था के रूपांतरण को शामिल किया गया है जो संरचनात्मक और वित्तीय क्षेत्र सुधार के कार्यान्वयन का वर्णन करता है। इस खंड में छह गवर्नरों - डॉ. आई.जी.पटेल के शुरुआती काल के साथ डॉ. मनमोहन सिंह, श्री ए. घोष, श्री आर. एन. मल्होत्रा, श्री एस. वेंकिटरमणन तथा डॉ. सी. रंगराजन - का कार्यकाल शामिल किया गया है।

मानव पूंजी सूचकांक में भारत 78वें क्रम पर

विश्व मानव पूंजी सूचकांक में भारत 78वें स्थान पर है। इस सूचकांक में विभिन्न देशों को उनके श्रमबल के आर्थिक सामर्थ्य के आधार पर स्थान दिया जाता है। स्विट्जरलैंड इस सूची में शीर्ष पर है।

जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूआईएफ) द्वारा जारी 122 देशों की सूची में चीन 43वें, रूस 51वें और ब्राजील 57वें स्थान पर है जबकि दक्षिण अफ्रीका को सूची में भारत से नीचे 86वां स्थान मिला है। भारत को कार्यबल और रोजगार जैसे मानकों में बेहतर अंक मिले हैं, लेकिन श्रमिकों के स्वास्थ्य और देखभाल के मुद्दे पर वह काफी पीछे रह गया है। डब्ल्यूआईएफ की इस संबंध में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता और साफ-सफाई में कम अंक पाने, साथ ही महिला और पुरुषों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं में फासले के संकेतक में देशों की समूची रैंकिंग में भारत पिछड़ गया।

शीर्ष दस देशों में स्विट्जरलैंड के बाद फिनलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नार्वे, ब्रिटेन, डेनमार्क और कनाडा का स्थान है। सूची में अमेरिका का 16वां स्थान है। मानव संसाधन सूची में यमन सबसे आखिर में 122वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान इस सूची में 112वें स्थान पर है। डब्ल्यूईएफ ने कहा है कि विभिन्न देश अपनी मानव पूँजी को कैसे व्यवस्थित करते हैं उसे मापने के लिए मानव पूँजी सूचकांक नया साधन है। इसके अलावा श्रम बल की दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाओं के आधार पर इसमें विभिन्न देशों को क्रमबद्ध किया जाता है।

अरुंधती भट्टाचार्य बनीं भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला प्रमुख

सुश्री अरुंधती भट्टाचार्य को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का अध्यक्ष बनाया गया है। यह पहला अवसर है जब कोई महिला इस बैंक का नेतृत्व कर रही है। सुश्री भट्टाचार्य अभी तक इसी बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी थीं। वे 1977 में एसबीआई में बौतौर प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में जुड़ी थीं और अपनी 39 साल की सेवा के दौरान उन्होंने खुदरा बैंकिंग, ट्रेजरी और कॉरपोरेट वित्त जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है।

व्यापार घाटा 30 महीने के न्यूनतम स्तर पर

भारत का निर्यात सितंबर 2013 में 11.15 प्रतिशत बढ़ा और आयात में 18.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे देश का व्यापार घाटा घटकर 6.76 अरब डॉलर रह गया है जो कि मार्च 2011 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। दूसरी तिमाही के लिए व्यापार घाटा 29.8 अरब डॉलर रहा, जो कि पहली तिमाही में 50 अरब डॉलर था। बीते माह निर्यात बढ़कर 27.68 अरब डालर रहा, जबकि आयात 34.4 अरब डालर रहा।

विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को उदार बनाएगा सेबी

पूँजी बाजार विनियामक सेबी ने भारतीय पूँजी बाजारों को विदेशी निवेशकों के लिए आर्कषक निवेश स्थल बनाने के वास्ते उनके लिए पंजीकरण तथा दूसरे नियमों को सरल बनाया है। इसके लिए विस्तृत विनियमों को अंतिम रूप हाल ही में दिया गया है।

सेबी ने पूँजी बाजार में निवेश करने वाले विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेशकों के लिए अब एक नई श्रेणी बनाई है जिसे विदेशी पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स नाम दिया गया है। सेबी ने विदेशी संस्थागत

निवेशकों (एफआईआई) और पात्र विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) तथा अन्य को मिलाकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानि (एफपीआई) नामक नई श्रेणी बनाई है। जोखिम को ध्यान में रखते हुए एफपीआई की अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। एफपीआई के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) जरूरतें तथा अन्य पंजीकरण प्रक्रियाएं मौजूदा प्रक्रिया की तुलना में काफी सरल होंगी। सेबी ने इन्हें स्थायी पंजीकरण देने का भी फैसला किया है, जबकि मौजूदा व्यवस्था में भारतीय बाजार में निवेश चाहने वाली विदेशी फर्मों को एक साल या पांच साल के लिए मंजूरी दी जाती है।

साथ ही सेबी ने 'डेजिम्प्रेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स' (डीडीपी) की स्थापना को भी मंजूरी दी है जो कि बाजार विनियामक की ओर से एफपीआई का पंजीकरण करेगी।

कार्ड से खरीदारी : शून्य ब्याज दर की योजनाओं पर रोक

डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी करने पर जीरो इंटरेस्ट रेट की आकर्षक योजना अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए जीरो इंटरेस्ट रेट स्कीम पर रोक लगा दी है। अब तक कई बैंक मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट्स समेत कई दूसरी चीजों की खरीदारी पर ग्राहकों को लुभाने के लिए जीरो इंटरेस्ट रेट जैसी आकर्षक योजनाएं चला रहे थे। रिज़र्व बैंक के इस आदेश से अब आपको ब्याज के बिना किस्त पर सामान नहीं मिल पाएगा।

नोटों की माला न बनाएं : रिज़र्व बैंक

शादी-ब्याह और राजनीतिक रैलियों के दौरान नोटों की माला के इस्तेमाल को लेकर रिज़र्व बैंक ने चिंता जताई है और इस तरह के चलन को बंद करने पर जोर दिया है।

रिज़र्व बैंक की ओर से जनता के लिए जारी अपील में कहा गया है कि नोटों का इस्तेमाल माला बनाने, पंडाल सजाने और पूजा स्थलों में नहीं किया जाए तथा सामाजिक आयोजनों के दौरान खास लोगों पर रुपये लुटाने से भी बचा जाना चाहिए। बैंक ने कहा है कि इस तरह के इस्तेमाल से नोट गंदे और खराब हो जाते हैं और जल्दी कट-फट जाते हैं। करेंसी नोट यानि रुपये को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए, ये देश की संप्रभुता के प्रतीक हैं, इनकी आयु

लंबी रखने में मदद करनी चाहिए। केंद्रीय बैंक ने बैंक नोटों को स्वच्छ और साफ रखने में भी लोगों से सहयोग की अपील की है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा है कि वह देश-भर में स्वच्छ बैंक नोटों की आपूर्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और आम जनता से अपील की है कि वह देश के लिए 'स्वच्छ नोट नीति' के पालन में उसके प्रयासों में अपना योगदान करें।

बैंकों से एटीएम परिचालनों में और अधिक दक्षता लाने को कहा गया

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को एटीएम लेनदेनों संबंधी ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण किए जाने के साथ-साथ एटीएम परिचालनों में और अधिक दक्षता लाकर ग्राहक सेवा में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाने के लिए कहा है-

- ग्राहक द्वारा लेन-देन की शुरुआत करने से पूर्व ही एटीएम में नकदी की अनुपलब्धता के बारे में संदेश प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की सूचना स्क्रीन अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रदर्शित की जा सकती है।
- एटीएम परिसर में एटीएम आईडी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए ताकि ग्राहक शिकायत/सुझाव देते समय उसका उल्लेख कर सकें।
- एटीएम शिकायतें दर्ज कराने के लिए फार्म एटीएम परिसर के अंदर उपलब्ध कराए जाएं और उन अधिकारियों के नाम एवं फोन नंबर भी उपलब्ध कराए जाएं जिनके पास शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- शिकायतें और गुम हुए कार्डों की रिपोर्ट दर्ज करने/कार्ड अवरोधित कराने में होने वाले विलंब को टालने और ऐसे अनुरोधों को प्राथमिकता देने के लिए पर्याप्त मात्रा में टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। स्थानीय हेल्पलाइन नंबर (शहर-वार/केंद्र-वार) भी बढ़ाए जाने चाहिए और उन्हें प्रमुखता से एटीएम परिसर/बैंकों की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- बैंकों को सक्रिय रूप से अपने ग्राहकों के मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी रजिस्टर करने चाहिए ताकि उन्हें चेतावनियाँ (Alerts) भेजी जा सकें और उन्हें इनमें किसी भी परिवर्तन की सूचना देने के लिए भी शिक्षित किया जाए।

सभी मौजूदा खातों के संबंध में मोबाइल नंबर और/या ई-मेल आईडी को अद्यतन करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है।

- एटीएम पर आहरण संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने खाते में उपलब्ध राशि जाने संबंधी लेन-देन सहित प्रत्येक लेन-देन के लिए पिन नंबर की प्रविष्टि को अनिवार्य बना दिया है। बैंकों ने एटीएम पर लेन-देन पूरा करने के लिए पहले से ही समय सीमा निर्धारित कर रखी है। तथापि, एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में, इस तरह के कार्यों में लगने वाले समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एटीएम लेन-देन के सभी स्क्रीन/चरणों के लिए टाइम आउट सत्र भी आरंभ किया जाना चाहिए।

नए कंपनी अधिनियम में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही संसद द्वारा पारित कंपनी विधेयक ने करीब छह दशक पुराने कंपनी अधिनियम, 1956 की जगह ली है। इस अधिनियम में अनुपालन, पारदर्शिता, स्वनियमन बढ़ाने का प्रावधान है और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व को बाध्यकारी बनाया गया है। नए बिल के जरिए जहां कंपनियों की निवेशकों और उनके कर्मचारियों के प्रति जवाबदेही पहले से ज्यादा बढ़ेगी, वहीं ऐसी कंपनियों की धोखाधड़ी पर भी लगाम लग सकेगी, जो निवेशकों के हितों की अनदेखी करती हैं। इस विधेयक की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं -

- (i) 500 करोड़ रुपये या इससे अधिक की निवल मालियत (नेट वर्थ) या न्यूनतम 1,000 करोड़ रुपये या इससे अधिक रेवेन्यू (राजस्व) कमाने वाली या 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक मुनाफा अर्जित करने वाली कंपनियों के लिए यह अनिवार्य हो जाएगा कि उन्हें पिछले तीन वर्षों के अपने औसतन शुद्ध लाभ का 2 फीसदी कारोबारी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर खर्च करना होगा।
- (ii) एक व्यक्ति के लिए भी कंपनी स्थापित करना संभव हो सकेगा।

- (iii) प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के मामले में सदस्यों की अधिकतम संख्या अब 200 हो सकेगी।
- (iv) कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होने की अपेक्षा भी की गई है।
- (v) एसोसिएटेड कंपनी, स्मॉल कंपनी, सीईओ, सीएफओ, प्रमोटर सहित 33 विषयों की नई परिभाषा इस विधेयक में शामिल की गई है।
- (vi) कॉरपोरेट धोखाधड़ी रोकने के लिए सीरियस फ्राड इनवेस्टिगेशन आफिस (एफएसआईओ) को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- (vii) लेखापरीक्षक यदि अपूर्ण या गलत लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर दस्तखत करेंगे, तो उन पर आपराधिक मामला भी चल सकेगा।
- (viii) इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी कार्रवाई को अपराध की श्रेणी में लाया गया है और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
- (ix) सभी कंपनियों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा। अपवाद में सिर्फ वे कंपनियां होंगी, जो किसी विदेशी कंपनी की सहायक/होल्डिंग कंपनियां हैं और जिनके लेखों का कंसोलिडेशन भारत के बाहर होना है किंतु इसके लिए अनुमति ली जानी होगी।

क्या है इंश्योरेंस रिपॉजिटरी ?

अब आप इंश्योरेंस पॉलिसी डीमैट में रख सकते हैं। इस सुविधा के तहत इंश्योरेंस प्लान को ठीक उसी तरह डीमैट फॉर्म में रखा जा सकता है जिस तरह से शेयरों और बॉण्ड को डिपॉजिटरी के साथ डीमैट एकाउंट में रखा जाता है। इसमें बीमा पॉलिसी को डिजिटल रूप में ई-इंश्योरेंस एकाउंट में रखा जाता है।

कैसे खुलेगा ई-इंश्योरेंस एकाउंट ?

कोई पॉलिसी होल्डर इरडा की तरफ से मंजूर पांच रिपॉजिटरी में से किसी के साथ ई-इंश्योरेंस एकाउंट खोल सकता है। इन रिपॉजिटरी में एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपॉजिटरी, एसएचसीआईएल प्रोजेक्ट्स, कैम्स रिपॉजिटरी सविसेज और कार्विंग इंश्योरेंस रिपॉजिटरी शामिल हैं। इरडा ने यह

भी तय किया है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही ई-इंश्योरेंस एकाउंट होगा। यदि आपने अलग-अगल इंश्योरेंस कंपनियों से पॉलिसी ले रखी है, तब भी इन्हें एक ही एकाउंट में रखा जा सकता है। फिलहाल, सिर्फ जीवन बीमा पॉलिसी और पेंशन प्लान को ई-इंश्योरेंस एकाउंट में रखने की इजाजत है। हालांकि, यह सुविधा धीरे-धीरे हेल्थ, कार, होम और जनरल इंश्योरेंस पर भी लागू की जाएगी।

क्या हैं इसके फायदे ?

अगर आपकी पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के गुम होने का डर नहीं रहेगा। इसके साथ ही सभी पॉलिसियों पर एक साथ नजर रखना भी आसान होगा क्योंकि सारी डिटेल्स एक जगह होंगी। आपको अलग-अलग ऑफिसों के चक्र नहीं काटने होंगे। रिपॉजिटरी सर्विस के तहत पते या नामिती में बदलाव जैसी चीजें आसान और तेज हो जाएंगी। इससे मिस-सेलिंग के मामले भी घट जाएंगे क्योंकि एजेंट न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी को 15 दिनों के फ्री-लुक पीरियड की एक्सपायरी के बाद इसमें नहीं रख पाएंगे।

कितना खर्च आएगा इस पर ?

पॉलिसी होल्डर को ई-इंश्योरेंस एकाउंट खोलने या डीमैट फॉर्म में पॉलिसी को रखने के लिए किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं करना होगा। इंश्योरेंस रिपॉजिटरी की तरफ से मुहैया कराई जाने वाली सभी सर्विसेज शुल्क रहित रहती हैं। मौजूदा पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदलने के लिए किसी भी तरह के भुगतान की जरूरत नहीं होती है। इंश्योरेंस कंपनियां अपनी लागत की वसूली पॉलिसी जारी किए जाने और इसकी डिलिवरी से जुड़ी बचतों के जरिए करेंगी।

कैसे उठाएं इस सुविधा का लाभ ?

अगर आपके पास ई-इंश्योरेंस एकाउंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नई पॉलिसी खरीदना आसान होता है। आपको सिर्फ एप्लिकेशन में एकाउंट नंबर देकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पॉलिसी का चुनाव करना होता है। केवाइसी डॉक्यूमेंट पहले ही सौंपे जा चुके होंगे, लिहाजा इंश्योरेंस फर्म को यह प्रक्रिया दोबारा नहीं अपनानी होगी। पॉलिसी जारी होने के बाद आपके एकाउंट में भी दिखेगी।

लेखकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूँजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :

- सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है।
- उसमें दी गई जानकारी उपयोगी और अद्यतन है एवं अधिकतम 8 टंकित पृष्ठों में है।
- लेख यदि संभव हो तो आकृति/यूनिकोड फांट में rajbhashaco@rbi.org.in और/अथवा savitrisingh@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर भेजने की व्यवस्था की जाए।
- वह कागज के एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित है।
- यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया है और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हैं।
- यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और ‘बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन’ में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
- लेख में शामिल आंकड़ों, तथ्यों आदि के संबंध में स्रोत का स्पष्ट उल्लेख करें।
- प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

प्रकाशकों से

जो प्रकाशक अपनी पुस्तक की समीक्षा करवाना चाहते हैं
वे कृपया अपनी पुस्तक की दो प्रतियां भिजवाने की व्यवस्था करें।

पाठकों से

इस पत्रिका को आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना अनुरोध लिखित रूप में ‘कार्यकारी संपादक, बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन’ को भेजना होगा। आपका फार्म मिलते ही आपका नाम डाक सूची में शामिल कर लिया जाएगा और तदनंतर आपको पत्रिका अगले दो वर्ष तक मिलती रहेगी। दो वर्ष समाप्त होने के पूर्व आप अपनी सदस्यता को नवीकृत कर लिया करें ताकि पत्रिका निरंतर मिलती रहे। आपसे अनुरोध है कि अपने सहयोगियों को भी यह जानकारी प्रदान करें तथा अपनी मांग से हमें तत्काल अवगत कराएं ताकि हम तदनुसार प्रतियों का मुद्रण कर सकें। पुराने पाठक कृपया पत्राचार करते समय अपनी सदस्यता संख्या का उल्लेख अवश्य करें।

- पाठकों की प्रतिक्रियाओं का हमें सदैव इंतजार रहता है।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन को मिला एबीसीआई का गोल्डन पुरस्कार

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन ने समय-समय पर विविध सम्मान भी अर्जित किए हैं जिनमें प्रमुख हैं मीडिया जगत की प्रतिष्ठित संस्था एबीसीआई द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रकाशन की श्रेणी के तहत वर्ष 2006 में तीसरे स्थान एवं 2010 में कांस्य पुरस्कार के लिए चुना जाना। इसी कड़ी में रजत जयंती वर्ष के दौरान इस पत्रिका ने सबसे उल्लेखनीय सम्मान हासिल किया है। हाल ही में एबीसीआई द्वारा इस पत्रिका के 'इतिहास के पन्नों से' स्तंभ को गोल्डन पुरस्कार से नवाजा गया है।



एबीसीआई द्वारा 18 अक्टूबर 2013 को आयोजित 53वीं ऐन्युअल अवार्ड नाइट में पुरस्कार प्राप्त करते हुए राजभाषा विभाग के महाप्रबंधक डॉ. रमाकांत गुप्ता, साथ में हैं उप महाप्रबंधक श्रीमती सावित्री सिंह, प्रबंधक श्री के. सी. मालपानी और सहायक प्रबंधक श्री एच. पंढरीनाथ

इस अंक के प्रकाशन में राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक प्रबंधक (राजभाषा) श्री एच. पंढरीनाथ का सहयोग प्राप्त हुआ।

पंजीकरण संख्या - 47043/88

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विषयों पर प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें

- जोखिम प्रबंधन – एक विवेचन**
- बैंकों में लाभप्रदता***
- बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस**
- रिटेल बैंकिंग और मार्केटिंग*
- भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली*
- ग्रामीण और विकासोन्मुख बैंकिंग*
- वित्तीय समावेशन के विविध आयाम*
- विश्वव्यापी आर्थिक संकट – एक विवेचना*
- सहकारी बैंकिंग: संगठन और स्वरूप*
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम – विविध आयाम*

*** रास्कार साहित्य माला, 7, कृष्णा विहार, टाटा कम्पाऊंड, इला ब्रिज, एस. वी. रोड, अंधेरी (प.), मुंबई - 400 058 के पास बिक्री हेतु उपलब्ध

** निदेशक रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन (बिक्री अनुभाग) आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई - 400 001 के पास बिक्री हेतु उपलब्ध

*आधार प्रकाशन प्रा. लि., एस. सी एफ. 267, सेक्टर 16, पंचकूला, 134 113 (हरियाणा) के पास बिक्री हेतु उपलब्ध